

गर्भमे क्या छिपा है? मगर जिस वज्रपात जैसी घटनाके वाचजूद, अपसंहार के अन्तमे मैने जो आगा प्रकट की है, वह अभी भी कायम है। अतना सच है कि गांधीजीके रास्ते गायद दूसरोंको भी जाना जरूरी हो जाय। जितानका एक वाक्य है :

“ अगर हम केवल सत्य और नग्न सत्य ही पाँच मिनट तक कहेंगे, तो हमारे सारे मित्र हमें छोड़ देंगे, अगर दस मिनट तक कहेंगे, तो हमें देश निकाला दे दिया जायगा, और अगर पन्द्रह मिनट तक कहेंगे, तो हमें फाँसी दे दी जायगी। ” (मिम बारबारा यंगके ‘ जिस मैं फ्रॉम लेवेनॉन ’ मेंसे)

और तिसपर भी मानवजाति और मानवतापर मेरी श्रद्धा है। और वह किसी एक ही देग या कालके लोगो तक सीमित नहीं है। मैं कभी बार कह चुका हूँ कि पूर्वकी सस्कृति और पश्चिमकी सस्कृति, हिन्दू सस्कृति, मुस्लिम सस्कृति वगैरा भेद मुझे महत्त्वपूर्ण नहीं मालूम होते। मानव-प्रजामे सिर्फ दो ही सस्कृतियों है : भद्र सस्कृति और सत सस्कृति। दोनोंके प्रतिनिधि सारी दुनियामे है। जिस हद तक सत सस्कृतिके अुपासक निष्ठा और निर्भयतासे वरतेगे, अुसी हद तक मानवजातिके सुखकी मात्रा बढ़ेगी।

वर्धा,
९ फरवरी, १९४८

किशोरलाल मशरूवाला

विषय-सूची

निवेदन

भाग पहला धर्म और समाज

१.	दो विकल्प	३
२.	धार्मिक क्रान्तिका सवाल	६
३.	क्रान्तिकी कठिनायियाँ	१०
४.	पाँच प्रतिपादनोमेसे पहला	१४
५.	दूसरा प्रतिपादन	१९
६.	तीसरा प्रतिपादन	२२
७.	चौथा प्रतिपादन	२६
८.	पाँचवाँ प्रतिपादन	३१
९.	प्रचलित धर्मोका अेक सामान्य लक्षण	३९
१०.	धर्मोद्वारा खडे किये हुअे विषय	४१
११.	भाषाके प्रश्न-पूर्वाध	४९
१२.	लिपिके प्रश्न - पूर्वाध	५४
१३.	अेकता और विविधता	५८

भाग दूसरा

साधिक क्रान्तिके सवाल

१.	चौथा परिमाण	६५
२.	चरित्र निर्माण	६८
३.	दीर्घ व अल्पकालीन योजनाये	७२
४.	धन दानके साधन	७६

५.	चित्रके स्थिर और अस्थिर अंग	८२
६.	वादोकी अलङ्कार	८७
७.	फुरसतवाद	९४
८.	आर्थिक क्रान्तिके सुदे	१०६

भाग तीसरा

राजकीय क्रान्ति

१.	कुआं और हीज	१११
२.	राजकीय हलचले और प्रथाये	११५
३.	चुनाव	११९
४.	सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ	१२३

भाग चौथा

तालीम

१.	सिद्धान्तोंका निश्चय	१३३
२.	भाषाके प्रश्न - उत्तरार्ध	१३९
३.	लिपिका प्रश्न-उत्तरार्ध	१४६
४.	इतिहासका ज्ञान	१५०
	अुपमहार	१५५

प्यारे साथियोंको

जड़मूलसे क्रान्ति .

भाग पहला

धर्म और समाज

दो विकल्प

लम्बे अरसेले मैं मानता आया हूँ और कभी बार कह भी चुका हूँ कि हमे अपने अनेक विचारों और मान्यताओंको जड़मूलसे सुधारनेकी जरूरत है। हमारे क्रान्ति सम्बन्धी विचार ज्यादातर अपूरी सुधारो तक ही सीमित है, मूल तक नहीं जाते। अिनमेसे कुछ विचारोंको यहाँ मैं व्यवस्थित रूपमे पेश करनेकी कोशिश करूँगा।

सबसे पहले मैं अपने धार्मिक और सामाजिक रचना सम्बन्धी विचारोंको लेता हूँ, हमे नीचे दिये हुअे दो विकल्पोंमेसे किसी अेकको निश्चित रूपसे अपना लेना चाहिये।

१. या तो मि. सजाना वगैरा टीकाकारोंके मतानुसार हमे मान लेना चाहिये कि जाति-भावना अेक अैसा सत्कार और अेक अैसी सत्था है, जे हिन्दू-समाजमेसे कभी हट नहीं सकती। जातिहीन हिन्दू-समाजकी रचना होना असम्भव है। अिसलिअे अिस हकीकतको मानकर ही हमे देवकी राजकीय वगैरा व्यवस्थाओंपर विचार करना चाहिये। मनु आदि स्मृतिकारोंने अैसा ही किया था। उनकी कोशिश सत्को अलग अलग रखकर उनमे अेक किस्मकी अेकता कायम करनेकी थी। हिन्दुत्वानपर मुसलमानोंका आक्रमण होनेने पहले अेना करनेमे कोअी कठिनाअी नहीं हुअी। अिसके दो कारण थे अेक तो तब देव अितना विगल और समृद्ध था कि सत्को अलग अलग रखकर अुन्ने अेनेकी सुविधा दी जा सकती थी। आजकी तह व् जन्मने ज्यादा आनाद और पोषित नहीं था, और व्करे, मुसलमानोंने आनेने पहले प्रथमे नभी देवी या विदेवी मनाज अनेक देवी देवताओ और फलोंकी अुपसन्ना करनेवाले थे। अिनकी अे पंचान देवताओंके साथ अिकलवन्के देवों मनाता अेने और अेक त व्करे सुअ् देवने अुसका अिनी तट

समावेग कर लेनेमें ज्यादा कठिनायी नहीं होती थी । तब देश अितना विगल था कि सभी जातियाँ अपने अपने पाकिस्तान बनाकर रह सकती थीं ।

अनेक देवांकी अुपासना और जातिभेद अेक दूसरेसे निकट सम्बन्ध रखते हैं । अनेक देवांमें अेक ही देवको देखने और अनेक जातियोंमें अेक ही हिन्दू-धर्म या सिर्फ चार ही वर्ण देखनेकी कोशिश बुद्धिका समाधान मात्र है । व्यवहारमें अिसपर अमल होते नहीं देखा गया । बुद्धने अिस व्यवस्थाको जड़से ही बदलनेकी कोशिश की, मगर बौद्धधर्ममें महायान पथ कायम करके हिन्दुस्तानने बौद्धधर्मको ही कमजोर बना डाला ।

या फिर यह मानकर कि यह चीज हमारे गेमगेममें समायी हुयी है, हम अिसमेंसे ही अपना रास्ता निकालनेका निश्चय करें । यानी, सामाजिक व्यवहारमें अेक दूसरीसे कम ज्यादा अलग रहनेवाली अेक नहीं, बल्कि अनेक छोटी छोटी जातियोंको हम लाजमी मानें और अिन सक्की अिच्छाये पूरी करनेके लिये कयी तरहके पाकिस्तान, अलग अलग मतदार-मंडल और संख्यानुसारी प्रतिनिधि वर्गों बनायें ।

अँसा हो ही नहीं सकता, सो बात नहीं है । मगर हमें अिसके परिणामोंके लिये भी तैयार रहना चाहिये । हमें समझ लेना चाहिये कि अँसा करनेसे देश ज्यादा ताकतवर और सगठित नहीं हो सकेगा और अुसे छोटे छोटे राज्योंमें टुकड़े टुकड़े होकर जीना पड़ेगा । अलावा अिसके, कुछ समय बाद नामधारी अँची जातियोंकी बेसी ही हालत होना सम्भव है, जैसी आज यहूदियोंकी हो रही है । नीच मानी जानेवाली जातियाँ आगे पीछे अिस्लाम या अीसाअी धर्म स्वीकार कर लेनेमें ही अपना फायदा देखेंगी । अँची जातियाँ अगर राजकीय महत्वाकांक्षा छोड़कर अपने बुद्धि-बलमें सिर्फ कुछ बड़ी बड़ी नौकरियाँ करने और व्यापार करनेमें ही सन्तोष मानेंगी, तो मुखसे जी सकेंगी और अुनके अलग चौको और देवपूजाओंमें अुन्दे कोअी हेगन करने नहीं जायेगा । जिन तरह अीरान, अरबस्तान आदि देशोंमें आज भी कयी हिन्दू रहते हैं, अुनी तरह वे रहेंगी । और अगर वे जैसा नहीं करेंगी, तो यहूदियोंकी तरह अपमानित होकर अुन्दे जहाँ-तहाँ भटकना होगा । जैमें जने नीची जातिया जाग्रत होती जायेंगी, वैसे वने अपने अँचेपनका अभिमान रखनेवाले लोगोंको पीछे हटना ही होगा ।

अूची जातियोंके लिये अेक दूसरा रास्ता भी है । वह यह कि ज्वरदस्त कोगिश करके वे अपनी अेक फासिस्ट सस्था बनाये और दूसरी सभी जातियों, धर्मों वगैराको दबाकर अपनी त्रिवर्णशाही कायम करे । मैं मानता हूँ कि दिल्ली गहराओमे अैसी वृत्ति रखनेवाला वर्ग हमारे बीचमे मौजूद है । राजाओं, ब्राह्मण पण्डितों, व्यापारियों और बडे किसानोंका अगर वग चले, तो मुमकिन है कि वे अैसा ही करे ।

जो लोग अस विकल्पको पसन्द करके वैसा हिन्दुस्तान बनानेके लिये तैयार है, उनका रास्ता अस तरह साफ है । वे अस मकसदको सामने रखकर दूसरी किसी बातका विचार किने बिना काम कर सकते हैं ।

२. मगर जिन्हे यह विकल्प और उसके परिणामोंपर पहुँचना मजूर न हो, उनके लिये यह जरूरी है कि वे पहले विकल्पको अितने ही निश्चयके साथ अपनायें और उसके अुपायोमे दृढताके साथ लग जायें । वे अुपाय ये है : अपने खूनमेसे जाति-भावनाके सत्कारको और समाजमेसे जाति-सत्थायों नाबूद करना; और अैसी क्रान्ति निर्माण करना कि सारी हिन्दी जनता अपनेको अेक अखण्ड और समान दरजेवाली मानव-जाति मानने लगे और अुसी तरह व्यवहार करने लगे ।

अैसी क्रान्ति लानेके लिये क्या करना लाजमी है, असपर हम अब विचार करेंगे ।

धार्मिक क्रान्तिका सवाल

कभी बरसोसे मे कहता आया हूँ और मेरी यह मान्यता ज्यादा ज्यादा मजबूत होती जाती है कि आजका अेक भी धर्म — हिन्दू, मुसलमान, आीसायी, सिक्ख, बौद्ध, जैन वगैरा — मानवसमाजकी मौजूदा समस्याओको हल करने लायक नहीं रहा । सभी बेजान बने हुअे हैं, और किसीका अुसके मूल रूपमें जीर्णोद्धार करनेपर भी वह मौजूदा समस्याओको हल नहीं कर सकता । अस मामलेमें हिन्दू-धर्म सबसे ज्यादा बेजान और भ्रमोंको दूर करनेमे अयोग्य है ।

मेरा विश्वास है कि मनुष्यके या समाजके जीवन और कारवागेमे जड़मूलसे क्रान्ति करनी हो, तो सबसे पहले अुसकी धार्मिक मान्यताओंमे परिवर्तन करनेकी जरूरत है । अगर आप किसी व्यक्तिको ऐसी सामाजिक रूढियाँ तोड़नेके लिअे कहे, जो लगभग धार्मिक रूढियो जैसी हो, तो वह अपने पुराने धर्मसे चिपके रहकर ऐसा नहीं कर सकेगा । मगर मुसलमान या आीसायी बन जानेपर, या किसी नये गुरु या सम्प्रदायका शिष्य हो जानेपर, वह दूसरे ही क्षण पुराने विचारो और बन्धनोको तोड़ डालनेमे ममर्थ हो जाता है । पुराने सनातन धर्मपर हमारी जिस हद तक अश्रद्धा हुआ है, अुसी हद तक हम भी अस्पृश्यतानिवारण, सहभोजन, अस्तर्जातीय या प्रान्तीय या धार्मिक विवाह वगैराके लिअे तैयार हो सके है । और जर्न हमारी मान्यताअे अन पुरानी रूढियोंके रटमे ही पड़ी है, वहाँ हम जातीय या साम्प्रदायिक मेलजोल पैदा करने वगैराके बारेमे तथा दूसरे बहुतसे सामाजिक और आर्थिक फेरफार करनेके बारेमें जरूरदस्त कदम नहीं अठा सकते । सिर्फ सर्वधर्म-समभाव या सर्ववर्ण-समभावकी भावना करके यह कहना कि मैं हिन्दू होते हुअे मुसलमान भी हूँ, आीसायी भी हूँ, ब्राह्मण होते हुअे भगी हूँ, मुसली होते हुअे क्रिमान हूँ — सिर्फ अपरी कोशिश मात्र है । यही आदमी अगर सचमुच ही मुसलमान या आीसायी बन जाय,

या भगिनसे गादी करके भगीका धन्धा करने लगे, तब अिसे 'जूता कहाँ काटता है' अिस बातका जो अनुभव होगा, वह हमे नहीं हो सकता । हमारी सारी कोशिश अपने हिन्दुत्व, ब्राह्मणत्व वंगराको सुरक्षित रखकर दूसरोंके साथ मेल बैठानेकी होती है । अुनके गैरहिन्दू और गैरब्राह्मण होनेकी भावना हमारे दिमागसे दूर नहीं हो सकती ।

अेक दिन नागपुर जेलमे मेरे अेक साथी श्री बाबाजी मोघे पिछडी हुअी जातियोकी सेवा और अुनके अुद्धारके बारेमे मुझसे चर्चा कर रहे थें । चर्चाके दौरानमे अुनके मुँहसे मराठीमे नीचे लिखे आगयका वाक्य निकल पड़ा : "कओ बार मुझे अैसा ल्हाता है कि अिन लोगोंके वहम और अन्धश्रद्धाअे दूर करनेके लिअे अिन्हे मुसलमान हो जानेकी सलाह देनी चाहिये !" श्री बाबाजीके मुँहसे यह विचार निकलना बहुत सोचने जैसी बात है । अिसका मतलब यह हुआ कि अुनको यह विन्वास हो गया है कि हिन्दू-धर्मके बजाय अिस्लाममे वहमों और अन्धश्रद्धाओंको हटानेकी शक्ति ज्यादा है । और यह बात बहुत हद तक सच भी है । लेकिन यह भी समत्याका सच्चा हल नहीं है । क्योंकि अिस्लाम भी भ्रमों — वहमों — अन्धश्रद्धाओं और सकुचिततासे परे नहीं है और न आजकी मानवी समत्याओंको हल करनेमे समर्थ है । साथ ही पूरे कुरानको जैसैका तैसा स्वीकार नहीं किया जा सकता । अगर हम खुद अिस्लाम स्वीकार करनेके लिअे तैयार नहीं है, तो किसी दूसरेको यह सलाह कैसे दे सकते हैं ? और अिस्लाममे सरलता और सीधी दृष्टिके होते हुअे भी बहुतनी उँगी बातें हैं, जिन्हे हमारी विवेकबुद्धि स्वीकार नहीं कर सकती । यही टाल अीसाअी वंगरा धमोका है ।

हम हिन्दू लोग, जिन्दगीभर अेक अजीब किल्मकी बौद्धिक कनन करनेके आदी हो गये हैं । अेक तरफमे हमारी फिलॉसफी ठेठ अद्वैत वेदातमी है । अिस रटमे बुद्धिको रखकर जब हम विचार करने हें तो दुनिग झूठी, देव झूठे, गुर निष्प झूठे, विधि-निग्ध झूठे, पाप पुण्य झूठे, नीति अनीति, हिंसा-अहिंसा मध्य-झूठ मन्को झूठे झूठे बद् डालने हैं । अंगे अिगने निमलकर जब दूसरी रटपर चलने है, तो गोरुदेवता, गण्डेदेवता, गुम्देवता, पितृपूजा, ग्रहपूजा, अवतारभक्ति, अलग अलग अेताओंकी

अलग अलग देवपूजा, श्रुति-स्मृति-पुराण-आगम-निगम-मन्त्र-तंत्र-कुरान-बाइबल वगैरा सबका समर्थन करने लगते हैं। जिसमें हमें दूसरे मतोंके प्रति सहिष्णुता या ग्वादारी रखने भरसे सन्तोष नहीं होता। हम सर्वमत समभाव—और सर्वमत ममभाव—तक पहुँचते हैं। अनेक देवताओंवाले समाजका अनेक जातियों और छोटे छोटे भौगोलिक विभागोंमें बँटे रहना स्वाभाविक है। काफी विचार करनेके बाद मैंने महसूस किया है कि हमारे समभाव या ममभावका मतलब 'श्रद्धालु नास्तिकता' के सिवा और कुछ नहीं है। किसी चीजकी अच्छाई या उसके अस्तित्वमें भले हमारी श्रद्धा न हो, हम उसे चाहे अन्मानकी कौरी कल्पना या गैरकुदरती चीज मानते हों, फिर भी उसके छोड़नेमें डर, या परम्परा जारी रखने या कलाकी कदर करनेके लिये उसे पकड़े रखनेका मोह ही हमारी अुपासनाका स्वरूप हो गया है। जिसमें न तो सत्यकी अुपासना है, न निष्ठाकी सरलता और न अनन्यता।

अगर हमें हिन्दू-समाजको और हिन्दू-जनताको अपूर अुठाना है, तो नीचे दिये हुए सिद्धान्तोंको स्वीकार करनेका साहस हमें करना ही चाहिये :

१. अेक सब जगह फैले हुए (सर्वव्यापक), सबपर काबू रखनेवाले (सर्वनियता) परमात्माके सिवा दूसरे किसी देव, ग्रह, पितृ, अवतार, गुरु वगैराकी या अुसकी मूर्ति या प्रतीककी अुपासना-पूजा-मन्दिरस्थापना वर्गंग न की जाय। और जिस गतका आग्रह रखा जाय कि किसी नाम-रूपामक सच्चे या काल्पनिक सत्त्वको अीश्वरकी बराबरीमें या अुसके साथ नहीं रखा जा सकता।

२. कौसी भी शास्त्र-वेद, गीता, कुरान या बाइबल भी अीश्वरके वनापे हुए या अीश्वरकी वाणी नहीं है। किसी ग्रन्थको जिस तरह प्रमाण-रूप न माना जाय कि अुसके वचनोंको अपनी विवेकबुद्धिपर कसा ही न जा सके।

३. किसी मनुष्यको अीश्वर या पैगम्बरकी कौटिममें न रखा जाय। किसीको अन्वयज्ञगील, यानी जिसके विचार या कर्तावमें भ्रल हो ही नहीं मन्नी, ईमा न माना जाय। और जिसमें अुसका हरएक काम गृह दिव्य, और श्रवण-कीर्तनके ल्यायक ही है, ईमा न समझा जाय।

सामान्य जनताके हितको दृष्टिमें रखकर जो कमसे कम सदाचारके नियम ठीक समझे जाते हों, उन्हें तोड़नेका किसीका अधिकार न माना जाय और किसी व्यक्तिकी विशेष पवित्रताके कारण तो उसका यह अधिकार हरगिज न माना जाय। यह कोई नयी बात नहीं कि बुरी वृत्तिके लोग सदाचारके नियमोंका भंग करेंगे, इसके लिये समाज अपने ढंगसे असे रोकेंगा और जैसे लोगोंको सजा भी देगा। नेक वृत्तिके लोग अिन नियमोंका ज्यादा सावधानीसे पालन करेंगे और उनका सीमाको लांघनेकी अिच्छा तक न करेंगे। अिसलिये अगर महात्मा पुरुषोंने समाजके हितके खिलाफ आचरण किये हों, तो उन्हें ढँकनेकी कोशिश न की जाय; बल्कि यह साफ कहा जाय कि वे उनका कमजोरियों ही थीं। अिसलिये जैसे चरित्रोंकी तारीफमें पद, भजन वगैरा न बनाये जायें। उनका कीर्तन न किया जाय, और न साहित्यमें अैसी उपमाओं, रूपक वगैरा अलंकारोंका उपयोग किया जाय। जैसे कि कृष्णकी शृंगारलीला वगैरा।

४. अन्तमें, बड़ी समाज और बड़ी परिवार पीढी-दर-पीढी तरक्की करता और सुख पाता है, जो निरलस होता है, कचन-कामिनीके बारेमें नियताचारसे (परहेजके साथ) काम लेता है और खुराकमें तथा सफाई रखनेमें नियमोंका पालन करता है। राजनीतिके साम-दान आदि अुपाय, धर्मके व्रत तप और अुपासना, समाजके विवाह और विरासतके नियम, आर्थिक रचना और लेन-देनके कायदे — सबका आखिरी मकसद यही होना चाहिये कि वे प्रजाको निरलस (अलस न करनेवाली, मेहनती), नियताचारी (परहेजसे रहनेवाली), तन्दुरुस्त, और पवित्र जीवन गुजारनेवाली बनानेके लिये सहूलियते पैदा करें। यही धर्मकी बुनियाद है। अिन गुणोंके पोषक निग्रमों, सत्थाओं और परिस्थितियोंका निर्माण करना और अिनसे सम्बन्ध रखनेवाले सत्थोंको खोजना ही सारी प्रवृत्तियोंका अुद्देश्य होना चाहिये। अिस तरहके नियमोंका पालन करनेसे ही पिछड़ी हुई जातियाँ आगे आवेगी और उनमेंसे भी जितने व्यक्ति जितनी पीढियों तक उनका पालन करेंगे, अुतने ही वे अँचे अुठेंगे। अिन नियमोंका भंग करनेसे ही आगे बढी हुई जातियोंका पतन हुआ है। जिन पीढियोंमें ये गुण रहेंगे, उनका दुर्दशा नहीं होगी।

५. बुद्धने कहा था : बुद्ध शरणं गच्छामि, धर्म शरणं गच्छामि और सघं शरणं गच्छामि । मैं यो कहूँगा कि एक परमेश्वरका आश्रय लो, धर्मका आश्रय लो, और दूसरे लोगोंके सदाचार — धर्मयुक्त आचरण — का आश्रय लो । परमेश्वरके सिवा दूसरे किसी देव-देवता-दैवतका आसरा न लिया जाय, किसी भी पैदा हुअे या काल्पनिक गुरु, माता या पिता या दूसरे पूज्य व्यक्ति या प्राणियोंको परमेश्वर या परमेश्वरके द्वारा भेजे हुअे या उससे खास प्रेरणा पाये हुअे न समझा जाय, अधमका आचरण न किया जाय; और किसी भी व्यक्तिके (वह चाहे जितना बड़ा हो) जैसे आचार, जिनके ठीक होनेमें सन्देह है, प्रमाण न माने जाय और न उनका बचाव किया जाय ।

जिस बातपर हमें विचार करना है वह यह है कि हम हिन्दू-धर्मका मर्म सुधार करना चाहते हैं, या मानव-धर्मका नया संस्करण करके हिन्दू-समाजमें क्रान्ति करना चाहते हैं ।

१०/११-८-४७

३

क्रान्तिकी कठिनाधियाँ

विभिन्न परिच्छेदमें प्रगट किये गये विचारोंके रास्तेमें जो बहुतसी बड़ी बड़ी कठिनाधियाँ हैं, उनपर भी विचार कर लेनेकी जरूरत है ।

पन्धे तो आन्तरिक दृष्टिसे पाँच प्रतिपादनोंके मन्त्र और मौजू होनेके कारण हमें खुदको यकीन होना ही आसान नहीं है । कहीं लोगोंको अन्तमें 'तन्त्रमन्त्रि' आदि महावाक्योंका निषेध मालूम होगा; कहींको अपनी अपनी मर्तियोंके सुताधिक उपामना करनेकी आजादीपर आघात होता जिन पदोंका कुछको विविधतामें उकता देवनेकी अद्वार दृष्टिका विरोध दिवाही देगा मगुण निगुण अन्तर्मिद्धि, सम्मृष्टि आदिकी अनेक हकते देव ही जन्मी । हमें अिन मारी बातोंका खुल्यागा करना और उन्हें लेनेको सम्मरणा देगा ।

मान लीजिये कि लोगोंको समझानेमें हम सफल होते हैं, तो बादमें आचारकी कठिनाधियां खड़ी होंगी। हजारों अल्मरारियां भर सके, अितना विद्याल हमारा देव गुरु-पूजा और भक्तिका साहित्य, पूजा और यज्ञोंकी लुभावनी विधियां, हजारों मन्दिर, उनकी वेद्युमार सम्पत्ति वगैराका विसर्जन करनेके लिये कहनेकी यह बात है। अिन सबके प्रति रहनेवाला मोह, अिनपर रहनेवाली हमारी श्रद्धा, कला और सुन्दरताकी भावना किस तरह छूट सकती है? यह बात अपने हाथों अपने शरीरकी चमड़ी अतारने जैसी कठिन है। प० जवाहरलाल जैसे बुद्धिसे अीश्वरके बारेमें नास्तिकभाव रखनेवाले व्यक्तिको भी कमला नेहरू अत्यताल्के खात मुहूर्तके वक्त और अिन्दिराकी शादीमें सारे वैदिक कर्मकाण्ड करानेमें रस मालूम हुआ। मक्काकी मस्जिदमेंसे ३६० देवताओंको हटाते वक्त मोहम्मद साहबको जितनी कठिनायी हुई होगी, अुससे हजार गुनी कठिनायी अिस काममें है।

यह होते हुअे भी, जब अिन्सानकी धर्म बदलनेमें श्रद्धा होती है, तब अैसा करनेकी अुसमें ताकत आ जाती है।

मगर यह तो जब हो, तबकी बात रही। सबसे पहले अैसे विचारोंके प्रचारकको यह समझ लेना चाहिये कि अिससे जबरदस्त सामाजिक कलह पैदा होना समभव है। अीशुके कहे मुताबिक अिसमें मां-बाप और लड़कोंके बीच, पति-पत्नीके बीच, भाअी-भाअीके बीच झगडा हो सकता है। क्रान्तिकारी भले अहिंसक रहे, क्षमाभावसे सब कुछ सहता रहे, मगर स्वार्थको धक्का लगनेके कारण या प्रचलित मान्यताकी सच्चाअीमें जबरदस्त श्रद्धा होनेके कारण यह बात जितने गले न अुतरे, अुसके बारेमें यह विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह भी अहिंसक तरीकेसे ही विरोध करेगा। बौद्ध, अिस्लाम, अीसाअी या हमारे देशके सामान्य क्रान्तिकारी सम्प्रदाय चलानेवालोंको जैसे जुल्मों और मुसीबतोंका सामना करना पड़ा, वैसे ही अिते भी करना पडे।

सिर्फ यह कडवा घूँट तभी गलेसे नीचे अुतर सकता है, जब यह समझ लिया जाय कि क्रान्तिकारीकी किस्मतमें ही यह चीज लिखी होती है।

मगर अितनेसे ही कठिनाधियोंका अन्त नहीं हो जाता। सारी मुश्किलोंका सामना करनेके बाद भी यह योजना हिन्दुस्तानमें कभी सफल हो सकती है या नहीं, अिसमें शक ही है।

बौद्ध-धर्मको किस तरह निर्लाजलि मिली, अिसे सब कोअी जानते हे । अीसाअी और अिस्लाम-धर्मका कोअी बहुत प्रचार हुआ हे, अैसा नहीं कहा जा सकता; और हिन्दू-धर्मके सहवासमे अुनका स्वरूप भी कम-अ्यादा मात्रामे हिन्दू-धर्म-मिश्रित बन गया हे । खोजा वंगरा सम्प्रदायोंको तां अेक क्रिस्मके गिचड़ी सम्प्रदाय ही कहा जा सकता हे । सभी धर्मोंके अेक क्रिस्मके महायान स्वरूप बने हे । सिक्ख-धर्मकी भी यही हालत हुआ । यह जात पांतके भेटांसे भरा हुआ हिन्दू-धर्मका ही अेक पथ हे । कवीर कागर्का कोअिअे अेठे अेठे पथ बनकर रह गयीं, और वे भी अुनके शुद्ध रूपमे नहीं । हिन्दू-धर्म अैसा महान् समुद्र हे कि सैकड़ो मोठे पानीकी नदियां भी अुसके खारेपनको दूर नहीं कर सकती, अुल्टे मुखपर पहुँचकर खुद ही खारी हो जाती हे, और मुँहसे यह आश्चर्य-वाक्य नबम निकल पड़ता हे कि — “सब नदियां जल भरि-भरि गहियां, मागर किन किध खारी ?”

अिम क्रान्तिके परिणाम स्वरूप अगर अैसा अेक छोटासा नया पथ ही बनकर रह जाय, तो अ्यादा समझदारी अिसमें होगी कि जैसा चल रहा हे वैसा ही चलने दिया जाय और अेठे-मोठे मुधारो तक ही अपना सम्पन्न नीमित गया जाय ।

मागर अैसा माननेवालेको दूसरे धर्मोंके प्रति सहिष्णुता रखकर ही मनुष्ट हो जना चाहिये । अुमे न तो सर्वधर्मसमभाव, या समभाव-ज्जे बड़े बड़े मूत्र पेश करने चाहिये, न दूसरे धर्मवालोंसे अुनकी अपेक्षा गनी चाहिये । अलग अलग धर्मोंके थोड़े वाक्य लेकर अुनका पाठ करके गिचड़ी अुपामना करनेकी भी कोअिअिग न की जाय । अिसकी उम्मत ही नहीं हे । अुमे कमसे कम अितना तो जरूर करना चाहिये कि अेक देव, अेक गुन, अेक शास्त्रका आमग लिया जाय और दूसरेके अगड़ेमें न पडा जाय । “अेको देव केशवो वा अिवो वा ।” “अेक गुरुका आमग अेक गुनमें आम ।” “चाहे कोअु गोरे कटो, चाहे कोअु कारे, मन तो अेक सज्जानद मनके मतवारे ।” — अैसी वृत्ति रखी जाय । दूसरे मतका स्वीकार नहीं, तो निन्दा भी नहीं । जिसे जो अच्छा लगे, अुमे मने मने दूरे अच्छा लगना हे, अितना काफी हे ।

मेरा खयाल है कि वैष्णवाचार्योंकी यह अनन्योपासनाकी विचारसरणी सनातनी खिचड़ी अुपासनासे ज्यादा अच्छी है ।

अिसकी मर्यादाअे भी समझ लेनी चाहिये । अिसके साथ किसी न किसी रूपमे जाति-सत्थाकी जडे रहेगी ही । जाति-भावनासे रहित समाज कायम ही नहीं किया जा सकेगा । ज्यादासे ज्यादा अिसका अेक ढीले और मामूली ताकतवाले सवके रूपमे ही अेकीकरण हो सकता है । जो लोग बहुत ताकतवर केन्द्रीय सत्तामे विश्वास नहीं करते — और बापूजीकी अैसे लोगोंमें गिनती की जा सकती है — अुनकी दृष्टिसे अिसे अिष्टापत्ति कहा जायगा । मगर फिर जात-पौत तोड़नेकी बात छोड़ देनी चाहिये । आजकी जातियाँ तोड़कर नअी जातियाँ बनानेकी बात भले कहे, मगर यह मानकर चलना चाहिये कि हिन्दू-समाज किसी न किसी तरहकी जाति-व्यवस्था बनाकर ही रहेगा । और अुस हालतमे किसी न किसी प्रकारके धर्म और जातिभेदके आधारपर बने हुअे राजकीय पक्ष और प्रतिनिधित्वका स्वीकार भी करना पड़ेगा और किसी न किसी तरहके पाकिस्तानके लिये भी तैयार रहना पड़ेगा ।

यानी, जैसा कि शुल्मे कहा गया है, हमे दो विकल्पोंमेसे अेकको स्थिर चित्तसे मजूर कर लेना चाहिये । अगर पहले विकल्पको मजूर करना है, तो दूसरेसे पैदा होनेवाले फल नहीं मिलेगे और दूसरेके फलोंकी अिच्छा है, तो पहलेको लेकर नहीं चल सकते ।

हिन्दू-समाज और हमारे जैसे सेवा करनेकी अिच्छा रखनेवालोंको अिसपर विचार करके जो अुचित हो, अुसे मजूर करनेका फैसला करना चाहिये, और अुसमे फिर डांवांडोल वृत्ति नहीं रखनी चाहिये ।

१२-८-४७

* किसी दलील करनेवालेकी दलीलमें नामनेवाले द्वारा बनाया हआ अैसा दोष जो दलील करनेवाला मजूर वर ले और अुसे अपनी खबीके तोरपर समझा दे ।

बौद्ध-धर्मको किस तरह तिलांजलि मिली, अिसे सब कोअी जानते है । अीसाअी और अिस्लाम-धर्मका कोअी बहुत प्रचार हुआ हो, अैसा नहीं कहा जा सकता; और हिन्दू-धर्मके सहवासमे उनका स्वरूप भी कम-ज्यादा मात्रामे हिन्दू-धर्म-मिश्रित बन गया है । खोजा वगग सम्प्रदायोंको तो अेक क्रिस्मके खिचड़ी सम्प्रदाय ही कहा जा सकता है । सभी धर्मोंके अेक क्रिस्मके महायान स्वरूप बने है । सिक्ख-धर्मकी भी यही हालत हुआ । यह जात पांतके भेदोंसे भरा हुआ हिन्दू-धर्मका ही अेक पथ है । कवीर वगाराकी कोअिअे छोटे छोटे पथ बनकर रह गयीं, और वे भी उनके शुद्ध रूपमे नहीं । हिन्दू-धर्म अैसा महान् समुद्र है कि सैकड़ों मीठे पानीकी नदियां भी उसके खारेपनको दूर नहीं कर सकतीं, अुल्टे मुखपर पहुँचकर खुद ही खारी हो जाती है, और मुँहसे यह आश्चर्य-वाक्य बरबस निकल पड़ता है कि — “सब नदियां जल भरि-भरि रहियां, सागर किस विध खारी ?”

अिस क्रान्तिके परिणाम स्वरूप अगर अैसा अेक छोटासा नया पथ ही बनकर रह जाय, तो ज्यादा समझदारी अिसमे होगी कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाय और छोटे-मोटे सुधागे तक ही अपना मकसद सीमित रखा जाय ।

मगर अैसा माननेवालेको दूसरे धर्मोंके प्रति सहिष्णुता रखकर ही मन्तुष्ट हो जाना चाहिये । अुसे न तो सर्वधर्म समभाव, या ममभाव-जैसे बड़े बड़े सूत्र पेश करने चाहिये, न दूसरे धर्मवालोंसे उनकी अपेक्षा रखनी चाहिये । अलत्रा अलग धर्मोंके थोड़े वाक्य लेकर उनका पाठ करके खिचड़ी अुपासना करनेकी भी कोअिअे न की जाय । अिसकी जम्हरत ही नहीं है । अुसे क्रमसे कम अितना तो जरूर करना चाहिये कि अेक देव, अेक गुरु, अेक शास्त्रका आसरा लिया जाय और दूसरेके झगड़ेमे न पड़ा जाय । “अेको देवः केशवो वा शिवो वा ।” “अेक गुरुका आमग, अेक गुरुमे आस ।” “चाहे कोअू गोरे कहो, चाहे कोअू कारे, तम तो अेक महजानद रूपके मतवारे ।” — अैसी वृत्ति रखी जाय । दूसरे मतका स्वीकार नहीं, तो निन्दा भी नहीं । जिसे जो अच्छा लगे, अुने माने, मुझे यह अच्छा लगता है, अितना काफी है ।

मेरा खयाल है कि वैणवाचार्योंकी यह अनन्योपासनाकी विचारसरणी सनातनी खिचड़ी असासनासे ज्यादा अच्छी है ।

असकी मयांदाये भी समझ लेनी चाहिये । असके साथ किसी न किसी रूपमे जाति-सत्थाकी जड़े रहेगी ही । जाति-भावनासे रहित समाज कायम ही नहीं किया जा सकेगा । ज्यादासे ज्यादा असका अेक ढीले और मानूनी ताकतवाले सके रूपमे ही अेकीकरण हो सकता है । जो लोग बहुत ताकतवर केन्द्रीय सत्तामे विश्वास नहीं करते — और बापूजीकी जैसे लोगोंमे गिनती की जा सकती है — उनकी दृष्टिसे असे अिद्यपत्ति कहा जायगा । मगर फिर जात-पेठ तोडनेकी बात छोड देनी चाहिये । आजकी जातियाँ तोडकर नयी जातियाँ बनानेकी बात भले कटे, मगर यह मानकर चलना चाहिये कि हिन्दू-समाज किसी न किसी तरहकी जाति-व्यवस्था बनाकर ही रहेगा । और अुस हालतमे किसी न किसी प्रकारके धर्म और जातिभेदके आधारपर बने हुअे राजकीय पञ्ज और प्रतिनिधित्वका स्वीकार भी करना पडेगा और किसी न किसी तरहके पाकिस्तानके लिये भी तैयार रहना पडेगा ।

यानी, जैसा कि अुलमे कहा गया है, हमे दो विकल्पोंमेसे अेकको स्थिर चित्तसे मंजूर कर लेना चाहिये । अगर पहले विकल्पको मंजूर करना है, तो दूसरेसे पैदा होनेवाले फल नहीं मिलेगे और दूसरेके फलोंकी अिच्छा है, तो पहलेको लेकर नहीं चल सकते ।

हिन्दू-समाज और हमारे जैसे सेवा करनेकी अिच्छा रखनेवालोंको अित्तर विचार करके जो अुन्नित हो, अुसे मंजूर करनेका फैसला करना चाहिये, और अुसमे फिर डांवांडोल वृत्ति नहीं रखनी चाहिये ।

१३-८-४७

* किसी दलील करनेवालेकी दलीलमे माननेवाले द्वारा बनाया हुआ अेसा दोष जो दलील करनेवाला मंजूर कर ले और अुसे अपनी त्रुटिके तौरपर समझा दे ।

पाँच प्रतिपादनोंमेंसे पहला

दूसरे परिच्छेदमें जो पाँच प्रतिपादन पेग किये गये हैं, अन्हें माना जा सकता है या नहीं, अिसपर में यहाँ विचार करना चाहता हूँ ।

पहला प्रतिपादन

मानो परमात्मा अेक केवल ।

न मानो देव देवता-प्रतिमा सकल ॥

न मानो कोअी अवतार गुरु-पेगम्बर ॥

मानो ज्ञानी विवेकदर्शी केवल

सब सदगुरु-बुद्ध-तीर्थंकर ।

न कोअी सबज अस्खलनशील ।

भले ऊँचा रहबर ॥

जो भगवानके अस्तित्वमें ही विश्वास नहीं करते या जो अुसके सहारेकी जरूरत ही नहीं समझते, अुनके बारेमें यहाँ विचार करनेकी जरूरत नहीं है । क्योकि अुन्हें तो 'मानो परमात्मा अेक केवल' के सिवा वाकीके सब प्रतिपादन मान्य ही रहेंगे । मगर जो लोग भगवानको मानते हैं, अुन्हें वाकीके चरण मान्य रहेंगे ही, अैसी बात नहीं है । क्योकि अिन्हें माननेमें धार्मिक क्रान्ति — धर्मान्तर जैसी बात होती है ।

^१मयं त्वन्विद् ब्रह्म, ^२तत्त्वमसि, ^३अयमात्मा ब्रह्म, ^४सोऽहम्, ^५गिवोऽहम्, ^६तद्ब्रह्म निष्कलमहम्, ^७वासुदेव सर्वम्, ^८गुरुः साक्षात् परब्रह्म, ^९यदा यदा हि धर्मस्य . . . मम्भवामि युगे युगे, ^{१०}सिद्ध, ^{११}सर्वज, ^{१२}तथागत, ^{१३}अीश्वर-प्रेषित, ^{१४}अीश्वर-पुत्र वगग विचारोंका अिसमें विरोध होना जान पडता है ।

विचार करनेपर मालूम होगा कि अिनमेंसे आठ वाक्य अेकदेशीय सच हैं, यानी अनुक्त दायेरमें ही सच है, अुस दायेरसे बाहर अुन्हे लागू करने जायें, तो वे भुलावेमें डालते हैं और भ्रम पैदा करते हैं । अैसा भ्रम अच्छी तरह पैदा हो भी चुका है ।

अपि भेदाऽपगमे नाय तवाऽहं न मामकीनस्त्वम्
सानुद्रो हि तरङ्ग. क्वचन सानुद्रो न तारङ्ग. ॥
आदमको खुदा मत कइ, आदम खुदा नहीं ।
मगर खुदाके नरते, आदम जुदा नहीं ॥

वगैरा वचन अुपरके वाक्योंको गौण करनेवाले (Modifiers और correctives) हैं, और यह गौणता अवतार-सद्गुरु-सिद्ध-पैगम्बर वगैरा पदोंका अपनेमें आरोप करनेवाले या अैसी भावना रखनेवाले और अुनके अनुयायी दोनोंको याद रखनी चाहिये । अुंचेते अुंचे 'अवतार', 'ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु', 'सिद्ध', 'बुद्ध' वगैराका स्थान भी भगवानसे गौण है । अेक वज्र फट तो ब्रह्मद्वारकारने ही बत्ला दिया है । अिन्तान चाहे जिनना वज्र योगीश्वर विज्ञानवेत्ता, सिद्ध, विभूतिमान और प्रकृतिके तत्त्वोंपर काहू रखनेवाला हो, वह सारे सनारका नियंत्रण — अुत्पत्ति-स्थिति-लय नहीं कर सकता । सनारकी शक्तियोंके अधीन अुत्ते रहना ही पडता है । अिसके सिवा, वह ब्रह्मकी सारी शक्तियोंको अेक ही बारमें अपनेमें प्रकट नहीं कर सकता । अुनकी स्तुतिगता कभी स्वस्तुतिगता हो नहीं सकती, वह हमेगा अुधरी ही रहती है । सुअी और कुल्हाडी दोनों लोहेसे बनी होनेपर भी जिस तरह सुअीके रूपमें रहनेवाला लोहा कुल्हाडीकी ताकत नहीं दिखला सकता औ कुल्हाडीके रूपमें रहनेवाला लोहा सुअीकी ताकत नहीं दिखला सकता, अुन्ही तरह अिन्तान चाहे आध्यात्मिक अुच्चारणकी आखिरी हद तक पहुँचा हुआ हो फिर भी मानवके रूपमें रहनेवाला ब्रह्म, अमानव रूपमें रहनेवाले ब्रह्मकी शक्तियों प्रकट नहीं कर सकता । और जब वह अेक प्रकारकी शक्ति प्रकट करता है, तो अुन्हे प्रकरकी शक्ति शायब हो जाती है । गीताकार जैसे भय्य करतना करनेवाले कविका विषाटपुत्र्य भी सिर्फ अपनी भयंकर, कालरूप विभूतियोंका ही दर्शन करता है । मगर मन्वसुके सवागमें तो जिस वक्त

भयकर सहार चल रहा होता है, घोर अधर्म और हिंसाका साम्राज्य फैला होता है, असी वक्त सुन्दरता, धर्म, प्रेम, आदिका सजेन और पोषण भी होता रहता है। इसलिये अिस्लाम और यहूदी धर्मके अिस आग्रहमे काफी औचित्य है कि चाहे जैसी — जानदगा, शुद्धता या योगसिद्धिकी उँचायी तक पहुँचा हुआ व्यक्ति हो, उसे साक्षात् परब्रह्मकी बराबरीमें न बैठाया जाय। हिन्दुओंको यह सत्य मानना और अिसकी विरोधी मान्यताओंको छोड़ना ही पड़ेगा। अिस तरह शुद्ध और साधारण अीश्वरवाचक नामोंकी बराबरीमें देव, देवी, अवतार, गुरु, सन्त वगैराके नाम लेना और अुनके गीत गाना ठीक नहीं है। और जाँ अिसमे दोष देखता है, वह अगर अिसमे भाग लेनेसे अिनकार करे, तो अुसपर यह दोष नहीं ल्गाया जा सकता कि अुसमें सर्वधर्म-समभावका अभाव है। अिससे वैसा ही समझना चाहिये जैसे कि अहिंसा-धर्म माननेवाला व्यक्ति पशुजन्म या अैसी पूजाविधियोंमे शामिल होनेसे अिनकार करे जिनमें मांस, शराब वगैराका भोग ल्गाया जाता है।

अिसका यह मतलब नहीं कि यहाँ सगुणोपासनाका विलकुल निषेध किया जा रहा है, या महापुरुषोंके लिये आदरभाव, भक्ति, या अुनके अच्छे गुणोंका गान करनेकी विलकुल मनाही की जा रही है। यह निर्गुण अुपासना नहीं है। यहूदी और अिस्लाम धर्ममें अीश्वरपर आकारका आरोप करनेकी मनाही है, मगर यह निर्गुण अुपासना नहीं, रामानुजकी भाषामे कहें तो यह 'सकल कल्याणकारी गुणों'का आरोप करनेवाली सगुणोपासना है। रहीम, रहमान, मालिक, रब्, सबको पैदा करनेवाला, करुणासागर, भक्तवन्मल, मन्मार्गदर्शक, सर्वशक्तिमान, नियामक आदि गुणोंका आरोप अिनको भी मान्य है। मगर रामानुजने अिनके साथ लक्ष्मीनारायण आदि साकार मूर्तियोंकी भी कल्पना की है। और अैसी कल्पनाका अिन्होंने त्याग किया है।

वेदान्तमे निर्गुण, निराकार शब्दोंने बड़ी गड़बड़ी पैदा कर दी है। अुचित शब्द ये होंतें — सर्वगुणबीज, सर्वगुणाश्रय, सर्वनामरूपका कारण और आश्रय। सारे शुभ और अशुभ गुणोंका, विभूतियोंका और सृष्टिका यही बीज, आश्रय, कारण, गति आदि हैं। मगर अुनमेसे श्रेयार्थी मनुष्योंके

लिखे अशुभ और अत्य गुण, विभूतियाँ और अनुका सज्जन अुपास्य या ध्येय नहीं हो सकते । जिसलिखे साधक चिन्तन और अुपासनाके लायक गुणों और शक्तियोंको ही पसन्द करता है और चित्तके आदर्शरूप अुत्कर्षके लिखे भगवानकी कल्पना कल्याणकारी गुणों और शक्तियोंके महासागरके रूपमें ही करता है ।

कल्याणकारी और प्राप्त करने लायक गुण और शक्तियाँ कौनसी है, जिसके बारेमें किसी भी देशके भक्तों, श्रेयार्थियों या विचारकोंमें ज्यादा मतभेद नहीं हो सकता । मगर किसी आकारकी सुन्दरता या कल्याण-मयताका आदर्श ठहरानेकी कोशिश की जाय, तो अनेक मत खड़े होते हैं । शुभ और अशुभ गुण और शक्तियाँ कौनसी हैं, जिसका निर्णय सब देशोंके भले लोगोंके अनुभवके आधारपर होता है । मगर श्रेष्ठ आकार कौनसा है, जिसके लिखे अनुभवका आधार नहीं मिलता । सिर्फ कल्पना-शीलता और परम्परागत सत्कारका ही जिसमें आधार लिखा जाता है । आकार और उसकी पूजाओंमेंसे त्रिसगत अुपासनाओं और पथ पैदा होते हैं । यहूदी और अिस्लाम धर्मोंने आकारका अन्त करके जुदी जुदी अुपासनाओं और पूजाओं प्रचलित होनेकी सम्भावना कम कर दी । हिन्दू-धर्मने जिससे आदर दिया, तो घर घर अलग अलग किस्मके देवताके बने ।

जितना जिस परिच्छेदकी शुरूआतमें दिये हुये चौदह वाक्योंमेंसे आठके बारेमें हुआ । अब किसीके अवतार — सिद्ध — सर्वज्ञ — पैगम्बर वगैरा होनेकी मान्यताके बारेमें विचार करें । यह स्पष्ट है कि ये सब कल्पनाके सिवा और कुछ नहीं हैं । ससारमें बहुत ही ऊँचे — लोकोत्तर — व्यक्ति पैदा होते हैं, उनके अनेक चाहनेवाले और माननेवाले भी बन जाते हैं; लेकिन अुन्हे पैगम्बर, अवतार, वगैरा समझनेमें अुनके द्वारा निर्मित और परम्परासे पोषित श्रद्धार्थोंके सत्कारके सिवा जिसके पीछे किसी सर्वमान्य अनुभवका आधार नहीं है ।

मगर अिन कल्पनाओंमें दुनियामें कभी तरहके झगड़े और पथ खड़े किये हैं । परमेश्वर और मनुष्योंके बीच ये लोग पेगवा या प्रधानमंत्री बनाये गये हैं । अिंग्लैण्डका राजा कौन है, जिसपर कोअी झगड़ा नहीं; मगर राज्यमें किसका हुक्म चले, कौन प्रधानमंत्री बने और राजाके नाम-

पर हुक्मत करे, अिसपर झगड़े होते हैं । अुसी तरह झगड़ा परमेश्वरके बारेमे नहीं, बल्कि अिस बातपर होता है कि किस अवतार — पैगम्बर — गुरु — सिद्ध — बुद्ध वगैराकी आज्ञा — हुक्म — चले । मनुष्योने बहुत कुछ अपने अपने राजकीय कारोबार और अिन्तजामके अनुरूप ही अीश्वरकी व्यवस्थाओंके बारेमे कल्पना की है । जिस तरह हमारे यहां बड़े-बड़े ओहदे हैं, जेल है, पुलिस है, अुसी तरह हमने भगवानके शासनमे भी देव, फरिश्ते, स्वर्ग, वैकुण्ठ, गोलोक वगैरा धाम, और अुत्पत्ति, पालन, प्रलय वगैराके लिये अल्ला अल्ला मन्त्री, यमदूत और नरककुड आदि माने हैं ।

अिसलिये हमें अिन सारी काल्पनिक अुपासनाओंका दृढ़तापूर्वक त्याग करना चाहिये । और सिर्फ अितना ही ध्यानमे रखना चाहिये कि —

मानो परमात्मा अेक केवल ।
 न मानो देव-देवता-प्रतिमा सकल ॥
 न मानो कोअी अवतार-गुरु-पैगम्बर ॥
 मानो ;ज्ञानी विवेकदर्शी केवल
 सब सद्गुरु-बुद्ध-तीर्थंकर ।
 न कोअी सर्वज्ञ-अस्वल्लभशील ।
 भले अूँचा रहबर ॥

दूसरा प्रतिपादन

न कोअी शात्का वक्ता परमेश्वर ।

न कोअी विवेकके क्षेत्रसे पर ॥

एरले प्रतिपादनको मान लेनेके बाद दूसरेको स्वीकार करनेमे ज्यादा मुश्किल नहीं मालूम होनी चाहिये । फिर भी सुमक्तिन है थोड़ी मुश्किल जान पड़े । कअी बार मनुष्योंके मुँहसे, और खास करके परमेश्वर-परायण मनुष्योंके मुँहसे, अैसे लोकोत्तर वचन निकल पडते हैं कि अगर वे सोच-विचार कर कहना चाहते, तो नहीं कह सकते । वे खुद भी नहीं बतला सकते कि अुन्हे अिस तरह बोलना कैसे आया, और दूसरोंको भी अिसमे आश्चर्य मालूम होता है । बोलनेवाले और सुननेवाले दोनोंको लगता है कि अिन वाक्योंका कत्ता कोअी और ही है । मानो कोअी अन्तर्यामी अुनसे बुलवा रहा है । ये वाक्य अगर अीश्वर-तत्त्वके बारेमे, मनुष्योंके धर्मके बारेमे, या किसी खास प्रश्नके बारेमे हों, और अुन्हे सुनते ही अुस जमानेके लोगोंकी कोअी समस्या हल होती हो, तो अुन्हे अीश्वरकी आज्ञा या अीश्वरप्रेरित वाणी माननेका दिल हो जाता है । और अगर वह कोअी भविष्यवाणी हो और आगे चलकर विल्कुल सच निकले, तो अीश्वरके साथ अुत्तका सम्बन्ध जोडते देर नहीं लगती ।

गहरा विचार करने पर मालूम होगा कि लोकोत्तर वाणी या दृतरोंके मनमे विश्वास पैदा करनेवाले सत्यवचन सिर्फ परमेश्वर-परायण मनुष्योंके मुँहसे ही निकलते हैं, अैसा हमेशा देखनेमे नहीं आता । कअी बार अज्ञान बालकोंके मुँहसे, किसी वक्ता पागल जैसे लगनेवाले लोगोंके मुँहसे और कभी कभी नगमे चूर मनुष्योंके मुँहसे भी लोकोत्तर सत्य निकल पडते हैं । अिसलिअे अपने मन और विवेककी शुद्धिके लिअे लगातार कोअिअि अग्नेवाले और मानव समस्याओंकी गहराअीमे अुतरकर अुनका अध्ययन करने और अुनकर विचार करनेवाले, परमेश्वर-परायण या तद्विद्या-परायण मनुष्योंके मुँहसे अगर जाने या अनजाने लोकोत्तर सत्य मत

ज्यादा प्रमाणमे निकले, तो अिसमे आञ्चयकी कौञ्ची बात नहीं है । मगर अिस तरह प्रकट किये गये मनोंमे कभी भूल होती ही नहीं — वे हमेशा और आग्निर तक सच ही साबित होते हैं, अैसा निरपवाद अनुभव नहीं है ।

अिसलिअे मत व्यक्त करनेवाला या अुद्गार निकालनेवाला व्यक्ति चाहे जितना महान हो, अुसके किसी वचनको अैसा नहीं मानना चाहिये जिसे विवेककी कसौटीपर कसे वगैर सिर्फ श्रद्धावश स्वीकार किया जा सके । जो परमेश्वरकी ही वाणी हं, अुसकी सत्यताके बारेमे तो सभीको सुनते ही या अनुभव करते ही विश्वास हो जाना चाहिये । अगर वह सिर्फ वक्ताके प्रति श्रद्धा रखनेवालेको ही मानने योग्य लगे और दूसरेको मान्य होना तो दूर रहा, अुसमे दोष तक नजर आये, तो वह परमेश्वरकी वाणी तो हो ही नहीं सकती । वह चाहे सोच-समझकर अिरादतन कही गयी हो, या अनजाने ही वक्ताके मुँहसे निकल पडी हो, या चाहे किसी योगावस्था या चित्तकी खास तरहकी अवस्थामे कही गयी हो, किसी भी हालतमे अुसे परमेश्वरकी वाणी समझनेकी जरूरत नहीं है । हमे अिन्सानके सभी अुद्गारोंको अुसकी बुद्धिसे या भावावेगसे निकले हुअे समझने चाहिये । और जिस हद तक वे अनुभव और विवेककी कसौटीपर खरे अुतरे, सिर्फ अुसी हद तक अुन्हें ग्रहण करने लायक समझना चाहिये ।

अलवत्ता, अिसे व्यवहारके आधारपर समझना होगा । सिर्फ सिद्धान्तकी दृष्टिसे तो यों भी कहा जा सकता है कि जो सार्थक या निरर्थक, सच साबित होनेवाले या झूठ ठहरनेवाले शब्द हमारे मुँहसे निकलते हैं, वे सब अीश्वरप्रेरित ही हैं । अीश्वरके सिवा दुनियामे अन्य किसीका कर्तृत्व-वक्तृत्व है ही नहीं । यानी यहां जो कुछ होता है वह सब अीश्वर ही करता है और जो कुछ कहा जाता है, अुसका कहनेवाला भी अेक अीश्वर ही है । मगर अैसा मान लेनेसे मनुष्योंके — जानियोंके भी — व्यवहार नहीं चलते, चल नहीं सकते । सभीको विवेकबुद्धिका अुपयोग करके तार्तम्य समझना ही पड़ता है ।

यहां अिम तत्त्वचर्चामे पढ़नेकी जरूरत नहीं है कि कर्तृत्व-वक्तृत्व वगैरा मनुष्योंके कितने और परमेश्वरके कितने, या कर्मो तथा वचनोंके लिअे प्राणी कितने जवाबदार हैं और भगवान कितना । मनुष्योंके व्यवहार अुनमे

कर्तृत्व-वक्तृत्वका आरोप करके ही चलाये जा सकते हैं। अतिलिखे सारे कर्मों और वचनोंको अपने अपने विवेककी कमीटीपर कसनेका सबको अधिकार है, कर्तव्य भी है। जहाँ खुदकी बुद्धि काम नहीं देती, वहाँ मनुष्य उस व्यक्तिके निर्णयके आधारपर चलता है, जिसे वह अपनेसे ज्यादा विवेकी मानता है। मगर असा करनेसे पहले वह अपने विवेक या परम्परागत स्तरके आधारपर उस व्यक्तिको अपनेसे ज्यादा विवेकी ठहरा चुकता है। जहाँ तिरु परम्परागत स्तरके आधारपर ही असा किया जाता है वहाँ यह केवल श्रद्धाका ही परिणाम होनेकी वजहसे अन्के लिखे अपूर दिना हुआ प्रतिपादन उपयोगी होगा।

अगर अपूरका प्रतिपादन मान्य हो, तो एक दूसरी बौद्धिक कसरतसे भी मनुष्योंका — खास करके पंडितोंका — पीछा छूटे। शास्त्रवचनोंको अतिशय-प्रगीत माननेसे उन नये अेकवाक्यता दिखानेकी कोशिश होती है। अगर यह मान्यता न होती, तो प्रत्यानत्रयी रचनेकी झड़ठमे हमारे आचार्य न पड़े होते। अल्पा अल्पा कालमें गायद अेक दूसरेसे अपरिचित विचारकोटारा बनाये हुअे अपनिपदों, ब्रह्मसूत्रों, गीता, पुराण वगैरामे अेक ही अर्थ अेक ही सिद्धांत वगैरा अभिप्रेत है, अिते सावित करनेमें जो रीतिगत करनी पडती है, वह न करनी पडे और वैदिक, बौद्ध, जैन, अिल्लान अिनअी वगैरा सारे धर्मोंमें अुद्देश्यकी अेकता दिखानेका प्रयत्न करनेकी जरूरत न पडे। हरअेक धर्ममें कअी बात समान हैं, कअी भिन्न हैं और बहुतेरी परस्पर विरोधी भी हैं। अेक ही धर्मके अेक ही शास्त्रमें भी परस्पर विरोधी विधान मिल सकते हैं। कअी विधि-निषेध अैसे हैं, जिहे अनुक्त वेग-बल और संस्कारोंका खयाल रखकर ही समझा जा सकता है। अिन सभमें अेकवाक्यता दिखानेकी कोशिश करना बेकार मेहनत अुठाना है। और यह अपूर्णत प्रतिपादनके सुताविक सल्ल श्रद्धाका ही परिणाम है। अितलिखे —

न कअी शास्त्रका वक्ता परमेश्वर ।

न कअी विवेकके क्षेत्रमें पर ॥

तीसरा प्रतिपादन

सार्वजनिक धर्म सदाचार-शिष्टाचार ।

मुक्त ब्रह्मनिष्ठको भी भगका न अधिकार ।

भले बुद्धि शुद्ध, चित्त सदा निर्विकार ॥

यह तीसरा प्रतिपादन बहुत महत्त्वपूर्ण है । सच पूछा जाय, तो कौंसी माँ-जाया अस्खलनशील नहीं है । मगर सारे धर्मोंमें और उनसे पैदा हुअे विविध पथों और खास तौरपर हिन्दू धर्मके पथोंमें अिस विषयपर विचारोंकी बड़ी गड़बड़ी है, और धर्म-साधना व अधिकारवादके नामपर अिसमेंसे अनेक वामाचार भी निर्माण हुअे हैं । अिसलिअे अिसके बारेमें ज्यादा स्पष्टता करनेकी जरूरत है ।

सदाचार-शिष्टाचारके बुनियादी तत्व कौन कौनसे हैं, अिसपर हम चौथे प्रतिपादनमें विचार करेंगे । यहाँ अितना कहना काफी होगा कि हरअेक समाजको सदाचार-शिष्टाचारके अैसे नियम बनाने ही पड़ते हैं, जो सयके लिअे बन्धनकारक हो और अुस समाजके हरअेक व्यक्तिका फर्ज होता है कि वह अुनका पालन करे । सम्भव है, सामान्य तथा अपवादरूप सयोगोंका भी अिन नियमोंमें विचार रखा गया हो । अलग अलग समाजों और बदलती हुअी परिस्थितियोंमें अिनकी तफसीलोंमें फेरफार भी हो सकता है और होगा । मगर किमी खास समयमें और खास समाजमें अुनकी विलकुल ठीक ठीक व्याख्या चाहे न हुअी हो, फिर भी मामूली तौरपर कुछ मर्यादाअें तो निश्चित की ही गअी होगी और समाजके विद्वानोंने अपनी लेखनी, अपने शब्दों और अपने बरतावसे अुसका निर्देअ किया ही होगा । जहाँ अंस किमी तरहके नियमोंका स्वीकार या विचार न हो, अुस मानव-समूहको समाज नहीं कहा जा सकता ।

अिन नियमोंका खुले आम या छिपे तौरपर भग करनेवाले लोग भी हरअेक समाजमें रहेंगे ही । अंस लोग समाजद्रोही माने जा सकते हैं

और समाज अपने मत्कारों और जानकारिके मुताबिक अिस वृत्तिको रोकने तथा नियम भंग करनेवालेको सजा देने या सुधारनेकी कोशिश कर सकता है ।

हो सकता है कि मामूली आदमी अैसे नियमोंके अक्षरार्थका, सिर्फ अुनके स्थूल भागका ही पालन करे । अितना ही हो, तब भी वह समाज सुरक्षित रह सकता है । मुम्किन है कि धार्मिक या साधक वृत्तिके लोग अुन नियमोंका ज्यादा ल्यानसे पालन करे, अुनके पीछे छिपे हुअे अुद्देश्यका खयाल रखकर अपने लिये अुन नियमोंको और कड़े कर दे, और समाजके जो छूटे देना मजूर किया हो अुनमेंसे भी अधिकांशका खुद होकर त्याग कर दे । अिस तरह सर्वमान्य नियमोंसे ज्यादा कड़े नियम बनानेवाले और अुनका पालन करनेवाले लोगोंकी सस्थाअे भी बन सकती है । अिन्हें अुत समाजके विशेष पथ या सम्प्रदाय कहा जा सकता है । नियमोंको ज्यादा कड़े बनाने और अुनका पालन करनेकी कोशिशोंमें सम्भव है कभी अुनने अतिरेकता या ज्यादाती हो जाय, अुनका लिललिला टूट जाय, अुनकी गकल अैनी विचित्र हो जाय कि देखनेवालोंको हमी आवे और सारे समाजके लिये अुनका स्वीकार या पालन करना असम्भव हो जाय । अिस स्थानमें शामिल होने, बचने और ल्छे असे नक अुतके नियमोंका पालन करनेवाला व्यक्ति अगर अुतमें रहनेवाली ज्यादातीका त्याग करे और सिर्फ मामूली समाजद्वारा स्वीकृत न्यादाओंका ही पालन करे, तो अुते सस्थाविसुख भले कहे, मगर समाजदोही, अतदाचारी या अगिष्टाचारी नहीं कहा जा सकता । सस्थाकी न्यादा अुतमें रहनेवालेके लिये बन्धनकारक हो सकती है, सारे समाजके लिये नहीं । मगर समाजकी अपनी न्यादा सके लिये बन्धनकारक है ।

मगर जब किर्ती व्यक्तिको हम अवतार, पैगम्बर, ब्रह्मनिष्ठ, जीवनमुक्त, सिद्ध, हुद, अन्वयन शुद्ध आदि रूपोंमें मानने लगते हैं, तब अुत्के आचारोंके बारेमें अेक अला कित्मकी श्रद्धा रखने लगते हैं । अुत्के जन्म और कर्मोंको 'दिव्य' यनी अमानुषी, अलौकिक असाधारण समझना और अुते समाजके विधि-निषेधों, सदाचार-गिष्टाचारके नियमोंसे परे मानना, अुत्के शुद्धतापर शक न करना, अुते अनुकरणीय न मानने पर भी गेय

— स्तुत्य — मानना, जिस तरह भी तर्क दौड़ाकर उसका समर्थन किया जा सके उस तरह समर्थन करना, जहाँ समर्थन किया ही न जा सके, वहाँ अनु वातोंकी प्रामाणिकताके बारेमें शकाओं करना या अनुका कोअी रूपकात्मक अर्थ बैठाना, अैसी अंक श्रद्धाकी कसरत खडी होती है । जिसकी अिस व्यक्तिपर श्रद्धा होती है, उसे अैसा करनेमें कोअी मुश्किल नहीं मालूम होती । अितना ही नहीं, बल्कि खुले या छिपे तौरपर उसके मनमें अैसी अभिलाषा बनी रहती है कि कोअी अैसा मंगल दिन आवे, जब वह खुद भी समाजके विधि-निषेधोंके बधनसे परे हो जाय । और जब यह अभिलाषा बलवान हो जाती है, तब वह खुदको भी अपने गुरु या आदर्श पुरुषकी ही तरह शुद्ध-बुद्ध स्थितिकी तरफ पहुँचता हुआ और अन्तमें पहुँचा हुआ समझने लगता है । धीरे धीरे वह छूटे लेने लगता है और वामाचारका केन्द्र निर्माण करता है । अेक तरफसे बहुत कड़े नियमोंके पालनपर जोर देनेवाले और दूसरी तरफमें स्थापक या अिष्ट देवताको अनुसे परे माननेवाले सम्प्रदायोंमें अिस तरह वाममार्ग खड़े हुअे हैं । अूपर दिये हुअे कारणोंमें ही दूसरे लोग अैसे व्यक्तियों और पथोंको नहीं मानते और अनुकी निन्दा करते हैं; अितना ही नहीं, अनुके स्तुत्य कर्मोंकी कदर करनेकी भी अनुकी वृत्ति नहीं होती ।

दुनियामें कअी किस्मकी आश्चर्यकारक घटनाओं, जिमकी कल्पना भी न की जा सके अैसी शक्ति रखनेवाले प्राणी व वनस्पतियाँ और कुदमनकाँ व चित्तकी अद्भुत शक्तियाँ बारबार देखनेमें आती हैं । दूसरे प्राणियोंकी अपेक्षा मनुष्यमें यह विशेषता है कि उसकी चित्तवृत्ति और शक्तियाँ अनेक शाखाओंवाली हैं । आपको अेकाध विल्ली अैसी भले मिल जाय जो दूसरी विल्लियोंसे बहुत ज्यादा ताकतवर और मोटी हो, मगर अुसमें आपको कुत्तेके स्वभावका दर्शन कभी नहीं हो सकता । वैसे ही किमी कुत्तेमें कभी विल्लीका स्वभाव नहीं पाया जा सकता । मगर मनुष्यका स्वभाव और बुद्धि अनन्त रूपोंमें विकसित हुअे हैं और कोअी मनुष्य अेक क्षेत्रमें तो दूसरा दूसरे क्षेत्रमें असाधारणता दिखला सकता है । कोअी मनुष्य विल्लीकी वृत्तिका, कोअी श्वानवृत्तिका, कोअी सिंहवृत्तिका, कोअी मियावृत्तिका, कोअी गोवृत्तिका तो कोअी घोड़ेकी वृत्तिका हो

सकता है । वह मानो 'प्राणीनां प्राणी, जीवानां जीवः' है । इसलिअे मनुष्योमे तरह तरहके लोकोत्तर पुरुषोका निमांण होना कोओ आश्चर्यकी बात नहीं है । निकदर, नेपोल्लियन, हिट्लर, परशुराम वगैरा अेक प्रकारके लोकोत्तर व्यक्ति थे, राम, कृष्ण, मोहम्मद, मनु वगैरा दूसरे प्रकारके; बुद्ध, महावीर, आशु, कनफ्यूगियस, वगैरा तीसरे प्रकारके; सॉक्रेटीज, शकराचार्य वगैरा चौथे प्रकारके, शायद अिन सबका अश रखनेवाले गांधी पांचवे प्रकारके; अत्तर और दक्षिण ध्रुवके तथा अेवरेस्टके यात्री, डेविड लिविंग्स्टन जैने मुत्ताफिर, महान सैनिक तथा नौसेना, हवाओ सेना वगैराके योद्धा छठवे प्रकारके. महान वैज्ञानिक सातवे प्रकारके । अिस तरह अनन्त प्रकार गिनाये जा सकते हैं । अिन सबमे चाहे जितनी असाधारण शक्तियां हो, हजारों बरसोमे अैसा अेकाध ही व्यक्ति पैदा होता हो, अुसके पराक्रम और यश चाहे जैसे अद्भुत हों, फिर भी किसीको अतिप्राकृत या अप्राकृत 'दिव्य' माननेकी जरूरत नहीं है । सब प्रकृतिके ही काम हैं । क्योकि कोओ भी अैसा नहीं है, जो अपने खास क्षेत्रसे बाहरके क्षेत्रमे, मामूली अिन्सानोके गुण-दोषोंसे और वृत्ति-स्वभावोंसे मुक्त हो । सबमे मानव स्वभाव ही पावा जाता है, यानी प्राणियोका सामान्य स्वभाव और धर्म भी पाये जाते हैं; और सबमे मनुष्यकी विगेषता भी पाओ जाती है । अिसलिअे प्राणिधर्मोंके नियमनके लिअे और मनुष्यकी विगेषताका समाजके फायदेके लिअे अुपयोग करनेके लिअे जो सदाचार और शिष्टाचार जरूरी माने जायें, अुनसे किसीको परे न समझा जाय और न कोओ अपने आपको अुनसे परे समझे । अिस तरह मानने और मनवानेवाले दोनों दोषी है ।

सार्वजनिक धर्म सदाचार-शिष्टाचार,
मुक्त ब्रह्मनिष्ठको भी भंगका न अधिकार;
भले बुद्धि शुद्ध. चित्त सदा निर्विकार ।

चौथा प्रतिपादन

जिज्ञासा, निरलसता, अुद्यम ।
 अर्थ व भोगेच्छाका नियमन ॥
 शरीर स्वस्थ व वीर्यवान ।
 अिन्द्रियां अिक्षित, स्वाधीन ॥
 शुद्ध, सभ्य, वाणी अुच्चारण ।
 स्वच्छ, अिष्ट वस्त्रधारण ॥
 निर्दोष, आरोग्यप्रद, भिनआहार ।
 सयमी, अिष्ट स्त्री-पुरुष व्यवहार ॥
 अर्थव्यवहारमे प्रामाणिकता व वचनपालन ।
 दम्पतीमे अीमान, प्रेम व सविवेक वशवर्धन ॥
 प्रेम व विचारयुक्त, अिष्टुपालन ॥
 स्वच्छ, व्यवस्थित, देह, घर, ग्राम ।
 निर्मल, विष्टुद्ध जलधाम ।
 शुचि, अोभित सार्वजनिक स्थान ॥
 समाजधारक अुद्योग व यत्रनिर्माण ।
 अन्न-दृध-वर्धन-प्रधान ।
 सर्वोदयसाधक समाज विधान ॥
 मैत्री-सहयोगयुक्त जन-समाश्रय ।
 रोगी-निगश्रितको आश्रय ॥
 ये मत्र मानव-अुत्कर्षके द्वाग ।
 समाज-समृद्धिके स्थिर आधार ॥

सदाचार कहे, अिष्टाचार कहे, नीति कहे, या मानवधर्म कहे, समाज और व्यक्तिके धारण-पोषण और सत्त्वशुद्धिके लिये ये ही नियम या शर्ते हे । जो व्यक्ति, परिवार, जातियों या प्रजाअे अिन नियमोको

पालनी है, नै स्मृद्ध हो सकती है, अिनका भग शुरू होनेके बाद वे अपनी तन्मृदिको ज्यादा लम्बे समय तक टिका नहीं सकती। चाहे जिस मकसदसे अिन नियमोंका भग या अिनके पालनमे गिथिलना की जाय, अैसा करनेवाले समाजको अुससे हानि ही होगी।

इह निश्चित है कि समाजके प्रति रहनेवाले अपने कर्त्तव्योंके बारेमे लपरवाह, भोगरत, स्वार्थी या अज्ञानी और बालको जैसे स्वभाववाले त्नी-पुत्र्य अिन नियमोंके पालनमे गिथिलना अवस्य दिखावेगे। अिसलिअे अिनका पालन करनेके लिअे समाजके नेताओं और शासकोंको हमेशा त्पर रहना होगा। अूर बतलाये हुअे ध्येयोंकी सिद्धिके लिअे कमसे-कम किस तरहके स्थूल व्यवहारके नियम हों, तथा लोगोंमे अुनके अनुकूल आदत डालनेके लिअे किस तरहका अनुकूल तालीम तथा बाह्य परिस्थिति निर्माण की जाय अिसका निर्णय अुस समाजके अनुभवी, विज्ञानवेत्ता और ज्ञानी-विवेकी पुरुषोंको करना चाहिये और जरूरतके मुताबिक अुनमे धर-धर नशोधन भी करना चाहिये। मगर जिस वक़्त जो भी मर्यादाअे निश्चित की गयी हों, वे अुस समाजमे रहनेवाले सब लोगोंके लिअे समानरूपसे बंधनकारक होनी चाहिये। गजा या सतसे लेकर मजदूर या कगाल तक कोअी भी अुनसे परे न माना जाय। जो सामान्य मर्यादाअे निश्चित की गयी हों, अुनसे ज्यादा कडे तयम और नियम भले कोअी व्यक्ति या समूह अपने लिअे निश्चित करे, मगर किसीको अुनके अमलमे गिथिलना करनेका अधिकार न रहे।

धर्म और समाजकी व्यवस्था आज अिस प्रकारकी नहीं है। अेक तरफसे सत्ता धन और ज्ञानका अधिकारवाद अनेकोंको अूर बतलाये हुअे सार्वजनिक सदाचारों और गिशाचोंके अेक अशकी अवगणना करनेके छूट देना है तो दूसरी तरफसे त्याग, वैराग्य और मोक्षके आदर्श दूसरे अशकी अवगणना करनेके और अुनकी अवगणना न कर देनेवाले सामान्य जनताको पान्थ तनअुनके संस्कार पैदा करने हैं। अुदाहरणके लिअे, आजकी धर्म और समाज-व्यवस्थामे सत्ताधारी, धनिक, ज्ञानी और त्यागी स्वको आलस्य छोडने और अुद्यम करनेके कर्त्तव्यसे मुक्ति मिलनी है। सत्ताधारी और धनिकको अपनी धन और भोगकी

अच्छापर मर्यादा रखनेकी जरूरत नहीं है; धन और स्त्री-सम्बन्धी व्यवहारमें ये लोग बेअमीमान और अनियंत्रित, तथा गुरु और जानी चंपन्नाह और सामान्य मर्यादाओंसे परे और स्वतंत्र रह सकते हैं। शुद्ध और सभ्यताभरी भाषा बोलनेका भार अधिकारियों, मालिकों और गुरुओं पर होना जरूरी नहीं है। कपड़ोंकी स्वच्छता और शिष्टताका विषय सत्ता, धन और शायद जाति पर निर्भर है। गरीब, सामान्य जनता और हल्की मानी जानेवाली जातियोंका कपड़ोंकी स्वच्छता तथा शिष्टताका अधिकार नहीं, त्यागी-वैरागियोंके लिये मलिनता, फूहड़ता, तथा नम्रता या अर्ध-नम्रता भ्रूषण रूप भी मानी जा सकती है। अिनके लिये सफाई और शिष्टता निन्दाकी चीज भी हो सकती है। मगर गुरुपद पर पहुँचनेके बाद ये चाहे, तो अपने आपको इस विषयमें सत्ताधारियों और धनियोंकी श्रेणीमें रख सकते हैं। निर्दोष, आरोग्यप्रद और मिताहारका धर्म सिर्फ योगाभ्यास करनेवाले ही अपनी मर्जीसे भले पाले, दूसरे लोगको बीमारीकी हालतमें जबरदस्तीसे उसे पालना पड़े तो बात दूसरी है। पति-पत्नीके आपसी व्यवहार, वश-वर्धन और निजी तथा सार्वजनिक स्वच्छताके मामलोमें साधारण जनतामें अराजकता जैसी स्थिति है। शास्त्रोंमें बहुत समझदारोंके और अति समझदारोंके भी उपदेश भरे हैं, मगर व्यवहारमें सभी मर्यादाएँ या तो टूट गयीं हैं या टूटती जा रही हैं। दूसरी तरफ पथों और सम्प्रदायोंमें अँसे नियमोंका विधान होता है, जो खास सहूलियतों और गैरमामूली — आम जनताके जीवनमें भिन्न — जीवन-रचनाके बिना पाले ही नहीं जा सकते। अिकट्टा करके खाना, स्वादहीन खुगक लेना, अुबला हुआ अन्न ही खाना, अलूना ही खाना, कच्चा ही खाना, दुग्धाहार या फलाहार ही करना, इस तरह अेकके बाद अेक अँसे ब्रतोंकी व्यवस्था है, जिनमें कहीं अति खुगक ली जाती है और कहीं विलकुल उपवास किया जाता है। और अिन ब्रतोंमें निर्दोष, आरोग्यप्रद मिताहारके नियमोंकी जगह ले ली है। स्त्री-पुन्य-व्यवहारके बारेमें भी विवाहकी मर्यादामें रहनेवाले पति-पत्नी भोगमें मयम या विवेकयुक्त वशवर्धनकी आवश्यकताको नहीं समझते और विवाहके बाहरके क्षेत्रमें सम्प्रदायोंके नियमोंमें दोनों तरफ अतिरेक है। अेक तरफ तो खुले या छिपे वामाचारी पथ हैं और दूसरी तरफ औरतोंके

लिये तो परदा है ही, मगर कुछ सम्प्रदायोंमें पुरुषोंके लिये भी ऐसी मर्यादायें निश्चित हैं, जो करीब-करीब परदे जैसी ही हैं। पहलेमें सबको भोगके साथ मोक्ष दिलानेकी भावना है, दूसरेमें प्रे मानव-समाजको प्रकृतिके असरसे छुड़ानेकी कामना है।

जिस तरह नर्कके बारेमें अतिरेक है, उसी तरह धनसंग्रहके बारेमें भी है। अेक तरफ अपरिग्रहके आदर्शको लेकर ऐसे कड़े नियम बने हुये हैं कि उनके अनुसार धातु और धनका स्पर्श तक नहीं किया जा सकता। मगर इसके साथ ही उस आदर्शको माननेवाले पथोंके पास अितना धन अिकट्टा होता है कि अुत्ते समेटनेके लिये फावडेका अुपयोग करना पड़े और वह धन अुनी आदर्शको रटनेवाले अनुयायियोंकी तरफसे मिलता है। अथात् अुन अनुयायियोंके जीवनको यह अपरिग्रहका आदर्श छू नहीं पाता. अिसीलिये अैना होता है। धनको खुद तो छुआ भी नहीं जा सकता. मगर सधके लिये बेशुमार धन बटानेमें कोअी हर्ज नहीं समझा जाता — अैसे परस्पर विरोधी प्रयत्नोंके परिणामस्वरूप नियमोंके अर्थ करनेमें विचित्र तरीके अखितयार किये जायें, तो अिसमें नअी बात कोअी नहीं है। जैसे कि धातुके धनको तो धन माना जाय, मगर नोटको न माना जाय; देवोंके गहनों वगैराकी धातुको छूनेमें कोअी हर्ज नहीं। पैसे अपने हाथमें नहीं लिये जा सकते. मगर अिसके लिये नौकर रखा जा सकता है. या खास कित्नेके शिष्य बनाये जा सकते हैं. आदि।

जल. धल और शरीरकी स्वच्छताके बारेमें भी अैतें ही अतिरेक हैं। अेक पथमें अैसी नियम-रचना है कि शरीर धोते रहना. वरतन मांजते रहना. शर-ऑंगन लीफते रहना और पानी अुबालते या छानते रहना ही सरे दिनका काम हो पडता है. तो दूसरे पंथमें अस्वच्छ, अमगल. अशरीर जीवन अच्छा माना गया है। सार्वजनिक स्वच्छताके बारेमें तो अनी दृष्टि ही अुत्पन्न होना बकी है।

अिस तरह नियम बनानेमें या तो विवेक, सदाचार, योग्यायोग्यता वगैराकी अवगणना हुअी है या अिस बातकी परवाह नहीं की गअी है कि अिन्तानते. जो कि बुदबुदके वगनें हैं. कितने नियमोंके पालनकी अंशता रखी जा सकती है तथा समाजके धारण-पोषण और स्वसंशुद्धिके

काम किस तरह चल सकते हैं। जिस कामको चार आदमी स्वेच्छासे ही कर सकते हैं — और शायद साथ रहे, तो वे भी नहीं कर सकते — उसकी गैकडों शिायोको दीक्षा देकर उनसे करवानेकी अपेक्षा रखी जाती है और समाजको यह समझानेकी कोशिश की जाती है कि वे ही अकेलाव नियम या आदर्श है।

अिस तरह विषयको आगे बढ़ाया जा सकता है। सधेपमे, ऐसे नियम बनानेकी जरूरत है, जिनका कोअी भग तो न कर सके, मगर जिसे जरूरत हो वह अुन्हे अपने लिये ज्यादा कडे बना सकता है। और ऐसे नियम बनानेके बाद अुनके अनुकूल वातावरण और क्रान्ति निर्माण करनेकी जरूरत है।

श्रेय क्या है, धर्म क्या है, समाज और राजव्यवस्थाका स्वरूप क्या होना चाहिये, व्यक्ति और समाजका सम्बन्ध क्या हो, अिन सारे मामलोमे धर्मों तथा पथो द्वारा स्वीकृत या पोषित सिद्धान्तोंमे और कल्पनाओमे जड़मूलसे फेरफार हुअे बिना यह हो नहीं सकता। आजके सारे धर्म और पन्थ व्यक्तिको मोक्ष दिलानेके लिये समाज पर ज्यादा बन्धन, पाप, दुःख या श्रमका बोझ डालते हैं, और वैसा बोझ अुठानेवालोको अुसके बदलेमे अजानी, मायाम फँसे हुअे, पामर आदि विशेषण मिलते हैं।

पाँचवाँ प्रतिपादन

पहले चार प्रतिपादनोंके विस्तारके बाद पाँचवेंके बारेमें ज्यादा कहने जैसा कुछ रह नहीं जाता । यह चारोंके अपसंहार जैसा है । इसमें बतलाया गया है कि —

रक्षिणे परमेश्वरका ही आश्रय ।
 न किसी सर्जित-कल्पितमें पैगम्बर-अश्वरपनका निश्चय ॥
 नानिने असीको विवेकयुक्त सदाचार ।
 जिसे न पोषित हो कभी भी अनाचार ॥
 लोजिने सत्पुरुषोंके सत्कर्मोंका ही आधार ।
 कोजिने कथाओं-नात्योंका विवेकसे त्याग या स्वीकार ॥
 न प्रमाणिने कोअी संशययुक्त आचार ।
 चाहे जितना बडा हो आचरनार ।
 या चाहे जैसे शालका भी आधार ॥
 धर्म हों भले नित्य, नैमित्तिक, विगेष या साधारण ।
 करे सबका समान रूपसे पालन ॥

अितका खुलता करनेमें कुछ बातें पेश की जा सकती हैं । धर्म-अधर्मकी व्याख्या करनेमें क्या दृष्टिकोण होना चाहिये और अुसे कौन निश्चित करे ?

यह मानकर चलना चाहिये कि बहुजन समाजमें धन और भोग प्राप्तिकी अिल्छा प्रकट या बीज रूपमें रहेगी ही । किसी अपवादरूप व्यक्तिने अगर वह न हो, तो अुसके कभी कारण हो सकते हैं । वह अुसकी जन्मसिद्ध लोकोत्तगता या निजी साधना भी हो सकती है, या अुसके शरीर, दिमाग वगैराकी कोअी खामी भी हो सकती है; किसी वक्त ये दोनों अिकट्टे भी देखे जा सकते हैं । अँते लोगोंकी स्वाभाविक

या साधना द्वारा बनायी हुयी आदत सबको सिद्ध हो सकती है, अंसा आदर्श रखकर धर्मके नियम ठहरानेमे भूल होगी। साम्प्रदायिक नियमोंमें जिस किस्मकी भूल ज्यादातर देखी जाती है। अुदाहरणके लिये मान लीजिये कि किसी पुरुषको धन-स्त्री वगैराके बारेमे अत्यन्त अुदामीनता या वैराग्य सिद्ध हो गये हों, जिससे उसकी असाधारण चित्तशुद्धि और अुन्नति हुयी हो। उसका यह वैराग्य जन्मसिद्ध या कुछ जन्मसिद्ध और कुछ साधनामिद्ध भी हो सकता है। अनेक मनुष्योंमें सात्विकताका कुछ अग तो होता ही है। धर्मोपदेश और धर्ममार्गीका यह अुद्देश्य होना स्वाभाविक है कि अिन् अगको पोषण मिले। मगर अिसके साथ यह भी याद रखना चाहिये कि सात्विक अगको पोषण मिलना अेक बात है और धन-स्त्री या दूसरे भोगोंकी वासनाका निर्मूल होना विलकुल दूसरी बात। वह गायद ही कभी अिस तरह निर्मूल हो सकती है या वह विलकुल निर्मूल होती ही नहीं, और बहुजन समाजके बारेमे तो यह मानकर चलना चाहिये कि अुसमें अिन भोगोंकी तृप्तिके लिये योग्य अवकाश रहे बिना छुटकाग ही नहीं है। मिर्फ स्थूल कड़े नियमोंका पालन करनेसे अिसमेंसे विलकुल बचा जा सकता है, अैसा नहीं होता, मगर होता हो तब भी बहुजन-समाज अिस रास्तेसे चल नहीं सकता। यानी अैसे कड़े नियम बहुजन समाज मजूर करे और अुनके मुताबिक आचरण कर सके, अंसा धर्म बन नहीं सकता। अिस तरह शीलके नये नये बन्धन, या आठ प्रकारका ब्रह्मचर्य, या स्त्री अथवा पुरुषका फरजियात अ-पुनर्विवाह, या फरजियात यावजीवन ब्रह्मचर्य, या फरजियात कथा-कौपीन-धारण या अपरिग्रह व्रत, वगैराके कड़े नियम, अथवा यह सस्कार बनानेका प्रयत्न कि विवाह यानी पतन, गृहस्थाश्रम यानी पामर जीवन, अुद्यम यानी समार-बधन, वगैरा बहुजन समाजके लिये बेकाम और हानिकारक साबित होते हैं। नतीजा यह होता है कि पहले तो अुस पथमे साधु और समारी अैसे दो प्रकारके अनुयायियोंके वर्ग बनते हैं। समारी अनुयायी नियमोंकी योग्यताको तो स्वीकार करते हैं मगर खुद अुन्हे पाल सकनेकी कमजोरी महसूस करते हैं, और अुनमे अपनी सहूलियतके मुताबिक काटछांट करने हैं। नियमोंकी योग्यता माननेवाले होनेके कारण यह स्वाभाविक है कि अुनमेंसे कुछ

व्यक्तियोंको जीवनकी शुरूआतमें या अन्तमें साधु हो जानेकी अच्छा हो आवे । जो लोग जीवनके पिछले भागमें साधु होते हैं, वे अगर बहुत कुछ स्थिर हो चुके हों, तो अन्हें ज्यादा कठिनायी नहीं पडती । मगर शुरूआतके भागमें ही साधु बने हुअे व्यक्तियोंको, जब वैराग्यमें अतार आता है और बीजरूपमें रहनेवाली वासनाअे जब बारबार प्रकट होती है, तब बडी घबड़ाहट होती है । साधु तो बन बैठे, कडे नियमोंका पालन भी शायद कर ले, मगर वासनाअे शान्तिसे रहने नहीं देती अिसका क्या किया जाय ? साधुसधमें से निकलते गर्भ मालूम होती है और वासनाअे तो दबती ही नहीं । फिर गलत तरीकोंसे वासनाओंका गमन करना या अुनके दाहको सहते रहना, ये दो ही रास्ते रह जाते हैं । अिस तरह 'त्याग न टुकेरे वैराग्य विना' वाले भजनमें बतलायी हुयी हालत होती है । जो बहुजन समाजका आदर्श नहीं हो सकती, जिसमें किसीको जबरदस्ती शामिल करना या शामिल होनेके लिये ललचाना गोभा नहीं देता, जिस स्थितिके प्रति स्वभावसे ही आकर्षण हो तभी वह फायदेमन्द हो सकती है, अुसे सबके लिये आदर्श बतलाकर और अुसके लिये खास नियम घडकर अनेक लोगोंको अुसके दायरेमें लानेकी कोशिश करनेसे अैसी फजीहत होती है ।

दूसरी तरफसे नियम बनानेमें अतिरेकके कारण या देशकाल तथा विचारोंके फेरफारकी वजहसे पुराने नियम चल न सकनेके कारण अथवा कठिन नियमोंका पालन करनेसे मन शुद्ध रहता ही है, अैसा अनुभव न होनेके कारण अैसे खयाल बनने लगते हैं कि सच्ची शुद्धि तो मनकी होनी चाहिये. शुद्ध मनसे जो नियम पाला जाय वही सच्चा है, बाकी सब मिथ्याचार है, सदाचार या समाज-व्यवस्थाके लिये कोयी सामान्य नियम हो ही नहीं सकते. सारे नियमोंके बन्धन तोडने लायक ही समझे जाने चाहिये, हरअेक व्यक्ति अपनी अपनी रचिके मुताबिक नियम बनाकर जब तक अुसे ठीक लगे अुनका पालन करे, और धीरे धीरे सब नियमोंके बन्धनोंसे छूटना अपना आदर्श रखे, क्योंकि "मन चगा तो कठौतीमें गंगा" — यह दूसरे प्रकारकी भूल है ।

अनेक अर्धसत्य सूत्रोंकी तरह यह सूत्र भी बहुत अनर्थकारी है । क्योंकि मन कोयी अैसी चीज नहीं है, जिसे अगर अेकवार धोकर शुद्ध

कर डालें, तो फिर कभी उसपर मैल चढ़ ही नहीं सकता । वह तो कपड़े जैसा है । उसे रोजाना अच्छी तरहसे धोअिये, फिर भी वह मैला तो होगा ही । अथवा पानी जैसा है; उसे अवालकर, भाफ बनाकर फिरसे ठंढा करें, तो भी हवाके ससर्गमे आकर वह फिरसे दूषित हो जायगा । शास्त्रका वचन है कि परमपदका दर्शन करनेके बाद मन ऐसा शुद्ध हो सकता है कि फिरसे उसके दूषित होनेकी सम्भावना नहीं रह जाती । मगर जिन लोगोकी परम-पदतक पहुँचनेके बारेमे ख्याति है, अन्होंने अगर आखिर तक समाजकी नियम-मर्यादाओंका पालन किया हो, तो अन्हें उन मर्यादाओको तोड़कर चलनेवाले लोग पूर्णतातक पहुँचे हुअे माननेको तैयार नहीं होते, और जिन्होंने मर्यादाअे तोड़ी हों, अन्हें मर्यादामे रहनेवाले ब्रह्मनिष्ठ परमपदको पहुँचे हुअे नहीं मानते । सिर्फ अेक किस्मकी भीरुताकी ही वजहसे वे लोग शकर या कृष्णको मानवसमाजमे परे, पूर्णावतारकी कोटिमे रखकर, अन्हें चर्चके क्षेत्रसे बाहर मानते हैं । शिव और कृष्णके लिअे जो अत्यन्त भक्ति रूढ हो गयी है, उसे आघात न पहुँचानेके लिअे ही अैसा हुआ है । मगर अुनके चरित्रोंको अन्होंने अनुकरणीय नहीं माना है ।

जिम तरह गतानुगतिकता क्रान्ति या प्रगति नहीं है, अुसी तरह अनवस्था और सव नियमोंका भंग भी क्रान्ति या प्रगति नहीं है । फेरफार भले जडमूलमे ही हो, फिर भी वह विवेकयुक्त ही होना चाहिये ।

व्यक्ति और समाजकी जरूरतोंके बारेमे अेक फर्क ध्यानमे रखना चाहिये । यह सच है कि अगर मन बुरे रास्तेपर भटकता फिरे और सिर्फ शरीर ही बाहरी नियमों और आचारोंका पालन करे, तो अससे व्यक्तिका नैतिक अुत्कर्ष नहीं होता । मगर समाजकी रक्षाके लिअे बहुत बार अितना ही काफी होता है । अेक आदमीकी अपने पड़ोसीकी घडी या लड़कीपर बुरी नजर रहती हो, तो वह अपने अुत्कर्षकी दृष्टिसे चोर या व्यभिचारी तो बन चुका; मगर किमी समयके संस्कारके कारण वह अपनी नापाक अिच्छापर किमी भी तरहका अमल न करे, तो अुसका पड़ोसी सुगन्धित रहता है, और पड़ोसीके लिअे अितना काफी है ।

अिमके विपरीत, अगर वह शुद्ध अुद्देश्य लेकर अैसा कोअी काम करे जिस्मे समाजको खतरा हो, तो अुसके अुद्देश्यकी शुद्धता समाजके प्रति

अुत्ते निर्दोष ढ्ढरानेमे काफी नहीं होगी । अुदाहरणके लिये मान लीजिये कि अेक गरीब आदमीको घडीकी बहुत ज्यादा जरूरत है । यह आदमी अुस पडोनीके घर जरूरतसे ज्यादा घडियो देखता है । अुनमेसे अेक अुठाकर अगर वह अुस गरीबको पहुँचा दे, तो अुसके हेतुकी शुद्धता अुसे चोर करार देनेसे रोक नहीं सकती । अिसी तरह पडोसीके घरको या सानानको वह बडे सेवाभावसे आग ल्या दे या अुसकी लड़कीका हरण करे या अुत्ते अपने पास उलाये, तो अुसके हेतुकी निर्मलता सामाजिक दृष्टिसे अुने अपराधी माननेसे रोक नहीं सकेगी । अुसकी शुद्ध वृत्तिके कारण समाज अुत्ते माफ कर दे या कम सजा दे, यह जुदी बात है । मगर अुसे वह ब्रेकदर नहीं मान सकता ।

कभी कभी कहा जाता है कि भगवान मनुष्यके भावकी — हेतुकी — शुद्धताको देखता है । बाहरी — स्थूल मर्यादाओंके कम-ज्यादा पालनकी अुसके पास कोअी कीमत नहीं । बहुतसे अर्धसत्य सूत्रोंमेसे अेक सूत्र यह भी है । ‘भगवान यानी क्या ? अुसके देखने न देखनेका क्या मतलब ?’ अिसकी तात्विक चर्चा छोड दे और भगवानकी लोकमान्य कल्पनाको ही स्वीकार करे, तब भी यह कैले समझा जाय कि भगवान अिस सिद्धान्तके नुतात्विक कान करता है ? “भगवान भावका भूत्ता है, वह गरीबके पत्रं पुष्पं फलं तोयंते जैता रीझता है, वैसा धनवानकी लाखों रुपयोंकी भेँट्टे नहीं रीझता, दुयोंधनको मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई — सबसे ऊँची प्रेम सगाई”, वगैरा शालों तथा भक्तोंके वचन हमारी श्रद्धाके आधार है; तथा जब सज्जन पुत्र भी अिस तरह बरते हों, तब भगवान अैसा करे तो अिनमे कइना ही क्या, यह न्याय अिसके पीछे है ।

अिन सूत्रोंको दर असल यों रखना चाहिये :

१. भगवान त्तिर्क स्थूल वर्तन या अर्पणको नहीं देखता, भावको भी देखता है । वर्तन और अर्पणके साथ भाव — हेतु भी शुद्ध होना चाहिये ।

२. भगवान भावपूर्वक सर्वापण मांगता है । मगर अिस सर्वापणकी कोअी अल्पतम मर्यादा नहीं है । और भावकी अधिकतम मर्यादा नहीं है । यदि पत्र-पुष्प ही तुम्हारा सब-कुछ हो और सम्पूर्ण भावसे तुम अुने अर्पण

करो, तो उसकी कदर पांच लाख या दो लाखमेंसे डेढ़ लाख रुपयोंके दानकी अपेक्षा भगवान ही क्या — महापुरुष भी — ज्यादा करते हैं ।

अिस तरह अशुद्ध मनसे किया हुआ समाज-धर्मका पालन समाजके लिये काफी माना जाता है तथा शुद्ध हेतुसे किया हुआ उसका भंग दोषरूप गिना जाता है । गो समाजके धारण-पोषण और रक्षाके लिये जिन नियमोंका पालन जरूरी है, उनमें पालनेवालेके मनकी शुद्धि-अशुद्धि गौण रहती है, अेक आचरण ही महत्त्वकी वस्तु है । अपवादरूप प्रसंग नियमोंमें आ ही जाते हैं ।

ये नियम बनानेमें नीचे दिया हुआ दृष्टिकोण सामने रहना चाहिये :

१. समाजका बहुत बड़ा भाग मन और अिन्द्रियोंके भोगों और उनके साधनरूप अर्थप्राप्तिकी, वशवर्धनकी और कुछ कर बतानेकी अभिलाषाओंसे विलकुल विमुख नहीं होता, बल्कि उनसे भरा हुआ होता है । विमुख होना मानव समाजके धारण-पोषण और अभ्युदयके लिये हानिकर भी माना जा सकता है । अिसलिये नियम अैसे होने चाहिये, जो अिन अभिलाषाओंकी पूर्तिके अनुकूल हों ।

२. अिसके साथ ही यह भी खयाल रखना होगा कि अगर ये अभिलाषाएं निरकुश हो जायें, तो वे भी समाज और व्यक्ति दोनोंके अभ्युदयके लिये और अन्तमें धारण-पोषणके लिये हानिकारक हो सकती हैं । अिन अभिलाषाओंकी मिद्धि जरूरी होते हुअे भी वे ही मानव-जीवनका अन्तिम माध्य नहीं हैं । अिसका साध्य तो मनुष्यमें रहनेवाली अुदात्त भावनाओंका विकास और अुत्कर्ष है । मानव समाजको दुःखमें घसीटनेवाले अज्ञान, भुखमरी, गरीबी, गेग, लड़ाई, अीर्षा, वैर, विषमता आदि कारणोंका नाश हो, और मनुष्यके ज्ञान तथा प्रवृत्तियोंका मनुष्य-मनुष्यके बीच रूप, सहयोग, प्रेम, योग्य समृद्धि, समानता, भ्रातृभाव वगैरा बढानेके लिये अुपयोग हों, और हरअेक व्यक्तिको उसकी शक्तियोंका अुचित दिशामें विकास करने और समाजको अर्पण करनेका मौका मिले — ये अिस विकास और अुत्कर्षके स्पष्ट परिणाम हैं । अगर अिसीको व्यक्ति तथा समाजके धारण-पोषण और सत्त्वमशुद्धिकारी धर्म कहा जाय, तो अिस धर्मकी सिद्धि मानव-जीवनका अन्तिम ध्येय है । अिसके लिये अभिलाषाओंका

विवेकपूर्वक नियमन भी चाहिये। मोटर चलानेके लिये जिस तरह अजिनकी जरूरत है, उसी तरह उसकी चालको कम-ज्यादा करने और जरूरत पडने पर उसे खडी रखनेके लिये नियामको और दाओंकी भी जरूरत है।

३. कुछ नियमोके बारेमे दोहरी मर्यादा होती है : कमसे कम असुक होना चाहिये और ज्यादासे ज्यादा अितना हो सकता है; जैसे कि फमसे कम अितने या ऐसे कपडे पहने हो, और ज्यादासे ज्यादा अितने या ऐसे। हरअेकको कमसे कम अितनी मेहनत करनी चाहिये और अितनेसे ज्यादा मेहनत किसीते नहीं ली जा सकती। कुछ नियमोमे नीचेकी मर्यादा होती है. कुछने अप्रकी, जैसे मजदूरी कमसे कम अितनी होनी चाहिये, आमदनी ज्यादासे ज्यादा अितनी। नियम बनानेमे त्वास्थ्य, नीति और सभ्यता तीनोंका खयाल रखा जाय।

जहां कमसे कम अनुक हदतक पालना चाहिये ऐसा नियम हो, वहां व्यक्तिको अितसे ज्यादा कडाअीसे पालन करनेकी छूट रहे मगर ढीला करनेकी नहीं। जहां कमसे कम अनुक होना चाहिये ऐसा नियम हो, वहां अितसे ज्यादा रखनेकी (अप्रकी मर्यादा निश्चित न की गयी हो तो) छूट दी जा सकती है। जैसे कि किसी जगहपर त्रियों और पुरुषोंके लिये अल्ला अगल व्यवस्था रखी गयी हो और उसे बन्धनकारक ठहराया गया हो, तो अितका भग कोअी नहीं कर सकता। जहां ऐसी व्यवस्था सिर्फ त्रियोंकी सहूलियतने लिये ही रखी गयी हो मगर पुरुषोंकी जगहमे त्रियोंको जानेकी छूट हो वहां कोअी त्री आग्रहपूर्वक पुरुषोंकी जगहमे न जानेका नियम रख सकती है।

अित तरह व्यक्तिको परिग्रह तथा जीवनके अनेक क्षेत्रोंमे समय बचानेके लिये नियमोंमे घट-बट करनेका सामान्य अधिकार रह सकता है। मगर ऐसी घट-बट करनेकी छूट किसीको नहीं मिल सकती, अितसे संयम टूटनेके लिये सहूलियत पैदा हो।

ऐसे नियम कौन निश्चित करे, यह दूसरा सवाल है। मुझे लगता है कि जिहें सामान्य कानून बनानेका अधिकार हो, उन्हींका नीति-धर्मके कानून बनानेका भी अधिकार सम्झा जाना चाहिये। यह सच है कि ये सब धर्मचिंतक,

स्थितप्रज्ञ नहीं हो सकते, और हाथोंकी गिनती करके कुछ बुद्धिमत्ताका माप नहीं निकाला जा सकता। फिर भी, अगर हम अिन लोगोंको भयकर युद्ध जैसे सामाजिक जीवन-मरणके अनेक गम्भीर काम करनेका अधिकार देते हैं, तो अुन्हे ये कायदे बनानेका अधिकार भी दिया जा सकता है। आखिर वे भी अलग-अलग कामोंमें अपनी मर्यादा समझते हैं, और जिस कामके लिये जो योग्य माने गये हैं, अुनकी सलाहके मुताबिक ही जैसे काम करते हैं। अुनकी अितनी समझदागी काफ़ी है। अनुभवके बाद नियमोंमें सुधार करनेका अवकाश तो रहता ही है।

ऐसी कोअी स्पष्ट मर्यादाअे नहीं है, जिनके अनुसार नीति-धर्म और ससार-व्यवहारके कायदोंके बीच फर्क किया जा सके। जीवनका कोअी भी कार्य नीति-धर्मसे अछूता नहीं है, और दरअसल ऐसा कोअी नीति-धर्म या धर्मकी कोअी साधना नहीं हो सकती जिसका ससारके जीवनके साथ सम्बन्ध न हो। यह ठीक है कि काल्पनिक जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली साधनाअे या नीति-धर्मके नियम भी होते हैं। लेकिन यदि वे सांसारिक जीवनके नीति-धर्मको तोड़नेवाले हों, तो अुन्हे बुरे ही समझना चाहिये।

यह तो होगा ही कि समाज द्वारा बनाये हुअे नियमोंमेंसे कुछ नियम किसीको अडचनरूप मालूम पड़े और किसीको वे प्रामाणिक रूपसे बुरे लगे। असे लोग सत्याग्रह-वृत्तिसे या जवर्दस्तीसे अुनका भग करेंगे। और भग करनेके नतीजे भी भोगेंगे। अुनके भगके पीछे अगर कुछ तथ्य होगा, तो समाजको आगे-पीछे अुन नियमोंमें सुधार करना ही पड़ेगा। समाजकी सारी व्यवस्थामें सुधारका यही गस्ता है। और वह अनिवार्य है।

प्रचलित धर्मोंका अेक सामान्य लक्षण

सर्वधर्म-समभावके समर्थनमे अेक बात यह कही जाती हे कि सब धर्मोंमें आध्यात्मिक, पारमार्थिक और सात्त्विक जीवनके सम्बन्धमे महत्त्वके सिद्धान्त अेकसे ही हैं। सब धर्म परमेश्वरकी भक्ति और आश्रय तथा सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, सयम वगैरा सन्त-गुणोंके अनुशीलन वगैरा पर अेकसा भार देते हैं। देश-काल आदिके फेरफारके कारण विगतोंमे थोड़ा बहुत फर्क भले दीखे, मगर अुते किसी भी धर्मके सत पुरुष ज्यादा महत्त्व नहीं देते। अिसल्लिअे सारे धर्म समान आदरके पात्र हैं।

सब धर्मोंमे अेक दूसरा सिद्धान्त भी समान है, और बदकिस्मतीसे वह सिद्धान्त आजकी समस्याओंका हल खोजनेमे कठिनाअियां खडी करता है। समाज-धर्मके पालनमे यह सिद्धान्त बाधक होता है, और मनुष्यको — खास करके श्रेयार्थी वृत्तिके मनुष्यको — समाज धर्मकी अवगणना करना भी सिखाता है। वह सिद्धान्त व्यक्तिकी अमरता और मोक्षका है। मनुष्यका जोतेजो अनुभव होनेवाला अपना व्यक्तित्व अनादि-अमर है; मरनेके बाद पुनर्जन्म द्वारा, या स्वर्ग-नरकके वास द्वारा वह चालू रहता है, और मनुष्यका सच्चा काम अिस संसारको सुधारना नहीं, बल्कि परलोककी (यानी भविष्यमे अच्छे जन्मकी अथवा नरकका निवारण करके अखड स्वर्ग या निर्वाणकी) प्राप्ति है, अैहिक जीवनमे जितना दुःख अुतना ही पारलौकिक जीवनमे सुख — ये सारे सत्कार अिसमेसे ही पैदा हुअे हैं। घरमे छप्पर षूना हो, तो खुद छाता खोलकर बैठ जाना चाहिये, और अिसी तरह घरके लोगोंको भी अपनी अपनी सहल्लियत कर लेनी चाहिये, श्रेयार्थी पर अिस तरहका बहुत तीव्र सत्कार पड़ा रहता है। रात और दिनकी तरह परलोक और अिस लोकके बीच, समाजके — संसारके — धर्मों और मोक्षके धर्मोंके बीच विरोध माना गया है। मोक्ष धर्ममें चलनेकी अशक्तिके परिणाम स्वरूप समाज-जीवनमें प्रवृत्ति होती है।

असके द्वारा जितनी चित्तशुद्धि हो, उतना ही जिसमें हित है। आखिरी व्यय तो निवृत्ति, व्यक्तिगत साधना, अपना स्वर्ग या मोक्षरूपी परलोक है। जिससे समाजको सुखी करनेकी अच्छा रखनेवाले, समाजकी विविध प्रवृत्तियोंमें पड़नेवाले, समाजके धर्मोंका अनुसरण करनेवाले लोग अन्तमें अज्ञानी, मायामें फँसे हुअे ही माने जाते हैं।

जिसलिये यह स्वाभाविक है कि तीव्र श्रद्धालु आदमीके मनमें ससारके कर्मोंके प्रति अनास्था और उनसे निकल भागनेकी वृत्ति उठती रहे। अगर वह ससारके कामोंमें रस ले, तो वह तीव्र साधक नहीं हो सकता और ससारके कामोंमें रस लेना साधु पुरुषोंके लिये उनका पतन भी माना जाता है। नतीजा यह होता है कि ससारकी प्रवृत्तियाँ स्वार्थी और धूर्त लोगोंके ही हाथोंमें रहती हैं।

दरअसल आत्मतत्त्व (चैतन्यशक्ति अथवा ब्रह्म) और व्यक्ति-रूपमें हरअेक देहमें दिखायी पड़नेवाले उसके प्रत्यगात्मभावके बीचका भेद समझनेकी जरूरत है। यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि चैतन्यशक्ति अथवा परमेश्वर अनादि-अमर है, जिसलिये उसमेंसे स्फुरित और उसके आधारपर टिका हुआ व्यक्तित्व भी अनादि-अमर ही है। यह हाँ भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यह है ही, ऐसा मान लेनेके परिणामस्वरूप समाजधर्मके प्रति अनास्था और अपने व्यक्तित्वके ही विकास और मोक्षके बारेमें श्रद्धा पैदा होती है। समाजधर्म, सेवा ये सब अपने निजी मोक्षकी सिद्धि पुरते ही महत्त्वके होते हैं। अगर यह कल्पना ही हो, तो समाजधर्मके त्यागमें समाजका द्रोह ही होता है।

दूमरी ओरमें विचार करें, तो व्यक्ति मरकर दुनियामेंसे नेस्त नाबूद हो जाय, फिर भी दुनियाके जीवनका क्रम और विकास रुकने नहीं है। पूर्वजों द्वारा माये हुये विकास या ह्रास, तप या पाप, उनके द्वारा दामिल की हुयी मिथियाँ या पराजयों वगैराका लाभ पीछे आनेवाली पीढ़ियोंको मिलता है और जिस तरह भावी समाजके अत्यान-पतनका इतिहास प्रत्यक्ष अनुभवमें आता है। पूर्वजोंका डोरा वशजोंमें दिखायी पड़ता है। व्यक्तिकी अन्नतिमें समाजकी अन्नति होती है और समाजकी अन्नति व्यक्तिकी अन्नतिमें मददगार होती है। समाजकी मददके बिना कोई भी

व्यक्ति अपना सब तरहका विकास नहीं कर सकता । “जन्म-मृत्यु विचक्षण नहि ताता । जन्म न समाज होत सुखदाता ॥” (कृष्णायन) । यह हो सकता है कि कुछ व्यक्तियोंकी मददके बिना ही समाजको अपना विकास करना पड़े; मगर कहना होगा कि ऐसे व्यक्ति उनपर रहनेवाला समाजका कर्ज अदा नहीं करते ।

मतलब यह है कि व्यक्तित्व चाहे अनादि-अमर हो फिर भी समाज-धर्मको छोड़कर निजी श्रेय साधनेकी उपासना दोषपूर्ण ही है । समाजके कल्याणके लिये कोशिश करते रहना और अिसी अुद्देश्यसे अपनी शक्तियोंका उपयोग और विकास करना हमारी साधना होनी चाहिये । अिस विचारके अभावका ही यह नतीजा है कि ससार अुसे कष्ट देनेवाले लोगोंके हाथमे ही रहा है और रहता है । जिस हद तक यह विचार परनेवरने निष्ठापूर्वक छूट्य है, अुसी हद तक ससारको भले लोगोंकी मदद मिली है और मिलनी है । व्यक्तिको अपने मरनेके बादके अपने भविष्यकी चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं है । अुसे समाजके ही श्रेयकी चिन्ता करनी चाहिये ।

१०

धर्मों द्वारा खड़े किये हुअे विघ्न

अैहिक या पारलौकिक धर्मका हेतु मनुष्य-मनुष्यके बीच प्रेम, अेकता, सदाचार, न्याय, नीति, सुखमय समाजजीवन तथा अनेक सद्गुण और अच्छी आदते निर्माण करना होना चाहिये । वह मनुष्यके विवेक और अुसकी स्वतन्त्र रीतिसे विचार करनेकी शक्तिका विकास करनेवाला होना चाहिये । वह कल्पनाओं, वहमों आदिसे घेरते मानवको बाहर निकालनेवाला तथा अज्ञानसे अज्ञानकी ओर परावल्बन — अज्ञानिनेसे स्वावल्बन — शक्तिकी ओर जानकी जो प्रगिनानवकी स्वाभाविक शक्ति है, अुसे मद्ध करनेवाला होना चाहिये । अिस स्वभावसे साथ ही प्राणियोंकी प्रकृति दैन्यसे अैश्वर्यकी ओर, भोगके अभावसे बहुत अत्यधिक भोगकी ओर जानेकी भी है । यह प्रकृति अुसके

और समाजके विनाशका कारण होती है। फिर भी, जिसका पूरी तरह दबाया नहीं जा सकता, और ज़बरदस्ती दबानेसे न जिससे लाभ होता, न समाजको और जिससे किसीका उत्कर्ष भी नहीं सधता। जिसलिये धर्मका हेतु यह है कि वह दो अन्तिम सिरे छोड़कर समाजको बीचका रास्ता बार बार बतलाता रहे। चाहे जितनी पूर्णताको पहुँचा हुआ धर्म-स्थापक हो, फिर भी वह हमेशाके लिये ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकता जिससे यह हेतु सिद्ध हो। समय-समय पर हरअेक स्थान व प्रजाको विधेयताओ तथा सयोगिक अनुसार उसमे बार बार घट-बढ तथा बड़े बड़े परिवर्तन भी करने पड़ते हैं। धर्मके मूल आधारस्तम्भ — सिद्धान्तोमेसे कुछ सनातन हो सकते हैं, मगर उसके विगतवार विधिनिषेध सनातन नहीं हो सकते। यह बात नहीं समझनेसे, जिससे भूल जानेसे, जो धर्म मनुष्योंके मार्गदर्शक होने चाहिये, वे ही अुन्हे भ्रममे डालनेवाले, भटकानेवाले और विपत्तियोंमे ढकेलनेवाले हो गये हैं। जितने बड़े बड़े धर्म आज प्रचलित हैं, वे सब जिस आक्षेपके पात्र हैं। अीश्वरप्रणीत माने जानेवाले (रिवीलड या अपौरुषेय) धर्म तो और भी ज्यादा प्रमाणमे।

हमारे देशके कअी राजकीय शकल ले लेनेवाले सवालओ और झगड़ोंके मूलमे अुतरने पर पता चलेगा कि प्रचलित बड़े-बड़े धर्मोंके प्रति रहनेवाली गलत श्रद्धाओं तथा अुनके वडपनके वारेमे झूठे अभिमानोने अुन्हे पैदा किया है। ये अब धर्मके मार्ग नहीं रहे, बल्कि अैसे टूटे हुए, मिटे हुए अवशेष हैं, जिनमेसे गुजरनेकी कोशिश मानव समाजको भयकर जगलमे ही ले जाती है। और मोहवश हम सब अपने-अपने रास्तेको सच्चा मानकर अूबड-खावड़ पगडण्डीको ही दुरस्त करके अुसे पक्की बनानेकी कोशिश करना चाहते हैं।

स्मृतिकारोने किसी समय धर्मों और वर्णोंकी अुच्चता-नीचताकी कल्पना की, अुसके अनुसार विवाह, विरासत, छुआछूत, मकरना-शुद्धता, सजा-क्षमा वर्गोंके कायदे बनाये और जातिभेदकी नींव डाली। अुस समय शायद यही हो सकता होगा। मगर हमारे लिये ये सनातन सिद्धान्त बन बैठे। ये शास्त्र अब प्रामाणिक नहीं रहे, अैसा कहनेकी हिम्मत कौन करे? अब भले अँसा लगे कि न्त्रियोंके अधिकार विशाल करने,

विरासतके नियम बदलने, विवाह-बन्धनोंमे फेरफार करने, छुआछूत हटाने और वर्गान्तर-धर्मान्तर विवाहोंको मान्य रखनेकी जरूरत आ पडी है। शासनकी मददसे हम चाहे यह सब करनेमे सफल भी हो जायें, मगर सनातन हिन्दू धर्मो तो अिस सबको धर्मका लोप या कलियुगका प्रभाव ही मानेगा। सुधारक हिन्दू अितनी हद तक चाहे न जाय, मगर आदर्शिक रूपमे तो वह अैसा कुछ मानता ही है : जैसे कि, किसी न किसी रूपमे वर्ग-व्यवस्थाका जीर्णोदधार करना जरूरी है; पुनर्विवाह और तलाकके कादूनोंके रास्ता भले कर दिया हो, मगर वह प्रशस्त नहीं है; सिर्फ कादूनों विवाहके विधि पूरे नहीं होती, उसके साथ अैसा कुछ रखना ही चाहिये, जिस्से पुराने शालों और विधियोंकी कुछ प्रतिष्ठा बनी रहे, वगैरा-वगैरा। वह गणगतिको न माने, फिर भी गणेशोत्सव मनाता है; नागपूजाको न माने, फिर भी नागपञ्चमीका दिन पालता है, वह अवतारों तथा देवोंकी विडम्बना करे, अुनके स्तिना और नाटक खेले, फिर भी अुनके दिनों और महिनाको भूलने नहीं देता।

यही बात मुसलमानों, सिक्खों वगैराके बारेमे भी है। कुरानने चार अैसके करनेकी अिजाजत दी है। अब कौन अिस्तानी ताकत अुसको वापस लेनेकी हिम्मत कर सकती है? कुरानने गायको मारनेकी मनाही नहीं की। तब किसी भी अिस्तानी ताकतको अुसे रोकनेका अधिकार ही नहीं हो सकता। गुरु गोविन्दसिंहने पांच 'क' रखनेकी आज्ञा दी है; अिसलिअे जो अुसे छोडे, वह सिक्ख नहीं; जो छोडनेके लिअे कहता है, वह सिक्ख धर्मपर हमला करता है। और ये ही सब अिस्तानोंके झगडों-पझों वगैराकी अुत्पत्तिके कारा है।

अिन सबका कारा क्या? कारग है : वेद अपौरुषेय हैं, स्मृतिकार त्रिकाल्ज ये बाअिबल और कुरानमें अीश्वरकी वाणी है, गुल्वाक्य स्वविचारणीय है — वगैरा अुदाअें।

विविध रूपोंने स्मृतिवृज और अुत्के अनेक नये नये प्रकार निमांग करनेका और अुत्के पीछे फिर खूनकी नदियां बहानेका अनिष्ट भी प्रचलित मरान् धर्मोंकी ही पिछले २५-३० बरसोंने कलहका कारग हो पडनेवाली विरसत है। हजारों बरसोंसे राजाओं तथा बडे बडे वीरों और सेनापतियोंके

अपने अपने खास झंडे तो रहते ही आये हे । हम पढ़ते हैं कि महा-भारतके युद्धमें पांचो पांडव, द्रुपद और उसके लड़के, कौरव सेनापति वगैरा सब अपने अपने खास झंडे रखते थे । यूरोपमें भी ऐसा था । किसी योद्धाको दूसरे पहचाना जा सके, यही जिसका एक अद्भुत था और होना भी चाहिये । जिस झंडेको तोड़नेका मकसद यह था कि उस योद्धाको कोअी पहचान न सके और जिस तरह वह अपनी फौज या दोस्तोंसे अलग पड़ जाय । जिसमें जिस झंडेका अपमान या पूजा वगैराकी भावना नहीं थी । जिस तरहके ध्वज-वदनका हिन्दुस्तानमें कोअी रिवाज कभी ग्हा हो, ऐसा पढ़नेमें नहीं आता । यह चीज पहले पहल आसाओ यूरोपमें टाखिल हुअी । क्योंकि आसाओ प्रजाओंने अपने धर्मका पूज्य चिन्ह 'क्रास' झंडेपर बनाया । पुराने आसाओमें मूर्तिपूजाका संस्कार बलवान होनेके कारण क्रासका निशान चाहे जहाँ और चाहे जिस कारणसे दिखाओ पड़, वह वदनीय बन जाता था । उसमें देवत्वकी भावनाका आरोप हो जाता था । जिस तरह अडा पूज्य बना, और जिस योद्धाका वह झंडा हो, उसके दुश्मनोंके लिये उस योद्धाका अपमान करने या उसे छेड़नेका सरल साधन बना ।

मुसलमानों और आसाओके बीच होनेवाले धर्मयुद्धों (क्रुसेडों)में अडा आसानीसे खून-खराबीका कारण बना । जिसमें अपने राजाकी, राज्यकी, धर्मकी, जिस तरह कओीकी आत्मका समावेश हुआ ।

मुसलमानोंका मूर्तिपूजा-विरोधी धर्म भी जिस अडा-पूजनकी दृष्टिसे नहीं बचा । राज्य हो, वहाँ अडा तो रहेगा ही । दूसरे पहचाननेके लिये यही मौजू चीज मानी जा सकती है । मगर मुसलमान बादशाहोंका अडा भी मुस्लिम धर्मके साथ जुड़ गया । मूल पैगम्बर या पहले खलीफाका अडा नीला और चाँद-तारेके निशानवाला ग्हा होगा, जिसलिये वही आसाओके क्रासकी तरह अस्लामका ध्वज बना । फिर भी अमुक दिन और अमुक तर्जिमे अडा चगना, अनागना, असे मलामी देना वगैरा कर्मकाट मुस्लिम राज्योंमें होते होंगे, ऐसा नहीं ल्याता ।

हिन्दुस्तानमें त्रिष्टि गजके आनेमें पहले अडेका किसी जीने जन्मेवाले या जीने हुअे न्यानके साथ या प्रत्यक्ष लडाओमें जहाँ सम्भव न

हो, वहाँ सिर्फ़ अुसीकी अिज्जत या टेक रखने या अुसे तोड़नेके लिये कहीं खून-खराबी हुअी हो, अैसा कहीं पत्नेमे नहीं आता ।

ब्रिटिश राज्यने हिन्दुस्तानमे झडेके रूपमे मूर्तिपूजाका अेक नया प्रकार दाखिल किया । असि मूर्तिपूजा-परायण देशमे हिन्दू राजा बहुतसे थे, मुसलमान बादशाह भी बहुतसे थे । मगर किसीका अेक झडा नहीं था । कोअी झडा सिर्फ़ हिन्दू धर्मका ही चिह्न माना जा सके, अैसा नहीं था । जिस तरह दूसरे राजाओके अपने झडे थे, अुसी तरह शिवाजीने भी अेक पसन्द किया था । वह भगवे रंगका था, जिसपर कोअी दूसरा निशान नहीं बना था । मगर भगवे झडेकी या किसी मन्दिरकी ध्वजाकी भी वन्दना करनेकी किसीने कल्पना तक नहीं की थी ।

किसी मूर्तिपूजापरायण कांग्रेसके मेम्बरको झडा पूजनकी छूत लगी । अुसने यह छूत गांधीजीको लगाअी और अुसकी झडपमे वे आ गये । फिर यह सारी कांग्रेसमे फैली, और अुसके विरोधियोंको भी दूसरे रूपमे लगी । चरखेके निशानवाला तिरंगा झडा पैदा हुआ, अुसके विरोधमे यूनियन जैक तो था ही, लीगका नीला — चौद-तारेवाला झडा, हिन्दू महासभाका भगवा झडा और दूसरे छोटे-बडे दलोंके कअी क्रिस्मके झडे बने । कोअी देश जीतने नहीं थे, जीते हुअे नहीं थे, कोअी युद्ध नहीं चल रहा था या कोअी फौज नहीं थी, जिसके आगे अिते रखा जाता, फिर भी अिसने पक्षका — टेकका — झगडा खडा किया । नागपुरके मूर्ख हाकिमोंने अुसके लिये निमित्त देकर अुसे अहमियत दी । झडा पूजनीय मूर्ति बना । अुसपर स्त्री-पुरुषोंके खून बहे ! तिरंगा आगे आवे, तो लीगका झडा क्यों पीछे रहे ? और हिन्दू महासभा अिते कैसे चुपचाप मान ले ? अिस तरह लाल (या केशरी), सफेद, नीला, भगवा रंग और चरखा या चक्र, या चौद-तारेका निशान मनुष्योंके लिये अेक-दूसरेके सिर फोडनेके निमित्त बने । केशरी यानी बलिदान, सफेद यानी शान्ति, नीला यानी असुक, वगैरा तो मनुष्यके दिये हुअे कल्पित अर्थ हैं । अिन रंगोंने अुन भावनाओंको सुरक्षित रखा हो, अैसा कभी नहीं देखा गया । झडेका चरखा मृत नहीं निकाल सकता, न अुसका धर्मचक्र धर्म कायम कर सकता; मगर वे सब झूठी मोह-भ्रमता और खैरेजीकी भावनाको बढावा देते हैं और यह तो

प्रत्यक्ष अनुभवकी बात है कि अिसीमेसे हिन्दुस्तान और पाकिस्तानके दो राजकीय प्रदेश खड़े हुअे । अगर बडा सिर्फ पहचानका ही चिह्न होता और उसका सिर्फ अितना ही उपयोग समझनेका सस्कार होता, तो बहुतसी विला वजह होनेवाली खूबेजी रुक सकी होती ।

एक सोचने लायक बात यह है कि 'रिलिजियन' या 'मजहब' के अर्थमे धर्म शब्दका अपुयोग अभी अभी ही किया जाने लगा है । सस्कृत भाषामें मत, पथ, सम्प्रदाय, दर्शन, शास्त्रवाद वगैरा शब्द हैं, अिन जुदे जुदे पन्थोंको मान्य हो, जैसे धर्म अथवा आचार भी है, और अिस तरह स्मृति-धर्म, स्तुति-धर्म, पुराणोक्त-धर्म वगैरा भी हैं, मगर वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिन्दू धर्म जैसा भाषा-प्रयोग हालमे ही पैदा हुआ है । अपने अपने सम्प्रदाय या दर्शन द्वारा मान्य किये हुअे शास्त्रोंका समन्वय और ऐकवाक्यता करनेकी हरऐक मतवालेने कोशिश भी की है । मगर अलग अलग मतों या पन्थोंका या अनेक शास्त्रोंका समन्वय या ऐकवाक्यता करनेकी कोशिश नहीं हुअी । अिसे सम्भव नहीं माना गया कि वेद मत, जैन मत, बौद्ध मतकी ऐकवाक्यता की जा सकती है । अैसा कोअी नहीं कहता कि श्चेताम्बर पन्थ और दिगम्बर पन्थ, शैव सम्प्रदाय और वैष्णव सम्प्रदाय, सांख्य-दर्शन और वेदांतदर्शन वगैरा वगैरामे ऐकवाक्यता है । ज्यादासे ज्यादा अिन सबमे विचारकी क्रमिक प्रगति या समानता दिखानेकी कोशिश होती है । अलग अलग मतों, दर्शनों वगैराको माननेवालेके प्रति सहिष्णुता रखते हुअे भी हमारे यहां अुनकी आलोचना करनेमे कभी सकोच नहीं किया गया, न यही माना गया कि अुनकी आलोचना की ही नहीं जा सकती । अिस बातको स्वीकार किया गया है कि 'शाम्प्रार्थ', 'ग्वण्डन-मण्डन' आदि कर्नेका अधिकार सबको है ।

सच पृथ्ठा जाय, तो जैसे वैदिक मत, जैन मत, बौद्ध मत हैं और अुनमेंसे हरऐकमे अनेक सम्प्रदाय, दर्शन, पथ कहे जा सकते हैं, वैसे ही अिस्लाम और अीसाअी मत भी हैं । हरऐक मत अुसके माननेवालेको सोलह आने सच मालूम होना हो, मगर दूमेरे मतवालेको वह कुछ सच्चा और कुछ झूठा या विलकुल झूठ भी लग सकता है । झूठ ल्याते हुअे भी वह भले अुनके प्रति सहिष्णुता रखे, विनय-आदर बतावे, विनय-आदरसे

अुते जाननेकी कोशिश करे, मगर यह मजूर नहीं किया जा सकता कि अुसके विचारों और आचारोंकी सत्यासत्यताकी आलोचना नहीं की जा सकती, या अैसा करनेका किसीको अधिकार नहीं है । अगर अिते मजूर कर लिया जाय, तो सत्यकी गोध और असत्यके त्यागका रास्ता ही बन्द हो जाय । मगर मतोंके लिअे धर्म या मजहब शब्दका प्रयोग करके, अुसकी अत्यक्तिके बारेमे अुस मतके अनुयायीकी श्रद्धा — अीश्वर-प्रणीतता यानी सत्यता — दूतरे मतवालोंको भी मान्य रखनी चाहिये, अैसा सत्य-शोधनका विरोधी आग्रह पैदा हो गया है ।

विचार करने पर मालूम होगा कि गलत शब्दों द्वारा बहुतसे अनर्थ पैदा होते हैं । अूपर कहे नुताविक 'मजहब' या 'रिलिजियन'का सच्चा अर्थ 'मत' है । मगर अित्तके लिअे 'धर्म' शब्दकी योजना हुअी । फिर सहिष्णुताके बदले 'समभाव'की योजना हुअी । अिस तरह परमत-सहिष्णुताके अर्थमे सर्वधर्म-समभाव शब्द बना । और समभावका मतलब सहानुभूति या आदर नहीं, बल्कि 'अेकभाव' (=सब धर्म अेक ही है) और अुत्ते आगे बढकर वह 'समभाव' (=सब मेरे हैं) तक पहुँचा ।

अेक तरफते अैसा ल्ना सकता है कि यह सब हिन्दुओंकी अेक युक्ति ही है, और अित्तका अुद्देश्य बढती हुअी धर्मान्तरकी प्रवृत्तिके आत्मरक्षा करना है । अगर यह मान लिया जाय कि हरअेक धर्म सच्चा है, मोक्षदायी है, तो धर्मान्तरकी जरूरत ही न रहे । जित्त धर्ममे जो पैदा हुआ हो, अुते सच्चे दिल्ले पाले अितना बस है । स्वधर्म निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह. । यहाँ धर्म शब्दका अर्थ मत — सम्प्रदाय — नहीं है, यह कहनेकी जरूरत नहीं होनी चाहिये । अित्तका यह अभिप्राय नहीं है कि जैनते वैष्णव या वैष्णवते जैन मत स्वीकार नहीं किया जा सकता य अद्वैतवादी वातावरणमे पला हुआ व्यक्ति द्वैतवादी नहीं बन सकता । नामाजिक धर्म — जित्हे मामूली तौरपर वर्गाश्रम धर्मके नामते पहचाना जाता है — अपने अपने स्वभाव, शिक्षण, सत्कार वगैराले ज्म गये हों, तो अुनका त्याग न करनेका ही अित्तमे अुपदेश है । मत बदला जा सकता है, तभी तो अनेक सम्प्रदाय और गुरु-शादियाँ चलती हैं और अुनका प्रचार होता है । जैते जैन, बौद्ध, सिक्ख आदि मत हैं

और उनका स्वीकार-त्याग किया जा सकता है, अुमी तरह मुसलमान-अीसाअी मतोंका भी स्वीकार-त्याग करने और उनका प्रचार या खण्डन-मण्डन करनेमें कौंसी हर्ज नहीं होना चाहिये । असिमेंसे राजकीय समस्या खड़ी होनेकी ज़रूरत नहीं है ।

मगर हुआ अैसा ही है, और मत बदलनेकी प्रवृत्ति, जिसे धर्मान्तर प्रवृत्तिका नाम दिया गया है, अेक बड़ी समस्या बन बैठी है । असि समस्याका सच्चा स्वरूप समझनेमें धर्म शब्दके गलत अुपयोगके कारण हम खुद गलत रास्ते चल पड़े हैं ।

हकीकत यह है कि अिस्लाम तथा अिसाअी धर्म सिर्फ मतान्तर नहीं कराते, बल्कि समाजान्तर भी कराते हैं । कौंसी जैन वैष्णव बनकर गलेमें कठी पहने तथा कृष्ण-मन्दिरमें जाय ओर गीता-भागवत पढ़े, या वैष्णव जैन बनकर कठी तोड़े, अपासरे (जैन साधुओंके रहनेकी जगह) में जाय और जैन-पुराण सुने, तब भी अुसके सामाजिक और घरेलू धर्म-कर्म तथा स्थान, वश-विरासत-विवाह वगैराके अधिकार आदिमें फेरफार नहीं होता । अुसका नाम-ठाम नहीं बदलता । मगर मुसलमान या अीसाअी होते ही यह सब बदल जाता है । तब अुसकी पत्नी अुसकी पत्नी नहीं रह जाती, पति पति नहीं रह जाता । अुसके सम्मिलित कुटुम्बके, विगसतेके तथा मिलिक्यतके अधिकारोंमें फर्क पड़ जाता है । असि तरह मतान्तरके साथ समाजान्तर होनेसे प्रजामें समाजभेद निर्माण होता है — हुआ है । और असि तरह समाजकी अेकता भंग होनेका नतीजा दो प्रजाओं — दो नेगन्स — का वाद और अुसके फल हैं । जो श्मश्रु है वह अह्म, गॉड या अीश्वरका नहीं, अेक देव या षडुदेवोंका भी नहीं, बल्कि कुरान, बाअिवल तथा स्मृतिओं द्वारा निरूपित अलग अलग किस्मके सामाजिक अधिकारों, कर्तव्यों और सामाजिक जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले विधि-निषेधोंका है । अगर सामाजिक कायदे अेक प्रदेशमें रहनेवाली सारी प्रजाके लिअे अेकमें ही रखनेका लाजमी नियम हो, और साथ ही परमत सहिष्णुता भी हो, तो अनेक तरहके मत-पंथ होनेमें भी मुश्किल पैदा न हों ।

अिस तरह धर्मान्तर = मतान्तर + समाजान्तर, और विविध धर्म (= मजहब) = विविध आध्यात्मिक मत + विविध सामाजिक कायदे ।

अिनमेसे अगर योग्य मर्यादामे रहकर सिर्फ विविध आध्यात्मिक मतोंका ही प्रचार हो और चाहे जिस तादादमे अेक मतके मनुष्य दूसरे मतमे शामिल हों, तो अैसा नहीं कहा जा सकता कि अुससे अड़चने पैदा होंगी ही । सर्वधर्म-समभाव नहीं बल्कि परमत-सहिष्णुता ही हो, तब भी सब सुखसे रह सकते हैं । मगर मतान्तरके साथ अुस मतवालेको किसी खास समाजके कायदोंके अनुसार चलने या अुससे वे मान्य रखानेकी इच्छा नहीं होनी चाहिये । अिस मामलेमे कायदोंका 'अल्पमतवाले'का — यानी विशिष्ट धर्म या मतवालोंका — अधिकार मान्य रखनेसे भिन्न भिन्न, अेक दूसरेसे अेकरूप न हो सकनेवाले समाजोंका अस्तित्व टाला नहीं जा सकेगा, और अिसकी समस्याअे खड़ी होती ही रहेगी । यह बतलानेसे अिस समस्याका अन्त नहीं होगा कि अीश्वर, सद्गुण और पवित्र जीवनके सम्बन्धमे सब धर्म अेकमत है, क्योंकि ये झगडे अीश्वर, सद्गुण या पवित्र जीवन सम्बन्धी मतोंके बारेमे नहीं, बल्कि नरे और दूसरेके समाजके अलग होनेसे पैदा होनेवाली राजकाय, आर्थिक वगैरा स्पर्धाओंके हैं ।

जिस हद तक अैसे समाजान्तरका कारण आजके धर्म हैं, अुसों हद तक वे प्रजाकी समस्याओंका अन्त करनेमे विघ्नरूप हैं ।

११

भाषाके प्रश्न - पूर्वार्ध

यह हमे अच्छी तरहसे याद रखना चाहिये कि पाकिस्तान प्रकरण हिन्दुओंकी समाज-रचना और अुनके स्वभावका नतीजा है । हमारा चौका दूसरोंसे विलकुल जुदा होना चाहिये, अुसमे किसी दूसरेको शामिल नहीं करना चाहिये, हमारी विशिष्टता अैसी होनी चाहिये कि अघा भी अुसे देख सके, यह हिन्दू जनताका — या जनताका नहीं, बल्कि हिन्दू पंडितों, नेताओं तथा अुंची कही जानेवाली जातियोंका स्वभाव और आग्रह बन गया है ।

यह दात नहीं है कि अैसा समाज कभी सुधरता ही नहीं या प्रगति ही नहीं करता । मगर वह अिस सुधार या प्रगतिको बुद्धिपूर्वक नहीं अपनाता ।

ज्वरदस्तीसे कोअी सुधार अुसमे दाखिल किया जाय, तो काफ़ी समय बीतनेपर वह अुसके आधीन हो जाता है । और सिर्फ़ आधीन ही नहीं होता, बल्कि वह मानो शुरूसे ही अुसके सामाजिक जीवनका अग था, अैसा समझकर अुसके प्रति ममता भी रखने लाता है । सुधारोंके सम्बन्धमे हमारी वृत्ति रेलगाड़ीके मुसाफ़िरों जैसी है । डब्बेमे जगह होते हुअे भी अगर नया मुसाफ़िर बैठनेके लिये आवे, तो पहले अुसे रोकनेकी कोशिश करना । मगर वह ज्वरदस्ती घुस जाय, तो पहले थोड़ी देर तक क्रोध दिखाना और बादमे अुसे दोस्त बना लेना । फिर कोअी तीसरा मुसाफ़िर आवे, तो नये और पुराने दोनोने मिलकर वैसा ही व्यवहार अिस तीसरेके साथ करना ।

आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक, कलात्मक, सांस्कारिक, वगैरा जीवनके किसी भी पहलूकी हम जांच करेगे, तो हमारे अिस स्वभावके हमे दर्शन होंगे । अिसमेसे यहां हम भाषाके प्रश्न पर विचार करेगे ।

अिसमे शक नहीं कि हमारी मौजूदा प्रान्तीय भाषाअे बहुत ज्यादा अगोमे सस्कृत भाषाकी खाद चूसकर बढी हुअी विविध लताये हैं । मगर जब हम 'बहुत ज्यादा अगो'का मतलब सौ फी सर्टीके बराबर समझने लाते हैं, तब दो-तीन प्रकारकी भूलें होती हैं । पहली यह कि सस्कृत खादका बहुत बड़ा भाग होने पर भी अुसमे दूसरी भाषाओका खाद भी है ही, और हम यह भूल जाते हैं कि सस्कृत अपने साहित्यिक स्वरूपमे नहीं, बल्कि प्राकृत अथवा विकृत (यानी विगड़े हुअे) रूपमे भी है । अिस कारणसे अेक ही सस्कृत शब्द अलग अलग भाषाओमे अलग अलग अर्थोंमे काममे आता है, और अेक ही अर्थमे अलग अलग भाषाअे अलग अलग सस्कृत शब्दोंको भी काममे लेती हैं, अिसे हम भूल जाते हैं । दूसरी भूल यह होती है — हम अैसा मानने लगे हैं कि मुसलमानो और अग्रेजोंके आनेमे पहले सस्कृत परिवारसे स्वतंत्र भाषाअे बोलनेवाली मानो कोअी प्रजाअें अिस देशमे थीं ही नहीं, अथवा अगर थीं भी, तो उनकी बोलियोंका हमारी मौजूदा भाषाओमे कोअी हिस्सा ही नहीं है । सच बात तो यह है कि हमारी प्रचलित भाषाअे सस्कृत (तत्सम या तद्भव) + स्थानीय और पुगनी या नअी आयी हुअी प्रजाओकी भाषाओंसे अच्छी तरह

मिश्रित हैं, सिर्फ मुसलमानी (फारसी-अरबी) या अंग्रेजी भाषाओंसे ही नहीं। तीसरे, हम यह बात भूल जाते हैं कि खुद साहित्यिक सस्कृतमें भी दूसरी भाषाओंके शब्द आ गये हैं। उसमें द्राविडी भाषाओंके कहीं शब्द तत्सम या तद्भव (यानी सस्कृत-कृत) रूपमें है तथा ग्रीक वगैरा भाषाओंके भी कहीं शब्द हैं। अपनी दृष्टिसे हम अिन्हे सस्कृत बनाये हुअे मानते हैं, मगर अिन भाषाओंको बोलनेवालोंकी दृष्टिसे वे विकृत या तद्भव ही माने जायेंगे। अिस तरह सस्कृत या कोअी भी प्रचलित भाषा अैसी नहीं है, जितने दूसरी भाषाओंके शब्दोंका मिश्रण न हो। मगर अुन पिछले निश्रणोंको हन्ने पचा लिया है और अुनके प्रति हमारे दिलोंमें मोह भी पैदा हो गया है। हम अैसा भी मानने लगे हैं कि अिससे हमारी भाषा निगडी नहीं, बल्कि बडी है, समृद्ध हुअी है, अुसे प्रान्तीय विशिष्टताअे प्राप्त हुअी हैं, शुद्ध सस्कृतको अपेक्षा अैसे स्थानीय शब्द अ्यादा फन्द करने लायक हैं। सम्भव है कि जिन जिन जमानोंमें अैसी मिलावट हुअी, अुनमें अिसका स्वागत नहीं हुआ हेगा, मगर अनिवार्य हो पडनेके बाद अिनके प्रति नमता पैदा हो गअी होगी। अैसी कितनी भाषाओंकी नदियाँ हमारी मौजूदा भाषाओंमें मिली हुअी होंगी, अिसे गिनाना भी मुश्किल है।

मुसलमानों और अंग्रेजोंके आनेके बाद अुनकी भाषाओंके शब्दों, प्रयोगों, परिभाषाओं वगैराका हमारी भाषाओंमें दाखिल होना कोअी आश्चर्यकी बात नहीं है। अन्होंने हमें जीता, हम पर राज किया, हमें शान्दा किया, अिसका भले ही हमें दुख हो, मगर अिससे भाषाओंकी या सस्कृतियोंकी मिलावटके बारेमें शोध करने जैसी कोअी बात नहीं है। अेक प्रजाका दूसरी प्रजासे सम्बन्ध बंधनेके अनेक निमित्त होते हैं। जित तरह पडोस व्यापार, प्रवास, साहित्य प्रेम वगैराके द्वारा सम्बन्ध बंधते हैं, अुसी तरह हिलासरायण जगतमें आक्रमण और हारजीतके द्वारा भी सम्बन्ध बंधते हैं। सके अल्ले-दुरे नतीजे होते हैं। सके अेक दूसरेकी भाषा और सस्कृतिअे अल्ले-दुरे अस्तर होते हैं। जितकी जो विशेषता हो, अुसे व्यक्त करनेवाले खास शब्द भी अुसकी भाषामें होते ही हैं। हे सम्ना है कि अुसे बराबर प्रकट करनेवाले कोअी शब्द दूसरी भाषामें

न हो। जैसे वक्त अपनी भाषाका कोसी नया शब्द बनानेकी बात सामान्य जनताको नहीं सूझती; क्योंकि ऐसा करना स्वाभाविक नहीं है। अगर कभी उसके समान अर्थवाला दूसरा शब्द मिल जाय, फिर भी नया शब्द काममें लानेमें ज्यादा सुविधा हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप या तो दोनों ही शब्द चल जायें, या फिर नये शब्दके सामने लोग अपने शब्दको भूल भी जायें। दो असमान धारायें जब मिलती हैं, तब बड़ी या जोरदार धारा छोटी या कमजोर धाराको रोक देती हैं; ऐसा जिस तरह पानी और हवाके वारेमें होता है, उसी तरह भाषाओंके वारेमें भी समझना चाहिये।

एक दूसरेको अपने मनकी बात समझानेके लिये ही भाषाका प्रयोग होता है। जिसमें बोलनेवालेकी अपेक्षा सुननेवालेकी सुविधा ज्यादा महत्वकी चीज है। “आंखके खास डॉक्टर”में संस्कृत, अरबी और अंग्रेजी भाषाओंके तद्भव है। फिर भी “अक्षि-चिकित्सा विज्ञेयज्ञ” या ऐसा कुछ लिखा हुआ पटिया कोसी लगावे, तो मामूली आदमी उसे आसानीसे समझ नहीं सकेगा। धवा करनेकी अच्छावाला कोसी भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। डॉक्टरके बदले वह वैद्य या हकीम भी नहीं लिखेगा। क्योंकि जिससे उसकी विज्ञेय चिकित्सा-पद्धतिके सम्बन्धमें भ्रम हो सकता है। भाषा-शुद्धिकी दृष्टिसे यह बहुत बड़ा सकट है, मगर भाषा-शुद्धि कोसी स्वतंत्र रीतिमें की जा सकनेवाली चीज नहीं है। भाषा जब खुद ही जीवनका साध्य नहीं, बल्कि साधन है, तब उसकी शुद्धिके वारेमें तो क्या कहा जाय ?

परन्तु मुसलमान और अंग्रेज चूंकि हमपर हमला करके, हमें हराकर आये हैं, अिमलिये जिसमें पैदा हुआ हीनताग्रहसे हमारे मनमें अिनकी भाषा, संस्कृति, लिपि वगैरा सबके प्रति अरुचि पैदा हो गयी है। यह अरुचि यहाँ तक बढ़ी कि ‘यावनी’ या ‘स्लेच्छ’ भाषाका शब्द कानोंमें पड़ जाय, तो अुठकर नहानेवाले भी हमारे यहाँ हो गये हैं। जिससे अिन भाषाओंको हमारे जीवनमें दाखिल होनेसे हम रोक तो नहीं सके, मगर यह अरुचिकी भावना अभी हममें दृष्टी नहीं है। अिनकी भाषाके जिन शब्दोंको हमारी जनता कितनी ही पीढ़ियोंमें काममें लाती रही है,

अन्हे बदलनेकी हम कोशिश कर रहे हैं। और यह कोशिश, जहाँ दो समान और सामान्य शब्द प्रचलित हो, अन्हीं तक सीमित नहीं है, बल्कि अिन प्रजाओं द्वारा दाखिल की हुअी विशिष्ट विद्याओ और प्रणालिकाओंसे सम्बन्ध रखनेवाले खास शब्दों तक भी पहुँचती है। माना कि 'कम्पनी' के लिअे 'भागीदारी' शब्द अच्छी तरह चल सकता था, और भागीदारी कोअी अग्रेजों द्वारा दाखिल की हुअी सस्था नहीं थी, यह भी सच है। मगर पेटी (दुकान)के नामके साथ 'भागीदारी' शब्द जोड़नेकी चाल हमारे देशमे पहले नहीं थी। यह चाल हमने अग्रेजोंके पाससे ली, अिसलिअे ज्यादा बारीकीमे न जाकर अग्रेजों द्वारा 'कपनी सरकार' शब्दके रास्ते ही परिचित कराया हुआ 'कपनी' शब्द हमने भी ले लिया। और सौ-डेढसौ बरसों तक अिसका अुपयोग करते रहे। अब अगर अिसके बदले 'भागीदारी' शब्द भी नहीं, बल्कि 'प्रमडल' शब्द दाखिल करनेकी कोशिश करे, तो अित्से झूठे अभिमानके सिवा और क्या कहा जायगा? अिसी तरह Transfer-entry के लिअे 'हवाला' शब्द रूढ है; मगर यह तो मुसल्मानी भाषाका है। यह हमारे मिथ्याअभिमानका पोषण नहीं कर सकता। अिसलिअे 'स्थानांतरण-प्रविष्टि' शब्द सुझाया गया है। अिसी विचारधारके अनुसार agreement और 'करार'के बदले 'सविदा' और agreement-deed — 'करारनामा'के बदले 'सविदा-लेख' अथवा 'सलेख' जैसे शब्द सुझाये गये हैं। अिस तरह साहित्य और भाषाके क्षेत्रमे जीवनके अेक अेक विप्रयमे प्रयुक्त अरबी-फारसी-अग्रेजीके रूढ शब्द निकालकर सत्कृतका जीर्णोद्धार या नया अवतार करनेकी 'भद्रभद्र' वृत्ति पैदा हो गयी है।

जैसा कि पहले ही लेखमे कहा गया है, हमारे विचार आज दो परस्पर-विरोधी दिशाओंमे काम कर रहे हैं। अेक तरफ तो हमे हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, पारसी, अीसाअी वगैराको अेक प्रजाके रूपमे सगठित करना है जातपांत तथा सम्प्रदायोंके भेद और आपसी मनमुटाव तोडने है; और दूसरी तरफ हमे अपनी प्राचीनताका पुनरुद्धार भी करना है। अेक तरफ हम सारी दुनिवाकी अेकता, सारे अेशियाका सगठन, अखण्ड हिन्दुस्तान वगैराकी अिच्छा रखते हैं, और दूसरी तरफ परदेशी

माने हुअे सस्कार, भापा वर्गाराकी छांहसे भी परहेज करते है । और सो भी सैकड़ो बरस साथ रह लेनेके वाद ।

यह दृष्टि दूसरी चाहे जिसकी हो, पर क्रान्तिकी नहीं है, अकताकी नहीं है, सुलह-शान्ति-सपकी नहीं है, असलिअे अहिंसाकी नहीं है, विद्या तथा प्रगतिकी नहीं है । मेरी समझसे यह दृष्टि सकुचित मिथ्याभिमानकी है ।

शिक्षाकी दृष्टिसे अस पर चौथे खडमे ज्यादा विचार किया गया है ।

१३-९-१४७

१२

लिपिके प्रश्न — पूर्वार्ध

भापासे भी लिपि ज्यादा बाह्य वस्तु है । भाषाको लेखनमे प्रकट करनेका यह साधन है । असका लिखनेवाले या बोलनेवालेकी जाति, धर्म, प्रान्त, राष्ट्र वर्गारेके साथ कोअी सम्बन्ध नहीं । देव-महावरेके साथ जरूर सम्बन्ध है । यह देव आनुवंशिक नहीं है । असके बारेमे असा अभिमान या ममत्व होनेकी जरूरत नहीं है कि असमे फेरफार करनेसे हमारी जाति छोटी हो जायगी । असलिअे भापा और लिपि दोनोंमेसे अकको छोडनेका प्रसंग आवे, तो लिपिका त्याग कर देना चाहिये ।

हिन्दुस्तानमे आज अनेक लिपियां प्रचलित है । वर्णमालाके खयालमे अिन लिपियोके तीन वर्ग किये जा सकते है : सस्कृत वर्णमालावाली, फारसी वर्णमालावाली, और अंग्रेजी वर्णमालावाली । (अंग्रेजी असलिअे कहता हूँ कि रोमन लिपिके अंग्रेजी अनुक्रम और उच्चार-पद्धति ही हिन्दुस्तानमे प्रचलित है, रोमन या यूरोपकी दूसरी भाषाओके नहीं ।)

अंग्रेजी वर्णमालाकी लिपि अस तरह मलग्न है कि अुमे अेक भी कहा जा सकता है और चार भी । लिखने और छपनेकी पद्धतियोमे थोडा फरक होनेके कारण, और कंपिटल और छोटे अक्षरोंमे थोडा भेद होनेमे यह चार प्रकारकी बनती है और फिर भी ये भेद मराठी (बालनाथ)

और हिन्दी देवनागरीके बीच तथा गुजराती, मोड़ी, कैथी जैसी पत्र-लेखनकी और नागरी जैसी ग्रथ लेखनकी लिपियोंके बीचके भेदोसे ज्यादा तीव्र न होनेसे कहा जा सकता है कि वह अेक ही लिपि है ।

फारसी वर्णमालावाली लिपिके दो प्रकार हैं । अरबी मरोडकी (जिसका प्रयोग कुरान और छापेमे होता है) और फारसी मरोडकी (जिसका प्रयोग हस्तलेखन और छिलाछापमे होता है) । अिन दोनोंमे अितना ही फर्क है, जितना तेलुगु ओर कन्नड लिपियोंके बीच है । मैंने सुना है कि हिन्दुस्तानसे बाहरके अिस्लामी देशोंमे अब अरबी मरोड ही काममे लाया जाता है । हिन्दुस्तानमे दोनों चलते हैं, मगर मुसलमान प्रजा फारसी मरोडको ज्यादा पसन्द करती है । छापनेकी दृष्टिसे अिसमे बेहद असुविधा भरी है । जो पठ सकते हैं, अुन्हे कुरान वगैराके कारण पहली लिपिका काफी महावरा होता है । फिर भी फारसी मरोडमे लिखनेकी आदत पड जानेके कारण अरबी मरोडके अक्षरोंके प्रति अितनी अन्वि पैदा हो गयी है कि अरबी मरोडमे छापनेवाले प्रकाशकोंको आखिर हार खानी पडती है । आज पठ-लिख सकनेवाले मनुष्योंकी तादाद बहुत कम होते हुअे भी यह हालत है । शिक्षणके विस्तारके साथ अगर यही टेव जारी रही, तो अिसमे फेरफार करना बहुत मुश्किल हो जायगा ।

संस्कृत वर्णमालाकी मुख्य लिपियाँ — जिनमे पुस्तके वगैरा छपी जा सकती हैं — हिन्दुस्तानके लिअे अितनी गिनायी जा सकती हैं : देवनागरी (दो तरहकी — हिन्दी तथा मराठी), गुजराती, बंगाली, पजाबी (गुन्मुखी), अुडिया, कानडी, तेलुगु, मलयालम, और तामिल । यह कहनेमे कोअी हर्ज नहीं कि अिनमेसे आधुनिक तामिलके सिवा दूसरी सभी लिपियोंकी वर्णमाला अेक ही है । अिसके बाद पत्र वगैराके लेखनमे कअी अपलिपियोंका भी प्रचार है • जैसे कि, कैथी, मोड़ी वगैरा ।

अिन सारी लिपियोंको अूपर अूपरसे देखे, तो अैसी निराली जान पडती है, मानो अुनमेसे बहुतसी अेक दूसरीसे विलकुल स्वतंत्र रूपसे बनी हों । मगर प्राचीन लिपि-सन्बन्धकोंने यह अच्छी तरह दिखला दिया है कि ये सारी लिपियाँ अेक ही मूल लिपिमे समय समय पर पडे हुअे और स्थिर बने हुअे अलग अलग मरोडोंका परिणाम हैं । अिस मूल लिपिको

ब्राह्मी लिपि कहा गया है । इस लिपिका कालांतरमें देवनागर (कागी) में जो मरोड स्थिर हुआ, वही आधुनिक देवनागरी है । कागीके प्राचीन सांस्कृतिक महत्त्वके कारण इस लिपिका सबसे ज़्यादा प्रचार तथा आदर हुआ । यह आसानीसे देखा जा सकता है कि गुजगती, कैथी जैसी लिपियाँ देवनागरीके ही रूपान्तर हैं । बंगाली, उड़िया या द्राविडी लिपियोंमें यह बात अतनी आसानीसे नजर नहीं आती । ये ब्राह्मी लिपिके सीधे रूपान्तर भी हो सकती हैं ।

अल्पा अल्पा प्रान्तोंमें पहले पहल लेखन-कला ले जानेवाले पंडितोंके अपने हस्ताक्षर, लिखनेके अधिष्ठान (कागज, भोजपत्र आदि), लिखनेके साधन (स्याही, कलम, लोहेकी लेखनी आदि) वगैरा कारणोंसे अलग अल्पा जगहोंकी लिपिमें जाने-अनजाने नये मरोड पैदा हुअे जान पड़ते हैं । असा भी लगता है कि कुछ अक्षरोंकी पहले जरूरत न जान पड़ी हो और अन्ते बादमें दाखिल किया गया हो । यह सब हरअेक प्रान्तमें अेक साथ ही या अेक ही तरहसे नहीं हुआ । फिर भी सबके पीछे अेक मूल बुनियादी योजना साफ दिखायी पड़ती है । स्वर-योजना, स्वरोंको व्यञ्जनोंके साथ मिलानेकी योजना, अक्षरों या चिन्होंके अूपर, नीचे, दाहिने या बाये तरफ लिखनेकी रीत सब जगह अेकसी मालूम होती है । छापनेकी कलाके आगमनके बाद कुछ प्रान्तोंमें अुसमें फर्क पड़ गया है ।

यह नहीं कहा जा सकता कि ये लिपियाँ सिर्फ रूढिबश या अनजाने ही बदलती गयी हैं । अिनमें समय-समयपर बुद्धिपूर्वक फेरफार किये हुअे भी जान पड़ते हैं ।

अिस तरह अिन लिपियोंका अध्ययन अेक बहुत दिलचस्प विषय है । अिनके स्वरूपकी जांच करने पर अुल्टी तरफ लिखी जानेवाली अरबी-यहूदी लिपियाँ और बिलकुल अल्पा दिग्वायी पड़नेवाली रोमन-ग्रीक लिपियोंमें भी ब्राह्मी लिपिके साथ सगपन दिखायी पड़ता है, और अिसमें यह अनुमान होना है कि ये सब लिपियाँ मृत्तमें अेक ही लिपिसे पैदा हुयी होंगी ।

अिन तरह वाप-बैटे बिलकुल अेकमें लगते हैं, दो जुटवाँ भाअियोंमें सगपनेमें डालनेवाली समानता दिग्वायी पड़ती है, फिर भी ये बिलकुल

अकसे नहीं होते; जैसे हरसाल ऋतुअे षरावर आती है, फिर भी अक सालकी ऋतु हूवहू किसी दूसरे सालकी ऋतु जैसी नहीं होती; अिसी तरह जीवित भाषा, लिपि और वेशको अकसा रखनेकी हम चाहे जितनी कोशिश करे, वे विलकुल अकसे कभी नहीं रह सकते । जानबूझकर हम भले अनुमे कोअी फेरफार स्वीकार न करे, मगर अनजाने ही अनुमें फेरफार हो जाते हैं । यह मुझे वापदादोंसे विरासतमे मिली हुअी भाषा, लिपि. या पोषाक है, अैसा कहना झूठे अभिमानके सिवा और कुछ नहीं है । अैसा कहनेवालेके पूर्वज कभी न कभी तो दूसरी ही भाषा बोल्ते, लिपि लिखते और पोशाक पहनते ही होंगे । कोअी व्यक्ति अपने वाप-दादोंकी अेक भी चालसे पूरी तरह चिपका नहीं रह सकता । अच्छा है अिसलिअे न-छोड़नेका आग्रह ठीक है, मगर वापदादोंसे चला आया है, अिसलिअे अच्छा न हो फिर भी अुससे चिपके रहनेके आग्रहका क्रान्तिकी बातोंसे मेल नहीं बैठता ।

दो व्यक्तियोंमे भी अपनी अपनी अल्ला विशेषताये होती हैं और वे अेक होनेकी कोशिश करे, फिर भी वे नहीं जातीं । अिसी तरह दो प्रजाओंमे, प्रजाके अल्ला अल्ला वर्गों वर्गारमें अपनी अपनी विशेषताये रहेगी. मगर अिसलिअे अुन्हे अल्ला रखनेका हठ करना, अनु विशेषताओं पर झूठा अभिमान करना. अुन्हे धर्मका रूप देना ठीक नहीं है । मनुष्योंके बीच दिलोंकी अेकताकी तरह ही वाहरी अेकता लानेकी कोशिश करना भी जरूरी है । अगर विशिष्टता या भेदोंके लिअे जरूरी कारण हों या अमुक भेद रखनेसे मनुष्य जातिका ज्यादा हित किया जा सकता हो, तो वहां अुन्हे भले रहने दिया जाय । मगर जहां अैसी जरूरत समझमे न आवे, वहां अहिंसक व्यक्तिके लिअे भेदोंको सहन करना लाजमी है । मगर अपने भेदकी पूजा करना ठीक नहीं है ।

मुसलमान अगर धर्मके कारण अुर्दूका आग्रह रखे प्रान्तवाले प्रान्तीय अस्मिताकी वजहसे अपनी अपनी लिपियोंका आग्रह रखे, नागरीको हिन्दुस्तानकी अस्मिताके लिअे बनाये रखनेका आग्रह हो, रोमन लिपि तिरु परदेशी होनेके कारण छोड़ने लायक जान पड़े, तो ये सारी दलीलें

क्रान्तिकी नहीं हैं। सबके गुण-दोषोंका स्वतंत्र और मानव-हितकी दृष्टिसे विचार करनेके लिये विवेकी व्यक्तिको तैयार रहना चाहिये।

अन प्रश्नों पर भी शिक्षण खडमें ज्यादा विचार किया गया है।

१५-९-१४७

१३

अेकता और विविधता

भाषा, लिपि, वेग, वंग-विरासत-विवाह-मिल्कियत वगैराके नियम, शिष्टाचार-सदाचार-मान-पूजा-सत्कार वगैराकी रूढ़ियाँ, घर-गली-गाँव-सभामंडप आदिकी रचना, आसन-भोजन-स्नान वगैराके रिवाज आदि अस बात पर विचार करनेकी जरूरत खड़ी करते ह कि अेकता और विविधताका कहां और कैसे खयाल रखा जाय।

दुनियामें विविधताये तो रहेंगी ही। यह विलकुल ठीक है कि नयको सोलह आने अेकसा नहीं बनाया जा सकता। कअी विविधताये कुदरतकी ही बनाअी हुआ है। अलग अलग जगहोंकी अलग अलग आवोहवा, नैसर्गिक सम्पत्ति, सुविधा-असुविधा वगैराके कारण विविधताये पैदा होती है। अनकी वजहसे खान-पान, वेग, घर-गाँव वगैराकी रचना, धर्मों वगैराकी विरोधताओं, व शिष्टाचार-सदाचारकी रूढ़ियोंमें फर्क पड़ता है और असे रखना पड़ता है।

कअी विविधतायें संपर्कके अभावमें पैदा होती ह और कअी नये सम्पर्कोंमें बनती हैं। मूलमें अेक ही भाषा, रिवाज आदिको माननेवाले जब अेक दूसरेमें बहुत दूर जा बसते ह और उनका आपसमें मिल्ना-जुटना बन्द हो जाता है, तो अेक ही भाषा (अुच्चारण), लिपि, वेग, न्द्वि वगैरा धीरे धीरे अितने बदल जाते ह कि वे अेक दूसरेमें विलकुल ही भिन्न जान पड़ते ह। रेलवे वगैरा प्रवासकी सुविधाओंके कारण अब पन्थेकी अपेक्षा अस तरहका सम्पर्क कम टूटना है। सम्पर्कके अभावमें पन्थे 'वाग् कोस पर बोली न्यायी' वाली कथावत चरितार्थ होती थी;

और सिर्फ बोली ही नहीं, बल्कि पगड़ी और जूतोंके आकार भी बदल जाते थे और विवाह-गादीकी रूढ़ियोमे भी भिन्नता आ जाती थी ।

कभी वार जव अेक ही प्रदेशका अेक हिस्सा अेक प्रकारके लोगोंके सम्पर्कमे आता है और दूसरा दूसरे प्रकारके लोगोंके, तव भी विविधता पैदा होती है ।

कभी वार जान या अनजानमे कुछ फके हो जाते हं, और वे फर्क स्थायी बन जाते है, और जिन्होंने वे नहीं किये होते, वे अलग पड जाते है ।

अिस तरह प्रकृति, देश, काल, क्रिया, सग, शिक्षा-दीक्षा, नित्य-नैमित्तिक प्रसंग, सुविधा-असुविधा वगैरासे विविधताअे पैदा होती है और होती रहेगी ।

मगर यह सोचना अेक प्रकारकी भूल है कि ये विविधताअे पैदा होती हैं, अिसलिअे अिन सवको रखना ही चाहिये, अिन्हें टालनेकी कोशिश ही नहीं करनी चाहिये, फिरसे अेकता कायम करनेकी कोशिश नहीं करनी चाहिये, अिन विविधताओंमे ही अपनी अस्मिता और अभिमान भर देना चाहिये और विविधतामे ही अेकता देखनी चाहिये । और विविधताके कारणोकी जांच किये वगैर अेक ही सांचेमे ढले हुअे मालकी तरह जबरदस्ती अेकता कायम करनेकी कोशिश करनेमे दूसरे प्रकारकी भूल है ।

प्रकृतिके भेद (जैसे कि स्त्री-पुरुषके, चमड़ीके रंगके), कुदरतके भेद (जैसे कि लाल, काली सफेद, पहाड़ी, मैदानी, रेगिस्तानी वगैरा जमीनके; समुद्र किनारेसे अूँचाओंके, रेखांश-अक्षांशके तथा अलग अलग ऋतुओंके), परिस्थितिके भेद (जैसे कि शान्तिकालके, युद्धकालके, सुकाल-दुकालके, अुम्रके माता-पिताके, भाव-अभावके वगैरा) जो विविधताये निर्माण करते है, वे ढोड़ी बहुत लाजमी है । अिन कारणोंसे पैदा होनेवाले प्रजाओंके जीवनधारणके भेदोंको सहन करना चाहिये और अुन्हें गखते हुअे भी अुनके बीच अठे सम्बन्ध पैदा करने चाहिये ।

मगर निक्षा-दीक्षाके भेदोंके कारण पैदा होनेवाले भेद और अूपर गिनाये हुअे भेद जित जगह या जिन कालमे अनिवार्य हों, अुससे निन्न

जगह या भिन्न कालमें भी अन्हें अनिवार्य ही नहीं मानना चाहिये । गुजरातका आदमी अगर बंगालमें जाकर रहे, तो उसका अपने साथ गुजरातकी भाषा, लिपि, वेद्य, रीति-रिवाज, अुत्तराधिकारके कायदे, विवाह आदिकी विधियां, आदर-सत्कार-पूजा वगैरके तरीके ले जाकर अुन्हें कायम रखनेका आग्रह करना या अधिकार मांगना अुचित नहीं है । अल्ला अल्ला धर्मके लोगोकी धर्मविधियोमें (यानी देवपूजा तथा प्रार्थना वगैरामें) भले अपनी अपनी मान्यताके अनुसार फर्क हों; मगर सामाजिक कार्योंमें — जैसे कि मभाओ, सामाजिक सम्मेलनों, विवाह आदिके मौके पर किये जानेवाले स्वागत वगैरामें — हिन्दू अेक तरहसे सत्कार-शिष्टाचार करे और मुसलमान दूसरी तरहसे, अैसा नहीं होना चाहिये; बल्कि अुस जगहका बहुजन समाजका जो शिष्टाचार हो, वही सबको स्वीकार करना चाहिये । 'जैसा देस वैसा भेस' वाली कहावतमें वड़ी समझदारी भरी हुअी है । मगर भेसका मतलब सिर्फ कपड़े ही नहीं, बल्कि भाषा, लिपि, वगैरा अुपर गिनाअी हुअी सभी चीजोको अिसमें शामिल समझना चाहिये । सिर्फ चार दिनोंके लिये ही विलायत जानेवाला या अिस देशमें थोड़े दिनोंके लिये ही आनेवाला व्यक्ति अपना वेद्य कायम रखे, यह बात तो समझमें आ सकती है । मगर कोअी हिन्दुस्तानी विलायतमें लम्बे अरसे तक — मान लो छह महीनो तक — रहना चाहे, या कोअी यूरोपियन या हिन्दुस्तानके बाहरका व्यक्ति यहाँ अुतने ही समय तक रहना चाहे, तो सभ्यता अपने वेद्यको पकड़े रखनेमें नहीं, बल्कि अुस जगहका वेद्य वगैरा धारण करने व वहाँकी भाषा बोलनेकी कोशिश करनेमें मानी जानी चाहिये । अल्ला अल्ला प्रान्तोके बीच तो अैसा विशेष रूपमें होना चाहिये । मगर किसी विचित्र अहभावके वजहमें हम दूसरी जगह रहकर भी वहाँकी प्रजाके साथ पूरी तरहसे शुल-मिल जानेके बदले अपनी पुगनी रीतियोंमें चिपके रहते ह और अैसा करना अपना अधिकार समझते ह । अैसा नियम होना चाहिये कि गुजरातमें बसनेवाले हिन्दू-मुसलमान-पारसी-अीमाअी-अंग्रेज सब गुजरातके लिये निश्चित किया हुआ वेद्य ही पढ़ने, गुजराती भाषा ही अडनांचे और गुजराती लिपिका ही स्वीकार करे । अिस विषयमें प्रान्तीय विशेषता ही कुछ न हो, और सारे हिन्दुस्तानमें सब अेकमें ही हों —

भले अिसमें दो-चार विकल्प या प्रकार हो — तो वह ज़्यादा अिष्ट है । सारी दुनियामे अगर ऐसा किया जा सके. तब भी तात्त्विक दृष्टिसे अिसमें कोई बुराई नहीं है । मगर सबके बीच अपना अलग बाडा बनाकर रखनेका आग्रह अिष्ट नहीं है, और न अिसे कानून द्वारा मजूर करवानेकी नांग ही उचित है । भाषा, लिपि, वेग, वरा-धिरासत, सदाचार, शिक्षाचार वगैरा किसी कालके और देगके समाजकी सार्वजनिक चीजे हैं, अुन्हे किसी खात फिरकेकी चीजे बना देना ठीक नहीं है ।

अेक ओर हम अखड हिन्दुस्तानके हिमायती हैं । कहते हैं कि केन्द्रीय सत्ता बलवान होनी चाहिये । देशके टुकडे होनेका हमारा शोक अभी दूर नहीं हुआ है । हम दो राष्ट्र (नेगन) के सिद्धान्तके प्रति अपना विरोध जाहिर करते हैं । हम चाहते हैं कि अल्पसख्यक-बहु-सख्यकका सवाल ही न रहे और सब धनोंके लोग अेक दूसरेके साथ हिल मिलकर भाभी भाभीकी तरह अेक हो जायें । जात-पांतके भेदभाव तोड़नेका भी हम प्रचार करते हैं और समाजवादके आदर्शमें भी अपना विन्वास जाहिर करते हैं ।

दूसरी तर्फ हमारी प्रवृत्तियां अिस तरह काम करती हैं, नानो हमारे दिलोंमें डर बैठ गया हो कि अगर साग हिन्दुस्तान अेक हो गया, केन्द्रीय सत्ता मजबूत हो गयी, जात-पांत टूट गयी, तो फिर हमारा व्यक्तित्व क्या रहेगा ? हमारा 'मै' या हमारा नडल भी कुछ है, अिस अग्निमानको हम कैसे कायम रख सकेंगे ? अिसलिजे हम अपने प्रान्तीय भेगोंपर और अुन्हे स्थिर करने तथा बढानेपर जोर दे रहे हैं । तामिल और तेलुगु लोग दुनियाके दूसरे सब लोगोंके साथ रह सकने हैं और काम कर सकते हैं, मगर अुन दोनोंका अेक दूसरेके साथ रहना और काम करना अगक्य है । अिन दोनोंके अलग अलग रहनेके सिवा दूसरा सला ही नहीं है । ऐसा ही सयन बगाली-बिहारिका, कर्कत्ताने मारवाडी, बगालीक, मध्यप्रान्तने हिन्दी-महागाष्ट्रीका और दन्वर्तीने गुजगती-मराठी-कानडीक है ।

राज्यत्रकी सुविधा या भाषाकी सुविधा वरैगकी दृष्टिसे भाषावाग विचारगियोंकी स्थापना काना या प्रान्तीय प्रदन्धने हिले काना अेक चीज

है। मगर एक भाषा बोलनेवालेकी दूसरी भाषा बोलनेवालेसे न बने, वे एक दूसरेसे आग्या करे, और जीवनके छोटे-बड़े हरएक क्षेत्रमें भाषाका भेद गाय-भैंसके बीचके भेदसे भी ज्यादा महत्त्वका बन जाय, तो अिसे हमारी कलह-प्रियताका ही चिन्ह समझना चाहिये।

एक तरफ हम सयुक्त-मतदार-मडलोका और अनुमं लाजमी तौरपर किसीके लिअे खास जगहे न रखनेका कानून बनाते हे, नौकरियोमें भी अिसी नीतिकी हिमायत करते हे। और दूसरी तरफ हम कानूनसे बाहर अिससे भी ज्यादा मजबूत रूढियां (conventions) कायम करनेकी कोशिश करते हे। चुनावोंमें अुम्मीदवार खड़े करनेमें, मंत्रिमडल चुननेमें, अुनके मंत्री चुननेमें, स्पीकर और डिप्टी स्पीकरकी पसदगीमें, कमेटियोकी नियुक्तिमें—कहीं भी सिर्फ योग्यताके आधारपर तो पसदगी की ही नहीं जा सकती, बल्कि योग्यता तो गौण बन जाती हे। ब्राह्मण-अब्राह्मण, हरिजन, आदिवासी, पिछड़ी हुअी जातियां, पारसी, अीमाअी, मुसलमान, गुजराती, महाराष्ट्री, कानड़ी, नागपुरी, वैदर्भी, बगाली, बिहारी, स्त्री, पुरुष वगैराके यथायोग्य प्रमाण बनाये रखना ही महत्त्वकी चीज बन जाती हे। और यह प्रपच अितना बढ़ता जाता हे कि हरिजन हे मगर भगी नहीं हे, मांग नहीं हे, पिछड़ी हुअी जातिका हे मगर बुनकर नहीं हे, तेली नहीं हे, सुत्री हे, मगर शिया नहीं हे, अीमाअी हे, मगर अेग्लो-अिडियन नहीं हे; वगैरा वगैरा शिकायते करते हुअे हमें सकोच नहीं होता। और अिन शिकायतोंको रद्द करनेकी हिम्मत भी किसीकी नहीं होती, क्योकि नेताओंके खुदके ही दिलोंसे यह दृष्टि नाबूद नहीं होती।

हिन्दी-अुर्दू-हिन्दुस्तानी भाषा और लिपि वगैराके झगड़े, फिरकेवाराना झगड़े, प्रान्तीय आग्या वगैरा सबके मूलमें एक ही चीज हे : हमारे दिलोंकी क्रान्ति नहीं हुअी; हम अपनी सकुचित अस्मिताओंको छोड़ नहीं सकते, अिममें छोटे छोटे टुकड़ोंमें बँट जानेकी आंग ही हमारा पुरुषार्थ वारवार जांग किया करना हे।

जड़मूलसे क्रान्ति

भाग दूसरा

आर्थिक क्रान्तिके सवाल

चौथा परिमाण

अब आर्थिक सवालको ले । किसी चीजका माप बतलाना हो, तो मामूली तौरपर अगर उसको लम्बाई, चौड़ाई और मुड़ाई, ये तीन परिमाण बतला दिये जायें, तो माना जाता है कि उसका पूरा वर्णन हो गया । नगर आधुनिक भौतिकशास्त्री कहते हैं कि यह वर्णन काफी नहीं है । अ इसके साथ साथ दूसरे दो परिमाण और भी बताने चाहिये, और वे हैं वर्णनके काल और स्थानके । क्योंकि जो चीज धरतीकी सतह पर अनुक परिमाणवाली होती है, वह चंद्रपर उसी परिमाणकी नहीं रहेगी और गुत्तर उसका परिमाण फिर बदल जायगा । अ इसके सिवा कालभेदसे भी उसका माप जुदा रहेगा । अ इसमें स्थानका महत्त्व जरा विचार करनेपर शायद समझमें आ जाय । फिर वर्णन करते वक़्त चूंकि चीजके साथ ही उसके स्थानका अस्तित्व भी मानकर चलते हैं, अ इसलिये मामूली तौरपर उसके विषयमें अल्पासे विचार नहीं करना पडना । नगर भौतिकशास्त्रियोंका निर्णय है कि स्थानसे भी हर क्षण बदलनेवाले काल-समय-का महत्त्व बहुत ज्यादा है और वह आसानीसे समझमें नहीं आता । फिर भी कालके विचारमेंसे ही आइन्स्टाइनका 'रिलेटिविटी' —संकेतका सिद्धान्त पैदा हुआ; जितने गुल्वाकर्षण बचैगकी पुगनी मान्यताओंमें बहुत फरक का डाला । देवका परिमाण बखुके साथ ही माना हुआ होनेसे कलको चौथा परिमाण कहा जाता है ।

अब ही कुछ आर्थिक सवालको समझनेके बारेमें है । पहले सम्पत्तिके कार्योंमें सिर्फ दो चीजे गिनायी जाती थीं : कुदरत और मजदूरी । गनी कुदरती सामग्रीकी सुलभता और मजदूरीकी सुलभता परसे सम्पत्तिके माप निकला जा सकता था । आगे चलकर मालूम हुआ कि निर्णय के दो परिमाण काफी नहीं हैं । कुदरती सामग्रीकी और मजदूरीकी सुलभता किने और किस प्रकारकी है यद् भी सम्पत्तिके माप

निकालनेके लिये एक महत्त्वका परिमाण है। इसकी सुलभताका विचार करते हुये ही पूँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, औद्योगीकरण, राष्ट्रीयकरण, यंत्रीकरण, केन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण आदिके अनेक वाद पैदा हुये हैं। और जिस तरह जात-पांत, धर्म वगैरके भेदोंके कारण आपसमें झगड़नेवाले अनेक वर्ग बनते हैं, उसी तरह अिन वादोंके आग्रहसे भी बने हैं।

जैसे कभी वार कानूनकी मददसे कुछ धर्म अपना अधिकार जमाते हैं, वैसे ही अलग अलग वादोंको माननेवाले भी जैसे किसी एक वादका अधिकार कायम करनेकी कोशिश करते हैं। जहाँ मीजूदा राज्यतंत्र जिस कोशिशके अनुकूल नहीं होता, वहाँ उस तंत्रको ही बदलनेकी कोशिश होती है। किसी वादकी स्थापनाको आर्थिक क्रान्ति कहते हैं, और उसके लिये राज्यतंत्रके बदलनेको राजकीय क्रान्ति। इस तरह क्रान्तिका अर्थ (मामूली तौरपर कुदरती सामग्रीपरके अतिकार और व्यवस्था सम्बन्धी) किसी नये वादकी जबरदस्ती या कानूनी ढंगसे स्थापना करना हो गया है।

मगर सम्पत्तिका माप निकालनेके लिये कुदरती सामग्री, मजदूरी और धुमने सम्बन्ध रखनेवाला वाद ये तीन परिमाण काफी नहीं हैं। इसमें भी हमारे दो और परिमाणोंपर विचार करना शेष रहता है। ये दो परिमाण अगर शून्य हो, तो विपुल कुदरती सामग्री, विपुल मजदूरी और सारे श्रेष्ठ वादोंपर रचा हुआ राज्यतंत्र तीनोंके होते हुये भी सम्पत्तिके गणितका जवाब शून्य ही निकल सकता है। जिस तरह किसी चीजका शुद्ध गणित करनेमें देश-काल महत्त्वके परिमाण हैं, उसी तरह सम्पत्तिका गणित करनेमें दो महत्त्वके परिमाणोंकी अपेक्षा रहती है। और वे हैं: प्रस्तुत प्रजाका जान और चरित्र।

अिनमेंमे जानका महत्त्व आज मामूली तौरपर सभी स्वीकार कर लेंगे। जानमें कौन कौनसी बातोंका शामिल करना चाहिये, किन्हें कितना महत्त्व दिया जाय, अिनके बारेमें थोड़ी बहुत अस्पष्टता या मतभेद शायद रहे। यह करनेकी चरित्र नहीं कि यहाँ जानका मतलब 'अपराविद्याओं' (ब्रह्मविद्याके गिवा अन्य विद्याओं) सम्बन्धी जानमें है। फिर भी

अुत्तको आवश्यकताके सम्बन्धमे निवृत्तिवादी (दुनियाकी झगड़ोंसे दूर रहकर अेकान्तवात करनेवाले)के सिवा शायद ही कोअी गका करेगा । यह परिमाण गृहीत किये जैसा ही है ।

चरित्रके महत्त्वके बारेमे यों तो सभी अेकमत हो जायेगे । निवृत्तिवादी भी अुत्तको जल्दरते अिनकार नहीं करेगा । भौतिकवादी भी मुँहमे अुत्तका अत्वीकार नहीं करेगा । फि भी जिस्त तरह वस्तुका माप दिखानेमे कालके निर्देगका महत्त्व आत्तानीसे ध्यानमे नहीं आ सकता, अुत्ती तरह चरित्रका महत्त्व ननुयोंके — नेताओंके या जनताके — ध्यानमे नहीं रहता । अित्तके सम्बन्धमे यही आशा रखी जाती है कि अित्तकी कमीकी पूर्ति कानूनकी या दडकी व्यवस्था द्वारा हो जायगी । राजकीय क्रान्तिले, नये प्रकारके वादपर कायम की हुअी आर्थिक व्यवस्थासे या राष्ट्रपत्रके संचालकोंमे जनरदस्त फेरबदल करनेमे जनताका चरित्र अँचा नहीं अुठता । अुल्ले अैसे अेकाअेक और अनगेमित फेरफरते कभी अनिष्ट तत्व अवश्य दाखिल हो जाते हैं । राज्य द्वारा नये धर्मकी स्थापनासे भी चरित्र अुच्च नहीं होता । यह कैसे हो, अित्तर अत्प्रासे विचार करेंगे । यहां तो अित्त वातर जोर देनेकी जल्दरत है कि कुदरती सान्ध्री, ननुयदल, अुगुडूल राष्ट्र और अर्थवादकी स्थापना तथा ज्ञान, अिन त्त्वके रहते हुअे भी अगर योग्य प्रकारका चरित्रधन नेताओं और प्रजाओंके पास न हो तो अित्त अेक ही कमीके करार देस और प्रजा दुःख और परीर्वाने डुव सकती है । अित्त चौथे परिमाणका महत्त्व ठीक तरहसे सम्झना चाहिये ।

चरित्र निर्माण

कुदरत, मजदूरी, जान, योग्य गज्यतत्र और अर्थव्यवस्थाके साथ चरित्र भी समाजको तरक्कीके लिये लाजमी और महत्त्वका धन है, अिमे स्वीकार करनेके बाद असकी वृद्धिके अुपायो पर विचार करना जेप रहता है ।

‘चौथा प्रतिपादन’ वाले प्रकरणमे चरित्रके मुख्य अग गिनाये गये हे । अेक ही बात फिरसे कहनेका दोप अपने मिर लेकर भी मे अुन्हे यहां फिरसे गिनाता हूँ :

जिजासा, निरल्सता, अुद्यम,
 अर्थ व भोगेच्छाका नियमन ।
 शरीर स्वस्थ व वीर्यवान;
 अिन्द्रियां शिक्षित स्वाधीन,
 शुद्ध, सम्य वाणी-अुच्चारण,
 स्वच्छ, शिष्ट वस्त्र धारण;
 निर्दोष, आरोग्यप्रद, मित आहार,
 मयमी, शिष्ट स्त्री-पुरुष-व्यवहार ।
 अर्थव्यवहारमे प्रामाणिकता व वचनपालन,
 दम्भनीम अीमान, प्रेम व सविवेक वशवर्धन,
 प्रेम व विचारयुक्त जिशुपालन
 स्वच्छ, व्यवस्थित, देह-अग-ग्राम,
 निर्मल, विशुद्ध जल-वाम,
 शुचि, गान्धित मार्वचनिक-स्थान ।
 ममाज-वार्क अुत्सोग वः अचननिर्माण—
 अन्न-वृद्धवर्धन प्रवान,

सर्वोदय-साधक समाज-विधान ।
 मैत्री-सहयोगयुक्त जन-समाश्रय,
 रोगी-निराश्रितको आश्रय;
 ये सब मानव-अुत्कर्षके द्वार
 समाज-समृद्धिके स्थिर आधार ।

अिन गुणोकी समाजमे वृद्धि हो, अिस अुद्देश्यसे यहाँ हम अुनके साधनोंके बारेमे विचार करेगे ।

अिस सम्बन्धमे दो-तीन तरहकी प्रणालिकाये व्यवहारमे है । सुविधाके लिअे अुन्हे दीक्षा पद्धति, शिक्षा पद्धति और सयोग (environment) पद्धति नाम दिये जा सकते है ।

पहली पद्धतिमे दीक्षा या सद्गुपदेश पर जोर है । बार बार यह बात प्रजासे कहते रहना, अिसका अुपदेश देनेवाली पुस्तकोंका श्रवण-वाचन-मनन कराना, अिसकी फलश्रुति बतलाना, अिससे सम्बन्ध रखनेवाली कथाओं कहना, जप जपवाना (नारे लगवाना) वगैरा वगैरा अिसमे शामिल है ।

दूसरी पद्धतिमे शिक्षा या तालीमपर और पुरस्कार तथा दंडपर जो दिया जाता है । बचपनसे जरूरी आदते डालना, अिन्सानके गले अुतरे या न अुतरे, वह समझे या न समझे, अुसे अैसे अुनुशासन — निजाम — मे रख देना कि अुसके मुताबिक बरतनेकी अुसे आदत पड़ जाय । आदत डालनेके लिअे मौजू तरीकोंसे अिनामका लोभ या दण्डका भय भी बतलाना । चरित्रके अंगोंका अभ्यास करके अुनकी यंत्रकी तरह आदत (mechanization) तथा कवायद (regimentation) कराना ।

तीसरी पद्धतिमे अैसे अुनुकूल या प्रतिकूल सयोग पैदा करनेपर जोर है, जिनमे योग्य प्रकारके चरित्रकी ओर मनुष्यका स्वाभाविक झुकाव हो । बचपनसे ही भीलको बाध-चीतेका, ग्वालको गाय-चैलका, और शहरीको मोटरों और ट्रामोंकी दौड़ादौड़का भय नहीं लगता । खलासी चलती स्टीमरमे अितने अँचे बॉसपर मजेमे चढ़ जाता है, जहाँसे दूसरे किसीकी आँखोंमे तो अंधेरा ही छा जाय, भर दरियामे भी वह नहीं धरराता; मगर पडितके लड़केको रसपूर्ण लगानेवाली चर्चामे अुसे नींद आ जाती है ।

साहस पैदा करनेवाले सयोगोमेसे साहस पैदा होता है और वार्तावचि उसके अपने सयोगोमेसे उत्पन्न होती है । जिसे चार व्यक्ति मिलकर ही कर सकते हों, ऐसे काम करनेकी प्रवृत्तिमे शामिल होनेसे अिस प्रकारके सहयोगकी आदत पड़ती है । जिसको सिर्फ अकेले हाथो ही काम करनेके संयोग मिले हो, सम्भव है उसे किसीके साथ काम ही न करते बने । आपसी प्रेमसे भरे हुअे परिवारमे पले हुअे बच्चो और साथ रहते हुअे भी अपना ही स्वार्थ साधनेवाले भाअियो, देवरानी-जिठानियो, सास-बहुओ वगैराके बीच पले हुअे बच्चोके चरित्रमे बहुत फर्क पड़ जाता है । जहाँ अन्न खाये नहीं खूयता, पानीकी कमी नहीं होती ऐसे देशमे अतिथि-सत्कारका गुण स्वाभाविक होता है, अुदारता, दान वगैराकी वृत्तियो भी होती ह; यही देश जन अन्न-जलसे मोहताज हो जाता है, तब अिन्सानोको कजूस — अनुदार — बना डालता है । अिस तरह जैसा चरित्र अिष्ट हो, उसके अनुकूल बांहरी संयोग निर्माण करना तीसरी पद्धतिका ध्येय है ।

पहली दो पद्धतियो पुराने जमानेसे प्रसिद्ध ह, और आज तक अुन्हींपर ध्यान दिया गया है । हमारे देशमें अभी अिन दो पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है । अधर कुछ दिनेसे पश्चिमके विद्वान् तोमरी पद्धतिपर ज़्यादा जोर दे रहे ह । हमारे यहाँ अभीतक अिसकी ओर दुर्लक्ष्य ही रहा है ।

तेज, जातवान, अच्छे घोड़ेको प्रेरणा करनेके लिये मालिकके मुंहका शब्द काफी होता है । यह दीक्षा पद्धति है । अनगढ, और जिसकी तालीममें ज़्यादा मेहनत न की गयी हो, ऐसे घोड़ेको हांक और चाबुकने प्रेरणा की जाती है या अुम्के आगे लालच की चीज़ रखी जाती है । यह शिक्षा पद्धति है । दीमक, चींटी, मधुमक्खरी, भौरा, पतिंगा, पक्षी वगैरामे संयोग ही अुनको अपनी अपनी प्रवृत्तियोमे लगानेवाला चरित्र पैदा करते ह । संयोग बढनेपर जुदा किस्मकी आदतोवाली जातियो पैदा हो जाती ह ।

मनुष्योंमें कुछ व्यक्ति तेज, जातवान घोड़े जस होते ह; अुनके लिये दीक्षा-पद्धति काफी होती है । सबको अनगढ घोड़ेकी तरह ज़रूर रखा जा सकता है; मगर अिसमें जातवान घोड़े सिगड़ेमे और मावारण घोड़े

जीवनभर अनगढ़ — परप्रेरित ही रहेंगे । वे कभी सच्चे अर्थमें चरित्रवान नहीं बनेंगे । अिसी तरह सत्रके लिये शिक्षा-पद्धति काममें लायी जा सकती है, मगर अिससे चरित्रको ढूँचा अुठानेमें सफलता नहीं मिल सकती । ज़्यादासे ज़्यादा कुछ यंत्रवत् आदते भले पड जायें । फिर भी, यह पद्धति कुछ अशो तक रहेगी ही ।

मगर यह समझना ज़्यादा ठीक है कि मनुष्य मुख्य रूपसे मक्खीकी जातिका प्राणी है । वह घरेलू मक्खीकी तरह असख्य होकर भी असंगठित और निश्चरित्र हो सकता है, या योग्य संयोगोंमें मधुमक्खी जैसा व्यवस्थित भी रह सकता है । जंगली मधुमक्खीसे ल्नाकर ब्रह्ममें रहनेवाली मधुमक्खी तक वह अनेक जातियोंवाला हो सकता है ।

चरित्र-गठनके लिये योग्य संयोग निर्माण करनेकी जरूरतों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ।

चरित्र-निर्माणके लिये कुछ अशोंमें योग्य अनुकूल संयोगोंकी और कुछ अशोंमें योग्य प्रतिकूल संयोगोंकी ज़रूरत होती है । वेहद अनुकूलतायें चरित्रको शिथिल कर सकती हैं और वेहद प्रतिकूल संयोग मनुष्यको और अुत्तके साथ अुत्तके चरित्रको कुचल सकते हैं । अनुकूलतायें और प्रतिकूलतायें अगर योग्य परिमाणमें रहे, तो वे चरित्रवर्धक साबित होती हैं । अलवत्ता, अिनके साथ अिनके अनुत्पन्न शिक्षा-दीक्षा भी चाहियें ।

मनुष्य कित्त हद तक स्वाधीन संयोगोंका स्वामी और निर्माण करनेवाला है, और कित्त हद तक संयोगोंके आधीन, पराधीन प्राणी है, अिस नवाल्का निश्चित जवाब देना कठिन है । मगर बहुत समाजकी दृष्टिसे यदि हम अँत्ता मानकर चले कि मनुष्य ज़्यादा अशोंमें संयोगोंके आधीन है, और कुछ अशोंमें वह स्वाधीन और संयोगोंका स्वामी व निर्माण करनेवाला भी है, तो मेरा खयाल है कि भूले नहीं होंगी; और अगर होंगी भी तो कमसे कम होगी ।

मनुष्यका यह स्वभाव होता है कि अुत्त अंनजाने हुआ गलतियोंका सारा दोष संयोगोंके निम्न मश्कर वह अपना बचाव करता है, मगर दृष्टिको अुत्तकी भूलोंके लिये दोष देते वक्त पर मानकर चलता है कि वह दृष्टका आदमी स्वाधीन ही है, और कहीं वे भूले अुत्तके ध्यानमें पहले भी आयी

हो, तो वह खास तीर पर ऐसा कहता है। जिससे अल्ट्रे अपनी सफलताओंको वह अपने ही कर्तृत्वका परिणाम समझता है, और दूसरेकी सफलताओंको उसे मिले हुए अनुकूल संयोगका।

बहुजनसमाजको यदि किसी खास दिशामे मोड़ना हो, कांजी विंग्र चरित्र अुममे निर्माण करना हो, किसी दिशासे अुसे लीयाना हो, तो दीक्षा और शिक्षासे भी ज्यादा अुसके लिअे योग्य, अनुकूल या प्रतिकूल संयोग पैदा करना समाजके विवायकोका लक्ष्य होना चाहिये। गज्यव्यवस्था, विकेन्द्रीकरण, यत्रीकरण, समाजवाद वगैर जहाँ तक जैसे संयोग पैदा करते है, वहाँ तक अुनका महत्त्व है। मगर यह नहीं समझना चाहिये कि अितनेसे ही सारे काम बन जायेगे।

२२-९-'४७

३

दीर्घ व अल्पकालीन योजनायें

अगर हमे अिम बातका ठीक ठीक भान हो जाय कि किमी भी समाजकी समृद्धिके लिअे अुसकी प्रज का चरित्र-गठन बंड महत्त्वकी चीज़ है, ना जो कअी किस्मकी योजनाये हम बनाते है, आन्दोलन चलाते है तथा अेरु दूसरेके गुणदोष निकालते है, अुन सवके स्वम्पमे बहुत बड़ा फर्क पड जाय। हम सभी चाहते है कि देशकी आर्थिक समृद्धि बड़ी तेजीसे हो। हम सब महसूस करते है कि देशकी आवोहवा और कुदरती सम्पत्तिको देखते हुअे कांजी कारण नहीं है कि प्रना अैगी गरीबीके कीचडने फैली है। पूंजीवादी, समाजवादी, गांधीवादी, साम्यवादी सवके बीच तोत्र मतभेद होनेपर भी हरअेकका ध्येय देशका धनधान्यसे समृद्ध करना है। अिम ध्येयके सम्बन्धमे दो मत नहीं है।

जुदे जुदे किस्मकी राजकीय, आर्थिक, सामाजिक वर्गों व व्यवस्थाये कायम करके अल्प और दीर्घकालीन योजनाये बनाकर सभी कोअी देशकी

कुदरती सम्पत्तिते ज्यादासे ज्यादा फायदा उठानेका हिसाब लगानेमे लगे है । बालिष मताधिकार (adult franchise), औद्योगीकरण (industrialization), राष्ट्रीयकरण (nationalization), विकेन्द्रीकरण (decentralization), सहकारी खेती और गोपालन, बलवान केन्द्रीय सत्ता (strong central government) वगैरा विविध योजनाओंका, कभी कभी परस्पर विरोधोंके बावजूद, अक ही अद्देश्य है कि देशकी कुदरती सम्पत्ति ज्यादासे ज्यादा बडे और अुत्तका लाभ ज्यादासे ज्यादा लोगोको मिले । अिसके लिअे अेक तरफ तो ननुष्य आपसमे अेक दूसरेके गले काटनेको भी तैयार है और दूसरी तरफसे सुन्द-शान्ति कायम करनेके लिअे बैचैन भी है । अेक तरफ वह पाकिस्तान-हिन्दुस्तान अरबस्तान-यहूदिस्तान बनाता है, अेटेम बम और कॉस्मिक किरणोंकी शोध करता है और दूसरी ओर UNO की प्रवृत्ति भी चलता है ।

देशकी कुदरती सम्पत्तिकी बारीकीसे गिनती लगानेमे कअी अर्थगाली लगे हुअे है । अिस सम्पत्तिका कितनी तरहसे अुपयोग हो सकता है, अिस बातकी शोधमे बडे बडे वैज्ञानिक दिनरात अेक कर रहे है । धनपति और राज्यतन्त्र अिस बातकी जबरदस्त कोशिश कर रहे है कि अिन शोधोंका पहला लाभ अुन्हे मिले ।

अिसमे शक नहीं कि ये सारी बाते महत्त्वपूर्ण और जरूरी है । यह अनुकूल परिस्थितियां (environments और conditions) निर्माण करनेके प्रयत्नका ही अेक भाग है । मगर साथ ही यह भी वाद रखनेकी जरूरत है कि अितना सब होते हुअे भी अगर प्रजामे योग्य प्रकारकी चरित्र-सम्पत्ति न हो तो यह अक रहित शून्य जैसा ही नहीं, बल्कि विनाशका कारण भी बन सकता है । अिसलिअे सिर्फ सम्पत्तिके पैदावार-बैठवारे आदिको ही ध्येय बनाकर अुसके अनुकूल परिस्थितियां पैदा करनेकी कोशिश नहीं होनी चाहिये, बल्कि सम्पत्तिकी पैदावार जितका अेक नतीजा है अुन चरित्रधनको निर्माण करनेवाली परिस्थिति पैदा करनेका प्रयत्न होना चाहिये । अितका खयाल न रखनेसे सम्भव है प्रत्यक्ष अनुभवमे सारे हिसाब — सारी गिनती गलत साबित हो ।

लम्बी योजना और छोटी योजना ये दो शब्द हम बहुत बार सुनते हैं। मगर लम्बी या छोटी योजनामें लम्बे समय और लम्बी दृष्टिकी तथा थोड़े समय और छोटी दृष्टिकी योजनाका फर्क हमें समझना चाहिये। दस वर्षों का दस देशमें भरपूर अनाज और कपड़ा हो जाय, ऐसी दस वर्षकी योजना बनायी जा सकती है और बनानी भी चाहिये। परन्तु अिससे अगर आनेवाले छह महीनों तक अन्न-वस्त्र विलकुल न मिल सके, तो यह लम्बी योजना निरूपयोगी है और छह महीनोंका योग्य बन्दोबस्त न होनेसे ही निष्फल हो सकती है। अिसलिये उसके साथ छोटी — यानी अल्प-कालीन योजना भी चाहिये ही।

मगर लम्बे समयकी या थोड़े समयकी योजनाके पीछे यदि दृष्टि छोटी हो, तब भी सारी योजना धूलमें मिल सकती है।

जैसे बने तैसे जल्दी स्वराज हासिल करना चाहिये। अिच्छासे या अनिच्छासे अंग्रेजोंको भी लगा कि यह देना चाहिये। मगर किसी भी तरह मुस्लिम लीगको समझाया न जा सका। उसने खूब धौधली मचायी। नतीजा यह हुआ कि अखंड हिन्दुस्तानके बारेमें जिनका आग्रह बहुत तीव्र था, उन पञ्जाब और बंगालके हिन्दू-सिक्ख नेताओंने ही अपने अपने प्रान्तके हिस्से करने और पाकिस्तान दे देनेका छोटा रास्ता अख्तियार करनेकी अिच्छा प्रकट की। यह छोटा रास्ता तत्काल परिणाम देनेवाला होनेसे मुस्लिम लीगने अिसे मजूर किया, हिन्दू-सिक्ख नेताओंने अिसकी माँग की और कांग्रेसका उसे स्वीकार करना पड़ा। सबने तत्काल स्वराज्य स्थापनारूपी परिणाम देखा। मगर उसके दूसरे परिणामोंकी कल्पना किर्गीके दिमागमें नहीं आयी।

अिस छोटे मार्गके पीछे रहनेवाली मूल कल्पना भी छोटी दृष्टिकी थी, मकुचित थी। मुस्लिम-चैरमुस्लिम द्वेष अिसके मूलमें था। अिसमें यह मान लिया गया था कि मुसलमान और चैरमुसलमान मिलकर एक राज्य चला ही नहीं सकते। और अिसकी जड़में द्वेषका यही पानी अिगदतन मीचा गया था। यानी यह मान लिया गया था कि दो भाग हो जानेसे दोनोंको अपने अपने स्वतंत्र क्षेत्र मिल जायेंगे। मगर अिस परिणामकी निर्माण कल्पना नहीं की कि जो मुसलमान-चैरमुसलमान मिल

कर एक राज्य नहीं चला सकते, वे एक गाँव या एक शहरमें भी साथ साथ नहीं रह सकेंगे । द्वेषका नशा किये हुअे लोगोंने जब अुसे कर दिखाया, तब कहीं यह बात हमारी समझमें आयी । लोगोंने सहज स्वभावसे हिजरतका छोटा और आसान लानेवाला रास्ता अख्तियार किया । राज्योंको लान्चार होकर अुसका साक्षी और व्यवस्थापक बनना पड़ा । अिसका दुःखद अमल आज हो रहा है ।

मगर यह माननेमें भूल होगी कि अिससे अिस समस्याका अन्त हो जायगा । क्योंकि जो मुसलमान और पैरमुसलमान एक गाँवमें साथ साथ नहीं रह सकते, एक राज्य नहीं चला सकते, वे कमसे कम हिन्दुस्तानमें तो पाकिस्तान और हिन्दुस्तान बनाकर भी शान्तिसे नहीं रह सकेंगे । यह माननेका कोअी कारण नहीं है कि द्वेष दो वस्तियोंको अल्ला अल्ला करके ही रक्त जायगा । अिसलिये यह द्वेष अिस रूपमें फैलना कि या तो अिस पूरे देशमें सब मुसलमान ही मुसलमान हों या सब पैरमुसलमान ही रहे । अिसमेंसे वादमें एक नया विष्वयुद्ध भी पैदा हो सकता है । अिस तरह सारे अेशिया और सारे जगतको एक करनेका मनोरथ धूलमें मिल सकता है, और एक तरफ दुनियाके सारे मुसलमान और कुछ दूसरे देश तथा दूसरी तरफ पैरमुसलमानोंके बीच भयकर यादवी जन्म सकती है ।

जो योजना मुसलमानों तथा पैरमुसलमानों (हिन्दू, अीताअी, सिक्ख, पारसी, यहूदी, चीनी आदि) को, अुनकी क्रम या ज़यादा तादादके बावजूद एक पड़ोसमें, एक गाँवमें, एक राज्यमें सबके साथ रहना सिखलाने, वही योजना, चाहे वह थोड़े समयकी (अल्पकालीन) हो, चाहे लम्बे समयकी (दीर्घकालीन), अिस समस्याका अन्त ला सकेगी । अगर कहीं मुसलमान लोग अल्ला रहकर अिस समस्याको अपनी जल्दतरफे मुताबिक हल कर सकें होंगे, तो ये ही समस्यायें फिर हिन्दू, सिक्ख, पारसी, अीताअी वपैराने बीच खड़ी होंगी । क्योंकि जो द्वेषभावना अिसके मूलमें है, वह अभी निकट थोड़े ही गयी है । और अगर मुसलमान भी अिते हल न कर सकें, तो जित्त तरह यूरोपके देश अीताअी होते हुअे भी एक दूसरेके साथ कुत्तोंकी तरह लड़ते हैं, अुसी तरह वे भी आपसमें लड़ेंगे ।

पीला वर्ग होना उनके भीतरकी चीजको समानके लिये महत्त्वकी चीज नहीं, बल्कि उनकी दीवारोंकी मुद्रा ही महत्त्वकी चीज है, उसी तरह मनुष्यकी चमड़ीके या वह पूर्वमे पला है या पश्चिममे वर्ग वाहरी भेद उसमे समाये हुये गुणोंके सम्बन्धमे महत्त्वके नहीं है । महत्त्वकी चीज यह है कि उसकी भावनाओं रूपी दीवाले स्थूल है या सूक्ष्म, सत्कारी है या असत्कारी । जिस तरह वाहरसे एक सी दिखायी पड़नेवाली बातोंको उनमे ज्यादासे ज्यादा माल समा सके ऐसी बनानेके लिये अन्दरकी दीवारोंको — बोटल टूट न पड़े और बहुत कमजोर न बन जाय जिस तरह सम्हालकर — धिसना चाहिये, उसी तरह वाहरसे एकसे लगनेवाले मनुष्योंको ज्यादासे ज्यादा कीमती बनानेके लिये, उनका शरीर टूट न पड़े और बहुत कमजोर न हो जाय जिस तरह सम्हालकर उनकी नैतिक भावनाओंको सूक्ष्म बनाना मानवकी सारी योजनाओका ध्येय होना चाहिये । जिस तरह बोटलको धिसनेके लिये लेथ, जुदी जुदी जातिके और मापके घर्षक (abrasives) वगैरा साधन चाहिये, और हरएक बोटलकी जांच करके उनके लिये योग्य रीतियो और साधनोंका उपयोग करना चाहिये, उसी तरह भावनाओंको सत्कारी बनानेके लिये अलग अलग मनुष्योंके लिये ही नहीं, बल्कि हरएक मनुष्यके लिये भी अलग अलग समयपर अलग अलग तरीके आजमाने पड़ेंगे । पूरी मानव जातिको हमेशाके लिये एक ही लकड़ीसे हांकनेके तरीकेसे काम नहीं चल सकता ।

और अग्री मामलेमे हम भुलावेमे और विचारभेदोंमे पड़ते हैं । या तो हमारी कोशिश यह होती है कि सभी साधनोंका राजा कोही एक ही साधन ढूँढ निकाला जाय और उसे सभी पर लागू किया जाय । यह कोशिश दो जगहोंके बीचके अन्तरको सेर और तोलेसे बताने या डुखारको फुटपट्टीमे नापनेकी प्रवृत्ति जैसी है ।

या फिर हमारी यह समझनेकी भूल होती है कि चूंकि अनेक भावनोंकी जन्मत पडती है, अिसलिये अिसमे व्यवस्था लानेकी कोशिश ही व्यर्थ है और हरएक व्यक्तिका रास्ता स्वतंत्र ही होता है । यह अिस तरह कहते हैं कि चूंकि चेतने के अनेक रूप हैं, अिसलिये अिसके अनेक

मापके साधन और परिभाषाये अलग अलग होती हैं, अिसलिये मापकी व्यवस्था ही नहीं की जा सकती ।

अिसी तरह सभी मनुच सात्त्विक वृत्तिके या सभी राजस वृत्तिके या सभी तामस वृत्तिके हैं, अैसा समझकर केवल अपुदेग, केवल लोभ या केवल दडके साधनोंपर जोर देना, या सबके लिये विलकुल सारे साधन या सबके लिये अटपटे साधनोंकी योजना करना, या सभी मनुच मजदूत व नीरोगी होते हे अैसा समझकर या सभी रोगी और कमजोर होते हे अैसा मानकर साधनोंकी योजना करना, या सिर्फ स्नायुओंके विकसको या सिर्फ कमेंड्रियों या ज्ञानेन्द्रियोंकी वेगपूर्णा या धीनी कार्यशक्तिको, या सिर्फ तार्किक या शोधक शक्तिको या सिर्फ प्रज्ञाकी ही भावनाको महत्त्व देना या कोअी अेक ही अैसा साधन खोजना कि जो सारे अिष्ट परिणाम ला सके और अनिष्ट परिणानोंको अल सके — वगैरा सारी कोशिशे भुलावमे डालनेवाली हैं ।

बादका मन्त्र है अेक दो स्लोगन (नारे) — अति व्यापक सूत्र — बनाना और फिर उनमे खुद ही अलझ जाना । चरखा सूत कातनेका साधन है, और हमारे देनकी मौजूदा परिस्थितिमें अुसका बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है, यह अेक आर्थिक विधान है; और अिनमे अुसके प्रचारके पीछे लयाअी जानेवाली ताकतकी उपयोगिता सब कोअी समझ सकते हैं । मगर जब हम यह समझने लगते हैं कि वह सत्य और अहिंसाका प्रतीक है, अुने चलनेवाला व्यक्ति अी और धन-दौलतके सम्बन्धमें चरित्रवान ही होगा, वह किसी दिन सूठ नहीं बोलेगा, छुआछूतको नहीं मानेगा, किसीका खून नहीं करेगा, चोगी नहीं करेगा, किसीको धोखा या दु:ख नहीं देगा — वगैरा चरित्रशुद्धिका भी अपने स्वरूपसे ही साधन है, तब हम खुद ही अुसकी जालमे अलझ जाते हैं । फिर हम कहने लगते हैं कि जिसका अहिंसाने विश्वास न हो, हिन्दू-मुस्लिम अेकतामे विश्वास न हो, सत्य, ब्रह्मचर्य वगैराने विश्वास न हो, जिसका चरित्र शुद्ध न हो, वह चरखा न चलाये । अिस तरह बतनेमार्गके साधनको चरित्रनिर्माका भी मूल साधन बनानेकी कोशिशमे जब अुने सफलता नहीं मिलती, तब हम कहने लगते हैं कि बतनेमार्गके लिये भी अुसका अुपयोग न किया जाय ।

भक्तिमार्गी गुरुने कह दिया कि जप सारे साधनोंका राजा है मगर गतदिन 'राम' 'राम' करते रहनेपर भी कभी लोग बुरे कामोंमें फँसे हुअे देखनेमें आते ह । यह देखकर बादमें जपकी व्याख्या कर्नी पड़ी है : कौनसा जप सच्चा, कौनसा झूठा, किस तरह अुमें किया जा सकता है, जप करते वक्त कैसा भाव रखना चाहिये, कैसे अनुसन्धान करना चाहिये, वगैर । सब कोअी समझ सके और अुसका आचरण कर सके, अिस दृष्टिसं पहले पहल 'जप'की योजना हुअी और अुसका प्रचार हुअा । मगर अितना अनियंत्रित जप बेकाम ही साबित हुअा । अिसलिअे अुसपर अैसी शर्त रखी गअी कि अेकाध तीव्र साधक ही जपका अधिकारी हो सकता है, दूसरेकि लिअे तो वह बकवास जैसा ही है । दरअमल जप अनेक साधनों — चरित्रकी योग्यताओं — को सिद्ध करनेमें मदद रूप होनेवाला अेक यौगिक साधन है । चूना अँटोको जोड़ता है; मगर अँटोंके बिना केवल चूना क्या कर सकता है ? ज़्यादासे ज़्यादा वह मज़क़र चाकका पत्थर ही बन सकता है । यही हाल जपका है ।

अिसी तरह चग्खा बल्लनिर्माण तथा बल्ल स्वावलम्बनका और अुतने अंशमें आर्थिक समृद्धिका अुपयोगी साधन है । अिसमें जपकी अपेक्षा या विशेषता है कि जप दूसरी शर्तकि बिना कोरी बकवास साबित हो सकता है, मगर यह हाल चग्खेका नहीं है; वह क्रममें कम बल्लनिर्माणका काम तो कर ही देगा । अिसके बाद प्रजामे दूसरे गुण पैदा करनेके लिअे दूसरी प्रवृत्तियों और साधनोंकी तो जरूरत रहेगी ही । हमें यह नहीं मान लेना चाहिये कि चग्खा हो, तभी अहिंसा सिद्ध हो सकती है । यह भ्रंटे कहा जा सकता है कि चग्खेके बिना अहिंसक समाजगन्धना होना अगर अशक्य नहीं, तो मुश्किल ज़रूर है ।

'अहिंसा' शब्दको भी हमने अपने ही हाथो अुल्लंघनमें डालनेवाला शब्द बना दिया है । अुसमेंसे 'सिद्धान्त' और 'नीति', 'बहादुरकी अहिंसा' और 'कायकी अहिंसा', 'अहिंसक प्राणरक्षण' और 'हिंसक प्राणरक्षण', 'अहिंसक प्राणरक्षा' और 'हिंसक प्राणरक्षा', 'सत्य गन्ध अहिंसा' और 'सत्य सन्धित अहिंसा', 'अहिंसा और देशरक्षा या आत्मरक्षा' अहिंसा और युद्ध' आदि चर्चायं लयी हुअी है । अगर हम

एक ही शब्दमे अगर सभी सुन्दर गुणों, वृत्तियों और कृतियोंका समावेश करनेका हम आग्रह न रखे और यह मान लेनेकी भूल न करे कि किसी एकको सिद्ध करनेसे दूसरा सब अपने आप सिद्ध हो जाता है, बल्कि हरएक शब्द या भावको उसकी मर्यादामे रखकर ही समझे, तो अिनमेसे बहुत-सी चर्चाये और मतभेद टल जायें ।

अर्थके उत्पादम और वृद्धिके लिये मनुष्यमे अमुक प्रकारका चरित्र — गुण और आदते — होना चाहिये और उसके सुख-संयम और न्याय-पूर्वक अपुयोग और अपुभोगके लिये अमुक प्रकारका । मनुष्यकी सारी प्रवृत्तियोंका अुद्देश्य भी अपनेमे सत् — अच्छे — मनुष्यके गुणों और आदतोंकी वृद्धि करना होना चाहिये । मगर कोअी एक शब्द या कोअी एक साधन सारे जरूरी गुणो और आदतोंको दिखलाकर सिद्ध नहीं किया जा सकता । अेकांगी दृष्टिसे देखा जाय, तो परस्पर विरोधी दिखनेवाले साधन और गुण तथा आदते भी जरूरी हो सकती ह, और बहुत श्रेष्ठ लगनेवाले गुण भी विवेक और दूसरे गुणोंके अभावमे मनुष्यके शुभ विकासके लिये बाधक हो सकते है । यह भी हो सकता है कि एक वक्त एक गुण पर जोर देनेकी जरूरत पड़े और दूसरे वक्त दूसरे पर । अिसलिये हमेशाके लिये कोअी एक रास्ता नहीं बनाया जा सकता । हर जमानेमे और हरएक समाजमे नेताओंको सावधानी और विवेकसे अपने समयकी जरूरतके मुताबिक ही मर्यादाये निश्चित करनी चाहिये और अुन्हें अिस तरह नहीं जकड़ देना चाहिये कि भविष्यकी प्रजाको अुन्हें बदलनेमे मुश्किल मालूम हो ।

चरित्र समृद्धिका साधन है, और समृद्धिका साध्य अुन्नत चरित्र ही है, अिस सत्यको बराबर स्वीकार न करनेसे ही आजका विज्ञान-सम्पन्न मानव-समाज अिस तरह दुनियामे घूम रहा है, मानो हाथमे आग लगानेके साधन रखनेवाले और उसकी कला सीखे हुअे वानर-समाजको खुला छोड़ दिया गया हो । अिसलिये अर्थवृद्धिके साधनोंपर विचार करते वक्त आदि, मध्य तथा अन्त तीनों अवस्थाओंमे चरित्रके अंगोंका विचार करके ही कदम अुठाने चाहिये ।

भक्तिमार्गीं गुरुने कह दिया कि जप सारे साधनोंका राजा है मगर रातदिन 'राम' 'राम' करते रहनेपर भी कभी लोग बुरे कामोंमें फँसे हुअे देखनेमें आते है । यह देखकर वादमें जपकी व्याख्या करनी पड़ी है : कौनसा जप सच्चा, कौनसा झूठा, किस तरह उसे किया जा सकता है, जप करते वक्त कैसा भाव रखना चाहिये, कैसे अनुसंधान करना चाहिये, वगैरा । सब कोभी समझ सके और उसका आचरण कर सके, जिस दृष्टिसे पहले पहल 'जप'की योजना हुअी और उसका प्रचार हुआ । मगर अितना अनियंत्रित जप बेकाम ही साबित हुआ । जिसलिये उसपर ऐसी गर्त रखी गयी कि अेकाध तीव्र साधक ही जपका अधिकारी हो सकता है, दूसरोंके लिये तो वह बकवास जैसा ही है । दरअसल जप अनेक साधनों — चरित्रकी योग्यताओं — को सिद्ध करनेमें मदद रूप होनेवाला अेक योगिक साधन है । चूना अींटोंको जोड़ता है; मगर अींटोंके बिना केवल चूना क्या कर सकता है ? ज़्यादासे ज़्यादा वह सूखकर चाकका पत्थर ही बन सकता है । यही हाल जपका है ।

जिसी तरह चरखा वस्त्रनिर्माण तथा वस्त्र स्वावलम्बनका और अतने अगोमें आर्थिक समृद्धिका अपयोगी साधन है । जिसमें जपकी अपेक्षा यह विशेषता है कि जप दूसरी गर्तोंके बिना कोरी बकवास साबित हो सकता है, मगर यह हाल चरखेका नहीं है; वह कमसे कम वस्त्रनिर्माणका काम तो कर ही देगा । जिसके बाद प्रजामें दूसरे गुण पैदा करनेके लिये दूसरी प्रवृत्तियों और साधनोंकी तो जरूरत रहेगी ही । हमें यह नहीं मान लेना चाहिये कि चरखा हो, तभी अहिंसा सिद्ध हो सकती है । यह भले कहा जा सकता है कि चरखेके बिना अहिंसक समाजरचना होना अगर अशक्य नहीं, तो मुश्किल ज़रूर है ।

'अहिंसा' शब्दको भी हमने अपने ही हाथों अुलझनमें डालनेवाला शब्द बना दिया है । अुसमेंसे 'सिद्धान्त' और 'नीति', 'वहादुरकी अहिंसा' और 'कायरकी अहिंसा', 'अहिंसक प्राणहरण' और 'हिंसक प्राणहरण', 'अहिंसक प्राणरक्षा' और 'हिंसक प्राणरक्षा', 'सत्य रहित अहिंसा' और 'सत्य सहित अहिंसा', 'अहिंसा और देशरक्षा या आत्मरक्षा', 'अहिंसा और युद्ध' आदि चर्चायें खड़ी हुअी है । अगर हम

एक ही शब्दमें अगर सभी सुन्दर गुणों, वृत्तियों और कृतियोंका समावेश करनेका हम आग्रह न रखे और यह मान लेनेकी भूल न करे कि किसी एकको सिद्ध करनेसे दूसरा सब अपने आप सिद्ध हो जाता है, बल्कि हरएक शब्द या भावको उसके मर्यादामें रखकर ही समझे, तो अिनमेंसे बहुतसी चर्चाये और मतभेद टल जायें ।

अर्थके अत्पादम और वृद्धिके लिये मनुष्यमें अमुक प्रकारका चरित्र — गुण और आदते — होना चाहिये और उसके सुख-संयम और न्याय-पूर्वक अुपयोग और अुपभोगके लिये अमुक प्रकारका । मनुष्यकी सारी प्रवृत्तियोंका अुद्देश्य भी अपनेमें सब — अच्छे — मनुष्यके गुणों और आदतोंकी वृद्धि करना होना चाहिये । मगर कोई एक शब्द या कोई एक साधन सबे जल्दरी गुणों और आदतोंको दिललाकर सिद्ध नहीं किया जा सकता । अेकांगी दृष्टिसे देखा जाय, तो परस्पर विरोधी दिखनेवाले साधन और गुण तथा आदते भी जल्दरी हो सकती हैं, और बहुत श्रेष्ठ लगनेवाले गुण भी विवेक और दूसरे गुणोंके अभावमें मनुष्यके शुभ विकासके लिये बाधक हो सकते हैं । यह भी हो सकता है कि एक वस्तु एक गुण पर जोर देनेकी जरूरत पड़े और दूसरे वस्तु दूसरे पर । अिसलिये हमेंसाके लिये कोई एक रास्ता नहीं बनाया जा सकता । हर जमानेमें और हरएक समाजमें नेताओंको सावधानी और विवेकसे अपने समयकी जरूरतमें सुनायिक ही मर्यादाये निर्दिष्ट करनी चाहियें और उन्हें अिस तरह नहीं जम्ह देना चाहिये कि भविष्यकी प्रजाको उन्हें बदलनेमें सुविधा नष्ट हो ।

चरित्र सन्वदिका साधन है, और सन्वदिका साध्य अुन्नत चरित्र ही है, अिस सत्यको बराबर स्वीकार न करनेसे ही आजका विज्ञान-सम्बन्ध मानव-समाज अिस तरह दुनियामें घूम रहा है, मानो हाथमें आग लगानेके साधन रखनेवाले और अुन्नकी कला सीखे हुअे वानर-समाजको खुला छोड़ दिया गया हो । अिसलिये अर्थवृद्धिके साधनोंपर विचार करते वस्तु अदि, मूल तथा अन्न तीनों अस्तित्वाओंमें चरित्रके अंगोंका विचार करने ही अुन्न अुन्न चाहिये ।

चरित्रके स्थिर और अस्थिर अंग

मनुष्यको अपनी खुदकी ओर देखनेकी दृष्टिमें साफ़ होनेकी जरूरत है। वह दूसरे प्राणियोंकी तरह अेकाध निश्चित और सरल दिशामें ही विकसित बुद्धिवाला प्राणी नहीं है। अिसी तरह वह अनन्त प्रजा-बुद्धि-वाला होते हुअे भी पूर्णप्रज्ञ नहीं है। अुसे दूसरे प्राणियोंकी तरह अेकप्रज्ञ नहीं बनाया जा सकता। वह अनन्तप्रज्ञ होनेकी कोशिश करता ही रहेगा। यानी सभी मनुष्योंकी अेकसी ही बुद्धि नहीं हो सकती। सब अलग-अलग तरहकी बुद्धिवाले ही रहेंगे। अितना ही नहीं, बल्कि किसी व्यक्तिका भी विलकुल अेकप्रज्ञ होना सम्भव नहीं है। अेकाध दिशामें किसी व्यक्तिकी बुद्धि अपनी आखिरी सीमा तक भले पहुँच जाय, मगर यह सम्भव नहीं कि दूसरी दिशाओंमें अुसका विलकुल ही विकास न हो। और सिर्फ़ अेक ही दिशामें विकसित बुद्धिसे कोअी अिच्छित् पूर्णता नहीं पा सकता, न कृतार्थताका अनुभव ही कर सकता। साथ ही किसी भी व्यक्तिका पूर्ण और अनन्तप्रज्ञ होना सम्भव नहीं है। हो सकता है कि कुछ व्यक्ति अैसा बननेकी असफल महत्त्वाकांक्षा रखे, मगर पूरी मानव जातिका पूर्ण और अनन्तप्रज्ञ होना सम्भव नहीं है। यानी अगर बुद्धिको मनुष्यकी छटी अिन्द्रिय माना जाय, तो वह अिन्द्रिय अेक अैसी जातिके अनन्त और सूक्ष्म स्नायुओं और ज्ञानतन्तुओं रूपी पखुड़ियोंसे बनी हुअी है कि जिसकी जुदी-जुदी पखुड़ियाँ थोड़ी-बहुत खिली हुअी है, थोड़ी बहुत मुरझाअी हुअी है, सब अभी खिली ही नहीं, और सभीका किसी अेक वक्तमें खिली हुअी स्थितिमें दिख्लाअी पड़ना सम्भव नहीं है।

अेक दूसरा दृष्टांत लेकर अिसपर विचार करे, तो मनुष्य समाज किसी अनजान जंगलमें छोड़े हुअे अथे और बहरे मनुष्यो जैसा है। वह हाथसे छूकर रास्ता ढूँढना, दोस्तों और दुश्मनोको पहचानना और अच्छे-बुरे साधन और स्थान निश्चित करना चाहता है। सबके अनुभव

अल्पा-अल्पा है। कुछने अपना जीवन अमुक साधनों और स्थानोंमें स्थिर कर लिया है, कुछको अतनेमें अच्युत नहीं लाता या अन्हें अभी वैसी अनुकूलनाओं नहीं मिलीं। कुछका जीवन दूसरोंपर विश्वास और प्रेम रखनेसे सुखपूर्वक बीता है, तो कुछका अिन्हीं कारणोंसे दुःखमय रहा है। कुछने दूसरोंके प्रति अविश्वास रखनेमें ही अपनी सफ़लता देखी है, तो कुछने अिसी वजहसे ठोकर खाई है। कुछके लिये अपने हाथ-पाँवोंकी शक्ति ही मददगार साबित हुअी है, तो कुछको अपने तर्क, बुद्धि या वाणीकी शक्तिले मदद मिली है। कुछने डर डरकर चलनेमें अपनेको सुरक्षित माना है : तो कुछने साहसकी वदौलत ही अपनेको आगे बढ़ा हुआ पाया है। अपने-अपने थोड़े अनुभवसे हरअेकने व्यापक सिद्धान्त निकाले हैं।

फिर भी अिसमें अेक किस्मकी व्यवस्था है। हरअेकका अनुभव थोड़ा होते हुअे भी अुत्तको अपने अनुभवका समर्थन करनेवाले मिल जाते हैं। अिससे साबित होता है कि अिन अनुभवोंको कुछ वर्गोंमें बाँटा जा सकता है और हरअेक वर्गके अनुभवोंमें कुछ विचारने और ग्रहण करने लायक अंश होता है। लेकिन् कोअी अेक अनुभव न तो सबसे श्रेष्ठ होता, न सर्वथा छोड़ने लायक ही होता है। दूसरे, यह भी कहा जा सकता है कि जुदी-जुदी कोटिके या परिस्थितिके लोगोंके लिये किस्सी अेक वर्गका अनुभव दूसरोंके मुझाबले ज्यादा योग्य साबित हो सकता है तथा अमुक परिस्थितिमें किन्नी अेककी महत्ता ज्यादा और दूसरेकी कम हो सकती है।

अित्त तरह देखनेपर यह कहा जा सकता है कि नीचे लिखी हुअी योग्यताओं नामूली तौरपर हरअेक पूर्णांग मनुष्यमें हमेशा होनी चाहिये, और अिनमें दो-चार हरअेकमें विशेष रूपसे होनी चाहिये, तथा विशेष परिस्थितिमें कुछ योग्यताओं बहुत बड़ी तादादके मनुष्योंमें होनी चाहिये।

शारीरिक

१. नीरोगी और पूरी तरहसे विकसित शरीर।
२. मेहनत करनेकी शक्ति और आदत।
३. मर्दा-शर्मा, भूल-भयान वगैरा करनेकी शक्ति और आदत।

४. ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियोके कामोंको स्वतन्त्रतासे और व्यवस्थित तरीकेसे करनेकी जानकारी और आदत।

५. स्फूर्ति और तेजी रहते हुआ भी व्यवस्थितता और नियमन।

मानसिक

१. साहस—खतरेका सामना करनेका स्वाभाविक हीसला और हिम्मत।

२. धीरज—खतरेमें घबरा न जानेकी (panicky न होनेकी) ताकत।

३. समयसूचकता—परिस्थितिका मुकाबला करनेकी सूझ।

४. श्रमानन्द—जबरदस्त मेहनतके वक्त कामसे अरुचि होनेके बजाय अुमंग बढ़ना।

५. पक्की-पकड़—पकड़ी हुअी चीज़को आसानीसे न छोड़ने, बल्कि मजबूतीसे पकड़े रहनेका स्वभाव।

६. तेज अथवा स्वाभिमान—दूसरेकी धमकी, लाल अँखें वगैरासे दब न जानेकी ताकत।

७. आत्मनियमन—काम, क्रोधके वेगोंको रोकनेकी शक्ति।

८. हमेशा प्रगति करते रहनेकी अभिलाषा।

९. सावधानी।

बौद्धिक

१. जिज्ञासा और शोधवृत्ति।

२. अवलोकन, निरीक्षण और प्रयोग करनेकी आदत।

३. अनुभव और कल्पना, वस्तुधर्म और आरोपितधर्म, आदर्श और महत्वाकांक्षा तथा हवाअी किले बाँधने, वास्तविकता और अभिलाषाके बीच भेद करनेकी शक्ति।

४. गणित और आकलन।

५. स्मृति और जाग्रति।

६. चींटीवृत्ति—जहाँसे मिले वहाँसे चींटीकी तरह छोटे और नम्र बनकर ज्ञानसंग्रह करनेकी वृत्ति।

७. अतिव्याप्ति^१ तथा अत्युक्ति^२ न करनेकी आदत ।

८. पूर्वग्रहों^३ और साम्प्रदायिकतासे या किसी पक्षसे अपुर अठकर विचार करनेकी शक्ति ।

चारित्रिक

१. विवेकपूर्ण श्रद्धा ।

२. प्राणीमात्रका आदर ।

३. समभाव, करुणा, दया आदि ।

४. स्वजनोंके प्रति ऐसा प्रेम जिसमे दूसरोंका द्रोह या उनके प्रति अन्याय न हो ।

५. विवेकपूर्ण परोपकार, क्षमा आदि ।

६. अजन्त्री और स्वजन-विरोधियोंसे सावधान रहते हुअे भी उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना ।

७. चैतन्यकी अपेक्षा जड़ पदार्थोंकी कम कीमत करना ।

८. धनके व्यवहारमे प्रामाणिकता, स्वच्छता, सत्य प्रतिज्ञता, धोखा न देना, अज्ञान, गरजमन्द या यरीवकी मुद्किलोंसे फायदा न अठाना आदि ।

९. स्त्रीकी जिन्दगी, प्रतिष्ठा और शीलकी अपने प्राणोंपर खेलकर भी रक्षा करना ।

१०. अव्यभिचार तथा अनत्याचार

११. अीश्वरनिष्ठा — यानी सारी कोशिशों और पुरुषार्थके वावजूद अिस दातको ध्यानमे रखना कि अिच्छित्त फल देना सिर्फ भगवानके ही हाथमे है और अिस सत्यको स्वीकार करते हुअे भी जगतके लिअे नम्रता-पूर्वक मगलकामना करना, अुस मगलकामनामे श्रद्धा रखना और अुसके लिअे आशासहित लग्नातार कोशिश करना ।

१२. स्वच्छता, व्यवस्था और सादगीकी सुन्दरता ।

१३. रोग, यरीवी, अन्याय, स्थूल तथा सूक्ष्म मलिनता और हिंसाको दूर करनेके लिअे अुद्यम करना ।

१ लक्ष्यसे बाहरकी वस्तुके विषयमे कहना ।

२ दातको बढ़ाचढ़ाकर कहना ।

३ पहलेसे ही देने हुअे मत ।

१४. समाजके हितके लिये अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, ममताओं वगैराको गौण करने और अनेकोंके साथ सहयोग करनेकी तत्परता। फिर भी,

१५. अन्याय और असत्यके खिलाफ और सत्यके लिये प्री दुनियाका अकेले मुकाबला करनेकी हिम्मत।

ध्येयात्मक या श्रद्धात्मक

१. असत्यमेसे सत्य, हिंसामेसे अहिंसा, दैन्यमेसे अैश्वर्य, आसक्तिमेसे वैराग्य, अज्ञानमेसे ज्ञान, अव्यवस्थामेसे व्यवस्था, विपमता और अन्यायमेसे समता और न्याय, अधर्ममेसे धर्मकी ओर लगातार बढ़ना तथा अपनी और समाजकी पूर्ण मानवताका विकास करना।

२. पूरी मानव जातिकी ऐक्यताको स्वीकार करना और उसे सिद्ध करनेकी कोशिश करना।

३. जीवनके मूल सत्यका खोजने और समझनेका पुरुषार्थ।

अिस सूचीको सम्पूर्ण नहीं मानना चाहिये। अिसमे सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, सतोष, भावना, श्रद्धा, अुपासना, आत्मरक्षा, फौजी तालीम, धन्धा, कला वगैरा-वगैरा रूढ़ शब्द नहीं हैं, बल्कि वर्णनात्मक शब्दोंका अुपयोग किया गया है, जिसमे योग्यताओंका निश्चित स्वरूप समझमे आ सके और अुनकी जरूरतोंके वारेमे विचार किया जा सके। इन बातोंका आर्थिक क्रान्तिके सवालोंने इसलिये समावेश किया गया है कि अिस बुनियादके बिना कोअी भी आर्थिक योजना सिद्ध ही नहीं हो सकेगी। आर्थिक योजनाओं और अल्ला-अल्ला वादोंकी रचना करते वक़्त यह मान कर चला जाता है कि यह सब तो मनुष्यमे है ही। मगर थोड़ा विचार करनेपर मालूम होगा कि हमारी प्रजामे या जगतमे यह सब है ही, अैसा मान लेनेका कोअी आधार नहीं है। अिस पर यही टीका काफी नहीं होगी कि नाऽस्ति मूलं वृत्तः शाखा (मूल नहीं तो शाखा कहाँसे?), बल्कि यह कहना होगा कि सन्मूलस्याभावात् प्रसृता विषवल्लयः (अच्छे मूलके अभावमे विषकी लताये ही फैली हैं)।

वादोंकी अलझन

आज हम सब अलग-अलग वादोंकी अलझनमें फँसे हुए हैं। पूँजीवाद, गांधीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, यंत्रीकरण, राष्ट्रीयकरण, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, बड़े उद्योग, ग्रामोद्योग, यंत्रोद्योग, दस्तकारी, बलवान केंद्र, ग्राम स्वराज्य, मजदूर राज्य, किसान राज्य, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रैती वगैरामें से अेकाध शब्दको हम पकड़ लेते हैं और अपनी सारी चर्चायें यह मानकर करते हैं कि जैसे किसी एक वादके मुताबिक सारा कारवार जमा देनेसे जीवनकी सच्ची और अच्छी व्यवस्था हो जायगी; मगर मानव जीवन बैसा फिल्लेवाला है कि किसी एक व्यवस्थाकी पकड़में वह आ ही नहीं सकता, या अगर जबरदस्तीसे उसे पकड़ा भी जाय तो वह सड़ने लगता है और मनुष्यको सुखी और तन्दुरुस्त बनानेके बदले उसे आपत्तिमें डालता है।

मगर अिसके अलावा हमें एक महत्त्वकी बात पर विचार करना है। ये सभी वाद एक दूसरेसे बिल्कुल जुड़े ढंगके दिखते हुए भी एक ही दुनियादकी मजदूर बनाकर या समझकर खड़े हुए हैं। सभीकी रचना धन-गणित—सोनेके तौल-गणित—के आधारपर हुआ है। आज भले ही सोनेके तिककोंका चलन कहीं भी न हो, मगर अर्थविनिमयका साधन—वाहन और नाप—उसके पीछे रहनेवाले सोने-चौदके स्वरूप पर ही है। साम्यवादी भले ही मजदूरको महत्त्व दे, पूँजीपतिको निकालनेकी शोषण करे, मगर वह भी पूँजीको—यानी सोने-चौदके आधारको और गणितको ही—महत्त्व देता है। आर्थिक समृद्धिका नाप सोनेकी दानी हुआ फुटपट्टी ही है। अित्त फुटपट्टीके पीछे रहनेवाली सामान्य समझ यह है कि जो चीज हर किसीको आलानीने न मिल सके, वही उत्तम धन है।

पूँजीवादका मतलब है ऐसी चीजपर खानगी कब्जा रखनेके श्रद्धा, तथा साम्यवाद या समाजवादका अर्थ है ऐसी चीज पर सबका कब्जा

रखनेमें श्रद्धा । जो चीज हर किसीको आसानीसे मिल सकती हो, वह जीवन-निर्वाहके लिये चाहे जितनी महत्त्वपूर्ण होनेपर भी हल्के दरजेका धन समझी जाती है । जिस तरह हवाकी अपेक्षा पानी, पानीकी अपेक्षा खाद्य व अन्नकी अपेक्षा कपास, तम्बाकू, चाय, लोहा, तौबा, सोना, पेट्रोल, युरेनियम वगैरा अत्युत्तरोत्तर ज़्यादा अर्थके प्रकारके धन माने जाते हैं । जिस तरह जो चीज जीवनके लिये कीमती और अनिवार्य हो, उसकी अर्थशास्त्रमें कीमत कम, और जिसके बिना जीवन निभ सके, उसकी अर्थशास्त्रमें कीमत ज़्यादा है । यों जीवन और अर्थशास्त्रका विरोध है ।

अगर कोई क्रान्ति होना ज़रूरी हो, तो जिस तरह धार्मिक वगैरा मान्यताओंके सम्बन्धमें पहले कहा जा चुका है, उसी तरह जिस विषयमें भी विचारोंकी क्रान्ति होना ज़रूरी है । कुछ ऐसा अर्थशास्त्रका साधन खोजना चाहिये, जो जीवनके लिये उपयोगी और सबको आसानीसे मिल सकने वाली चीज़ों और शक्तियोंको कीमती ठहरावे, तथा उनके अभावको दरिद्रता समझे ।

अर्थशास्त्रकी दूसरी विलक्षणता यह है कि मज़दूरीका समयके साथ सम्बन्ध जोड़नेमें उसके साधन अथवा यंत्रका कोई ध्यान ही नहीं रखा जाता । अदाहरणके लिये, समान वस्तु बनानेमें एक साधनसे पाँच घंटे लगते हैं और दूसरेसे दो, तो दूसरा साधन काममें लेनेवालेको ज़्यादा कीमत मिलती है; फिर भले ही पहलेने खुद मेहनत करके वह चीज़ बनायी हो और दूसरेको उसे बनानेमें यंत्रको दवानेके सिवा और कुछ न करना पड़ा हो । इसीको दूसरे शब्दोंमें यों कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्रमें समयकी कीमत नहीं है, मगर समयकी वृत्त करनेपर अनाम मिलता है, और समय बिगाड़नेपर जुरमाना होता है । मगर इसमें किस तरह समय बचा या बिगाड़ा, जिस बातकी परवाह नहीं की जाती ।

सच पूछा जाय तो जिस तरह साधन अच्छा हो, तो समयकी वृत्त होती है, उसी तरह अगर कुशलता, अद्यमशीलता, वगैरा यानी मज़दूरीकी गुणमत्ता ज़्यादा हो, तब भी समयकी वृत्त होती है । और अगर साधन तथा गुणमत्ता एकसे हों, तो वस्तुकी कीमत उसे बनानेमें लगे हुए समयके प्रमाणमें आँकी जानी चाहिये । एकसे ही यंत्र पर एक

व्यक्ति अकती गुगमत्ताका अपुयोग करके कोअी चीज बनाने, तो अुसे दो घंटे ल्हाते हैं। अित्तकी अपेक्षा अगर वह अशअी घंटे खर्च करके कोअी चीज तैयार करता है, तो वह पहलीसे ज़यादा कीमती बननी चाहिये। साधन तथा गुगमत्ताकी विरोधता अुस चीजमे अुतरनी चाहिये। अिस तरह कित्ती चीजके बनानेमे जितना ज़यादा समय, जितने अच्छे साधन और जितनी ज़यादा गुगमत्ताका अपुयोग किया गया हो, अुतनी ही ज़यादा अुत्तकी इीमत होनी चाहिये। दरअसल मूल कीमत तो अिसी तरहकी होती है। मगर आजकी अर्थव्यवस्थामे माल तैयार करनेवालेको अिस हिसाबसे कीमत नहीं मिलती। अिससे समय और गुगमत्ताको बचानेवाले साधनोंपर ही सारा जोर दिया जाता है। या कहिये कि समयके अपुयोगपर भारी इरमाना होता है और गुगकी कीमत कंठूसीसे अँकी जाती है।

गणितकी भाषामे पेश की गअी अिन सारी बातोंको सोलह अाने गणितके ही रूपमे नहीं लेना चाहिये। अित्तका हेतु सिर्फ अितना ही दिखाना है कि सोना, चाँदी वगैरा विरल पदार्थोंके आधारपर रची हुअी कीमत अँकनेकी पद्धतिसे वस्तुओंकी सच्ची कीमत नहीं अँकी जा सकती। और अिसलिअे अुत्तके आधारपर बनी हुअी अर्थव्यवस्था, चाहे अिस बानेके आधारपर खड़ी की गअी हो, अनर्थ पैदा करनेवाली ही साबित होती है और आगे भी होती रहेगी।

कुदरत सार्वजनिक है। अिसलिअे अुत्तकी इीमत ही नहीं होनी चाहिये। जमीन या खाद्य पदार्थ हवाकी तरह ही कुदरतकी दखिअरों हैं। अिनकी विपुलता या कमीमे इीमतमे फइ पडनेका कोअी कारा नहीं है।

अित्तके सिवा, आजकी हमारी धन और इीमत माननेकी पद्धति देखनेमे मले मन्व — लाभमापक (positive) हो, मगर दरअसल वह अण्णव्य — हानिमापक (negative) है। आजकल अगर कित्ती गलीमें दगा हुआ हो, तो वही रनेवाले लोगोंपर सन्धतिक इरमाना किया जाता है। अगर दो गलियोंमें दगे हुअे हों और अेक पर पच्चीस हजारक तथा दुअे पर दस हजारक इरमाना किया जाय तो सक्कारी बहीने पडले गलीअलेके खाते पच्चीस हजार रुपये जमा किने जयगे और दुअरकि खते

दस हजार। अिसपरसे सरकार पहली गलीका ज्यादा लाभदायक मानेगी और दूसरीको कम। और अिसलिअे अगर वह पहलीके लिअे ज्यादा सन्तोष माने, तो अेक तरहसे यह सीधी बात जान पड़ती है। मगर दूसरी ओर सच्ची दृष्टिसे देखे, तो यह पन्द्रह हजारका अधिक लाभ संतोषकी नहीं, बल्कि खेदकी बात है। क्योंकि सरकारका हेतु दंगोंको रोकना है, दंगोंके जुरमाने वसूल करनेका धन्धा चलाना नहीं। अिस हेतुकी सिद्धिके लिअे अैसी स्थिति पैदा करनी जरूरी है, जिसमे किमीपर जुरमाना न करना पड़े, व दंगे ही न हो^६।

या नीतिमे थोड़ा फेरफार करके सरकार अैसा नियम बनावे कि जो गलियाँ सालभर तक शांति बनाये रखे, उन्हें अमुक हिसाबसे करमे छूट दी जाय, और जहाँ दंगे हों वहाँसे पूरा कर वसूल किया जाय। अिस तरह सम्भव है कुछ गलियाँ लोग अच्छे अिनाम ले ले और अिससे सरकारका कर कम वसूल हो। अपूरसे देखनेमें यह नुकसानकी बात मानी जायगी। लेकिन दूसरी तरफ चूँकि सरकारका मकसद दंगे रोकनेका है, अिसलिअे करमे अमुक हिसाबसे छूट देनेसे लाभ होगा। शांतिकी दृष्टिसे सजाकी जमा रकम अपसव्य — हानिमापक संख्या है और करमे छूट सव्य — लाभमापक संख्या है।

अिसी तरह हम कीमतके सवालपर विचार करे। मान लीजिये हम कहते हैं कि मिलका कपड़ा हमे अेक रुपये गजमे पुसाता है और वैसी ही खादी दो रुपये गजमे। और अिस हिसाबसे मिलके अेक गज कपड़ेकी कीमत अेक रुपया मोंडते हैं और खादीकी दो रुपया। अब अेक गज कपड़ा तो अेक गज कपड़ा ही है : फिर वह चाहे मिलमे बना हो, चाहे खादीका हो। जीवनकी जरूरत तो दोनोंसे अेकसी ही पूरी होती है; अिससे जीवनके लिअे दोनोंकी कीमत अेकसी है। मान लीजिये कि अेक आदमीको अुसकी

^६ जुरमानेके सम्बन्धमे यह कथन शायद आसानीसे मजूर कर लिया जाय, और यह कहा जाय कि अैसा कोभी नहीं समझता। मगर शराब बरैरापर होनेवाली आमदनीके सम्बन्धमे अैसी भावना है या नहीं, अिसपर विचार करना चाहिये।

बडी छह महीनों तक लगातार काम देती हैं। यानी अुत्तकी सच्ची कीमत छह माहकी है। फिर भी अुत्तकी अलग-अलग कीमतें मॉडनेका मतलब यह हुआ कि यंत्रमे छह महीनेका किराया अेक रुपया होता है, और हाथ औजारमे दो रुपये। अगर छह महीनेका किराया अेक रुपया वाजिब हो, तो खादीके दो रुपये लेकर आप खादी पहननेवालेपर अेक क्रिस्मका जुरमाना करते हैं, या दो रुपये देकर खादी बनानेवालेको अिनाम देते हैं। और अगर छह महीनेकी कीमत दो रुपये वाजिब हो, तो मिलके कपड़ेके लिये अेक रुपया देकर आप मिलवाले पर जुरमाना करते हैं, या मिलका कपडा अेक रुपयमे बेचकर अुत्तका अुपयोग करनेवालेको अिनाम देते हैं। अिस तरह लागत कीमतके हिनार पर से वस्तुकी कीमत अँजने जाये, तो अुत्तकी सच्ची कीमत जाननेका कोई ठीक-ठीक साधन ही नहीं मिलता।

अिसके सिवा अेक दूसरी तरहसे मौजूदा अर्थ-व्यवस्थाकी अनर्थता पर विचार करें। नैतिक न्यायकी दृष्टिमे देखे, तो जिन चीजोंके बिना जीवन ही न चल सकना हो, और अिसलिये जिनके अुत्पादनमे ही ज्यादाते ज्यादा मनुष्योंका लगाना जरूरी हो, उनमे लगे हुअे लोगोंकी मेहनतकी सबसे ज्यादा कीमत होनी चाहिये। मनुष्यकी मेहनतमें से क्या निर्माण होता है और वह जीवनके लिये कितना जरूरी है, अिसका खयाल रखकर ही अुत्तका मेहनताना निश्चित किया जना चाहिये। अिस तरह देखा जाय, तो अिसमे जग भी शक नहीं कि ज्यादाते ज्यादा मनुष्योंके अनाज पैदा करनेमे काममे ही लगाना चाहिये। दकिये नगे कामोंके स्थान अिसमे शौग रखे जाय। अिसलिये ज्यादाते ज्यादा मेहनताना अनाज पैदा करनेकी सीधी मजूरी करनेवालेको मिलना चाहिये। शेर मरे धूमे अिसमें अुत्तकी पत्तिये नाने जने चाहिये। अनाज पैदा करनेवालेके दाद दूग्ग नन्दर गापद धर और कपडे बनानेवालों तथा भगी वीरा मराठी बनेवालोंके मना ज सकता है। जिन धन्देमे जग न मरदेके बिना दूग्गे धन्दे करनेवालेकी नगी विद्य-कला देकन हो जनी हो, वर अन्धा आर्थिक दृष्टिमे सबसे कीमती मना जना चाहिये।

मगर हम जानते हैं कि आजकी अर्थ-व्यवस्थामे ऐसा नहीं होता । सबसे ज़्यादा मेहनताना राजा, वज़ीर, सेनापति, फौज, पुलिस, न्यायाधीश, वकील, वैद्य, बड़े अध्यापक, माहिर, फैशन सर्जक - वगैराको दिया जाता है; और जीवनमे जिसकी कम-से-कम जरूरत पड़ती है, उसे ज़्यादासे ज़्यादा मेहनताना मिलता है ।

ऐसा होनेका एक कारण यह है कि अज्ञान लोगोंमे जिस तरह भूत-प्रेत अथवा देवी-देवताओंके विषयमे वहम फैले हुअे हैं और उनकी पढ़े-लिखे लोग हँसी उड़ाते हैं, उसी तरह हमारे सम्य समाजियों (बुर्जुआ लोगों) मे राज्य-व्यवस्था और सुलह-शान्ति बनाये रखनेवालों तथा ज्ञान देने वालों वगैराके सम्बन्धमें वहम है । जिस श्रद्धासे अज्ञानी लोग भूत-प्रेत या देवी-देवताओंको रिझानेके लिये मुर्गे, बकरे या पाड़ेकी बलि चढ़ाते हैं, उसी श्रद्धासे हम राजा-महाराजा और राजपुरुषोंको रिझाने के लिये उन्हें खूब मेहनताना देते हैं, उनके दरवार भरते हैं और सुलह निकालते हैं । जिस तरह मनुष्य अपने ही हाथों गढ़ी हुअी या चित्रित की हुअी देव-मूर्तिको पूजकर या प्रणाम करके कहता है कि हे भगवान, तू हमारा कर्ता और भर्ता है, उसी तरह वह अपनी मददसे खड़े किये हुअे राजपुरुषोंको पूजकर या प्रणाम करके कहता है कि आप हमारे राष्ट्रके स्वामी और पालक है । मगर अनुभव तो यह बतलाता है कि राजपुरुषों के कारण जितनी खून-खराबी, अव्यवस्था, अन्याय, लूट-भार, झुठाई वगैरा होती है, उतनी किसी प्रकारकी व्यवस्थित राजसत्ताकी चैरहाजिरीमे शायद न हो ।

मगर अब मानव समाज ऐसी स्थितिमें है कि व्यवस्थित राजसत्ताको बनाये रखनेके सिवा उसके लिये दूसरा कोई रास्ता नहीं है । जिसलिये वह भले रहे, मगर जिसका यह मतलब नहीं कि उस काममे लगे हुअे लोगोंकी आर्थिक कीमत भी ज़्यादा अँकनी चाहिये । ऐसा भी एक ज़माना था, जब ऐसा नहीं होता था । आज अिनकी आर्थिक कीमत ज़्यादा

* नोट — फैशन सर्जक शब्दको “ कला सर्जकसे ” भिन्न मानकर उसका यहाँ अुपयोग करना हँ । सच्चे कला सर्जकका मेहनताना तो बक्सर कम होता है, उसकी प्रतिष्ठा भले हो ।

ओंकनेका अेक कारण यह है कि धन और प्रतिष्ठाका हमने अैसा समीकरण किया है कि जितना धन, अतनी ही प्रतिष्ठा । अथवा हम अैसा मानने लगे हैं कि जिसकी प्रतिष्ठा बढानी हो, अुसका मेहनताना भी बढाना चाहिये । हमने 'सर्वे गुणाः काश्चनमाश्रयन्ते' वाले नीतिवाक्य को अपने जीवनमे त्वीकृति दे दी है ।

प्रतिष्ठा अनेक कारणोंसे हो सकती है और दी जा सकती है । अुसे मान्य करनेके वृत्ते चाहे जितने तरीके हों, मगर पैसोंके अिनाम द्वारा वह नहीं की जानी चाहिये । वृद्धे व्यक्तिको अुसकी अुम्रके लिये, लीको अुसके नातृत्व, कोनल्ला और शीलके लिये, बाल्कको अुसकी निर्दोषता और मधुरताके लिये, जानीको अुसके ज्ञानके लिये, सिपाहीको अुसकी बहादुरीके लिये, राजपुरखको अुसके नेतृत्व और कर्तृत्वके लिये, सन्तको अुसके चरित्रके लिये और अधिकारीको व्यवस्था बनाये रखनेमे मददरूप होनेके लिये अगर प्रतिष्ठा मिले, तो अितने कोअी दोष नहीं है । मगर पैसे केर अित प्रतिष्ठाकी कदर नहीं की जानी चाहिये । आप अुन्हें आदर दीजिये, सबसे आगे जगह दीजिये, अँचा स्थान दीजिये, ठीक लगे अुस तरह नन्स्कार या प्रगान कीजिये, फूलनाला और लिपेच दीजिये, जहरी हो तो खिताब या पदवियाँ भी दीजिये; मगर अुसके लिये अुन्हे ज्यादा मेहनताना या सोने-चाँदीकी या कीमती चीजे या धन अिकन करनेकी सहूलियत देनेकी जरूरत नहीं है । अगर अल्ला-अल्ला कामोंके लिये अल्ला-अल्ला मेहनताना हो, तो सबसे ज्यादा मेहनताना अनाजकी खेती करनेवाले या जलकी खेती करनेवालेको मिलना चाहिये । राजकी भी अेक दिनकी मजदुरी खेतोंके मजदूरकी अंगेक्षा कम होनी चाहिये । फिर भले अुसके कामोंके लिये अुसे वेगकी स्थितिने सुनाधिक मर्यादित सहूलियते दी जाये ।

फुरसतवाद

पिछले प्रकरणमें 'समयकी वचतपर अिनाम' या 'समय विगाड़नेपर जुरमाना' जैसी परिभाषाओंमें चीजोंकी कीमत अँकनेकी मौजूदा पद्धतिका अेक खुलासा पेग किया गया है । मगर सच पूछा जाय, तो अिस तरह स्पष्टता करनेमें ही गलत विचारदान होता है । हकीकत तो यह है कि गांधीवाद और दूसरे वादोंमें अगर स्वर्गके आधारपर रची हुअी वस्तुओंकी कीमत अँकनेकी पद्धतिके सम्बन्धमें समानता है, तो अेक विषयमें विरोध भी है । वह यह कि दूसरे सत्र वाद फुरसतवादी हैं; अुनके अनुसार अिन्सानको ज़्यादासे ज़्यादा फुरसत दी जानी चाहिये । कहा जा सकता है कि मौजूदा अर्थशास्त्रकी बुनियादी श्रद्धा यह है कि विद्या, कला, वगैराका— 'सस्कृति' का — कारणगरीर या मूल साधन फुरसत है । गांधीवाद प्रतिक्रियाके रूपमें गायद अिसके दूसरे छोरपर चला गया है, और वह फुरसतको लगभग मानव-हितकी दुश्मन ही समझता है ।

हकीकत यह है कि फुरसत शब्दमें आलस्य और विश्राम दोनोंका समावेश होता है । यहाँ मेहनतके वाद विश्राम करनेकी जरूरतके सम्बन्धमें विवाद करना बेकार है । यह विश्राम दो तरहका हो सकता है — अेक तो आरामसे पड़े रहकर या सोकर हो सकता है, और दूसरा अनार्थिक शौक या विनोदका श्रम करके किया जा सकता है । अिसमें खेल-कूद, कला-चातुरी, कथा-कीर्तन, ज्ञान-चर्चा वगैराका समावेश हो सकता है । यह श्रम धन पैदा करनेवाला भले न हो, फिर भी शरीर, मन, बुद्धि वगैराको स्वस्थ और अुन्नत करनेवाला होना चाहिये । यह कहना कोरी पंडिताभी दिखाना है कि मनुष्यको विश्रामकी कोअी जरूरत ही नहीं है; या अेक प्रकारकी मेहनत करनेके वाद दूसरे प्रकारकी जो मेहनत की जाय, वह भी अर्थोत्पादक ही हो और अिसीमें विश्राम समाया हुआ है । यह स्वीकार करनेमें किसीको हर्ज नहीं होना चाहिये कि आलस्य मानव-हितका

दुष्मन है। 'निकम्मा बैठा सर्वनाश न्योते' वाला वाक्य अनुभव वाक्य है। जिस फुरसतका परिणाम जुओं, शराब, व्यभिचार, नाच-तमागा, मल्लिन कला, गाली-गलौज तथा मारपीट हो, उसे ऐसी सर्वनाश न्योतने वाली फुरसत कहा जा सकता है।

मगर आल्सकी अनिष्टता स्वीकारने जाकर कहीं श्रमका बोझ न ब्रह्म जाय, अिस दहशतसे फुरसतवाद पैदा हुआ। जीनेके लिअे किये जाने-वाले आवश्यक श्रममे से ज्यादासे ज्यादा मुक्ति पहले मिलने दी जाय; आवश्यक श्रम ही श्रान्ति (थकावट) है; और अिसमे से निकलना विश्रान्ति—फुरसत। थकावट महसूस होने लगे अुससे पहले ही फुरसत या विश्रान्ति मिले, तो ज्यादा अच्छा। ऐसा हो तभी दूसरे प्रकारके ज्ञान-कला वचैराका अुपार्जन-सर्जन हो सकता है। थकावट-रहित फुरसत विताने न आता हो, तो हर्ज नहीं; 'निकम्मा बैठा सर्वनाश न्योते' का खतरा अुठाकर भी मनुष्योंको पहले फुरसत दी जानी चाहिये। वादमे धीरे-धीरे फुरसतके समयको अच्छी तरह वितानेकी तालीम दी जा सकेगी। यह फुरसतवाद है।

विचार करने पर मालूम होगा कि श्रम-फुरसतका सम्बन्ध त्याग-भोग, अहिंसा-हिंसाके सम्बन्ध जैसा है। जिस तरह मनुष्य सर्वथा-भोगके बिना नहीं रह सकता, सर्वथा हिंसाके बिना नहीं रह सकता, अुसी तरह फुरसत निकाले बिना, मेहनत ब्रचानेकी कोशिश किये बिना भी वह नहीं रह सकता। भोगको मर्यादित करने या घटानेकी कोशिश करते हुअे भी मनुष्य बहुत कुछ भोग करता ही है। मगर अिससे अगर वह भोगको ही जीवनका सिद्धान्त बना ले, तो सर्वनाशके रास्ते जाता है। अिसी तरह हिंसाको मर्यादित करने — घटानेकी कोशिश ही अहिंसा है। अहिंसक होनेकी कोशिश करते हुअे भी अिन्सानसे कुछ हिंसा हो ही जाती है। मगर अिसमे अगर वह हिंसाको ही जीवनका नियम बना ले, तो अुनका परिणाम यादवत्थली निर्माण करनेके सिवा और क्या हो सकता है। गरी बात श्रम और फुरसतके सम्बन्धने कही जा सकती है। अिन्तान फुरसत ने निकालेगा ही। श्रम करते हुअे भी अुनकी नजर फुरसत पर रहेगी।

मगर फुरसतको ही अगर वह अर्थशास्त्रकी या जीवनकी फिलॉसफी या ज्ञान-कलाका साधन समझ ले, तो उसके परिणाम स्वरूप अनर्थोंकी परम्परा ही उसके हाथ लग सकती है ।

एक ऐसी मान्यता है कि संस्कृतिका विकास फुरसतमेसे हुआ है और होता है । फुरसत हो तो मनुष्य गाना सीख सकता है, नाचना सीख सकता है, चित्रकला, मूर्तिकला वगैरा सीख सकता है, शरीर, घर वगैराको सजाना, पठना और मनन करना सीख सकता है, विज्ञान और तत्त्वज्ञानपर विचार कर सकता है । मगर जिसका सारा दिन और जीवन पेटका गढा भरनेकी मेहनतमें और जीवनको जैसे-तैसे टिकाये रखनेमें ही चला जाय, वह जिस सारी विद्या-कला-ज्ञान वगैरा का किस तरह विकास कर सकता है ? आज तक दुनियामे जो-जो महान सस्कृतियाँ पैदा हुयी हैं, भव्य नगर, अिमारते, साहित्य, संगीत, कला, तत्त्वज्ञान आदि रचे गये हैं, वे सब फुरसत निकाल सकनेवाले लोगोंके ही प्रतापसे ह । पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्थामे थोड़े मनुष्य किसी तरह खूब धन अिकट्टा कर सकते थे, और जिससे सिर्फ़ अुन्हे खुदको ही खूब फुरसत नहीं मिलती थी, बल्कि वे दूसरे योग्य व्यक्तियोंको भी फुरसत दिलानेमें मददगार हो सकते थे । मुझे शरीरश्रम करके जीवन निर्वाह नहीं करना पड़ता, थोड़ी मेहनतसे ज्यादा कमा सकनेवाले कुछ लोगोंमें पुस्तके खरीदनेकी शक्ति होती है, जिसलिअे 'नवजीवन प्रकाशन मंदिर' पुस्तके छापनेका धन्धा चला सकता है, और जिससे मेरे जैसे लेखक निश्चिन्त होकर साहित्यसर्जन कर सकते हैं और महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ टागोर जैसे नररत्न भी पैदा कर सकते हैं । इसीकी बदौलत शकराचार्य जैसे अनेक तत्त्वज्ञानी तत्त्वज्ञान बढ़ा सके हैं और साधु-सन्त भक्तिका प्रचार कर सके हैं । इसीके कारण पिरामिड, ताजमहल, देलवाड़ाके मन्दिर, नालन्दा, मोहन-जो-दरो बने हैं । अणुमें रहनेवाली अद्भुत और प्रचण्ड शक्ति, विजली तथा किरणोंकी वैज्ञानिक खूबियाँ, हैरतमें डालनेवाले प्रचण्ड अुद्योग और पुल वगैराके बंधकाम करनेमें वे ही लोग शक्तिमान् हुअे हैं, जिन्हें अर्थोत्पादक श्रममेसे फुरसत मिली है । अगर फुरसतकी शक्यता न होती, तो विज्ञान का विकास न होता । अठारहवीं सदी तक जो सुख-सुविधाअे बहुत बढ़े

चक्रवर्ती राजाको भी नसीब नहीं थीं, वे आज बम्बयीमे रहनेवाले मिल-मजदूरको या मामूली मुनीमको भी मिल सकती हैं। शाहजहाने जैसी वारीक मलमल पहनी होगी, वैसी ही या अउसते भी वारीक मलमल आजका मामूली मजदूर पहन सकता है, और अउसकी स्त्री अैसी साड़ी पहनकर वर्तन साफ करने बैठ सकती है, जैसी दो सौ बरस पहलेके नगरसेठकी बहने भी रातदिन पहननेके काममे नहीं ली होगी। पचास बरस पहले अगर लड़केके पोंवकी रेखा देखकर ब्राह्मण कहता था कि अिसके नसीबमे गाड़ीघोडा है, तो अउसकी मोकी खुगीका पार नहीं रहता था। आज पोंवकी अउस खास रेखाके बिना ही आदमी अेक आना खर्च करके त्रिजलीके वाहनमे बैठकर आधी बम्बयीकी सैर कर सकता है। राम जैतोंको भी विभीषणकी मददसे पुष्पक विमानमे बैठनेका लाभ मिला। आज शंकरराव देव जैसे निष्किचन सेवक भी महीनेमे दो बार अुड़ सकते हैं और हिजरत करनेवाले यरीब किसानोंको भी विमानमे स्थानान्तर कराया जाता है। अितने बड़े विकासका श्रेय फुरसतको ही है। अभी तक च् फुरसत पूजीपतियोंके ही अेकाधिकार मे थी। अब अिते यंत्रोद्योगों द्वारा और समाजवादी रचनाके द्वारा समाजव्यापी बनाया जा सकता है। पूँजीवाद स्वार्थी और अल्पव्यापी होनेसे वह हटा देनेके ष्वाबिल है; मगर अउसका नवनीत — फुरसत तो जरूर बढ़ाने और सम्हालकर रखनेकी चीज है। अैसी है फुरसतकी महिमा।

मगर अिन विचारोंमे सत्य, अर्धसत्य और भ्रूल्लंते भरी हुआ बातोंका अिनना सारा मिश्रण कर दिया गया है कि अउनकी गहराअीमें अुतरकर विचार करनेकी जरूरत है। पहलेसे कअी गुनी ष्यादा सुख-सुविधाके साधन आज व्यापक तरीकते जनताको सुलभ होते हुआ भी और समयकी बचत करनेवाले अितने सारे साधनोंका निर्माण होते हुआ भी यह कैनी विचित्र बात है कि जिस फुरसतके लिये हम अितने ष्यादा तग्लते हैं, वह हमारे पूर्वजोंको जिननी मिलती थी, अतनी भी हमे नहीं मिलती। जिस निश्चिन्ततासे नौ बर्ष पहलेका किसान जीवन निर्वाह करता था और अपने बड़े-नरी परिवारको पालना था, अउस निश्चिन्ततासे अगर आजका किसान करते तो पामाल ही हो जाय। कच्चे गल्लेपर तेजीसे दौड़नेवाला घोडा

या सॉडनी ही जत्र मुसाफिरी या सन्देशा लाने-लेजाने के वेगवान साधन थे, तत्र मनुष्यको जितनी फुरसत थी, अतनी रेलगाड़ी मिलनेके बाद नहीं रही; और रेलगाड़ी मिलनेपर जो फुरसत थी, वह हवावी जहाज मिलनेके बाद नहीं रही। महाभारतके युद्धने हमारे मगज पर पुराने ज़मानेमे होनेवाले बड़े से बड़े युद्धका संस्कार डाला है। दोनों तरफसे मिलकर अठारह अक्षौहिणी^१ सेनाने—अठारह ही दिनोंमे उस समयकी सारी 'आर्य' जातियोंने—आपसमे अेक दूसरेका क़त्ल किया। मगर अस बड़े युद्धमे भी आजकी अपेक्षा कितनी निश्चिन्तता और फुरसत थी? मुहूर्त पूछा जाता था, सेनाये अिकट्टी होती थीं, बीचमे ग्रहण पड़ता था तो दोनों पक्षोंके बीच सुलह घोषित हो जाती थी, उस वक़्त दुस्मन भी अेक दूसरेसे मिलते और आमोद-प्रमोद करते थे; लड़ाईके दरमियान मामूली तौरपर सूर्यास्तके बाद लड़ाई बन्द रहती थी, तत्र दुस्मनकी छावनीमे भी जाया जा सकता था; रातको कथा-कीर्तन होता था और वह 'ब्लैक आउट' के बिना ही चलता था। भयकर युद्धोंके बीच भी फुरसत और शान्ति रहती थी, जैसे हाजी कोर्टमे कोअी 'लॉग कॉज़' (बड़ा केस) दांयर किया गया हो। मगर आज तो यह हालत है कि दो माह पहलेसे जिसकी तारीख जाहिर हो चुकी हो, अैसी किसी विचार-परिषदमे भी कोअी शान्त चिन्तसे नहीं पहुँच सकता। कुछ लोग तो अैसे निकल ही आर्यगे, जो बड़ी मुश्किलसे समय निकालकर विमान द्वारा वहाँ पहुँच सके हों। फिर वहाँ पहुँचकर सभीको अस बातकी जल्दी पड़ जाती है कि कैसे तीन दिनके निश्चित कामको दो ही दिनमे निपटा दिया जाय। कुछ लोग असमेंसे भी जल्दी निकल जानेवाले मिल जायेगे। कुछ स्वयं न पहुँच सकनेकी वजहसे आखिरी घड़ीमे 'अर्जेण्ट फोन' से सन्देश भेज देगे। जिन दिनों छह-छह महीनोंमे डाक पहुँचती थी, तत्र अीस्ट अिण्डिया कम्पनीने छह हजार मील दूर हिन्दुस्तान जैसे देशमें राज्य कायम किया और चलाया। अकबरने ल्हाभग पूरे देश पर हुक्मत की। आज फोन, रेडियो और विमान जैसे साधन होते हुअे भी अैसा करना असम्भव हो गया

* २१८७० रथ, २१८७० हाथी, ६५६१० घोड़े तथा १,०९,३५० पैदल सिपाहियोंसे बनी हुअी अेक फौजी टुकड़ी।

है। अगर चौबीस घण्टेकी देर हुआ होती, तो काश्मीरकी क्या दशा होती, यह हमें प० जवाहरलालजीने बतलाया ही था। यत्र-युगमें जिस फुरसतके लिये हम तरसते हैं, उसकी यह हालत हो गयी है। हम ज्यादा फुरसत पानेके लिये प्रयत्न करते हैं, मगर वह तो गधेकी नाकके सामने बंधे हुए प्याजकी तरह हमसे दो अगुल दूर की दूर ही रहती है। जिस तरह गधेका ध्येय प्याज पाना है, उसी तरह हमारा ध्येय फुरसत पाना है, और अिसमें हमारी श्रद्धा है।

खैर, अब हम फुरसत और सत्कृतिके सम्बन्धपर विचार करें। संस्कृतिमें हम भक्ति, तत्त्वज्ञान, विज्ञान, ललित कलायें, शरीर, मन, बुद्धि वगैरा की अलाधारण शक्तियों, या सुख-सुविधाके साधनोंकी सुलभता — चाहे जितने शामिल करें — सबके सम्बन्धमें हमें दो भेद करने होंगे। अेक तो किसी खास किरमकी सत्कृतिकी विशेषताका निर्माण करनेवालोंका और दूसरा उसके कदरदानों और उपभोग करनेवालोंका।

जब हम अपने मित्रोंके साथ मिलकर छुट्टीके दिनोंमें (यानी फुरसतके वक़्त) अपना ही शौक पूरा करनेके लिये अपने हाथों मालपुआ, कचौड़ी, कड़ी, भात, दो-चार चटनियों वगैरा तैयार करके, भोजनके स्थानको फूलों और चित्रोंसे सजाकर, अगरबत्ती वगैरासे सुगन्धित करके गाते और आनन्द करते हुये भोजन करते हैं और वादमें ज्ञानचर्चा करते हैं, तब पाककला, चित्रकला, नगीतकला, तत्त्वज्ञान वगैराके हम खुद ही निर्माता, कद्रदों और भोक्ता होते हैं। यह फुरसत अपनी है, और सर्जन भी खुदका ही है।

मगर जब हम अपनी और अपने मित्रोंकी फुरसतके वक़्त किसी न्नीको या स्त्रीके या होटलवालेको हुक्म देकर खाना तैयार करवाने हैं तथा किसी गवैये, नाचनेवाली या हरिकीर्तनकारको बुलाकर या प्रमोदन टकाकर वन-भोजनके कार्यक्रमकी योजना करते हैं, तब अस्में बलाबल निर्माण करनेवाले दूसरे होते हैं और अस्में आप्यदाता तथा उपभोग करनेवाले दूसरे। जे लोग अिन कलाओंका निर्माण करते हैं, वे अपनी फुरसतका वक़्त अस्में नहीं ल्याते अल्वि पराधीनता या अस्में पेट पालनेके लिये ही मेहनत करते हैं। वे अस्में उपभोग भी नहीं करते, अथवा अपने आप्यदाताओंके उपभोगमें जे बच रहता है, अस्मेंका

अपभोग कर सकते हैं। रसोअिये, होटलवाले या गवैये अपने कलामय व्यवसायको पेटके लिअे मजदूरी करना ही समझते हैं, अिस्के लिअे वे ज़्यादा ग्राहकोंकी तलाशमें रहते हैं और ये भी ग्राहकके फुरसतवादको ही माननेवाले होनेके कारण अैसी युक्तियों ढूँढते हैं, जिनसे अिस मेहनतको कम किया जा सके और अपने कलासर्जक व्यवसायमेंसे फुरसत हासिल की जा सके। अपने व्यवसायमें अिन्हें कलाकी अुपासना नहीं मालूम होती। अिसलिअे फुरसत निकालकर वे दूसरी कलाओंके अुपासक बनना चाहते हैं और अुनमें भी वे बहुत करके कलाके निर्माता नहीं बनते, बल्कि किसी दूसरे पेअेवर कलाकारके आश्रयदाता ही बनते हैं। रसोअिया अपनी फुरसतका वक्त सिनेमामें बिताता है, सिनेमाका नट होटलमें या वेअ्याओंके यहाँ पड़ा रहता है, कीर्तनकार 'ब्रह्मभोजन'की खोज करता है और ब्रह्मजानी साधु गँजे-भगके सेवनमें विश्राम पाता है ! ज़्यादातर सभी लॉग सिनेमानाटक, बुड़दौड़, क्रिकेट या अैसी ही कलाओंके आश्रयदाता बनते हैं, जिनमें थोड़े लोगोंकी मेहनतका अुपभोग बहुतसे लॉग अेक साथ कर सके और बहुतसी अिन्द्रियोंको रिझाया जा सके। आज तो बहुतसी कलाओंका अन्तिम स्थान सिनेमाघर है। वहाँका पहनावा, नृत्य, संगीत, धरकी सजावट, श्रृंगार, चित्र वगैरा समाजकी कलाके आदर्श बनते हैं। अिसमें सभी कलासर्जकोंका सहयोग होता है। चित्रकार, गिल्पी, कथालेखक, कवि, गायक, वैज्ञानिक सबको वहाँ स्थान मिलता है, और वे सब वहाँ कला द्वारा जीवननिर्वाह करते हैं, और पैसा देनेवाले सयोजकके हुक्मके मुताबिक कलाका प्रदर्शन करते हैं।

ललित कलायें सस्कृतिका नवनीत - मारखन - मानी जाती हैं। शालायें अपने वर्षभरके शिक्षणका प्रदर्शन नाटयप्रयोगों द्वारा करती हैं, अितिहासकार प्रजाकी सस्कृतिके अुदाहरण स्वरूप भव्य नगरियों और अिमारतो तथा श्रेष्ठ क्राव्य, नाटक वगैराकी सूची देते हैं। अिन कलासर्जकोंके जीवनमें फुरसतके लिअे कितनी जगह थी, अपनी कलाका कितना आनन्द था, चित्तमें कितनी प्रसन्नता थी, अपने साथी कलाकारोंके लिअे कितना सद्भाव और कद्रदानी थी, अपने आश्रयदाताओंकी खुशामदके लिअे अुन्हें अपनी कलाको कितना बिगाड़ना या गिराना पड़ता था, और शीघ्रसे

नहीं, बल्कि अपने आश्रयदाताओंके लिये अपने व्यक्तित्वको कितना कुचलना पड़ता था, अिसका ये स्फूर्तिकी मादन चखनेवाले और अुसका गुणगान करनेवाले शायद ही कभी अन्दाज लगाते हैं । यह सच है कि फुरसतकी वदौलत अिन कलाओंका पोषण हुआ, मगर फुरसत किसकी, और कितनी? कलाके सर्जकोंकी या आश्रयदाताओंकी ? अिन आश्रयदाताओंकी फुरसत कहाँसे आयी ?

और फुरसतको पूजनेवाली या फुरसतवालोंके लिये निर्माण की हुआ कलाओंका स्वरूप भी कैसा है ? सामान्य जीवनमें जैसे अगविशेष करते ही न देने संगीतके स्वर और तालसे अगर अुसका समन्वय न हो, तो देखनेवालेको (नृत्य) करनेवालेके समन्वयमें यह अक पैदा हो जाय कि अुसे चित्तभ्रम तो नहीं हो गया है या अंग्रेजीमें जिने 'सेन्ट वाअिट्सका नाच' कहते हैं अेला अेक तरहका वायुगेग तो नहीं हो गया है; और जो वेग, हाव-भाव और रंगकिंगी किरणों और भडकीली सजावटके बिना पीकी पड जाय, वह है हमारी आजकी अूर्चीसे अूर्ची नृत्यकलाका स्वरूप । और अिसीको सीखनेके पीछे बाल-मदिने वच्चोंमें लेकर युनिवर्सिटीके तरग-तरणियों तक सब देचन रहते हैं । जैसे लम्बे और पतले नाक, कान, आँख, कमर, अँगुलियों और नखवाले मनुष्य दुनियामें कहीं भी देखनेको नहीं मिल सकते, और अगर दिखे तो विचित्र प्राणियों जैसे ही लगे, अन्हे हम चित्रकलाके अुत्तम नमूने मानने लगे हैं । हमें लगता है कि अिन नृत्य-चित्र वगैरामें जो खूबसूरती मालूम होती है, अुसका कारण अुन्ने अद्भुत अगविशेष य नाक, कान, आँख वगैरकी अतमान्य दनावट है । नन्व प्रछा जाय, तो अिनकी आकर्षकताका आधार सदी जिन्दिग-मोहन शक्ति ही है । कुल्पता दो प्रकारकी होती है: अेक नमून पैदा करनेवाली, बीअस लगनेवाली और देखते ही अेने निचली पैदा करनेवाली : जैसी कि गधसर्क, यन्तकी, टिटिमाकी, हडरकी । वृन्गी है नालुक और अगारकी हुआ कुल्पता । य कुल्पता अैसी है कि अगर अिसका अगार अुतार डाले, तो दुर्बलता, अल्पवैपता, गेग या वगैने ही अिसका अुत्तर हो । मगर नालुक और सिंगारी हुआ होनेने, कुल्पता होते हुअे भी वह वैपवान कुल्पता जैसी ही जिन्दिगमोहन लगती है । नेरे खमलने विचर

करने पर हमें विश्वास हो जायगा कि आज हम कलाके नाम पर ज़्यादातर नाजुक कुरूपताको ही मौंदर्य मानने लगे हैं । जितनी ज़्यादा अल्पवीर्यता होती है, अतने ही ज़्यादा श्रृंगार, हाव-भाव वगैरासे उसे ढँकनेकी कोशिश की जाती है । और देखनेवाले उस बाहिरी रंगपर ही मुग्ध होकर रह जाते हैं, उसके पीछे रहनेवाली कुरूपताको नहीं देख पाते ।

मगर यह थोड़ा विपर्यांतर हो गया । मूल बात फुरसतकी है । और उसमें कहनेकी बात यह है कि फुरसत-पूजामेसे निकले हुअे कला-साहित्य-काव्य वगैरा अथले, अिन्द्रियोको आकर्षित करने वाले, रागद्वेषसे भरे हुअे और ज़्यादातर बाजारू वृत्तिके होते हैं । अपने जीवनके नित्य नैमित्तिक कार्योंमे, सम्बन्धोंमे, श्रममे जिस कृतार्थता और प्रसन्नताका अनुभव हो, उसके परिणामस्वरूप अुन कामोंका सुगोभित करने, अुन सम्बन्धोंमे भक्ति, मिठास और रसिकता लाने और अुस श्रममे पारगतता प्राप्त करने तथा सुन्दरता भरनेकी जो प्रवृत्ति हो, अुससे निर्माण होनेवाली कला वगैरा अलगा ही किस्मकी होगी । अिसकी कीमत पैसोंमे अँकी ही नहीं जा सकती । अिसकी कदर करनेके लिये जो कुछ दिया जाय, वह देनेवालेको फूल नहीं, बल्कि फूलकी पँखुरी जैसा ही लगेगा और लेनेवालेकी नज़र अुस चीज़पर नहीं, बल्कि देनेवालेके भावपर ही रहेगी । *

अिस बातसे कोअी अिनकार नहीं कर सकता कि मानवकी अुन्नतिके लिये फुरसत जरूरी चीज है । शान्तिसे खाने या सोनेका भी समय न मिले, जीवनमे हमेगा 'वक्त नहीं' का ही स्वर प्रधान हो अुठे, यह स्थिति कभी भी अिष्ट नहीं है । मगर अिसका नाम फुरसत नहीं है कि दिनमे कुछ घंटे खूब दौड़धूप करके भूतकी तरह काम करना, बादमें कुछ घंटे मौज-शौकके

* स्वामी सहजानन्दके जीवन चरित्रमें मेने अुनके जीवनकी अेक घटनाका वर्णन किया है । आश्वराम नामके अुनके अेक दरजी शिष्यने अुन्हें भेंट करनेके लिये अेक सुन्दर अँगरखा सोया । भावनगरके दरवार अिस अँगरखेको देखकर अितने खुश हुअे कि अैसा ही अुनके लिये सी देनेपर सौ रुपये सिलाअी देनेको तैयार हो गये । मगर दरजीने कहा, "अैसा दूसरा अँगरखा तो मुझसे नहीं सीते बनेगा । अिस अँगरखेमें तो प्रीतके टाँके पड़े हैं । अैसे टाँके आपके अँगरखेमें डालनेके लिये दूसरी प्रीत कहाँसे लाअें ?" मच्छी कलाका सर्जन अिस तरह होता है ।

कार्यक्रममे विताना और फिर नींद लानेके लिये कोअी दवा-दारू लेकर सवेरे सात-आठ बजे तक न पूरी नींद, न पूरी जाग्रतिकी हालतमे विस्तरपर करवटे बदलते रहना । फुरसतका जो सच्चा सुख जीवनके सारे कामोंको गान्तिसे कर सकनेकी स्थितिमे मिल सकता है, वह कामका वेग बढ़ाकर फुरसत निकालनेकी कोशिशसे नहीं मिल सकता । सुख तो अेक तरफ रहा, अभी तक तो यह फुरसत ही मिलनेकी आशा नहीं दिखायी पड़ती ।

वेगवान यत्रों द्वारा हमने समयको धोखा देनेकी कोशिश प्रारम्भ की है । बहुत तेजीसे चीजे तैयार करना, तेजीसे जगहे बदलना, अिस तरह वेगके प्रति हमारा मोह पागल्पनकी सीमातक पहुँच गया है । फिर भी समय—काल—को धोखा देनेकी स्थितिसे हम अभी कितनी दूर पडे हैं ? अभी अैसे विमान नहीं बने, जो हवामे आवाजकी गतिसे होइ लगा सके; पर अिस तरहकी कोशिश अवश्य जारी है । मगर प्रकाश और विजलीकी गतिके सामने अिस वेगकी कोअी कीमत ही नहीं । जब आठ घटोंमे बम्बअीसे लन्दन पहुँचानेवाले विमान बनेगे, तब हम बडी मुश्किलसे आवाजकी गतिकी बराबरी कर सकेंगे । ढुँढे सेकडमे पहुँचानेवाले विमान बनानेपर हम प्रकाशकी बराबरी कर सकेंगे । कहीं ढुँढे सेकड और कहां आठ घटे ! समयका कितना दिगाइ ! और मनकी गतिके सामने तो प्रकाशकी गति भी घोड़ेके सामने वीखहट्टीकी गतिके बराबर है । सच्चा वेग तो तब हासिल होगा, जब हम मनके वेगसे अिच्छित स्थानपर देर रहित पहुँचने और चीजे बना लेनेकी स्थितिको पहुँच जायेंगे ! मगर अुस समय यह फुरसत—शान्ति—सुख—विश्रान्ति हम भोग सकेंगे या नहीं, यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता । बहुत करके तो नहीं ही भोग सकेंगे, हाँ, जीवमात्रके नाराके परिणामस्वरूप क्यामतकी गह देखते हुअे इत्रमें या अन्तरिक्षमे पड़े रहनेकी फुरसत मिल सकती हो, तो भले मिल जाय ! या फिर सभी लोग सन्तुर्गके सत्यसकाली और शुद्ध चित्तवाले अिन्तान बन जायें, तब मिल सकती है ।

वचनकी अेक बात मुझे याद आ रही है । अेक सुल्लभान विद्वानका हमारे परिवारके साथ स्नेह-स्मरण था । अुनके लज्जान लड़केके दन्तअी देगना था । हमारे लड़क्यमे किर्तीकी शादी थी । मेरे पिताजीने विचार

किया कि जिस बहाने अगर यह लड़का बम्बयी जाकर गहर भी देख ले और वहाँकी गाड़ीमे भी शरीक हो जाय, तो क्या हर्ज है। उसे तैयार होकर आनेकी सूचना भेजी गयी और वह अपने गाँवसे आ पहुँचा। किस गाड़ीमें बम्बयी जाना है, जिसपर चर्चा हो रही थी। उन दिनों अकोलसे बम्बयी जानेके लिये दो गाड़ियाँ थीं। एक पैसेजर थी, जो लगभग अठारह घंटोंमे पहुँचती थी और भुसावलमें गाड़ी बदलनी पड़ती थी। दूसरी मेल थी, जो चौदह घंटोंमे और बिना बदले पहुँचती थी। उस लड़केने देखा कि मेलका किराया ज्यादा होता है, बीचमे वह बहुतसे स्टेशन छोड़ देती है, और गाड़ीमें बैठना भी कम मिलता है। जिसके सिवा बहुतसे स्टेशन रातमें निकल जाते हैं। पैसेजरका किराया कम, दो गाड़ियोंमे बैठनेको मिले, दिनमे खाना हो, एक-एक स्टेशन टिखे और गाड़ीमे चार घंटे ज्यादा बैठनेको मिले। उसने जब सुना कि मेरे पिताजी वगैरा कुछ लोग मेलमे जानेवाले हैं और दूसरे कुछ लोगोंको पैसेजरसे भेजना तय हुआ है, तो उसे यह बात विचित्र लगी। ये रेलवेवाले कैसे हैं, जो ज्यादा समयतक गाड़ीमे बैठनेवालों और उसका ज्यादा उपयोग करनेवालोंको तो सस्तेमे ले जाते हैं, और कम समय बैठनेवालोंसे ज्यादा किराया लेते हैं, और महँगा सौदा पसन्द करनेवाले ये सेठ लोग भी कैसे हैं? मेरे पिताजीके भोले और भले होनेकी गोहरत तो पहलेसे ही थी, मगर उसे लगा कि यह तो भोलेपन और भ्रमनसाह्तकी हद हो गयी। रेलवेपर अितना उपकार करनेका क्या कारण हो सकता है?

यह किसान स्वाभाविक अर्थशास्त्रको समझता था। आधुनिक अटपटे अर्थशास्त्रमे अभी उसका प्रवेग नहीं हो पाया था। स्वाभाविक अर्थशास्त्रमे सिर्फ समयकी या समयकी बचतकी कीमत नहीं होती। उसमे समयके साथ मेहनत, तथा वस्तुकी उपयोगिता वगैरा कितनी बढ़ती है, जिसकी कीमत है। उसके जीवनकी व्यवस्था ही ऐसी थी कि अगर उसे गाड़ीमे चार घंटे ज्यादा बैठना पड़े, तो जिससे उसका कोई काम नहीं बिगड़ता था, अल्ले प्रवासका आनन्द ही बढ़ता था। उसकी नजरमें तो हमारे भी कोई काम जिससे बिगड़नेवाले नहीं थे। जिस हालतमें चार घंटे कम बैठकर ज्यादा किराया देना उसके लिये नुकसानका सौदा

या । उसके मजदूर, गठीले शरीरके लिये चार घंटे ज्यादा बैठने या गाड़ी बदलनेकी मेहनत कोभी दिसातमे नहीं थी ।

असते अनिकार नहीं किया जा सकता कि समय, वेग, समयकी वचत, फुरसत, शक्तिकी वचत काँराका योग्य परिस्थितियोंमें महत्व है । मगर इन ल्याभग मूखोंकी तरह अनिकी निरपेक्ष रूपसे स्वतंत्र ही कीमत समझने लगे हैं, बल्कि कभी कभी उनकी कीमत पैसेसे भी ज्यादा समझ लेते हैं । हमारा कोभी भी काम न बिगड़ता हो, अल्टे वक्त बेकाम जाता हो या उसका दुरुपयोग ही होता हो, शरीरमें काम करनेकी शक्ति भी हो, अल्टे कामके अभावमें शरीर ढीला बनता हो, फिर भी हम समय, वेग आदिकी अधपूजा करते हैं । हमने देखा कि चरखेकी अपेक्षा मिलने ज्यादा तेजीसे कपडा तैयार हो सकता है । बैलगाड़ीमें बैठकर या पैदल यात्रा करनेकी अपेक्षा बस द्वारा ज्यादा तेजीसे कहीं पहुँचा जा सकता है; और रेलगाड़ीकी अपेक्षा विमान जल्दी पहुँचा देता है । असलिये गप्पे मारने या ताग-घातरज खेलनेके सिवा दूसरा कोभी काम न हो, बेकारीके कारण कोभी कमायी भी न हो, फिर भी अगर कोभी चरखा चलानेकी बात कहे, तो ये दलीलें दी जाती हैं — “अस तरह कत्र तो कपडा बनेगा और कत्र पहनेगे ? चरखेमें आखिर कितना नूत निकलेगा ? अन यत्रके जमानेमें चरखा कैसे चल सकता है ? असमें कितना मेहनताना मिलेगा ? यह तो वक्त और पैसोंकी दरदारीके सिवा और कुछ नहीं है। अतने समयमें तो दूसरा बहुतसा काम हो सकता है।” वैसे वैसे । अगर उनसे कहे कि “आपके गप्पों और तागमें समझे आपे भागमें आप अपने कपडे तैयार कर सकते हैं, चरखा दुनियामें चने चाहे न चले, वह आपकी जरूरत तो पूरी कर ही सकता है,” तो वह बात उनके गले नहीं उतरती । यही हाल तेजीसे यात्रा करनेके सम्बन्धमें है । क्योंकि, समयकी या उनकी वचतकी या फुरसतकी किम्मत उसके उपयोगके तर्जि पर निर्भर है, यह न समझने हुये उनकी निरपेक्ष किम्मत माननेकी हमारी आदत पड़ गयी है ।

अगर फुरसत, समयकी वचत, वेग वदौर जीवनको लम्बे करने हैं तथा निश्चिन्ता और सुख-शान्ति लभे हैं तो वे सब योग्य हैं और

फायदेमन्द भी है, नहीं तो अुनकी कोअी कीमत नहीं समझनी चाहिये । मगर यह सत्र तभी गले अुतर सकता है, जब चरित्र और नीतिकी समृद्धिका महत्त्व हमारी समझमे आ जाय । जबतक हमे सिर्फ ब्राह्म वैभव बढ़ानेकी ही चिन्ता लगी है, जबतक बड़े बड़े शहर, जवरुस्त कारखाने, प्रचड विमान, सर्वविनागी अस्त्र-शस्त्र, सुख-सुविधाके अेकसे अेक बढ़िया साधन और भोगोंकी अति वृद्धि ही हमे विज्ञान और सभ्यताकी विजय पताकाये मालूम होती है, तबतक जीवनकी ही नहीं, बल्कि पदार्थोंकी भी कीमत अँकनेका सच्चा माप हमे नहीं मिलेगा ।

८

आर्थिक क्रान्तिके मुद्दे

मुझे अितना अधिक ज्ञान तो नहीं है कि मैं ठीक-ठीक बतला दूँ कि किस निश्चित योजना और विनिमयके साधन द्वारा अिन सत्रको अिस तरह व्यवहारमे अुतारा जा सकता है कि जीवनके लिअे ज़्यादा महत्त्वकी चीज़ोंकी कीमत ज़्यादा अँकी जाय और कम महत्त्वकी चीज़ोंकी कीमत कम । मगर अिस विषयमे मुझे कोअी सन्देह नहीं कि हमारे विचार और व्यवहारमे, नीचे लिखी क्रान्तियाँ होनी ही चाहिये :

१. प्राणोंकी—खास करके मनुष्यके प्राणोंकी कीमत सत्रसे ज़्यादा अँकी जानी चाहिये । किसी भी जड़ पदार्थ और स्थानकी प्राप्तिको मनुष्यके प्राणोंसे ज़्यादा महत्त्व नहीं देना चाहिये ।

२. अन्न, जलशय, कपड़े, घर, सफ़ाअी व तन्दुरुस्ती वगैरासे सम्बन्ध रखनेवाली चीज़े और अुन्हे सिद्ध करनेवाले धन्ये दूसरी सत्र चीज़ों और धन्धोंकी अपेक्षा पैसेके रूपमे ज़्यादा कीमत अुपजानेवाले होने चाहिये । दुश्मनीके कारण अिनका नाश करना अन्तरराष्ट्रीय नीतिमे अत्यन्त हीन काम माना जाना चाहिये और वैसा करनेवाले मानव-जातिके दुश्मन समझे जाने चाहिये ।

३. किसी चीज़की विरलता, तथा ज्ञान, कर्तृत्व, शौर्य वगैराकी विरलताके कारण वह चीज़ तथा अुसे सिद्ध करनेवाले धन्धोंकी प्रतिष्ठा भले ज़्यादा हो; मगर वह प्रतिष्ठा पैसेके रूपमे नहीं अँकी जानी चाहिये ।

४. देशकी महत्त्वकी सम्पत्ति उसकी अन्न पैदा करनेकी शक्ति और मानव सख्याके आधारपर निश्चित की जानी चाहिये; उसकी खनिज सामग्री, विरल सम्पत्ति या यंत्रोंके आधारपर नहीं। अगर एक आदमीके पास सोना या पेट्रोल पैदा करनेवाली पांच एकड़ ज़मीन हो और अन्न पैदा करनेवाली पांचसौ एकड़की खेती हो और उसे अन्न दोनोंसे एकको छोड़ना पड़े, तो आजके अर्थशास्त्रके मुताबिक वह पांचसौ एकड़की खेतीको छोड़ देगा। सच्ची कीमत-गणितके मुताबिक उसे पांच एकड़की खदान छोड़नेके लिये तैयार होना चाहिये। यानी ऐसा तरीका काममे लाना चाहिये जिससे सम्पत्तिकी कीमत स्वर्णपट्टीसे नहीं, बल्कि अन्नपट्टीसे और उपयोगिताकी शक्तिते आँकी जाय।

५. एक रुपया या एक रुपयेका नोट कहीं रखे हुअे अमुक ग्रेन सोने या चाँदीका प्रमाणपत्र नहीं, बल्कि अमुक सेर या तोले अनाजका प्रमाणपत्र होना चाहिये। पैसा यानी अमुक ग्रेन धातु नहीं, बल्कि अमुक मापका 'ग्रेन' (धान्य) ही होना चाहिये। पाअण्डका मतलब अक्षरशः पाअण्ड — (रतल — अमुक हजार 'ग्रेन' धान्यके दाने) ही समझा जाना चाहिये।

६. सोनेका भाव अमुक रुपये तोला है और चावलका भाव अमुक रुपये मन है, अिस भावमे अब कोअी अर्थ नहीं रह जाना चाहिये। सच पृछा जाय, तो अिसमे कोअी अर्थ रहा भी नहीं। क्योंकि रुपया खुद ही स्थिर माप नहीं है। सोनेका भाव फी तोला अमुक मन गेहूँ या चावल है, अैसी भावा काममे लानी चाहिये (देखते तोले तथा मन दोनोंके वजन पहलेते निश्चित हो जाने चाहिये।)

७. नोट या सिक्के द्वारा ही कर्ज़ चुकाना लाज़मी नहीं होना चाहिये। अनाजके मालिकको यह अधिकार होना चाहिये कि वह नोट या सिक्केके पीछे रहनेवाले निश्चित अनाज द्वारा अपना कर्ज़ चुकाये। अगर अनाज पैदा करनेवालोंते अनाजके ही रूपमे कर या महसूलकी वसुली की जाय, तो सरकार और (ग़ात करके शहरी तथा गैरकिसान) प्रजाकी अब सकार्ये समय काले दाज़ार, नफ़ाखोरी वरैगते अच्छी

तरह रखा हो सकती है। क्योंकि उस हालतमें सरकारके पास हमेशा ही उनके कोठे भरे रहेंगे।

८. व्याज जैसी चीज़ रहने ही नहीं देने चाहिये। बल्कि धन-संग्रहपर अल्ट्रे कटौती होनी चाहिये। जिस तरह बेकार पड़ा हुआ अनाज विगड़कर या सड़कर कम हो जाता है, उसी तरह बेकाम पड़ा हुआ धन कम होता है। वह विगड़कर कम भले न हो, फिर भी उसे समझालकर रखनेकी मेहनत तो पड़ती ही है। अगर सोने-चाँदीको धन समझनेकी आदत न हो, तो यह बात आसानीसे समझमे आ सकती है। सोना-चाँदी धन नहीं है, बल्कि बिरलता, तेजस्विता वगैरह गुणोंकी बदीलत प्रतिष्ठापात्र आकर्षक पदार्थ मात्र ह। ये पड़े-पड़े विगड़ते नहीं हैं, अतना ही अिनके मालिकको अिनका लाभ है। अिस लाभके सिवा अिनपर दूसरा कोअी लाभ या व्याज लेनेका कारण नहीं है।

९. यह निश्चित करना अनुचित न माना जाय कि जो चीज़े अुपयोगमे लेनेसे धिसँ नहीं, या बहुत ही धीरे धीरे धिसँ अुनकी कीमत कम आँकी जानी चाहिये। अुनकी प्रतिष्ठा भले मानी जाय, अुनपर कब्जा करने तथा अुनका अुपभोग करनेके सम्बन्धमे नियम भी रहे, मगर अुनपर किसीका स्थिर स्वामित्व स्वीकार न किया जाय। अुनपर सबका सयुक्त अधिकार हो। यह अधिकार कुटुम्ब, गाँव, जिला, देग या जगतमे अुचित ढंगसे बँटा हुआ हो।

१०. आमदनी तथा खानगी पूँजीकी अूपर तथा नीचेकी मर्यादाये ब्रॉधनी चाहिये। नीचेकी मर्यादासे कम आमदनी तथा पूँजीवाले पर कर वसूराके बधन न रहे; और अूपरकी मर्यादासे ज्यादा आमदनी तथा पूँजी रखी ही न जा सके।

जड़मूलसे क्रान्ति

तीसरा भाग

राजकीय क्रान्ति



कुआँ और हौज

अब मैं राजकीय क्रान्तिके प्रश्नोंपर थोड़ा विचार करना चाहता हूँ। अिस सम्बन्धमें भी पुराने ज़मानेसे ही मानव-समाज कभी प्रकारके राजकीय तंत्रों और वादोंका विचार और प्रयोग करता आया है। अेक व्यक्तिका राज, गणराज, प्रजाराज, गुरुशाही, राजाशाही, सरदार-मडल्लाही, महाजन-शाही, पंचायतशाही, तानाशाही (डिक्टेटरशिप), बहुमतशाही (मेजॉरिटी राज), वगैरा अनेक प्रकारके तंत्रोंकी चर्चाये चल्ली ही रहती है, और शायद भविष्यमें भी चल्ली रहेगी।

अिसका मतलब सिर्फ अितना ही है कि सभी लोग मनुष्य जीवनको सुखी बनानेके लिये किली न किली तरहके राजतंत्रका होना आवश्यक समझते हैं; मगर अुसका (राजतंत्रका) आदर्श विधान अभी तक कोअी खोज नहीं सका है। मानव-समाज अिस सम्बन्धमें विचार और प्रयोग करता आया है, अनुभव लेता आया है, मगर अभी तक कोअी प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं हुआ, और न कोअी लम्बे अरसे तक सन्तोषजनक रूपसे काम देनेवाला साधित हुआ।

कहा जा सकता है कि आज दुनियाके समझदार व्यक्ति और अुनका अनुसरण करनेवाले देश तीन मुख्य वर्गोंमें बँटे हुए हैं। प्रजाकीय बहुमत-शाही (डेमोक्रेसी) फौजी तानाशाही (फानिल्ट डिक्टेटरशिप) और मजदूरोंकी तानाशाही (साम्यवादी डिक्टेटरशिप)। अि. अि. लिये तरहके आर्थिक वादमें भ्रष्टा हो अुसके मुताबिक अिनमें पूँजीवादी, नमजवादी वगैरा भेद पडते हैं, और हरअेक वर्गकी प्रत्यज परिस्थितिके विचरणे हरअेक 'शाही' के व्यावहारिक स्वल्पोंके कारणे कभी तरहके विचार बनते हैं जैसे जातिवार मताधिकार, अेकत्र मताधिकार, सर्वजन मताधिकार, विविध जन मताधिकार, प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव वगैरा धरममते, अेक धारासभा मजदूर केन्द्र, मजदूर केन्द्र वगैरा वगैरा।

अगर हरअेक मतकी प्रामाणिकताको स्वीकार करे, तो अिन सव पक्षोंका सिर्फ अितना ही अर्थ होता है कि मनुष्यको सुखी बनानेके अुपाय खोजनेमे हम अभी भी अंधोंकी तरह ही टटोल रहे हैं ।

अिन वादोंकी सूक्ष्म नुक्ताचीनी करनेका मेरा अिरादा नहीं है । हमारे देशके अ्यादातर विद्वानोंका मत है कि हमारे अपने देशके लिये अेक प्रजाकीय बहुमतगाही अनुकूल हो सकती है, और आज तो यह बात अेक तरहसे तय है कि जो कुछ भी प्रयोग करने हो, वं सव अिस शाहीके अनुकूल रहकर ही किये जाने चाहिये ।

मगर अिस मूल चीज़को स्वीकार कर लेनेके बाद भी मताधिकार, चुनाव, राजकीय पक्ष वगैराके सवाल कुछ कम झगड़ा और कम खून-खगवी करानेवाले तथा अुल्लङ्घनमे डालनेवाले नहीं हैं । काना, मात्रा, ढिञ्जे, व्याकरण, विराम चिह्न, वगैराकी चाहे अेक भी भूल न हो, और बहुत साफ अक्षरोमे लिखा गया हो, फिर भी कानून चीज ही अैसी है कि अिसके अप्रामाणिक अुपयोग करनेके रास्ते निकल ही आते हैं । क्यौंकि कानून अुन लोगोंके बनाये हुअे रहते हैं, अिनकी दड-शक्तिपर श्रद्धा होती है और फिर अिस दंड-शक्तिपर ही कानूनकी विधियोंका नियमन होता है । अिसलिये अिस हद तक यह दंड-शक्ति कमजोर सावित होती है, अुसी हद तक कानून तोड़नेके रास्ते भी निकल ही आते हैं ।

• यह दंड-शक्ति कभी तरहसे कमजोर सावित होती है । मगर अिन सारी कमजोरियोंका अेकमात्र कारण अगर बतलाना हो, तो वह शासित प्रजाका चरित्र ही है ।

यह कहावत प्रसिद्ध है कि “ कुअेमे हो अुतना ढौज़मे आवे ” । ‘अुतना’ के साथ ‘वैसा’ शब्द भी रखा जा सकता है । यानी कि “ कुअेमे हो अुतना और वैसा ढौज़मे आवे ” । यह हो सकता है कि कुअेकी अपेक्षा ढौज़मे कम आवे, और अैसा होता ही है । मगर यह स्पष्ट है कि अुससे अ्यादा नहीं आ सकता । फिर कुअेका पानी साफ होते हुअे भी वह ढौज़में जाकर गिगड़ सकता है, मगर कुअेका पानी दूषित हो और ढौज़मे साफ पानी आवे यह नहीं हो सकता । अिसलिये कुअेके बाद ढौज़की सफाअीपर ध्यान देनेकी ज़रूरत अवश्य

है, मगर यह नहीं हो सकता कि कुआँ खराब हो और हौज़ साफ रहे। हौज़ शासकवर्ग है और कुआँ समस्त प्रजा है। चाहे जैसे कानून और विधान बनाधिये, मगर यह कभी नहीं होगा कि पूरी प्रजाके चरित्रकी अपेक्षा शासकवर्गका चरित्र बहुत ऊँचा हो, और प्रजा अपने चरित्रके बलपर जितने सुख-स्वातंत्र्यके लायक होगी, उससे ज़्यादा सुख-स्वातंत्र्य वह भोग नहीं सकेगी। जिस राजप्रणालीमें शासकवर्गको सिर्फ दण्ड देनेका ही अधिकार नहीं मिलता, बल्कि साथ साथ धन और प्रतिष्ठा भी मिलनी है, उसमें वे सारी अनुकूलताये तो होती हैं, जिनसे शासकवर्गका चरित्र प्रजाके चरित्रसे ज़्यादा हीन बने, मगर चरित्रके अन्नत होनेकी अनुकूलताये नहीं होती। और आखिरमें शासितोंमेंसे ही शासकवर्ग पैदा होता है। यानी धीरे धीरे यह नतीजा होता है कि शासित प्रजाके हीनतर भागके हाथमें शासन चला जाता है। सभी प्रकारकी राजप्रणालिकाये थोड़े ही समयमें जा सड़ने लगती हैं, उसका यही कारण है।

यह सच है कि कुआँसे हौज़ छोटा होता है, मगर शासकवर्गका हौज़ अतना छोटा नहीं होता कि अपूरका थोड़ा हिस्सा साफ हो, और नीचेके हिस्सेमें सख्त कानूनकी शोधक दवा (डिस अन्टेक्स्ट) डाल दे, तो सब ठीक हो जाय। क्योंकि प्रजाका प्रत्यक्ष सुख-स्वातंत्र्य अग्री दरजेके शासकोंके हाथमें नहीं, बल्कि नीचेके शासकोंके हाथमें होना है, और शोधक दवाधियाँ चाहे जितनी तेज़ हों, वे खराबीका बहुत थोड़ा अंश ही दूर कर सकती हैं।

असपरसे, प्रजाके हितचिन्तकों, विद्वानों और खुद प्रजाके भी समझना चाहिये कि सुख-स्वातंत्र्यकी प्राप्ति सिर्फ राजकीय विधान और कानूनोंकी सावधानीसे की हुयी रचना या अद्योगो वर्गकी योजनाओं द्वारा निम्न नहीं होगी, न शासकवर्गमें थोड़े अच्छे लोगोंके रहनेसे ही होगी, बल्कि समस्त प्रजाकी चरित्रशुद्धि तथा शासकवर्गमें बहुत बड़े भागकी चरित्रशुद्धि द्वारा ही होगी। अच्छे कानून और योजनाये मदद कर सकती हैं, मगर सिर्फ माधनके रूपमें। वे मूल कारण नहीं बन सकतीं। अगर प्रजाको दुल्ही बननेके लिये अग्री प्रजाके लोगोंकी जन्यता पानी से, तो हाते हुए विजेता भी बलवान चरित्रवाली प्रजाके लिये

अरसे तक परेशान नहीं कर सकता । और सुखी करनेके लिये भी अगर उसी प्रजाके लोगोंकी ज़रूरत रहती हो, (और वह तो हमेशा ही रहती है) तो धर्मात्मा राजा और महान् प्रधानमंडल भी चरित्र-शून्य प्रजाको लम्बे अरसे तक सुखी नहीं रख सकेगा ।

मगर जॉच करनेपर पता चलेगा कि हम जिससे अल्ट्री श्रद्धाको लेकर काम करते हैं । हम मानते हैं कि सामान्य वर्ग भले बहुत ज़्यादा चरित्रवान न हो, मगर बहुत अच्छी तनखाहें वगैरा देकर हम शासकवर्गके लिये उससे अच्छे चरित्रवान व्यक्ति ज़रूर पा सकते हैं और उनकी मार्फत जनहितकी योजनायें और कानून बनाकर प्रजाको सुखी कर सकते हैं । यह ऐसी ही बात है जैसे कोअी कहे कि गंदले पानीमें थोड़ासा साफ पानी मिला देनेसे सारा पानी साफ हो सकता है । ऐसा हो तो नहीं सकता, मगर सब जगह प्रचलित इस श्रद्धाका नतीजा यह होता है कि शासित वर्ग अपनी सारी सुख-सुविधाओंके लिये राज्यकी तरफ ही देखता है, खामियोंके लिये उसीको दोष देता है और जुदे जुदे पक्षोंके आन्दोलनोंका तथा दंगे करानेवालोंका शिकार बनता है । मानो चुनाव और जुल्स, परिषदे, समितियों, भाषण, हड़ताल और दंगे ही प्रजाकीय शासनके अंग हों । अितना होते हुअे भी अगर प्रजाओंके जीवनमें व्यवस्था रहती है, तो उसका कारण राज्यके कानून या व्यवस्थाशक्ति नहीं, बल्कि अिन सारी धांधलियोंके बावजूद प्रजाके मध्यम वर्गमें रहनेवाली स्वाभाविक व्यवस्थाप्रियता और शान्तिप्रियता है ।

राजकीय हलचलें और प्रथायें

यह सब पठकर अब पाठकका जी शायद अकृता गया होगा । उसे लजाता होगा कि एक ही बातको मैं बारबार क्यों दोहराया करता हूँ ! चरित्रकी आवश्यकताके सम्बन्धमें किसीका मतभेद ही कहां है, जो मुझे बारबार यह बान कहनेकी जरूरत पड़ती है ? अिते मानकर तथा अिते मदद करनेके लिये ही सगरी राजकीय पद्धतियोंपर विचार होता है । कोअी समझदार आदमी सिर्फ राजकीय पद्धतियोंपर ही जोर नहीं देता । चरित्र हो तो, तथा चरित्र-निर्माणमें मददरूप होनेके लिये कौनसी राज्यवस्था और प्रथायें अच्छी हैं, अिसी पर विचार करनेकी जरूरत है ।

यह विचार ही धोखेमें डालनेवाला है । जब चरित्रका पारा बहुत अंतर जानते मनुष्योंके दुःख अत्यन्त हुअे हों, और राजकीय हलचले तथा अंनमेंसे पैदा होनेवाली खुले रूपमें हिंसक या दिवाने भग्ने लिये अर्थिनक लहाअियों अिस चरित्रको हीनतर बनानेका ही काम करती हों, तब यह करना कि चरित्रके महत्त्वको मानकर चला गया है खुदको और दूसरोंको धोखा देना है, या कहिये कि असं मानवके द्वेषभावमें पैदा होनेवाले चरित्रको मानकर चला गया है सद्भावको नहीं । अुल्टे सद्भावकी कल्पनामें नग्नरूपमें सन्देहकी दृष्टि गही है । सगरी राजकीय हलचलें और पद्धतियोंक प्रयत्न द्वेषका स्मरण करनेके लिये होता है, सद्भावका नहीं ।

व्यवहारोंमें राजकी दखलअन्दाज़ी करनेकी योग्यताका वाद उत्पन्न हुआ । यह अब इस हद तक बढ़ा है कि आर्थिक सम्बन्धोंमें मनुष्यके वर्तन-स्वातन्त्र्यका विलकुल अन्त ही हो जाता है । पहले वादने मान लिया कि मनुष्यमात्र अपने फायदेको समझता है और उसे सँभालनेकी उसमें स्वाभाविक शक्ति होती है; दूसरे वादकी मान्यता है कि बलवान पक्षमें ज्ञान और शक्ति तो होते हैं, मगर चरित्रका (यानी सद्भाव, न्याय वगैराका) अभाव होता है तथा कमजोर पक्षमें चरित्र होता है और ज्ञान तथा शक्तिका अभाव रहता है । ये सारी मान्यताये गलत होनेसे ही मनुष्यके दुःख जैसेके तैसे ही रहे हैं ।

अिसी तरह हम डेमोक्रेसीकी, चुनावोंकी, राजकीय पक्षसंगठनकी, तथा उन पक्षोंके कार्यक्रमोंकी चर्चा तथा नुक्ताचीनी करते हैं । मगर मूलमें रहनेवाली क्रमी पर कभी भी विचार नहीं करते । हमारी हलचलोंमें 'परस्पर शिक्षाकर परम श्रेय हासिल करने' का नहीं, बल्कि 'परस्पर शिक्षाकर परस्पर श्रेय हासिल करने'का प्रयत्न होता है । सबको फायदा पहुँचानेके लिये अेकत्रित होना हमारे संगठनोंका ध्येय नहीं होता, बल्कि विरोधीको हराने-गिराने-दूरने-झैरान करनेके लिये ही हम अिकट्टे होते हैं और लोगोंको भी उसमें शामिल करनेकी कोशिश करते हैं । विचार, वाणी, सभा, सस्था-रचना वगैरा सबकी स्वतन्त्रताकी प्राप्तिके पीछे हमारा हेतु मानव-मानवके बीच सद्भाव बढ़ाना नहीं, बल्कि किसी विरोधी पक्षवालेके प्रति द्वेषभाव बढ़ाना होता है । कभी ये विरोधी पक्षवाले देगी या विदेशी शासकवर्ग होते हैं, कभी प्रतिद्वन्द्वी कोअी राजकीय पक्ष होता है और कभी प्रतिद्वन्द्वी अपने ही पक्षका राजकीय उपपक्ष होता है ।

हममें रहनेवाले अिस द्वेष और अविश्वासका असर हमारे विधानों और कानूनोंमें दिखायी पड़ता है । कहा जाता है कि औरंगजेबका अैसा स्वभाव हो गया था कि वह किसीपर विश्वास ही नहीं कर सकता था । मगर सेनापति, मंत्री, सूबा वगैरा अधिकारियोंके बिना काम तो चल नहीं सकता था, अिसलिये वह 'अ'को सेनापति बनाकर 'ब'को उसपर

* परस्पर भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ । (गीता)

जासूसी करनेके लिये अपुलेनापति नियुक्त करता था । अिस तरह उसने हरएक विभागमे एक दूसरेके प्रतिपक्षियोंके जोड रख दिये थे । नतीजा यह हुआ कि कोअी भी पूरे आत्मविश्वास और हिम्मतसे काम ही नहीं कर सकता था; सभीको अपने काममे डील करने और एक दूसरेकी भूल देखनेकी आदत पड़ गयी थी ।

विचार करनेपर मालूम होगा कि हमारी सभी राजकीय व्यवस्थाये औरगजेनी ही है । हम गजा रखते हैं, मगर वह सिर्फ शोभाका पुतला ही होता है; गवर्नर नियुक्त करते हैं, मगर वह अपने मन्त्रिमंडलकी मर्जीके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता; केन्द्रीय सरकार चाहती है कि ज्यादासे ज्यादा सत्ता अुर्तीके हाथमे रहे; प्रांतीय सरकार चाहती है कि केन्द्रीय सरकारकी सत्ता निश्चित नयाँदामे ही रहे; हरएक व्यक्ति सत्ताका लालची और दूसरेकी सत्ताके प्रति आँध्या रखनेवाला होता है ।

ऐसे मानसते अुत्पन्न होनेवाली व्यवस्थाये अगर खर्चाली, दीर्घसूत्री, 'रेड टेपी', बोझिली और सिर्फ बाहरी शोभा रखनेवाली, छक्कन्द-निन्दा-आँध्या-चुगलखोरी-रिश्त-त्रैरभाव वगैराने भरी हुयी हों, तो अिसमे कोअी अचरजकी बात नहीं है । अिनके चुनावोंने नगी प्रजाका मताधिकार हो, चाहे थोड़ोंका, सीधा हो, चाहे टेगा; ईने किन्ती टगम हो, अिसमे सभी वर्गोंके प्रतिनिधि योग्य प्रमाणमे चुने जा सके या सीधा-नादा हो, हर हालतमे ये प्रतिनिधि सिर्फ हाथ अँवे करनेका ही काम दे सकते हैं, गजतत्रको सुधारनेका काम अिनसे नहीं हो सकता । ये चाहे जैसे ज्ञान या चरित्रवाले हो, मगर जो थोड़े-बहुत अति चतुर व्यक्ति होते ह, व्यवहारमे वे ही मारी सत्ता भोगते ह । ये आग अचे हुअे तो प्रजाका सुअ पैने दो पैनेभर दस जाता है और हीन इतिह हुअे तो हु गकी शही लगा देते ह ।

डेमॉक्रेसीका व्यावहारिक अर्थ लिख गिनना ही रह गया है । बेअर पर तो वर ही नहीं सकता कि ज्यादा लिख गनी ज्यादा नमस्कार अिगलिये जिस तर्फ ज्यादा लिख अँवे हों, अिस तर्फके निधि ज्यादा समानदारीमेस होगा । लिख किन कामके लिये अँवे हुअे हैं, परी नमस्कार

व्यवहारोंमें राजकी दखलअन्दाज़ी करनेकी योग्यताका वाद उत्पन्न हुआ । यह अब अिस हद तक बढ़ा है कि आर्थिक सम्बन्धोंमें मनुष्यके वर्तन-स्वातन्त्र्यका विलकुल अन्त ही हो जाता है । पहले वादने मान लिया कि मनुष्यमात्र अपने फायदेको समझता है और उसे संभालनेकी उसमें स्वाभाविक शक्ति होती है; दूसरे वादकी मान्यता है कि बलवान पक्षमें ज्ञान और शक्ति तो होते हैं, मगर चरित्रका (यानी सद्भाव, न्याय वगैराका) अभाव होता है तथा कमजोर पक्षमें चरित्र होता है और ज्ञान तथा शक्तिका अभाव रहता है । ये सारी मान्यतायें गलत होनेसे ही मनुष्यके दुःख जैसेके जैसे ही रहे हैं ।

अिसी तरह हम डेमॉक्रेसीकी, चुनावोंकी, राजकीय पक्षसंगठनकी, तथा अुन पक्षोंके कार्यक्रमोंकी चर्चा तथा नुक्ताचीनी करते हैं । मगर मूलमें रहनेवाली कमी पर कमी भी विचार नहीं करते । हमारी हलचलोंमें 'परस्पर रिझाकर परम श्रेय हासिल करने'^{*} का नहीं, बल्कि 'परस्पर खिझाकर परस्पर श्रेय हासिल करने' का प्रयत्न होता है । सबको फायदा पहुँचानेके लिये अेकत्रित होना हमारे संगठनोंका ध्येय नहीं होता, बल्कि विरोधीको हराने-गिराने-छूटने-हैरान करनेके लिये ही हम अिकट्टे होते हैं और लोगोंको भी उसमें शामिल करनेकी कोशिश करते हैं । विचार, वाणी, सभा, संस्था-रचना वगैरा सबकी स्वतन्त्रताकी प्राप्तिके पीछे हमारा हेतु मानव-मानवके बीच सद्भाव बढ़ाना नहीं, बल्कि किसी विरोधी पक्षवालेके प्रति द्वेषभाव बढ़ाना होता है । कभी ये विरोधी पक्षवाले देशी या विदेशी शासकवर्ग होते हैं, कभी प्रतिद्वन्द्वी कोअी राजकीय पक्ष होता है और कभी प्रतिद्वन्द्वी अपने ही पक्षका राजकीय उपपक्ष होता है ।

हममें रहनेवाले अिस द्वेष और अविश्वासका असर हमारे विधानों और कानूनोंमें दिखायी पड़ता है । कहा जाता है कि औरगजेबका अैसा स्वभाव हो गया था कि वह किसीपर विश्वास ही नहीं कर सकता था । मगर सेनापति, मंत्री, सूबा वगैरा अधिकारियोंके बिना काम तो चल नहीं सकता था, अिसलिये वह 'अ'को सेनापति बनाकर 'ब'को अुसपर

* परस्पर भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ । (गीता)

जासूसी करनेके लिये अपसेनापति नियुक्त करता था । अिस तरह उसने हरअेक विभागमे अेक दूसरेके प्रतिपक्षियोंके जोड रख दिये थे । नतीजा यह हुआ कि कोअी भी पूरे आत्मविश्वास और हिम्मतसे काम ही नहीं कर सकता था; सभीको अपने काममे डील करने और अेक दूसरेकी भूल देखनेकी आदत पड़ गअी थी ।

विचार करनेपर मालूम होगा कि हमारी सभी राजकीय व्यवस्थाये औरगजेवी ही है । हम राजा रखते है, मगर वह सिर्फ शोभाका पुतला ही होता है; गवर्नर नियुक्त करते है, मगर वह अपने मन्त्रिमंडलकी मर्जकि खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता; केन्द्रीय सरकार चाहती है कि ज्यादासे ज्यादा सत्ता अुत्तीके हाथमे रहे; प्रांतीय सरकार चाहती है कि केन्द्रीय सरकारकी सत्ता निश्चित मर्यादामे ही रहे; हरअेक व्यक्ति सत्ताका लालची और दूसरेकी सत्ताके प्रति आर्ध्या रखनेवाला होता है ।

अैसे मानससे अुत्पन्न होनेवाली व्यवस्थाये अगर खर्चीली, दीर्घसूत्री, 'रेड टेपी', बोझीली और सिर्फ बाहरी गोभा रखनेवाली, छलकपट-निन्दा-आर्ध्या-चुगलखोरी-रिश्त-त्रैरभाव वगैरसे भरी हुआ हों, तो अिसमे कोअी अचरजकी बात नहीं है । अिनके चुनावोंमे सारी प्रजाका मताधिकार हो, चाहे थोडेका, सीधा हो चाहे टेरा; अैसे किसी ढगका हो, जिसमे सभी वर्गोंके प्रतिनिधि योग्य प्रमाणमे चुने जा सके, या सीधा-सादा हो. हर हालतमे ये प्रतिनिधि सिर्फ हाथ अूँचे करनेका ही काम दे सकते हैं, राजतंत्रको सुधारनेका काम अिनसे नहीं हो सकता । ये चाहे जैसे शान या चरित्रवाले हो, मगर जो थोडे-बहुत अति चतुर व्यक्ति होते है, व्यवहारमे वे ही सारी सत्ता भोगते हैं । ये अगर अच्छे हुअे तो प्रजाका सुख पैसे दो पैनेभर बढ जाता है, और हीन वृत्तिके हुअे तो दुःखकी झडी लगा देते है ।

डेमोक्रेसीका व्यावहारिक अर्थ सिर गिनना ही रह गया है । कोअी यह तो कर ही नहीं सकता कि ज्यादा सिर यानी ज्यादा समझदारी; अिसलिये जिस तरफ ज्यादा सिर अूँचे हों, उस तरफका निर्णय ज्यादा समझदारीभरा होगा । सिर किस कानके लिये अूँचे हुअे हैं, यही महत्त्वका

है, सिर्फ कितने सिर ऊँचे हुअे यह नहीं । गंदले पानीके पाँच तालावोंकी अपेक्षा साफ पानीकी अेक छाँटी-सी झीरी ज़्यादा महत्त्वकी है ।

मतलब यह है कि सिर्फ ज़्यादा सिरोंके ऊँचे अुठनेसे सुख नहीं बढ जाता । ऊँचे अुठनेवाले सिर योग्य गुणवालोंके होने चाहिये । अेक चाँद जितनी चाँदनी फैलाता है, अुतनी करोड़ों तारे मिलकर भी नहीं फैला सकते ।

अिसके सिवा, डेमोक्रेसीमें सिर्फ धाराये बनानेवाले और हुकम निकालनेवालोंका ही चुनाव होता है । धाराओं और हुकमोंपर अमल करनेवाले तो चुनावके क्षेत्रसे बाहर ही रहते हे और अुनकी भरती अलग ही ढगसे होती है । अगर अमलदारोंकी भरतीका तरीका अैसा न हो कि अुनमें सिर्फ अच्छे व्यक्ति ही लिये जा सके, तो प्रतिनिधियोंके अच्छे होनेपर भी शासन-प्रबन्धमे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता ।

अिसलिये यह विचारना जितना महत्त्वपूर्ण है कि किस तरह अच्छे ही प्रतिनिधि और अच्छे ही अमलदार नियुक्त किये जा सकते हैं, अुतना यह नहीं कि किस तरह अमुक गजकीय पक्षका बहुमत हो सकता है और न यही कि सभी बातोंमे बहुमतसे ही निर्णय करना चाहिये ।

चुनाव

चुनावों द्वारा हमारी डेमोक्रेसी चलती है और सरकारी नौकरों द्वारा शासन चलता है। प्रतिनिधियोंके मुकाबले सरकारी नौकर राज्यतंत्रके ज़्यादा स्थिर अंग होते हैं। परिणाम स्वरूप प्रजापर उनका ज़्यादा प्रत्यक्ष काबू होता है, और राज-कारदारका ज़्यादा अनुभव भी अुन्हींको होता है। यह सच है कि प्रतिनिधियोंकी अुनके अ्पर सत्ता होती है, नगर अुनकी नियुक्ति अस्थायी और बारबार बदलनेवाली होनेसे, तथा नौकर ही अुनके हाथ-पाँव तथा आँख-कान होनेसे, प्रतिनिधियोंके वाद और सिद्धान्त बहुत बार अपनी जगह धरे रह जाते हैं और प्रत्यक्ष कारदार नौकरोंकी सलाह और मतेके मुताबिक ही चलता रहता है। अुत्तने भी फिर सबसे छोटे नौकर और सबसे बड़े नौकरके बीच जितने ज़्यादा दरजे होंगे, सुधारके प्रयत्नोंका असर प्रजातक पहुँचनेमें अुतनी ही ज़्यादा कठिनायी होगी।

अित्तलिअे अगर हमें सु-राज्य कायम करना है, तो चुनाव और भरती दोनोंके सम्बन्धमें हमारा दृष्टिकोण साफ होना जरूरी है।

चुनावों द्वारा हम प्रजाके प्रतिनिधि पसन्द करनेकी कोशिश जरूर करते हैं, नगर यह चुनाव करनेमें हमारा जो दृष्टिकोण होता है, अुत्तकी योग्यताके सम्बन्धमें हमने कभी पूरी तरह विचार नहीं किया।

विचार करनेपर हमें पता चलेगा कि चुनावमें हरअेक मतदाता 'अपने' व्यक्तिको मत देता है। जित्त व्यक्तिके 'अपना' होनेके विविध कारण होते हैं; जैसे कि वह अपना आश्रयदाता या अुत्तका नियुक्त किया हुआ हो, या अपनी जतका गाँवका, प्रान्तका, धर्मका, पक्षक, धन्ये वर्गका हो, तो वह 'अपना' व्यक्ति बन जाता है। अुत्ते चुनकर भेजनेमें मतदाताकी अज्ञेया यह होती है कि वह नारी जनताके

नहीं, बल्कि उसके वर्गके हित या स्वार्थकी रक्षा करनेमें ज़्यादा सावधान रहेगा। और जिस कड़ीके योगसे वह 'अपना' कहलाता है, उस कड़ीको और उसके सभी व्यक्तियोंको दूसरोंकी अपेक्षा ज़्यादा फायदा पहुँचायेगा।

चुने जानेका अुम्मीदवार प्रतिनिधि भी अपने मतदाताओंको अिसी तरहकी आशाये बँधाता है। 'मुझे भेजोगे, तो आपके लिये मैं अमुक हासिल करनेकी कोशिश करूँगा, और आपके विरोधियोंको अमुक ढगसे चित्त करूँगा।'

अिस तरह प्रतिनिधि तथा मतदाता अपने पक्षके स्वार्थका ही विचार करके सु-राज्य कायम करनेकी आशा रखते हैं। यह मध्यकालीन श्रद्धा अभी भी हमारे चुनावोंमें काम कर रही है कि अगर सभी मनुष्य अपने अपने स्वार्थ सँभालें, तो सबका स्वार्थ सिद्ध हो सकता है।

दरअसल यह श्रद्धा ही अनर्थों और झगड़ोंकी जड़ है। चुनावकी यह प्रथा पचनियुक्त करनेकी पद्धतिका नहीं, बल्कि वकील नियुक्त करनेकी पद्धतिका अनुसरण करती है। 'अ' और 'ब' के बीच अगर झगडा हो, तो दोनों अपने वकील नियुक्त करते हैं। वे न्यायाधीशके सामने अपने मुक्किलोंके स्वार्थोंको पेश करते हैं। अिसमें वे अपने विरोधीके हितोंका विचार नहीं करते। दोनोंके विरोधी स्वार्थोंपर विचार करके अिन्साफ करनेकी ज़िम्मेदारी न्यायाधीश पर होती है। अिस न्यायाधीशको अगरचे अ और ब ने ही नियुक्त किया हो, फिर भी अुससे यह आशा नहीं की जाती कि वह किसी अेकके ही स्वार्थका खयाल रखेगा; बल्कि अुससे यही अपेक्षा रखी जाती है कि वह किसी अेकका व्यक्ति नहीं बनेगा और दोनोंके स्वार्थों और विरोधोंका विचार करके ही अिन्साफ देगा।

अिस तरह यह सच है कि अदालतमें पार्टियोंके अपने अपने प्रतिनिधि होते हैं; मगर निर्णय देनेका अधिकार अिन प्रतिनिधियोंको नहीं, बल्कि अिन दोनोंसे भिन्न किसी अेकका प्रतिनिधित्व न करनेवाले सबके मान्य प्रतिनिधिको होता है। यह सर्वमान्य प्रतिनिधि अेक ही व्यक्ति हो चाहे बहुतसे हों, हरअेकसे गैर-तरफदार होनेकी आशा रखी जाती है; अगर वह किसीके पक्षका हो या किसीकी तरफदारी करे, तो यह अुसका दोष माना जाता है।

ऐसा होनेके बदले अगर किसी मुकदमेमे सभी वादी-प्रतिवादियोंको अपने-अपने वकील नियुक्त करनेकी सुविधा हो और उन वकीलोंपर अपने अपने मुवक्किलोंका हित साधनेकी जिम्मेदारी होते हुअे भी, वे बहुमतसे जो निर्णय दें वही अन्तिम फैसला माना जाय, तो अिन्साफकी शकल क्या होगी ? स्पष्ट है कि अगर वादी-प्रतिवादी अेक अेक ही हो, तो (जैसा कि पंजाब और बंगालके पंच-बैठवारेमे हुआ) ज्यादातर गतिरोध ही होगा; और अगर उनकी तादाद कम-ज्यादा हो, तो जिस पक्षकी तादाद बढ जाय, उसके हकमे फैसला होगा । फिर गतिरोध हटानेके लिअे किसी तीसरे रैंडक्लिफको सरपच नियुक्त करना पड़ेगा और अगर वह बुरा अिन्साफ करे तो भी सबको कबूल करना होगा ।

ऐसी न्याय-पद्धति बुरी होती है, अिसे स्वीकार करनेमे किसीको देर नहीं लगेगी; मगर विचार करने पर मालूम होगा कि हमारी सभी प्रतिनिधि सभाये अलग अलग पक्षोंके वकीलोंकी मजलिसे ही होती है, गैरतरफदार न्यायाधीशोंकी बैठके नहीं । क्योंकि प्रतिनिधि भेजनेवालोंको हम यही कहते है कि हरअेक मतदाता 'अपने' आदमीको मत दे; यह नहीं कहते कि सब मिलकर लगभग सर्वमान्य या लगभग किसीको अमान्य न हो अैसे ही निष्पक्ष, चरित्रवान और व्यवहार कुशल आदमियोंको पसन्द करें । अिस्तसे जो प्रतिनिधि चुने जाते हे, वे सबके पंच नहीं, बल्कि अेक या दूसरे पक्षके वकील ही होते है और पक्षोंके नियमोंके मुताबिक उनपर अपने पक्षके खिलाफ कोअी भी निर्णय (मत) न देनेकी जिम्मेदारी डाल दी जाती है । ऐसी सभा जो कुछ निर्णय करे या कानून बधैरा बनाये, वे वकीली अदालतके हुक्मनामे जैसे माने जा सकते हैं. न्यायालयके हुक्मनामे जैसे नहीं । क्योंकि अिन प्रतिनिधियोंको अपने पक्षको छोड़नेकी जरा भी स्वतंत्रता नहीं होती । वे अध्यक्ष हों, चाहे मंत्री, अपने पक्षके बन्धनोसे कभी छूट नहीं सकते ।

ऐसी हालतमे भी अगर स्थिर सु-राज्य थोड़ा बहूत रह सकता है, तो उसका कारण 'डेमॉक्रेसी' नहीं, बल्कि यह सत्य है कि मनुष्य अपनी मनुष्यताको पूरी तरहसे छोड़ नहीं सकता ।

जिस तरह बड़े मुकदमोंमें अलग अलग पक्षोंको अपने अपने वकील नियुक्त करनेकी सुविधा भले हो, मगर फैसला करनेवाले न्यायाधीश अलग ही होते हैं, और वकीलमंडलको कोअी अदालत नहीं कहता, वल्कि न्यायाधीश ही अदालत माने जाते हैं, अुसी तरह राजसभामें प्रजाके अलग अलग पक्षों या ढितोंके प्रतिनिधियोंकी निर्वाचक सभा भले हो, मगर किसी सर्वमान्य पद्धतिसे नियुक्त की हुअी निष्पक्ष, व्यवहारकुशल और चरित्रवान व्यक्तियोंकी निर्णायक सभा अलग होनी चाहिये । मतदाताओंसे कहना चाहिये कि 'अपने' आदमियोंको चुननेके बाद वे अपने पक्षसे वाहरके (दूसरे पक्षके हों, या किसी भी पक्षके नहीं, जैसे) लोगोंमेंसे जिन्हें शैरतरफदार, न्यायी, व्यवहारकुशल और चरित्रवान समझते हों, अुन्हें मत दे; और अन्तिम निर्णय करने और अुनपर अमल करनेकी सत्ता अुनके हाथोंमें रहे । यानी, यह सभा पहली सभासे छोटी ही रहे ।

पक्षोंके प्रतिनिधियोंके बहुमतसे नहीं, वल्कि निष्पक्ष पक्षोंके भारी बहुमतसे ही सु-राज्य कायम कर सकना ज्यादा सम्भव है । असलिये निष्पक्ष पंच नियुक्त करनेकी कोअी प्रथा जारी की जानी चाहिये ।

पक्षोंके राज्यको प्रजाका राज्य — डेमोक्रेसी — कहना "वदतो व्याघात" जैसा है । प्रजा द्वारा मान्य पक्षातीत राज्य डेमोक्रेसी कहा जाय चाहे न कहा जाय, यह सु-राज्य — यानी प्रजाका, प्रजाके लिये, प्रजा द्वारा संचालित राज्य — जरूर होगा ।

जिस तरह बड़े मुकदमोंमें अलग अलग पक्षोंको अपने अपने वकील नियुक्त करनेकी सुविधा भले हो, मगर फैसला करनेवाले न्यायाधीश अलग ही होते हैं, और वकीलमंडलको कोअी अदालत नहीं कहता, वल्कि न्यायाधीश ही अदालत माने जाते हैं, अुसी तरह राजसभामें प्रजाके अलग अलग पक्षो या हितोके प्रतिनिधियोंकी निवेदक सभा भले हो, मगर किसी सर्वमान्य पद्धतिसे नियुक्त की हुअी निष्पक्ष, व्यवहारकुशल और चरित्रवान व्यक्तियोंकी निर्णायक सभा अलग होनी चाहिये । मतदाताओंसे कहना चाहिये कि 'अपने' आदमियोंको चुननेके बाद वे अपने पक्षसे वाहुरके (दूसरे पक्षके हों, या किसी भी पक्षके नहीं, जैसे) लोगोंमेंसे जिन्हें गैरतरफदार, न्यायी, व्यवहारकुशल और चरित्रवान समझते हों, अुन्हे मत दे; और अन्तिम निर्णय करने और अुनपर अमल करनेकी सत्ता अुनके हाथोंमें रहे । यानी, यह सभा पहली सभासे छोटी ही रहे ।

पक्षोंके प्रतिनिधियोंके बहुमतसे नहीं, वल्कि निष्पक्ष पक्षोंके भारी बहुमतसे ही सु-राज्य कायम कर सकना ज्यादा सम्भव है । असलिये निष्पक्ष पंच नियुक्त करनेकी कोअी प्रथा जारी की जानी चाहिये ।

पक्षोंके राज्यको प्रजाका राज्य — डेमोक्रेसी — कहना "बदतो व्याघात" जैसा है । प्रजा द्वारा मान्य पक्षातीत राज्य डेमोक्रेसी कहा जाय चाहे न कहा जाय, यह सु-राज्य — यानी प्रजाका, प्रजाके लिये, प्रजा द्वारा संचालित राज्य — जरूर होगा ।

सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको सग ।

तुलसी लघु भोजन करी, जिवत मानके रग ॥

ननुष्यको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह उसके प्रलोभन और चरित्रकी शिथिलताके लिये काफ़ी होता है । फिर यदि अिनके साथ अुसे कभी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधायें भी मिलें, तब तो कहना ही क्या ? जाँच करनेपर हम देखेंगे कि हमारी हरअेक चुनी हुअी सभाके सभासद होनेसे या अूँची नौकरी पानेसे हमें कभी कित्मके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधायें मिलती हैं । कित्ती भी जाहिर कमेटीका सभासद होनेवालेको या बडे सरकारी अधिकारीको न तो गाँठसे पैसे खरचने पड़ते हैं, न असुविधायें भोगनी पड़ती हैं । नौनेसे अेक दो आदमी जैसे होंगे जिनकी निजी कमाअी पहलेसे कुछ घट जाती होगी; मगर ज़यादातर लोगोंके लिये तो यह फायदेमन्द रोजगार ही बनता है । अैसी हालतमें अगर सारी सार्वजनिक तस्थायें गुट-बन्दीके अखाड़े बने और शासन रिड्वतखोरों और सिफारिशी लोगोंके हाथमें चला जाय, तो अिसमें आश्चर्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही; मगर अुसके साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुश्किल होनी चाहिये, वह आसान और आकर्षक तो कतअी नहीं होने चाहिये । अैसी तत्कारिता अुत्पन्न होनी चाहिये जिससे अूँचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दबदबा, श्रुगार, नाच-नाटक-चाय-खाना-नशेवाज़ी (कॉक्टेल्) के सम्मेलन वगैरासे होनेके बदले सादगीके साथ हो । अिन ओहदेदारोंका रहन-रहिन अिनका और अिनके परिजनोंका आतिथ्य करनेवालोंके लिये सादे जीवनका नस्ना और भार रहित होना चाहिये; वह आडम्बर बचानेवाला,

सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको सग ।
तुल्ली लघु भोजन करी, जिवत मानके रंग ॥

मनुष्यको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह अन्तके प्रलेभन और चरित्रकी गिथिलताके लिये काफी होता है। फिर यदि अिनके साथ अुत्ते कअी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये भी मिले, तत्र तो कहना ही क्या ? जाँच करनेपर हम देखेंगे कि हमारी हरअेक चुनी हुअी सभाके सभासद होनेसे या अूँची नौकरी पानेसे हमे कअी किस्मके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती हे । किसी भी जाहिर कम्पेटीका सभासद होनेवालेको या बडे सरकारी अधिकारीको न तो गाँठते पैसे खरखने पड़ते है, न असुविधाये भोगनी पड़ती हे । नौनेते अेक दो आदमी अैते होंगे जिनकी निजी कमाअी पहलेसे कुछ घट जाती होगी, मगर ज़्यादातर लोगके लिये तो यह फायदेमन्द रोजगार ही बनता है । अैसी हालतमे अगर सारी सार्वजनिक नत्थाये गुटबन्दीके अखाड़े बने और शासन रिश्तखोरों और सिफागिनी लोगके हाथमे चला जाय, तो अिसमे आश्चर्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेंगी ही, मगर अुत्ते साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुश्किल होनी चाहिये, वह आसान और आकर्षक तो कतअी नहीं होनी चाहिये । अैसी मन्त्रागिता अुत्पन्न होनी चाहिये जिसते अूँचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दबदबा, शृंगार, नाच-नाटक-चाप-खाना-नशेवाजी (कॉक्टेल्) के सम्मेलन वर्गारते टोन्के बदले सादगीके साथ हो । अिन ओहदेदारोंका रहन-सहन अिनका और अिनके परिजनोंका आतिथ्य करनेवालोंके लिये साद जीवनका नमना और भार रहित होना चाहिये. वह आडम्बर दृष्टानेवाला,

सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको रंग ।
तुलसी लघु भोजन करी, जिवत मानके रंग ॥

ननुष्यको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह उसके प्रलोभन और चरित्रकी क्षिणिलताके लिये काफ़ी होता है। फिर यदि अिनके साथ अुत्ते कभी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये भी मिले, तब तो कहना ही क्या ? जाँच करनेपर हम देखेंगे कि हमारी हरअेक चुनी हुअी सभाके सभासद होनेसे या अूँची नौकरी पानेसे हमे कभी किस्मेके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती हे । किसी भी जाहिर कमेटीका सभासद होनेवालेको या बडे सरकारी अधिकारीको न तो गाँठसे पैसे खरचने पड़ते हैं, न असुविधाये भोगनी पड़ती हे । नौनेसे अेक दो आदमी अैसे होंगे जिनकी निजी कमाअी पहलेसे कुछ घट जाती होगी, मगर ज़्यादातर लोगके लिये तो यह फायदेमन्द रंज़गार ही बनता है । अैसी हालतमे अगर सारी सार्वजनिक सत्थाये गुटबन्दीके अखाड़े बने और शासन सिवतखोरों और सिफारिशी लोगके हाथमे चला जाय, तो अिसमे आश्चर्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही; मगर अुसके साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुश्किल होनी चाहिये, वह आसान और आकर्षक तो कतअी नहीं होनेी चाहिये । अैसी संस्कारिता अुत्पन्न होनेी चाहिये जिससे अूँचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दददवा, श्रृंगार, नाच-नाटक-चाय-खाना-नशेवाजी (कॉक्टेल्) के सम्मेलन वर्गारसे होनेके बदले सादगीके साथ हो । अिन ओहदेदारोंका रहन-सहन अिनका और अिनके परिजनोंका आतिथ्य करनेवालेके लिये सादे जीवनका नम्ना और भार रक्षित होनेा चाहिये; वह आडम्बर बघानेवाला,

सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको सग ।

तुलसी लघु भोजन करी, जिवत मानके रंग ॥

मनुष्यको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाम ही मिलता हो, तो भी वह उसके प्रलोभन और चरित्रकी गिनिलताके लिअे काफी होता है । फिर यदि अिनके साथ अुसे कअी तरहके आर्थिक लाम और सुख-सुविधायें भी मिलें, तब तो कहना ही क्या ? जाँच करनेपर हम देखेंगे कि हमारी हरअेक चुनी हुआी सभाके सभासद होनेसे या अूँची नौकरी पानेसे हमें कअी किस्मके आर्थिक लाम और सुख-सुविधायें मिलती हैं । किसी भी जाहिर कमेटीका सभासद होनेवालेको या बडे सगकागी अधिकारीको न तो गाँठसे पैसे खरचने पड़ते हैं, न असुविधायें भोगनी पड़ती हैं । सौमेसे अेक दो आदमी अैसे होंगे जिनकी निजी कमाअी पहलेसे कुछ घट जाती होगी, मगर ज़यादातर लोगोंके लिअे तो यह फायदेमन्द रोज़गार ही बनता है । अैसी हालतमे अगर सारी सार्वजनिक नस्थायें गुट-गुटके अखाड़े बने और शासन रिश्तखोरों और सिफागिशी लोगोंके हाथमे चला जाय, तो असिमे आश्चर्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेंगी ही, मगर अुसेके साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुश्किल होनी चाहिये, वह आसान और आकर्षक तो कतअी नहीं होनेी चाहिये । अैनी मत्कारिता अुत्पन्न होनेी चाहिये जिससे अूँचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दबदबा, श्रृगार, नाच-नाटक-चाय-खाना-नशेबाज़ी (कॉक्टेल्) के सम्मेलन वर्गारसे ढानेके बदले सादगीके साथ हो । अिन ओहदेदारोका रहन-रहिन अिनका और अिनके परिजनोंका आतिथ्य करनेवालोंके लिअे सांड जीविका नगना और भार रहित होना चाहिये. वह आटमर बढानेवाला,

सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको सग ।

तुलसी लघु भोजन करी, जिवत मानके रंग ॥

ननुष्यको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह उसके प्रलोभन और चरित्रकी ग्राथिलताके लिये काफी होता है। फिर यदि अिनके साथ अुत्त कभी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधायें भी मिलें, तब तो कहना ही क्या ? जाँच करनेपर हम देखेंगे कि हमारी हरअेक चुनी हुअी सभाके समासुद होनेसे या अुच्च नौकरी पानसे हमें कभी किस्मके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधायें मिलती हैं। किनी भी जाहिर कमेटीका समानद होनेवालेको या बड़े सरकारी अधिकारीको न तो गाँठसे पैसे खगचने पड़ते हैं, न अमुविधायें भोगनी पड़ती हैं। सोमसे अेक दो आदमी अैने होंगे जिनकी निजी कमायी परसे कुछ घट जाती होगी, मगर ज़रादातर लोगोंके लिये तो यह फायदेमन्द रोजगार ही बनता है। अैसी हालतमें अगर सारी सार्वजनिक नगव गुदन्दके अखाड़े बने और शासन रिश्वतखोरो और सिफारिशी तंगके गभले चला जाय, तो अिसमें आश्चर्य किस बातका ?



सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको सग ।
तुलसी लघु भोजन करी, जिवत मानके रंग ॥

मनुष्यको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह उसके प्रलोभन और चरित्रकी शिथिलताके लिये काफी होता है। फिर यदि अिनके साथ उसे कभी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये भी मिले, तब तो कहना ही क्या ? जाँच करनेपर हम देखेंगे कि हमारी हरएक चुनी हुई सभाके सभासद होनेसे या ऊँची नौकरी पानेसे हमें कभी किसके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती है। किसी भी जाहिर कमेटीका सभासद होनेवालेको या बड़े सरकारी अधिकारीको न तो गॉठसे पैसे खरचने पड़ते हैं, न असुविधाये भोगनी पड़ती है। सौमेसे अेक दो आदमी जैसे होंगे जिनकी निजी कमायी पहलेसे कुछ घट जाती होगी, मगर ज़्यादातर लोगोंके लिये तो यह फायदेमन्द राजगार ही बनता है। ऐसी हालतमे अगर सारी सार्वजनिक सस्थाये गुटधन्दीके अखाड़े बने और शासन रिडवतखोरों और सिफारिशी लोगोंके हाथमे चला जाय, तो अिसमे आश्चर्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही, मगर उसके साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुश्किल होनी चाहिये, वह आसान और आकर्षक तो कतभी नहीं होनी चाहिये। ऐसी संस्कारिता उत्पन्न होनी चाहिये जिससे ऊँचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दबदबा, श्रुगार, नाच-नाटक-चाय-खाना-नशेबाज़ी (कॉक्टेल्) के सम्मेलन वगैराते ढानेके बदले सादगीके साथ हो। अिन ओहदेदारोंका रहन-सहन अिनका और अिनके परिजनोंका आतिथ्य करनेवालोंके लिये सादं जीवनका नमूना और भार रदित होना चाहिये; वह आडम्बर बढानेवाला,

सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको सग ।
तुलसी लघु भोजन करी, जिवत मानके रंग ॥

मनुष्यको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह उसके प्रलोभन और चरित्रकी शिथिलताके लिये काफी होता है। फिर यदि अिनके साथ अुत्ते कभी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये भी मिले, तब तो कहना ही क्या ? जाँच करनेपर हम देखेंगे कि हमारी हरअेक चुनी हुआी सभाके सभासद होनेसे या अूँची नौकरी पानेसे हमे कभी किस्मके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती हैं। किसी भी जाहिर कमेटीका सभासद होनेवालेको या बडे सरकारी अधिकारीको न तो गाँठते पैसे खरचने पड़ते हैं, न असुविधाये भोगनी पड़ती है। नौनेसे अेक दो आदमी अैसे होंगे जिनकी निजी कमाअी पहलेसे कुछ घट जाती होगी; मगर ज़्यादातर लोगोंके लिये तो यह फायदेमन्द रंजगार ही बनता है। अैसी हालतमे अगर सारी सार्वजनिक सत्थाये गुट-वर्दीके अखाड़े बने और शासन रिड्वतखोरों और सिफारिशी लोगोंके हाथमे चला जाय, तो अिसमे आश्चर्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही; मगर अुत्ते साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुश्किल होनी चाहिये, वह आसान और आकर्षक तो कतअी नहीं होनी चाहिये। अैसी स्त्कारिता अुत्तन्न होनी चाहिये जिससे अूँचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दददवा, श्रृंगार, नाच-नाटक-चाय-खाना-नशेवाजी (कॉकटेल) के सम्मेलन वगैराते होनेके बदले सादगीके साथ हो। अिन ओहदेदारोंका रहन-सहन अिनका और अिनके परिजनोंका आतिथ्य करनेवालोंके लिये सादे जीवनका नमूना और भार रदित होना चाहिये; वह आडम्बर बढानेवाला,

सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको सग ।

तुल्सी लघु भोजन करी, जिवत मानके सग ॥

मनुष्यको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लभ ही मिलता हो, तो भी वह उसके प्रलोभन और चरित्रकी गिथिलताके लिये काफी होता है। फिर यदि अिनके साथ अुत्ते कभी तरहके आर्थिक लभ और सुख-सुविधाये भी मिले, तब तो कहना ही क्या ? जाँच करनेपर हम देखेगे कि हमारी हरअेक चुनी हुअी सभाके सभासद होनेसे या अूँची नौकरी पानेसे हमे कभी किस्मके आर्थिक लभ और सुख-सुविधाये मिलती हे। किसी भी जाहिर कमेटीका सभासद होनेवालेको या बडे सरकारी अधिकारीको न तो गाँठसे पैसे खरचने पडते हे, न असुविधाये भोगनी पडती हे। नौसे अेक दो आदमी अैसे होंगे जिनकी निजी कमाअी पहलेसे कुछ घट जाती होगी, मगर ज़्यादातर लोगोंके लिये तो यह फायदेमन्द रोजगार ही बनता है। अैसी हालतमे अगर सारी सार्वजनिक सत्थाये गुटबन्दीके अखाडे बने और शासन रिडवतखोरों और सिफागिरी लोगोंके हाथमे चला जाय, तो अिसमे आश्चर्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही, मगर अुत्ते साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुश्किल होनी चाहिये, वह आसान और आकर्षक तो कतअी नहीं होने चाहिये। अैसी मन्तकारिता अुत्तन्न होनी चाहिये जिससे अूँचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दबदबा, शृंगार, नाच-नाटक-चाय-दाना-नशेबाजी (कॉक्टेल्) के सम्मेलन वर्गसे होनेके बदले सादसिके साथ हो। अिन ओहदेदारोंका रहन-सहन अिनका और अिनके परिजनोंका आतिथ्य करनेवालोंके लिये सादे जीवनका नमूना और भार रहित होना चाहिये वह आडम्बर दृष्टानेवाला,

सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको रंग ।

तुलसी लघु भोजन करी, जिवत मानके रंग ॥

न्नुषको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह उसके प्रलेभन और चरित्रकी गायिलताके लिये काफी होता है। फिर यदि अिनके साथ अुत्ते कभी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये भी मिले, तब तो कहना ही क्या ? जौंच करनेपर हम देखेंगे कि हमारी हरअेक चुनी हुआी सभाके सभासद होनेसे या अूँची नौकरी पानेसे हने कभी किल्लके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती हें। किल्ली भी जाहिर कमेटीका सभानद होनेवालेको या बडे सरकारी अधिकारीको न तो गौँठसे पैसे खरचने पड़ते ह, न असुविधाये भोगनी पड़ती ह। नौनेसे अेक दो आदमी अैसे होंगे जिनकी निजी कमाओी पड्लेसे कुछ घट जाती होगी, मगर ज़यादातर लोगोंने लिये तो यह फायदेमन्द रोज़गार ही बनता है। अैसी हालतने अगर सारी सार्वजनिक नस्थाये गुट-न्दके अखाड़े बने और शासन रिडवतखोरों और सिफ़ागिनी लंगोंने हाथने चला जाय, तो अिसमे आश्चर्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही, मगर अुत्तेके साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुश्किल होनी चाहिये, वर आसान और आकर्षक तो कतभी नहीं होनी चाहिये। अैसी नत्कान्ति अुत्तन्न होनी चाहिये जितने अूँचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दन्दना, श्रृंगार, नाच-नाटक-चाप-खाना-नशेबाजी (क्वैटेल) के सम्मेलन बंगरासे होनेके बदले सादगीके साथ हो। अिन ओहदेदारोंका रन-न्दन अिनका और अिनके परिजनोंका आतिथ्य करनेवालोंके लिये सादे जीवनका नरना और भार रहित होना चाहिये वइ आइन्वर बडनेवाला,

सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

किस व्यक्ति, कामिनी व्यक्ति, व्यक्ति धातुनको संग ।

बुद्धि लघु भोजन करी, जिवत नानके संग ॥

न्यूनको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह अपने प्रलोभन और चरित्रकी निधिलताके लिये काफी होता है। फिर यदि बिनके साथ अपने कभी तर्हके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधायें भी मिलें, तब तो कहना ही क्या ? जॉब करनेपर हम देखेंगे कि हमारी तरहेक चुनी हुआ समाजके समासद होनेसे या सूची नौकरी पानेसे हमें कौसी किसके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधायें मिलती हैं। किसी भी जाहिर कमेटीका समासद होनेवालेको या बड़े सरकारी अधिकारीको न तो सोचते पैसे खरचने पडते हैं, न असुविधायें भोगनी पडती हैं। मीनेसे अके दो आदमी अैसे होंगे जिनकी निजी कमायी पहलेसे कुछ घट जाती होगी, मगर जगदातर लोगोंके लिये तो यह फायदेन्द रोजगार ही बनता है। ऐसी हालतमें अगर सारी सार्वजनिक स्थायें गुटबन्दीके अखड़े बने और शासन रिश्तखोरों और रिफार्मिगी लोगोंके हाथमें चला जाय, तो बिलकुल आश्चर्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेंगी ही, मगर अपने साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुश्किल होनी चाहिये, वह आसन और आनन्द तो कभी नहीं होनी चाहिये। ऐसी संस्कारिता उत्पन्न होनी चाहिये जिससे सूँचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दबदबा, श्रम, नाच-नाटक-चाप-खाना-भोगवाली (कॉन्ट्रोल)के सम्बन्ध बगैरसे होनेसे बड़े सदाके साथ हो। बिन ओहदेदारोंका रहन-सहन बिनका और बिनके परिष्कारका आतिथ्य करनेवालोंके लिये सारे जीवनका नस्ता और भार रहित होना चाहिये वह आइडल बहनेवाला,

सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको सग ।

तुलसी लघु भोजन करी, जिवत मानके रंग ॥

गुरुधको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह उसके प्रलोभन और चरित्रकी शिथिलताके लिये काफी होता है। फिर यदि अिनके साथ अुत्ते कभी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधायें भी मिलें, तब तो कहना ही क्या ? जाँच करनेपर हम देखेंगे कि हमारी हरअेक चुनी हुई सभाके सभासद होनेसे या अूँची नौकरी पानेसे हने कभी किलनेके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधायें मिलती हैं। किसी भी जाहिर कमेटीका सभासद होनेवालेको या बडे सरकारी अधिकारीको न तो गँठते पैसे खरचने पड़ते हैं, न असुविधायें भोगनी पड़ती हैं। तौनेसे अेक दो आदमी अैते होंगे जिनकी निजी कमायी पहलेसे कुछ घट जाती होगी, मगर फ़यादातर लोगोंके लिये तो यह फायदेमन्द रोजगार ही बनता है। अैसी हालतने अगर सारी सार्वजनिक सत्थायें गुरुधर्दके अखाड़े देने और शालन रिश्तखोरों और सिफारिशी लोगोंके हाथमे चला जाय, तो अितने आश्चर्य कित बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही; मगर अुत्ते साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुश्किल होनी चाहिये, वह आसान और आकर्षक तो कतभी नहीं होनी चाहिये। अैसी संस्कारिता अुत्पन्न होनी चाहिये जितते अूँचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दन्दवा, शृंगार, नाच-नाटक-चाप-खाना-नशाबाजी (कॉक्टेल्) के सम्मेलन वर्गसे होनेके बदले सदागीके साथ हो। अिन ओहदेदारोंका रहन-रहिन अिनका और अिनके परिजनोंका आतिथ्य करनेवालोंके लिये सदैव जीवनका नस्ना और भार रहित होना चाहिये। वह आडम्बर ब्रथानेवाला,

सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको सग ।

तुलसी लघु भोजन करी, जिवत मानके रग ॥

मनुष्यको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह उसके प्रलोभन और चरित्रकी क्षिथिलताके लिये काफी होता है। फिर यदि अिनके साथ अुसे कभी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये भी मिले. तब तो कहना ही क्या ? जाँच करनेपर हम देखेंगे कि हमारी हरअेक चुनी हुअी सभाके सभासद होनेसे या अूँची नौकरी पानेसे हमे कभी कित्मके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती हैं। किसी भी जाहिर कनेटीका सभासद होनेवालेको या बडे सरकारी अधिकारीको न तो गँठते पैसे खरचने पड़ते है, न असुविधाये भोगनी पड़ती हैं। तौनेसे अेक दो आदमी अैसे होंगे जिनकी निजी कमाअी पहलेसे कुछ घट जाती होगी, मगर ज़यादातर लोगोके लिये तो यह फायडेमन्द रंजगार ही बनता है। अैसी हालतमे अगर सारी सार्वजनिक सस्थाये गुटअर्न्दीके अखाड़े देने और शासन सिध्वतखोरों और सिफारिशी लोगोके हाथमे चला जाय, तो अिसमे आमचय कित्त बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही, मगर अुसके साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुश्किल होनी चाहिये, वह आसान और आकर्षक तो कतअी नहीं होनी चाहिये। अैसी संस्कारिता अुत्पन्न होनी चाहिये जिससे अूँचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दयदवा, शृंगार. नाच-नाटक-चाप-खाना-नगेवाजी (कॉक्टेल्) के सम्मेलन वर्गारसे होनेके बदले सादगीके साथ हो। अिन ओहदेदारोंका रहन-रहिन अिनका और अिनके परिजनोंका आतिथ्य करनेवालोंके लिये सादे जीवनका नटना और भार रदित होना चाहिये. वह आडमर बढानेवाला,

सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको संग ।

तुलसी लघु भोजन करी, जिवत मानके रग ॥

ननुष्यको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह उसके प्रलोभन और चरित्रकी शिथिलताके लिये काफी होता है। फिर यदि अिनके साथ अुसे कभी तरहके आर्थिक लाभ ओर सुख-सुविधाये भी मिले, तब तो कहना ही क्या ? जाँच करनेपर हम देखेगे कि हमारी हरअेक चुनी हुअी सभाके सभासद होनेसे या अूँची नौकरी पानेसे हमे कभी कित्मके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती है। किसी भी जाहिर कमेटीका सभासद होनेवालेको या बडे सरकारी अधिकारीको न तो गॉठते पैसे खरचने पड़ते है, न असुविधाये भोगनी पड़ती हैं। सोनेसे अेक दो आदमी जैसे होंगे जिनकी निजी कमाअी पहलेसे कुछ घट जाती होगी; मगर ज़्यादातर लोगोंके लिये तो यह फायदेमन्द रंजगार ही बनता है। अैसी हाल्त्तने अगर सारी सार्वजनिक संस्थाये गुटधन्दीके अखाड़े बने और शासन रिडवतखोरों और सिफारिशी लोगोंके हाथमे चला जाय, तो अिसमे आश्चर्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही; मगर अुसके साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुश्किल होनी चाहिये, वह आत्मान और आकर्षक तो कतअी नहीं होनी चाहिये। अैसी संस्कारिता अुत्पन्न होनी चाहिये जिससे अूँचे ओहदेका सम्बन्ध भारी ददवा, शृंगार, नाच-नाटक-चाय-खाना-नशेवाजी (कॉक्टेल्) के सम्मेलन बगैरासे होनेके बदले सादगीके साथ हो। अिन ओहदेदारोंका रहन-सहन अिनका और अिनके परिजनोंका आतिथ्य करनेवालोंके लिये सादे जीवनका नमूना और भार रहित होना चाहिये; वह आडम्बर बघन्नेवाला,

सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको सग ।
तुलसी ल्यु भोजन करी, जिवत मानके रंग ॥

न्नुष्यको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह उसके प्रलोभन और चरित्रकी शिथिलताके लिये काफी होता है। फिर यदि अिनके साथ अुत्ते कभी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये भी मिले, तब तो कहना ही क्या ? जाँच करनेपर हम देखेंगे कि हमारी हरएक चुनी हुआ सभाके सभासद होनेसे या अूँची नौकरी पानेसे हमे कभी कित्मके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती है। किसी भी जाहिर कमेटीका सभासद होनेवालेको या बडे सरकारी अधिकारीको न तो गॉठले पैसे खरचने पड़ते है, न असुविधाये भोगनी पड़ती हैं। नौनेते अेक दो आदमी अैते होंगे जिनकी निजी कमायी पहलेसे कुछ घट जाती होगी, मगर ज़्यादातर लोगोके लिये तो यह फायदेमन्द रोज़गार ही बनता है। अैसी हालतने अगर सारी सार्वजनिक सत्थाये गुटबन्दीके अखाडे बने और शासन रिदवतखोरों और सिफागिरी लोगोके हाथमे चला जाय, तो अिसने आमचर्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही, मगर अुत्ते साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुश्किल होनी चाहिये, वह आसान और आकर्षक तो कतनी नहीं होनी चाहिये। अैसी संस्कारिता अुत्पन्न होनी चाहिये जिससे अूँचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दबदबा, श्रृंगार, नाच-नाटक-चाय-दाना-नशेदाजी (काँकटेल) के सम्मेलन वगैरासे टानेके बदले सद्गतिके साथ हो। अिन ओहदेदारोंका रहन-सहन अिनका और अिनके परिजनोंका आतिथ्य करनेवालोंके लिये सडे जीवनका नटना और भार रहिन होना चाहिये, वह आडमर ब्यान्नेवाला,

सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको सग ।
तुलसी लघु भोजन करी, जिवत मानके रंग ॥

मनुष्यको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह उसके प्रलोभन और चरित्रकी शिथिलताके लिये काफी होता है। फिर यदि अिनके साथ उसे कभी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये भी मिले, तब तो कहना ही क्या ? जाँच करनेपर हम देखेंगे कि हमारी हरएक चुनी हुई सभाके सभासद होनेसे या ऊँची नौकरी पानेसे हमें कभी किसके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती है। किसी भी जाहिर कमेटीका सभासद होनेवालेको या बड़े सरकारी अधिकारीको न तो गाँठसे पैसे खरचने पड़ते हैं, न असुविधाये भोगनी पड़ती हैं। सोनेसे एक दो आदमी जैसे होंगे जिनकी निजी कमायी पहलेसे कुछ घट जाती होगी; मगर ज्यादातर लोगोंके लिये तो यह फायदेमन्द रोजगार ही बनता है। ऐसी हालतमें अगर सारी सार्वजनिक स्थायें गुट-बन्दीके अखाड़े बने और शासन रिडवतखोरों और सिफारिशी लोगोंके हाथमें चला जाय, तो अिसमें आश्चर्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही; मगर उसके साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुश्किल होनी चाहिये, वह आसान और आकर्षक तो कतभी नहीं होनी चाहिये। ऐसी सत्कारिता उत्पन्न होनी चाहिये जिससे ऊँचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दबदबा, श्रृंगार, नाच-नाटक-चाय-खाना-नशेबाजी (कॉक्टेल्) के सम्मेलन वर्गोंसे होनेके बदले सादगीके साथ हो। अिन ओहदेदारोंका रहन-सहन अिनका और अिनके परिजनोंका आतिथ्य करनेवालोंके लिये सादे जीवनका नमूना और भार रदित होना चाहिये, वह आडम्बर बढानेवाला,

सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको रंग ।

तुलसी लघु भोजन करी, जिवत मानके रंग ॥

न्नुष्यको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह उसके प्रलोभन और चरित्रकी निथिलताके लिये काफी होता है। फिर यदि अिनके साथ भुत्ते कभी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये भी मिले, तब तो कहना ही क्या ? जॉच करनेपर हम देखेंगे कि हमारी हरअेक चुनी हुअी सभाके सभासद होनेसे या अूँची नौकरी पानेसे हमे कभी किल्मके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती है। किल्ली भी जाहिर कनेटीका सभासद होनेवालेको या बडे सरकारी अधिकारीको न तो गौठते पैसे खरचने पड़ते है, न असुविधाये भोगनी पडती हैं। नौनेते अेक दो आदमी बैते होंगे जिनकी निजी कमाअी पहलेसे कुछ घट जाती होगी, मगर ज्यादातर लोगोंके लिये तो यह फायदेमन्द रंजगार ही बनता है। बैती हालतने अगर सारी सार्वजनिक संस्थाये गुट-बर्दके अखाड़े देने और शासन रिडवतखोरों और सिफारिशी लोगोंके हाथमे चला जाय, तो अिसमे आश्चर्य किल्ल बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेंगी ही, मगर अुत्के साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुश्किल होनी चाहिये, वह आसान और आकर्षक तो कतअी नहीं हूनी चाहिये। बैती संस्कारिता अुत्तर होनी चाहिये जिससे अूँचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दबदबा, शृंगार, नाच-नाटक-चाप-खाना-नगेदाजी (कॉकटेल) के सम्मेलन वगैरासे ढान्के ददले सदगिके साथ हो। अिन ओहदेदारोंका रहन-रहिन अिनका और अिनके परिजनोंका आतिथ्य करनेवालोंके लिये सारे जीवनका नटना और भार रहिन होना चाहिये वह आडम्बर बटानेवाला,

जिस तरह वड़े मुकदमोंमें अलग अलग पक्षोंको अपने अपने वकील नियुक्त करनेकी सुविधा भले हो, मगर फैसला करनेवाले न्यायाधीश अलग ही होते हैं, और वकीलमंडलको कोअी अदालत नहीं कहता, वल्कि न्यायाधीश ही अदालत माने जाते हैं, अुगी तरह राजमभामं प्रजाके अलग अलग पक्षो या हितोके प्रतिनिधियोंकी निवेदक सभा भले हो, मगर किसी सर्वमान्य पद्धतिसे नियुक्त की हुअी निपक्ष, व्यवहारकुशल और चरित्रवान व्यक्तियोंकी निर्णायक सभा अलग होनी चाहिये । मतदाताओंमें कहना चाहिये कि 'अपने' आदमियोंको चुननेके वाद वे अपने पक्षसे वाहरके (दूसरे पक्षके हों, या किसी भी पक्षके नहीं, अेंमें) लोगोंमेंसे जिन्हें शैस्तरफदार, न्यायी, व्यवहारकुशल और चरित्रवान समझते हों, अुन्हे मत दे; और अन्तिम निर्णय करने और अुनपर अमल करनेकी सत्ता अुनके हाथोंमें रहे । यानी, यह सभा पहली सभासे छोटी ही रहे ।

पक्षोंके प्रतिनिधियोंके बहुमतसे नहीं, वल्कि निष्पक्ष पक्षोंके भारी बहुमतसे ही सु-राज्य कायम कर सकना ज़्यादा सम्भव है । असलिये निपक्ष पंच नियुक्त करनेकी कोअी प्रथा जारी की जानी चाहिये ।

पक्षोंके राज्यको प्रजाका राज्य — डेमोक्रेसी — कहना "वदतो व्याघात" जैसा है । प्रजा द्वारा मान्य पक्षातीत राज्य डेमोक्रेसी कहा जाय चाहे न कहा जाय, यह सु-राज्य — यानी प्रजाका, प्रजाके लिये, प्रजा द्वारा संचालित राज्य — ज़रूर होगा ।

सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको सग ।

तुलसी लघु भोजन करी, जिवत मानके रंग ॥

मनुष्यको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह उसके प्रलोभन और चरित्रकी गिथिलताके लिये काफी होता है। फिर यदि अिनके साथ अुत्ते कभी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये भी मिले, तब तो कहना ही क्या ? जॉच करनेपर हम देखेंगे कि हमारी हरअेक चुनी हुअी सभाके सभासद होनेसे या अूँची नौकरी पानेसे हमे कभी कित्सेके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती है। किसी भी जाहिर कमेटीका सभासद होनेवालेको या बडे सकारी अधिकारीको न तो गॉठसे पैसे खरचने पड़ते है, न असुविधाये भोगनी पड़ती है। नौनेसे अेक दो आदमी अैसे होंगे जिनकी निजी कमाअी पहलेसे कुछ घट जाती होगी; मगर ज़्यादातर लोगोंके लिये तो यह फायदेमन्द राजगार ही बनता है। अैसी हालतमे अगर सारी सार्वजनिक नत्थाये गुटबन्दीके अखाड़े बने और शासन रिइवतखोरों और सिफारिशी लोगोंके हाथमे चला जाय, तो अिसमे आश्चर्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही, मगर अुत्ते साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुश्किल होनी चाहिये, वह आसान और आकर्षक तो कतअी नहीं होनी चाहिये। अैसी संस्कारिता अुत्पन्न होनी चाहिये जिससे अूँचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दबदबा, शृंगार, नाच-नाटक-चाय-खाना-नगेवाजी (कॉक्टेल्) के सम्मेलन बगैरासे टानेके बदले सादगीके साथ हो। अिन ओहदेदारोंका रहन-रहन अिनका और अिनके परिजनोंका आतिथ्य करनेवालोंके लिये सारे जीवनका नसना और भार रहिन होना चाहिये वह आडम्बर बढानेवाला,

जिस तरह वड़े मुकदमोंमें अलग अलग पक्षोंको अपने अपने वकील नियुक्त करनेकी सुविधा भले हो, मगर फैसला करनेवाले न्यायाधीश अलग ही होते हैं, और वकीलमंडलको कोअी अदालत नहीं कहता, बल्कि न्यायाधीश ही अदालत माने जाते हैं, उसी तरह राजसभामें प्रजाके अलग अलग पक्षो या दलोंके प्रतिनिधियोंकी निवेदक सभा भले हो, मगर किसी सर्वमान्य पद्धतिसे नियुक्त की हुअी निष्पक्ष, व्यवहारकुशल और चरित्रवान व्यक्तियोंकी निर्णायक सभा अलग होनी चाहिये । मतदाताओंसे कहना चाहिये कि 'अपने' आदमियोंको चुननेके बाद वे अपने पक्षसे बाहरके (दूसरे पक्षके हों, या किसी भी पक्षके नहीं, जैसे) लोगोंमेंसे जिन्हें चैरतरफदार, न्यायी, व्यवहारकुशल और चरित्रवान समझते हों, उन्हें मत दे; और अन्तिम निर्णय करने और अनुपर अमल करनेकी सत्ता उनके हाथोंमें रहे । यानी, यह सभा पहली सभासे छोटी ही रहे ।

पक्षोंके प्रतिनिधियोंके बहुमतसे नहीं, बल्कि निष्पक्ष पक्षोंके भारी बहुमतसे ही सु-राज्य कायम कर सकना ज्यादा सम्भव है । अिसलिये निष्पक्ष पंच नियुक्त करनेकी कोअी प्रथा जारी की जानी चाहिये ।

पक्षोंके राज्यको प्रजाका राज्य — डेमोक्रेसी — कहना "वदतो व्याघात" जैसा है । प्रजा द्वारा मान्य पक्षातीत राज्य डेमोक्रेसी कहा जाय चाहे न कहा जाय, यह सु-राज्य — यानी प्रजाका, प्रजाके लिये, प्रजा द्वारा संचालित राज्य — जरूर होगा ।

सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको सग ।

तुलसी लघु भोजन करी, जिवत मानके रंग ॥

मनुष्यको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह उसके प्रलोभन और चरित्रकी गिथिलताके लिये काफी होता है। फिर यदि अिनके साथ अुत्ते कभी तरहके आर्थिक लाभ ओर सुख-सुविधाये भी मिले, तब तो कहना ही क्या ? जाँच करनेपर हम देखेंगे कि हमारी हरेक चुनी हुअी सभाके सभासद होनेसे या अूँची नौकरी पानेसे हमे कभी कित्तमके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती है। किसी भी जाहिर कमेटीका सभासद होनेवालेको या बडे सरकारी अधिकारीको न तो गॉठसे पैसे खरचने पड़ते है, न असुविधाये भोगनी पडती हैं। नौनेसे अेक दो आदमी अैसे होंगे जिनकी निजी कमाअी पहलेसे कुछ घट जाती होगी, मगर ज़यादातर लोगोंके लिये तो यह फायदेमन्द रोज़गार ही बनता है। अैसी हालतमे अगर सारी सार्वजनिक सत्थायें गुटबन्दीके अखाडे देने और शासन रिइवतखोरों और सिफागिशी लोगोंके हाथमे चला जाय, तो अिसमे आश्चर्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेंगी ही, मगर अुसके साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुश्किल होनी चाहिये, वह आसान और आकर्षक तो कतअी नहीं होनी चाहिये। अैसी संस्कारिता अुत्पन्न होनी चाहिये जिससे अूँचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दबदबा, श्रृंगार, नाच-नाटक-चाय-खाना-नशेबाजी (कॉक्टेल्) के सम्मेलन वगैराले होनेके बदले लादगीके साथ हो। अिन ओहदेदारोंका रहन-रहन अिनका और अिनके परिजनोंका आतिथ्य करनेवालोंके लिये सादं जीवनका नहना और भार रहित होना चाहिये, वह आइडल बहानेवाला,

दोड़धूप करानेवाला, और खर्चीला न बने। एक चारसौ-पाँचसौ रुपये माहवारकी आमदनी पर गुजर करनेवाला तथा बालबच्चोंवाला मध्यम श्रेणीका गृहस्थ गृहमें जिस दरजेका जीवन बिता सकता है, उससे किसी बढ़ेसे बढ़े अधिकारीके जीवनका और रहन-सहनका दर्जा ऊँचा नहीं होना चाहिये। उसे मध्यमश्रेणीका एक माप कहा जा सकता है। पेशवाजी जमानेके प्रसिद्ध न्यायाधीश रामशास्त्री जैसे विरल पुरुषका दर्जा तो उसे नहीं ही कहा जा सकता, मगर यह मर्यादा निभानेवाले दुनियावी आदमीका दर्जा ज़रूर है। उसकी निजी तथा सार्वजनिक सेवाके चदोसे होनेवाली आमदनी ऐसी मर्यादित रहनी चाहिये कि वह अतना ही खर्च निभा सके। जिसका जीवन इस दर्जेसे ऊँचा जाय अथवा मेवाके दरमियान जिसकी मिलिकियत बढ़े, उसके विषयमें यह सन्देह होनेका कारण है कि उसे दूसरी भी कोआ आमदनी होती होगी। अगर यह आमदनी व्यक्तिगत भेदके बढ़नेसे होनेवाली खर्चकी वचतकी वदौलत हो, तब भी उसे अनुचित ही समझना चाहिये। राष्ट्रमें चाहे जितना ऊँचा दर्जा हो, उसके जीवनका दर्जा एक मध्यम मर्यादासे अपर नहीं जाना चाहिये। सरकारी ओहदेदारोंकी अुच्चतम आमदनी तथा मिलिकियतकी मर्यादा राष्ट्रके लिअे व्यक्तिगत आमदनी तथा मिलिकियतकी सामान्यरूपसे ठहराओी हुआ अुच्चतम मर्यादासे नीची होनी चाहिये। तथा ऐसी परम्परा कायम होनी चाहिये कि जिसकी व्यक्तिगत मिलिकियत तथा आमदनी पहलेसे ही उससे ष्यादा हो, वह बिना तनखाह लिये सेवा करना अपना फर्ज समझे।

अिस्ट अिण्डिया कम्पनीके ज़मानेसे लेकर आज तक 'भत्ता' बहुत बढ़ी आमदनीका एक साधन बना हुआ है। खर्च न किया हो, अुल्टे प्रजाने ही खर्च किया हो, फिर भी ठहराये हुअे दरसे 'भत्ता' लेनेमें किसीको भी अप्रामाणिकता नहीं मालूम होती। और सरकारके हिमावी विभागोंने भी हिसाब रखनेमें मेहनत न बढ़े इस खयालसे निश्चित दरसे कम भत्ता न देनेकी प्रथा डाल दी है। अगर दिल्लीकी लोकसभामें जानेके लिअे पहले दरजेका किराया और तीस रुपये प्रतिदिनका भत्ता ठहराया गया हो, तो हरअेक सदस्यको यह रुपया ज़रूर ही लेना होगा, फिर उसके मुताबिक उसका खर्च हुआ हो, चाहे न हुआ हो। अगर किसी

सदस्यको जिससे निजी लाभ न लेना हो, तो वह जिस वचतका, कहीं दूसरी जगह भले दान कर दे, मगर सरकारी तिजोरीमें तो अतना वाअुचर अवश्य ही कटेगा । जिसका मतलब यह हुआ कि भाड़े-भत्तेके नामपर जिस व्यक्तिको निजी ओमदनी करनेका मौका दिया जाता है । जिस तरह अक काम करनेके लिये सी रुपयोंका ठेका दिया गया हो, तो उस ठेकेदारको जिस बातकी छूट होती है कि वह अपनी होशियारीसे वचत करके जितनी कमाअी करना चाहे अतनी कर सकता है, असी तरह ओहदेदार मानो देशकी सेवा करनेवाले ठेकेदार हो और अन्हे अपनी तनखाह, भत्ते और किरायेमेंसे अपनी होशियारी और काटकसरसे वचत करके कमाअी करनेकी छूट हो !

जिस प्रथाका परिणाम सुराज्य नहीं हो सकता, फिर भले जिसमें दसपांच अत्यत त्यागी और निःस्पृह व्यक्ति अकस्मात आ गये हो । मगर दूसरे ओहदेदार जैसे व्यक्तियोंको आदर्श या आदरणीय माननेके बजाय अल्टे अउनकी हँसी और निरादर करते हैं ।

हमारी जाति-भाषा-संप्रदाय पर रची हुअी समाज-व्यवस्थाका अक बड़ा अनिष्ट फल सार्वजनिक नौकरियों और ओहदोंमें 'वर्ग-प्रतिशत-विवाद' (rule of communal proportion) है । हरअक वर्गको हरअक महत्त्वकी नौकरी और ओहदेमें अमुक प्रतिशत भाग (परसेण्टेज) मिलना चाहिये, यह आग्रह सुराज्य कायम करनेमें बाधक है । मगर अक लम्बे अरसेसे हमारे समाजका गठन ही ऐसा हो गया है कि अगर जिस मॉगपर बिलकुल विचार ही न करे, तो वर्गके कअी भागोंको कभी बड़ी जवाबदारी अठानेका मौका ही न मिल सके और कअी जगह अमुक वर्गके अजारे जैसी ही बन जायें । यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि जबसे ये परिणाम निकलने प्रारम्भ हुअे हैं, तभीसे ये मॉगे भी पैदा होने लगी हैं ।

जिस सम्बन्धमें थोड़े समयके लिये भले ही कोअी 'समाधान' स्वीकार कर लिया गया हो, मगर यह वस्तु अनिष्ट है । नारे ओहदों तथा नौकरियोंके लिये व्यक्तियोंका चुनाव करनेमें दो ही बातें ध्यानमें रखनी चाहिये — अक तो यह कि अस व्यक्तिका चरित्र कैसा है और दूसरे अस्तको अस कामकी जितनी जानकारी है । जो वर्ग चरित्र और निश्चय

वयौरामे पीछे रह गया हो, उसे अन्हें हासिल करनेकी खास सुविधायें देना और दूसरोंकी बराबरीमे लाना अेक बात है; मगर जिस कामके लिअे वे अयोग्य हों, असमें भी अन्हें कृत्रिम फी-सर्दीके नियम (परसेप्टेज) के आधार पर लेना ही पड़े, तो अिसे कुराल्यका ही अचूक साधन कहा जा सकता है ।

यह नहीं भूलना चाहिये कि अँचे ओहदे तथा नौकरीके साथ ज़यादा धन और सुख-सुविधाओंका मिलना भी 'परसेप्टेज-विवाद'का अेक कारण है । भगीकी नौकरीमें भंगियोंका ही अिजारा है, मगर अिसके लिअे किसी दूसरे वर्गके लोग यह माँग नहीं करते कि 'हमे हमारी तादादके मुताबिक परसेप्टेज मिलना चाहिये' ! भंगियोंके अिन्स्पेक्टरकी जगहके लिअे ज़रूर होइ लग सकती है ! भगीकी नौकरीका अिजारा अिसलिअे सुरक्षित है कि अिसके साथ न तो अधिकार जुड़ा हुआ है, न प्रतिष्ठा जुड़ी है और न आकर्षक आर्थिक लाभ या जीवनकी-सुख-सुविधायें ही जुड़ी हैं । या अगर कहे कि ये सच है, तो सवेरेसे अैसी आज्ञायें (!) देना कि 'दादा, पानी डालना', 'दादा, दूर रहना' अुनका अधिकार है, ग्रहणके दिन 'सोनादान, रूपादान, वस्त्रदान' वगैरा वेग-कीमती चीजें माँगकर फटे-टूटे-मैले-अुतरे हुअे चीथड़े अिकट्टे करना प्रतिष्ठा है, कोअी भी करनेकी अिच्छा तक न करे अैसी सेवा बजाकर महीनेमे फी सडास चार आनेसे लग्नाकर रुपये-दो रुपये तक पाना अुनका आर्थिक लाभ है और फी आदमी आठ आने या अेक रुपया किराया देकर अेक छोटीसी कोठरीमे दस बारह आदमी अिकट्टे रहना सुख-सुविधा है !

अैसे कअी दूसरे भी — हलकारे, हमाल वयौराकी नौकरियोंके स्थान अमुक वर्गके अिजारे जैसे होंगे, मगर अुनके लिअे दूसरे वर्गवाले 'परसेप्टेज' की आवाज़ नहीं अुठाते ।

अूपरके अिजारे हिन्दू समाज-व्यवस्था द्वारा स्वयं निर्माण किये हुअे अंत्यजों — भंगियों — के लिअे सुरक्षित (?) है । अेक मतके अनुसार अत्यज प्रतिलाम वर्णसंकरतामे (अँची जातिकी स्त्रीका नीची जातिके पुत्रसे विवाह होनेसे) अुत्पन्न हुअी प्रजा है । अग्रेजोंने भी यहाँ आकर वर्णसंकर प्रजा निर्माण की और हिन्दुओं जैसे ही अँचेपनके अभिमानसे अुन्हे अपनेमेसे

निकले हुअे अंत्यज माना । यह अंग्लोअिण्डियन प्रजा कहलाती । हिन्दुओंकी ही तरह अन्होंने अिनके लिये कुछ नौकरियाँ सुरक्षित कर दीं । अंग्रेजोंमें अिनका स्थान अछूतों जैसा ही है । मगर वे चाहे जैसे अत्यज हों, फिर भी आखिर राज करनेवाली प्रजाके अत्यज ठहरे, अिसलिये अुनकी खास नौकरियाँ अैसी तो हैं ही कि अिनके लिये कुलाभिमानी वगैरोंके मुँहमें भी पानी छूटे ! अिससे भगीका अिजारा जिस तरह सुरक्षित रहा अुस तरह अुनका नहीं रह पाया और अब तो वह खतम ही हो गया है । अगर भगीकी नौकरी करनेवालेको तौ रूप्योंसे चारसौ रूप्यों तककी तनखाह, फी कुडुअ तीनसे छः कमरोंका ब्लॉक, खास वरदी (युनिफॉर्म) और प्रजासे तफाअीके नियमोंका पालन करानेके लिये कुछ अधिकार दिये जायँ, तो अिस धन्येके बारेमें भी 'परसेप्टेज'का सवाल अुठ खडा हो !

अेक दूसरी व्यावहारिक दृष्टिसे भी यह प्रश्न विचारने लायक है । प्रजाके अर्थ-अनर्थसे सम्बन्ध रखनेवाले जुदे जुदे विषयोंपर ज्यों ज्यों ध्यान जाता है, और अुनका खास अभ्यास और काम करनेवाले मनुष्य पैदा होते जाते हैं, तैसे तैसे अेक अेक विषय अेक अेक अलग खाता बनता जाता है, और गाँवसे लगाकर अखिल भारतीय सरकारी तंत्र खडा करना पडना है । अैसे हरअेकके लिये अखिल भारतीय, प्रान्तीय वगैरा जुदे जुदे खास अधिकारी नियुक्त करनेकी जरूरत पडती है । आज अधिकार और तनखाहका जैसा नेल है, अुसके परिणाम स्वरूप अेक अेक खाता खडा करनेमें खर्चका अँकड़ा अितना बढ जाता है कि तिरसे पगड़ी भारी हो जाती है, और ज़्यादातर सिर्फ पत्र-व्यवहार, फाइलों, कमेटीकी बैठकों, ठहरावों और वाअुचरोंके कागज ही बढते हैं । अिनके सिवा प्रत्यज प्रगतिमें ज़्यादा तेजी नहीं आती । फिर भी, यह सब किये बिना नहीं चलता । अिसकी अुपगति और जरूरत रहती ही है । और जेते जेने प्रजाकीय प्रवृत्तियों दहती जायेगी, वेने वेते अैसे संकड़ों खाते बनते जायेगे । अिस कामको अगर दडे अधिकारके साथ दडी तनखाह, दडा अगला वगैरा द्वारा ही पूरा करना आवश्यक हो, तो हम सनाज्वादकी चाहे अिनकी दाते करे, यह विषमता, भूख, गरीबी, बेकारी और अुनके परिणाम स्वरूप होनेवाले नये नये रोग, और रिस्कन, कालाजाजर, लूटमार,

चोरी तथा किसी न किसी बहाने छुरेवाजी, दगे, आपसी युद्ध (सिविल वार) वगैरा हुआ बिना नहीं रहेंगे, और नियुक्तियोंमें कुगलताकी नहीं, बल्कि पक्ष, सिफारिश, जातपॉत वगैराकी ही मुख्यता रहेगी। यह ऐसी ही बात है, जैसे अनाजकी तगी कम करनेके लिये कोअी दूध-घी, पेड़े-बरफी, अनार-मोसम्बी खाकर अकालका सामना करनेके लिये कहे। और यह अिस बातका सबूत है कि आज सचमुच ही ऐसी सलाह दी जाती है।

बलाबिबके ज़मानेसे ही सार्वजनिक नौकरियोंमेंसे रिश्त वगैराकी बुराअियाँ दूर करनेके अुपायोंपर विचार किया जाता रहा है। फिर भी ये बुराअियाँ कम नहीं हुआँ, अुल्टे प्रगति ही करती रहीं। अिसका कारण यह है कि अिसके अुपाय अिस मान्यतापर रचे गये हैं कि 'आगमे भरपूर घी डालनेसे अुसकी भूख बुझ जायेगी या अिन्द्रियोंको भरपूर विषय-सेवन मिलनेपर वे शान्त हो जायेंगी। या फिर लोगोका यह खयाल है कि जिन्दगी भर चूहे मारनेके बाद ढलती अुम्रमें तीर्थ करनेके लिये निकलनेवाली या बच्चोंको निरामिष भोजनका अुपदेश देनेवाली बिल्डीकी तरह अुपदेश दे देनेसे ही यह काम हो जायगा। अेक बनिये व्यापारीके यहाँ बनिया ही मुनीम है, व्यापारी सटोरिया है और सट्टेके सौदे अिस मुनीमकी मारफत ही होते हैं। मुनीम हर दिन देखता है कि बाज़ारमेंसे जो भाव सुन-सुनकर वह सेठके पास पहुँचाता है, अुसपरसे खरीद-बिक्री करके सेठ लखपती बनता है। मुनीम खुद भी सेठका ही जातिभाअी है। अुसकी रगोंमें भी वही खून बहता है। अुसके मनमें क्यो न हो कि थोड़ा सट्टा करके मैं भी तेज़ीसे रुपया बनाऊँ? मगर नसीब अुसका साथ नहीं देता और वह नुकसानमें पड़ जाता है। सेठके पैसे अुठा लेता है, और वह मुनीमके असन्तोष और अप्रामाणिकतापर तिरस्कार भरा प्रवचन करता है। अब सोचिये कि मुनीमके दिलपर अिस बातका कितना असर पड़ेगा? यही हाल रिश्तकी बुराअी दूर करनेकी कोशिश करनेवालोंका है। वे तीन तरहके अुपाय काममें लाते हैं। अेक तो सज़ा के कानूनोंको और भी सख्त कर देनेका, दूसरा, रेड-टैप तथा जासूसीका

जाल बिछाकर निगरानी रखनेका, और तीसरा, तनखाह, भत्ता वगैरा बचाकर अन्हें सन्तुष्ट करनेकी कोशिश करनेका ।

मगर कायदे जितने ही सख्त होते हैं, अन्हें निष्फल करनेके अतने ही रास्ते भी निकल आते हैं, अस्मने चाद पुलिस और मजिस्ट्रेट द्वारा रिश्तत वचैराके कानूनोपर अमल कवाना वैसा ही है, जैसे डवल्लिया कैदी द्वारा किये गये जेलके किसी कसूरका न्याय डवल्लिया कैदियोंकी पचायतसे ही कराया जाय ।

दूसरा अुपाय अितना खर्चीला, अितना ढीला, गिथिल्ला बचानेवाला और प्रजाके लिअे अितना अलुविधाजनक है कि प्रजा खुद ही रिश्ततको अुत्तेजन देने लाती है । अगर चार आनेकी रिश्तत देनेसे अेक काम पांच मिनटमे हो सकता है और ये चार आने बचानेसे पांच महीने तक गेजाना चक्कर खानेसे भी कोअी सुनवाअी नहीं होती, और रेड-टेपिंग बढता ही जाता है, डाकखर्च भी बढता है, तो साधारण प्रजा अगर रिश्ततका रास्ता न ले तो क्या करे ? चार आनेकी रिश्तत अगर पांच मिनटमे काम करा सकती है, तो अिसका मतलब यह हुआ कि ज़्यादा रेड-टेपिंग अनावस्यक ही होता है; मगर कानून अुत्ते बचानेकी सुविधायें देता है, और अधिकारी जानदृअकर अपनी सत्ताका अुपयोग नहीं करते ।

तीसरा अुपाय तो थी डालकर आग बुझानेकी कोशिश करने जैसा है । अुत्ते भी फिर् खूबी यह होती है कि यह अुपाय सवसे अोटे और सवसे बड़े नौकरके बीचका अन्तर आर्थिक रूपमे बढता ही रहता है । मान लीजिये कि अधिकारियोंकी तनखाह वगैरामे अुचित बढती करनेसे अुनका चलन रास्तेसे कमानेका लोभ कम होगा और अिस नान्यताके साथ अुनकी तनखाहे नीचे दिये अनुसार बढा दी जाती हैं •

अेड	मूल तनखाह	बढती प्रतिशत	नयी आखिरी तनखाह	पुराना फर्क	नया फर्क
१	५० तक	२०	६०	—	—
२	५१-२००	१५	२३०	१५०	१७०
३	२०१-१०००	१०	११००	८००	८७०
४	१००१-३०००	५	३१५०	२०००	१९५०
५	३००१-६०००	२	६१२०	३०००	२९७०

असमे अप्रसे तो जान पड़ता है कि ज्यों ज्यों ग्रेड बढ़ता जाता है, त्यो त्यो बढ़तीका प्रतिगत तेजीसे घटना जाता है ; मगर हरेक ग्रेडके आखिरी आदमीकी और उसके बादके ग्रेडके आखिरी आदमीकी आमदनीके बीचके पुराने और नये फर्ककी जांच करे, तो पता चलता है कि विलकुल अन्तिम दो ग्रेडोंमे ही दो ग्रेडके आदमियोंकी आमदनीका फर्क थोड़ा कम हुआ है । यह तो एक काल्पनिक अुदाहरण है । दरअसल तो ज्यों ज्यों ग्रेड बढ़ता जाता है, त्यो त्यो एक या दूसरे अलाअुन्सके रूपमे आमदनीका सच्चा आंकड़ा हरेक सुधारके साथ बढ़ता ही जाता है । अँचे ग्रेडके अधिकारियोंको बहुत बार दो-तीन खातोंके अधिकार सौंप दिये जाते ह । अस वक्त अुन्हे अुनके ग्रेडकी तनखाहके अलावा खातेवार खास अलाअुन्स भी मिलते है । अुदाहरणके लिअे सिविल सर्जन अगर जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट भी हो , डॉक्टरोंके अिन्सपेक्टर जनरलको जेलोंका बड़ा अधिकारी भी बना दिया जाय, तो अुसे अपनी तनखाहके अलावा दूसरे पदोंके खास अलाअुन्स भी मिलते है । अगर ऐसी मान्यता न हो कि सारे काम अर्थविनिमयसे ही कराने चाहिये, तो अस बातको समझना ही कठिन जान पड़े । अिक्रारके कायदेका यह सिद्धान्त है कि बदले (consideration) के बिना अिक्रार रद्द माना जाता है, अिसी तरह भत्तेके बिना अधिकार रद्द है ! अिसलिअे चीफ सेक्रेटरी अगर चार दिनोंके लिअे गवर्नरका ओहदा संभाले, तो अुन चार दिनोंके लिअे अुस खास भत्ता देना चाहिये ! जैसे अिन चार दिनोंमे वह पैसेसे ज्यादा घिस जानेवाला हो ! अधिकार और तनखाह-भत्तेके सम्बन्धकी कल्पना ' जीव और श्वासकी सगाओी ' की तरह की गओी है । अिस कल्पनामेसे छूटना जम्हरी है, और यह सिर्फ नियम बदलनेका सवाल नहीं है, बल्कि पुरानी परम्पराये बदलने और चरित्र-वृद्धिका सवाल है ।

जड़मूलसे क्रान्ति

भाग चौथा

तालीम

सिद्धान्तोंका निश्चय

साफ है कि क्रान्तिका विषय अन्तमे जाकर तालीमसे जुड़ा हुआ है। प्रजाके धार्मिक विचार, सामाजिक आचार-विचार, भाषा-साहित्य-कला-अर्थते सम्बन्ध रखनेवाला पुरुषार्थ, राजकीय सस्थायें वगैरा चाहे जिते ले, हरअेकके अुद्देश्योंके अनुसार प्रजाकी व्यवस्थित तालीमकी योजना की जानी चाहिये। तालीममे चाहे केवल लेखन-वाचन और गणितका ही समावेश किया जाय, फिर भी उसमे भाषा और लिपिका निश्चय पहले होना चाहिये। भाषा यानी सीखनेवालेकी धरेलू भाषा (मातृभाषा या स्वभाषा) को ही ले और अुसीका आग्रह रखे, तो उसमेते भी अनेक कठनाभियां खड़ी होती हैं। हर प्रान्तमे बोलचाल — व्यवहारकी अनेक भाषाओं (बोलियों) और साहित्यिक — शिक्षणकी भाषाका फर्क करना ही पडता है। दूरके अेकाध छोटने गहरमे भी दो चार गुजगती, दो चार मारवाडी, दो चार विविध प्रादेशिक बोलियां बोलनेवाले हिन्दी, दो चार दक्षिण भारतकी कोअी भाषा बोलनेवाले, और दो चार मराठीभाषी परिवारोंका मिल जाना अतम्भव नहीं है। और यह भी सम्भव है कि गहरकी सामान्य जनताकी बोली कोअी साहित्यिक भाषा न हो (जैते कि, मालवा या निमाड — खडवा, झरखानपुर वगैरा, या गना, भागलपुर वगैरामे देखा जाता है।)। मारवाडी कोंकणी वगैरा कुछ भाषाये आज अैसी मध्यम स्थितिमे है कि अुन्हे साहित्यिक भाषाओंमे स्थान देने न देनेके सम्बन्धमे जबरदस्त खींचतान मची हुअी है।

फिर विविध भाषाओंका सम्बन्ध जुदी जुदी लिपियोंके साथ जुड़ा हुआ है। भले ही लिखना-पडना जाननेवाले सी पीछे आठ दस ही हों, और कहीं कहीं तो अितने भी नहीं होंगे, फिर भी जो थोडेते लोग लिख-पड सजते हैं अुन्हे जिस लिपिका मुहावरा और ममन्व है, तथा

जिसका साहित्य अउनेके पास सम्रहीत है, वही लिपि अउस भापाके साथ जोड़ दी जाती है ।

अिस तरह हम सिर्फ अक्षर-ज्ञान और अंक-ज्ञानको ही तालीम समझ ले, फिर भी अुद्देश्यके निश्चयके विना अुसकी योजना नहीं की जा सकती । किस भापा और किस लिपिको चलाना है, अिसका निर्णय किये वगैर यह नहीं हो सकता । फिर अगर 'जीवनके विविध पहलुओंपर विचार करे, तो जीवनका अेक भी विषय अैसा नहीं है, जो तालीमके क्षेत्रमें न आता हो । अिस तरह तालीमका सवाल जीवन जैसा ही विशाल बन जाता है । अिसमें यह तां होगा ही कि अनेक विषयोंपर सबके अेकसे मत न हों, कअीके सम्वन्धमें यह निश्चयके साथ कहते न बनता हो कि अेक वही सच है और बाकी सब गलत ही है, कअी बार दो परस्पर-विरोधी विचारोंमें भी हरअेकमें सचाअीका अंश हो, और किसकी कितनी मर्यादा समझी जाय वही महत्त्वका सवाल हो, कअी विषयका महत्त्व स्थानीय और अमुक समयके लिअे ही हो, फिर मी अुतने स्थान और समयमें अुनकी अवगणना न की जा सकती हो; और कअी बातें लोगोंके राग-द्वेषके साथ अितनी घुल-मिल गअी हों कि अुनके सम्वन्धमें बुद्धिका प्रवाह औंधे घड़ेपर पानीकी तरह बह जाता हो । अिससे नेताओंमें भी मतभेद रहेंगे और अिसलिअे शायद ही अैसा होगा कि सबको सन्तोष देनेवाली तालीमकी योजना या पद्धति कभी गठी जा सके । फिर भी चाहे जितने राग-द्वेष या ममत्वके बावजूद जिस तरह $५ \times ३ = १५$ का स्वीकार करना ही पड़ता है, अिसमें १४ या १६ के लिअे गुजाअिश् नहीं रहती, अुसी तरह अगर हम विवेकबुद्धिका निरादर न करे, तो कुछ महासिद्धान्त सर्वमान्य होने लायक लगाने चाहियं ।

ये सिद्धान्त नीचे दिये अनुसार है :

१. मनुष्यसे मनुष्यको अलग करनेवाले कारण चाहे कुदरती हो, या मनुष्यके बनाये हुअे हों, टाले जा सकने लायक हों या न टाले जा सकने हों, तालीमका सिद्धान्त कहिये या अुत्तम जीवनका सिद्धान्त कहिये, यह होना चाहिये कि ये कारण तथा भेद ज़्यादा जड़ और पक्के करनेके बजाय कम और कमजोर किये जाने चाहियं । जीवनकी अनेक

वातोंके लिये मनुष्यमे 'अस्मिता', 'अभिमान', 'ममत्व' वगैरा तो रहेंगे ही; मगर शिक्षणशास्त्रीका प्रयत्न अिन्हे सकुचित क्षेत्रमे रोक रखने और मजहूत करनेके बजाय अिनका क्षेत्र भरसक विगाल बनाने और अुसकी पकड़को ढीली करनेवाला होना चाहिये ।

२. भूतकालको जैसेका तैसा या कुछ बदले हुअे रूपमे फिरसे लाना जीवनका ध्येय नहीं होना चाहिये । अुसी तरह तालीमका यह प्रयत्न भी नहीं होना चाहिये कि द्वेषबुद्धिसे भूतकालके किसी भागकी याददास्त या निगानीको मट्टियामेट कर दे । अुसे तो भविष्यके नये अुज्ज्वल चित्र निर्माण करके, ध्येयके रूपमे अुन्हे प्रजाके सामने रखनेकी कोशिश करनी चाहिये । यह मान्यता अनेक भ्रमभरी मान्यताओं जैसी ही है कि किसी समय मानव जातिका बहुत बड़ा भाग सुख-गान्ति और अुच्च नैतिक युगमे रहता था, या किसी प्रजाके बहुत बड़े भागने लम्बे अरसे तक कभी रामराज्य या धर्मराज्यका सचमुच अनुभव किया था । यह तो नहीं कहा जा सकता कि भविष्यमे सचमुच ही किसी विशाल क्षेत्रमे रामराज्य या धर्मराज्य कायम किया जा सकेगा या नहीं, मगर यह सच है कि मानव जीवनका अुत्कर्ष अिस दिगामे प्रयत्न करनेमे ही है । यह ध्यानमे रखना चाहिये कि अिस रामराज्य या धर्मराज्यका चित्र रामायण या महाभारत वगैरामेसे नहीं लिया जा सकता । अिसका आदर्श तो हमें अपनी ही सत्य, शिव, सुन्दरकी श्रेष्ठ कल्पनाओंमेसे गठना है । अिस विषयमे अगले परिच्छेदमें थोड़ी ज़्यादा चर्चा की गयी है ।

३. अनेक जगहोंपर मैं कह चुका हूँ कि मनुष्य सिर्फ प्राकृत (प्रकृति — कुदरतकी गोदमे रहनेवाला) प्राणी नहीं है । वह प्राकृत, संस्कृत तथा विकृत यों तीन तरहका प्राणी है और रहेगा । अुसका हरअेक पुरुषार्थ प्रकृतिको बदलता है, और हरअेकते कुछ संस्कृति और कुछ विकृति दोनोंका निर्माण होता है । चारों पुरुषार्थोंमेसे अेक भी पुरुषार्थ, या अेक भी पुरुषार्थमेसे कृत्रिमरूपमे (यानी जबरदस्ती) लायी हुयी निश्चिं या अुसका सकोच या विकास — संस्कृति और अिष्ट परिणाम ही अुपजावे, अथवा विकृति और अनिष्ट परिणाम ही लावे, या प्रकृतिते अिसे दिल्कुल अलग कर दे, अैसा नहीं हो सकता । कभी पुरुषार्थोंका अनिष्ट

परिणाम अगर आज नहीं दीखता, तो वादमें मालूम पड़ता है; यही बात अिष्ट परिणामोंके सम्बन्धमें भी कही जा सकती है। जिसलिअे पुरुषार्थ चाहें अब्यात्मज्ञानके किसी क्षेत्रका हो, धर्म (यानी प्राकृतिक विज्ञान और मानव व्यवहारोंकी व्यवस्था) से सम्बन्ध रखता हो, अर्थ सम्बन्धी हो, या काम (सुख) सम्बन्धी हो, हरअेक अगर किसी अेक ही दिशामें और अेक ही ढंगसे बढ़े, तो अुसमेंसे कुछ विकृतियां निर्माण हुअे बिना नहीं रहतीं। अनिष्ट परिणाम अुत्पन्न होनेसे अगर किसी दिशाके पुरुषार्थको विलकुल छोड़ दिया जाय या अुसे अुल्टी दिशामें मोड़ दिया जाय, तब भी कुछ विकृतियां तो निर्माण होती ही हें। अैसी कोअी दिशा नहीं है जिसे पकड़कर कोअी अेक ही रास्तेसे आगे बढ़ता चला जाय और अुसे केवल सस्कृति, सुख और अुन्नति ही मिलने रहें। यह भी नहीं कहा जा सकता कि अमुक दिशाके पुरुषार्थको विलकुल छोड़ दिया जा सकता है। जितने वक्त तक अेक मोटर-इंजिन अिद्धर गतिनियामक दाब और दिशा बदलनेवाले चक्रको छोड़कर ब्रेफिन्नीसे मोटर दौड़ाते हुअे सलामत रह सकता है, अुतने ही वक्त तक मानव-पुरुषार्थ भी अेक ही दिशामें बढ़ता रहकर सलामत रह सकता है। शिक्षण-शास्त्रीका कर्तव्य मानव-पुरुषार्थकी दिशा और गतिको बार बार जाँचे रहकर, अुसे रास्तेपर बनाये रखना और अनिष्टोंसे बचाना है। पिछले, 'चरित्रके स्थिर और अस्थिर अग' के प्रकरणमें (२-५) मानवके पूर्ण विकासके सम्बन्धमें जो अलग अलग लक्ष्य बतलाये गये हैं, वे सब मिलकर मानव-पुरुषार्थकी मोटरके दाब, चक्र और चाबियाँ हैं। तालीमके द्वारा ये लक्ष्य योग्य परिमाणमें सिद्ध होने चाहियें, और किस हद तक वे सिद्ध होते हैं, जिसकी जाँच करते हुअे अुसके विविध गति बढ़ानेवाले और रोकनेवाले दाबों वगैराका अुपयोग करते रहना चाहिये। अैसा क्रिये बिना अेक भी पुरुषार्थ सुरक्षित नहीं रह सकता।

४. तालीममें भाषा और लिपिका प्रश्न महत्त्वका है। अिसमेंके विषयमें ज़ादा चर्चा अन्य परिच्छेदोंमें की गयी है। यहां अिस सम्बन्धमें मैं सिर्फ अितना ही कहना चाहता हूँ कि भाषा और लिपि—शिक्षण या ज्ञान नहीं, बल्कि अुनके वाहन हैं। तालीम अथवा ज्ञानकी अुद्विके लिअे

सिखनेवालोंकी (न कि सिखानेवालोंकी) भाषा और जिस लिपिमें उस भाषाका साहित्य उपलब्ध हो, वह लिपि अच्छेसे अच्छा वाहन बन सकती है। सच पूछा जाय, तो मनुष्यकी कोसी कुदरती स्वभाषा—मातृभाषा या पितृभाषा— है ही नहीं। बचपनमें वह जितनी भाषाओंके बीच पलता है, वे सारी भाषाये उसकी स्वभाषा जैसी हो सकती हैं और उनमेंसे किसीके भी द्वारा उसकी तालीम आसानीसे चल सकती है। सम्भव है, उनमेंसे एक भी भाषा उसके माता पिताकी भाषा न हो। हमारे विशाल देशमें सच्ची स्थिति तो यह है कि अनेक बच्चे जिस साहित्यिक भाषा द्वारा तालीम लेना प्रारम्भ करते हैं, वह उनके घरोंमें बोली जानेवाली भाषासे भिन्न ही होती है। बिहारका आदमी जो हिन्दी सीखता है, उसे वह घरमें कभी नहीं बोल्ता। यही हाल नालन्दा है। साहित्यिक मराठी नागपुर या बरारकी जनताकी मराठी नहीं है। यही हाल गुजरातीका है। जिसकी एक निशानी यह है कि सच्चे अच्छे विद्वान् यदि साहित्यिक भाषामें गाँवके लोगोंसे बात करते हैं, और स्थानीय भाषा नहीं जानते, तो वे एक दूसरेकी बात पूरे तरहसे समझ नहीं सकते। उनके व्याकरण, लुटिप्रयोग, उच्चार और शब्दभंडार भी लुटे पड़ जाते हैं। कुछ मिला-जुलतापन होनेसे तब अितना होता है कि सार समझने आ जाता है। जिसलिसे बिल्कुल अपनी भाषा द्वारा तालीम दी जानेपर भी स्वभाषाकी तालीम नहीं दी जाती, और बहुत दूर तो स्वभाषा द्वारा तालीम देना ही अनम्भव होता है।

अतः यह मतलब नहीं कि स्वभाषा द्वारा दी जानेवाली तालीमका कोई महत्व ही नहीं है, या जिसकी मांग गलत है। बल्कि जिसका मतलब यह है कि (१) हमें अज्ञान अथवा पुस्तकों द्वारा ज्ञानप्राप्ति और मौखिक तथा कर्मा द्वारा ज्ञानप्राप्तिमें बीचके भेदको समझना चाहिये। (जिसे विद्यार्थी नीचे ज्यादा साफ किया गया है)। (२) पुस्तकज्ञानके क्षेत्रमें भाषाओंकी तादाद बढ़ानेका प्रयत्न करना ठीक नहीं है। (३) (अगर प्रदेशमें जाकर पढ़नेका खाल न हो, तो) स्वभाषा द्वारा शिक्षा लेनेके बजाय बचपनसे लगाकर आङ्ग्लिक एक ही भाषा द्वारा शिक्षा लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षणके वाहनको बाग्यार बदलना

अिष्ट नहीं है । प्राथमिक शिक्षण अेक भाषामे, माध्यमिक दूसरीमे और अुच्च शिक्षण किसी तीसरी ही भाषामे लेना अुचित नहीं है । अिसके वजाय यह ङ्यादा अच्छा है कि अपनी भाषा न हो, तत्र भी जिस भाषामे शिक्षण पूरा होना है, अुस भाषासे ही अुसकी शुरुआत की जाय । (४) अगर शिक्षणको सार्वत्रिक करनेका वेग बढे और प्रेे प्रान्तको भी किसी प्रचलित बोली या भाषाको भूलनेका प्रसंग आवे तथा शिक्षणके वाहनके रूपमे निश्चित की हुअी भाषा ही बोल्नी पडे, और अगर वह प्रजा राजी खुगीसे अिसे स्वीकार करनेके लिअे तैयार हो जाय, तो अिसमे कोअी दोष नहीं है । (५) कमसे कम अेक प्रान्तमे अेक ही भाषा द्वारा शिक्षण दिया जाना अिष्ट है ।

लिपि तो सिर्फ सुविधाकी ही चीज है । वह अगर पूर्ण हो यानी अिस तरह लिखी जा सके कि अुच्चारणोमे गड़बड़ी न हो, तो जो लिपि आसान और सुविधापूर्ण हो, वही अच्छी मानी जानी चाहिये । अिस वातसे डरनेकी जरूरत नहीं कि कोअी लिपि दुनियासे लुप्त हो जायगी । दुनियामेसे अनेक भाषाये और लिपियाँ लुप्त हो गयी हैं, बहुतसे ग्रथ लुप्त हो गये है या अैसे हो गये है कि अुन्हे पढा ही नहीं जा सकता । पढ लेनेपर भी समझमे नहीं आनेवाला बहुतसा प्राचीन साहित्य है, कअी मानव जातियोंका सिर्फ नाम ही बचा है — या नाम भी नहीं बचा । तो फिर भाषा, लिपि व साहित्यके बारेमे क्या कहा जाय ? बहुत कम आदमी अैसे होंगे जो अपने बापके दादासे पहलेके पूर्वजोंका नाम ठाम जानते है । वे कैसे थे, कहाँसे आये थे, कैसी भाषा बोल्ते थे, क्या पहनते थे, वगैरा किसी भी वातका अुन्हे पता नहीं है । मध्यकालमे हम गुजराती, महाराष्ट्री, बंगाली, बिहारी वगैरा बने । मगर हमारे पास सस्कृत साहित्य रह गया है, और अुसमे अिस देशके प्राचीन निवासियोंकी वाते है । अब हमे अपने सच्चे पूर्वजोंसे भी ङ्यादा ये पौराणिक तथा अैतिहासिक पुरुष तथा जिस भाषामे वे वाते सुरक्षित है वे ही ङ्यादा सच्चे लगते है । हरअेक हिन्दूको लगता है कि वह राम, कृष्ण, पांडव, राणा प्रताप, शिवाजी वगैराका वंशज है; मुसलमानको लगता है कि वह अरवस्तान और अीरानकी सस्कृतिका

प्रतिनिधि है। गुजरातीको लगता है कि वनराज चावड़ा और सिद्धराज सोलंकीते उसका सम्बन्ध है ! तिसपर हम जातपांतके भेद भूलनेकी, खूनमें स्फुरता आने, तो उसकी अपेक्षा करनेकी बातें करते हैं; मगर अिस बातकी चिन्ता करते हैं कि कहीं हमारी भाषामें अरबी या फारसी या अंग्रेजीका मिश्रण न हो जाय। अिसके लिये भीतर ही भीतर झगड़नेके लिये भी हम तैयार हैं और पुरानी बातोंको नवजीवन देना चाहते हैं।

कुंदरती कारणोंसे या मनुष्य द्वारा मनुष्यपर किये गये अत्याचारोंकी वजहसे भाषा, लिपि, वचैराज्य लोप या संकर कभी बार हुआ है। अगर अिसके दबाय मनुष्य अेकता और ज्ञानवृद्धिके लिये अिरादतन अैसा होने दे, तो अिसमें ज्यादा बुद्धिमानीकी बात होगी। धर्मकी तरह शिक्षा भी मनुष्यको मनुष्यसे अलग करनेवाली नहीं, बल्कि अेक करनेवाली होनी चाहिये, वह मनुष्योंको अपने बीचके पूर्वजोंकी याद दिलानेवाली और अुनके प्रति प्रेम पैदा करनेवाली नहीं, बल्कि सबके अेकमात्र पूर्वज अथवा आदिकारग — परमेश्वरका ही स्मरण करानेवाली और अुसके लिये प्यार पैदा करनेवाली होनी चाहिये।

२

भाषाके प्रश्न - अुत्तरार्ध

संस्कृतकी दृष्टिसे पहले खण्डमें अिस विषयपर कुछ विचार किया गया है। वहाँ मैं अुत्तर शिक्षणकी दृष्टिसे ज्यादा विचार कलेंगा। अुर पुस्तकों द्वारा ज्ञानप्राप्ति और वाणी तथा कर्मों द्वारा ज्ञानप्राप्तिके बीचके भेदका अुल्लेख किया गया है। वह स्पष्ट है कि शिक्षाका अुच्छेसे अुच्छा और स्फुरत वाहन शिक्षण देनेवालेकी नहीं, बल्कि शिक्षण लेनेवालेकी अपनी भाषा है। वह असंस्कृत, अशुद्ध व अनेक भाषाके शब्दोंकी लिखड़ी हो, फिर भी शिक्षण लेनेवाला अुत्ते ही ज्यादासे ज्यादा समझ सकता है। अुसकी सारफ्त दिया जानेवाला ज्ञान प्राथमिक हो, चाहे अुच्च हो — अुत्ते ही वह लिखड़ी भाषा द्वारा क्यों न हो — मगर वह शिक्षण लेने-वालेकी भाषा द्वारा ही होना चाहिये।

वाणी और कर्मों द्वारा दिये जानेवाले ज्ञानकी तुलनामे पुस्तक द्वारा दिया जानेवाला ज्ञान अेक तरहसे कम कीमतका है । मगर आज ज्ञानका अितना बड़ा भंडार पुस्तकों रूपी पेटियोंमे बन्द है कि बहुत बड़ी हद तक उसने वाणी और कर्मों द्वारा मिलनेवाले ज्ञानसे भी ज्यादा महत्त्वका स्थान ले लिया है । भाषा और लिपि अिन पेटियोंको खोलनेवाली चावियों जैसी है । जिनको ये चावियाँ मिले, उनके लिये ज्ञानका बहुत बड़ा भंडार खुल जाता है । अिसलिये बड़े पैमानेपर और बड़ी तेजीसे अश्वर-ज्ञान फैलानेकी जरूरत आ पड़ी है ।

जिस तरह गस्तेपर सार्वजनिक अुपयोगके लिये खड़े किये गये नलकी टोंटी अैसी नहीं होनी चाहिये कि अुसे खोलनेके लिये खूब ताकत या हिकमत या खास तालीमकी जरूरत पड़े, अुसी तरह पुस्तकोंको खोलनेकी चावियाँ भी अैसी होनी जरूरी है कि वे जैसे बने तैसे सवको सुलभ हो सके और अुनके अुपयोगका तरीका सवको तुरन्त ही आ जाय । अिन चावियोंके अनेक अटपटे 'पेट्ट' होना अिष्ट नहीं है । जिस तरह साअकल जैसी सार्वजनिक अुपयोगकी चीजे बनानेवाले कारखाने सैकड़ों हों, फिर भी अुनका ढाँचा और विविध भाग कुछ निश्चित कद और निश्चित मापके ही बनानेकी ओर हमारा झुकाव रहता है, अुसी तरह भाषा और लिपिके सम्बन्धमे भी होना चाहिये ।

भाषा और लिपिसे भाषाकी विविधताको टालना ज्यादा कठिन है, लिपिकी विविधताको टालना कम । सारी दुनियाकी बात तो अेक तरफ रही, हिन्दुस्तान जैसे विशाल ढेगकी, या अिसके किसी अेक ही भाषावार प्रान्तकी भाषामे भी विविधताका अुत्पन्न न होना असभव है । पटले बोलनेमे फर्क पड़ता है, वही धीरे धीरे लिखनेमे अुतरता है । लिपिकी विविधताको त्रिलकुल टाला भले न जा सके, फिर भी अुसे ज्यादा आसानीसे कम किया जा सकता है ।

मगर विविधता रहते हुअे भी अगर हमारे सकुचित दुराग्रह कम हों, तो नीचे बतलाये हुअे व्यावहारिक रास्ते अखिनयार किये जा सकते हैं :

भाषाके सम्बन्धमें—(क) मौखिक व्याख्यानोंमें सुननेवालेकी या शिक्षण लेनेवालेकी भाषाको ज्यादा महत्त्व दिया जाना चाहिये : यानी जिस भाषाको वह आसानीसे समझ सकता हो, उसी भाषामें बोलना वक्ताका पहला कर्तव्य है। बोलनेवाले शिक्षक या वक्ताको सुननेवालेकी भाषा सीखनी चाहिये, न कि सुननेवालेको वक्ताकी। इसका यह मतलब नहीं कि सुननेवालेकी भाषाकी व्याकरण या उच्चारण सम्बन्धी अशुद्धियाँ भी सुते रखनी ही चाहिये, मगर अतना ध्यान रहे कि बोलनेवालेकी अपेक्षा सुननेवालेकी सुविधा ज्यादा महत्त्वकी चीज है। कुछ हदतक सभ्यता भी इसी नियमके पालनमें है। मान लीजिये कि मेरे साथ बात करनेके लिये आनेवाला कोई अज्ञान मद्रासी या पारसी है, जो आसानीसे हिन्दी या (पारसी होते हुए भी) गुजराती नहीं बोल सकता। वहाँ अंग्रेजी पराधी भाषा होते हुए भी उसीमें बातचीत करना सभ्यता है। इसी तरह जिस विषयपर नुझे बातचीत करनी हो, उस विषयके खास शब्द, जिस भाषामें बातचीत चल रही हो, उससे भिन्न भाषाके होनेपर भी उनही ही काममें लेना चाहिये। अगर हम इस नियमको समझ ले, तो हिन्दी, अर्द्ध, हिन्दुस्तानी वगैरके विवाद कम हो जायें। और भाषाका विकास किसी खास प्राचीन भाषामें ही करनेका गलत आग्रह दूर हो जाय। तब हम मामूली तौरपर 'मोना' शब्द भी बोलेंगे और खास जगह पर 'स्वर्ण' या 'हिरण्य', जैसा शब्द भी काममें लेंगे; रसायनविद्यामें 'ऑरम' शब्द और 'au' नशका भी उपयोग करेंगे। अल्फ़ाबिनिनियम या निकलके लिये नये शब्द गढ़नेकी जरूरत नहीं समझेंगे। अक और अगर मारगेज शब्द काममें लाने ह, तो मारगेजर, मारगेजी भी लेने ही चाहिये, असा आग्रह नहीं रखेंगे। कन्ट्रॉक्टर शब्दका उपयोग करते हैं, इसलिये अिक्रर और अिक्ररानामा शब्द छोड़ देने चाहिये और कन्ट्रॉक्ट और कन्ट्रॉक्ट-डीड ही कहना चाहिये, असा भी आग्रह नहीं करेंगे। 'सिग्नेचर' के लिये सही या हस्ताक्षर शब्दका अिस्तेमाल करना सुननेवालेकी सहूलियतपर निर्भर रहेगा; और हस्ताक्षरका उपयोग किया अिन्लिये signed का हस्ताक्षरित या signatory का हस्ताक्षरी करना जरूरी नहीं होगा, और 'सही किया हुआ' : 'सही करनेवाला' शब्द अैने नहीं लेंगे अिले लोड की देना अिच्छे ।

(ख) पुस्तककी भाषाके सम्बन्धमें अनेक स्थानीय बोलियों और शब्दोंकी अपेक्षा व्यवहारमें आती हुई व्याकरण-शुद्ध भाषा और ज़्यादासे ज़्यादा प्रचलित शब्द काममें लेने चाहिये। मौखिक व्याख्यानमें भले सुननेवालेकी सहूलियतको ज़्यादा महत्त्व दिया जाय, मगर पुस्तकीय लेखनमें लेखक, पाठक और पुस्तकका विषय तीनोंकी परस्पर सुविधाका खयाल रखना ज़रूरी है। लेखक अगर अपनी ही सहूलियत और सन्तोषकी दृष्टिसे लिखे, तो जिसे गरज होगी वही पढ़ेगा। मगर लेखक पाठकके फायदेके लिये और पुस्तकके विषयको अच्छेसँ अच्छे ढंगसे पेश करनेके लिये लिखता हो, तो उसे भाषाकी योजनामें बहुत कुछ खुलापन और स्वतंत्रता भी लेनी होगी। मगर इसके साथ ही तालीमके क्षेत्रमें आनेवाली और उसके लिये ही लिखी गयी पुस्तकोंमें भाषाकी जिन प्रकारकी योजना शिक्षण लेनेवालेके लिये योग्यमें योग्य वाहन हो सकती हो, वैसी ही होनी चाहिये। इसमें ऐसा करनेकी जरूरत नहीं है कि शिक्षण लेनेवालेको इसकी भाषा समझनेमें कुछ भी मेहनत न अठानी पड़े। मगर वह योजना ऐसी भी नहीं होनी चाहिये कि भाषा समझने पर ही बहुतसा ध्यान देना पड़े। इसमें इस बातका भी खयाल रखा जाय कि शिक्षाका विषय कितना सार्वजनिक है। अदाहरणके लिये खेती, ग्रामोद्योग, व्यापार, स्वच्छता वगैराकी व्यावहारिक तालीमका एक तरफ तो स्थानीय महत्त्व है और दूसरी तरफ वह समूचे देश या पूरी दुनियाके लिये व्यापक है। डॉक्टरी विद्याये, विज्ञानकी विविध शाखाये, बड़े बड़े उद्योग और उनसे सम्बन्धित विद्याये वगैरा जगद्ब्यापी विषय हैं। सामान्य राजनीति, अर्थशास्त्र वगैरा राष्ट्रीय महत्त्वके विषय कहे जा सकते हैं। संस्कृत, फारसी, अरबी, द्राविड़ी वगैरा भाषाओंका प्रान्तों तथा पूरे हिन्दुस्तान और अगियाके अधिकांश भागकी भाषाओंके साथका सम्बन्ध मूल तत्व और उनमेंसे निकले हुए विविध रसायनों जैसा है; अंग्रेजी तथा अन्तरराष्ट्रीय वैज्ञानिक परिभाषा अिन भाषाओंमें अपरसे पड़े हुए मसालों जैसी मानी जायेगी। हिन्दुस्तानकी प्रान्तीय भाषाये अिन सभी भाषाओसे पोषित हैं। इसमें यह विषय बहुत महत्त्वका नहीं है कि किम भाषाका कितना 'परसेप्टेज' है। किसी भाषाके चाहे पाँच फी सदी शब्द भी न

हों, फिर भी जिस तरह क्षार और विटामिनके 'परसेप्टेज' गररीके स्वास्थ्य और गठनमें बहुत महत्त्वपूर्ण पार्ट अदा करते हैं, वैसे ही अिनका भी महत्त्व हो सकता है। अिसलिअे अिन भाषाओकी तरफ अिस तरह देखना अनुचित है कि वे कोअी रोग पैदा करनेवाले जहर हो, या हमे भ्रष्ट करनेके लिअे आअी हों।

अिन सारी दृष्टियोंते विचार करनेपर मुझे लगता है कि (१) प्राथमिकते लगाकर अुच्च शिक्षण तकके मौखिक शिक्षणमें जहांतक हो सके स्थानीय भाषाका ही अुपयोग होना चाहिये, फिर भले अुससे सम्बन्धित पाठ्य-पुस्तके अुस भाषामे न हों, और भले विशिष्ट परिस्थितिमें अपवाद रूपते किसी अध्यापकको हिन्दुस्तानीमें सिखानेकी छूट हो; (२) प्रान्तीय महत्त्वके विषय और शुरूआतकी पुस्तके प्रान्तीय भाषामे लिखी जायें; (३) अन्तरप्रान्तीय महत्त्वके विषयोंका लेखन हिन्दुस्तानीमें हो और यथासम्भव प्रान्तीय भाषाओंमें भी हो। अंग्रेजी भाषाकी पुस्तकोंका अुपयोग कामचलाअू हो, और जैसे बने तैसे अुसे कम करनेकी तरफ झुकाव हो, (४) अन्तरराष्ट्रीय महत्त्वके विषयोंके लिअे अंग्रेजी पुस्तकोंका अुपयोग तथा लेखन हो; और (५) अन्तिम मगर महत्त्वकी बात यह है कि बोलने या लिखनेकी भाषा चाहे जो हो, मगर सभी भाषाये अपने अुन शब्दोंको निकालकर नये बनानेका रख न रखे, जो अुनमें प्रचलित हो गये हैं, फिर भले वे किसी भी भाषाते क्यों न आये हों। पारिभाषिक शब्द अगर पाश्चात्य विद्याओं, धर्मों और सत्थाओंते सम्बन्ध रखते हों, और अिन विद्याओं वचैरामे प्रचलित हों, तो जहां तक बने अुन्हे ही रहने दिया जाय, फिर भले वे सज्ञाये हों, क्रियाये हों, गुण हों, मूल हों, या साधित हों, या व्याकरणके दूसरे कोअी अग हों, और जहां अैसे शब्द नये ही बनाये जायें, वहां सारे प्रान्तोंमें अनिवार्य रूपते अेक ही रहे। किसी नये विषयका लेखक या नया शोधक अलवृत्ता अुसे योग्य ल्यो, वैसे शब्द बना सकता है, और जहां तक हो सके, वे ही शब्द सारे प्रान्तोंमें स्वीकार किये जायें।

हिन्दुस्तानीके नामते मैं जिस भाषाका सुझाव रखता हूँ, वह किसी दनावटी, वेसिक अंग्रेजीकी तरह अमुक ही शब्द-भंडारवाली या व्याकरणकी

मर्यादामे बंधी हुआ भाषाका नहीं, बल्कि ऊँचेसे ऊँचा, अच्छेसे, अच्छा, लेखककी भाषागतिकी क्षेत्र देनेवाला साहित्य उत्पन्न कर सकनेवाली भाषाका है। उसका गद्दमंडार, वाक्यरचना, गैली वगैरामे सस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी या दूसरी किसी भी भाषाका उपयोग किया जा सकता है। उसका व्याकरण तथा रूढ़िप्रयोग साहित्यिक हिन्दी तथा साहित्यिक उर्दू दोनोंके आधारपर रचे जा सकते हैं और किसी दूसरी भाषाका भी उपयोग कर सकते हैं, मगर जिसमें किसी शास्त्रीय विषयकी पुस्तके लिखनी हों, और शिक्षण सस्थाओंके लिये तथा रोजानाके सामाजिक नियमों या व्यापार या दूसरे क्षेत्रोंके व्यवहारके लिये उपयोगी विषयोंका निरूपण करना हो, तो उसमें प्रचलित गद्दोंका तथा अन्तरप्रान्तीय व अन्तरराष्ट्रीय परिभाषाका ही उपयोग करना चाहिये। साहित्यिक निबन्ध, काव्य, कथा वगैरामे लेखकको अपनी रुचिके अनुसार चाहे जैसी भाषा लिखनेकी आजादी हांती ही है। जितनी ही वह भाषा समाजको प्रिय होगी, उतनी ही दूसरे क्षेत्रोंमें तथा व्यवहारमें दाखिल होती जायगी, और भाषाको समृद्ध करती जायगी।

भाषाओंके सम्बन्धमें हमारे देशमें एक शौक जरूरतसे ज्यादा फैला हुआ है। जिसपर मैं शिक्षणकी दृष्टिसे कुछ कहना चाहता हूँ। विविध कारणोंसे हमारे देशके ब्राह्मण और व्यापारी वर्गको जुदी जुदी भाषायें सीख लेनेकी हथौटी जैसी सध गयी है। अलवत्ता, दोनों वर्गोंकी सीखनेकी रीति और उसपर काव्य व विद्वत्ता जुड़े प्रकार की है। मगर एकाध ज्यादा भाषा सीख लेना उनके लिये आसान बात हो गयी है, और ऐसा होनेसे उन्हें जिसका शौक भी लग गया है। बारह-तेरह भाषायें जाननेवाले विद्वान हमारे यहाँ मिल सकते हैं। शिक्षणका तत्र ज्यादातर अन्हींके प्रभावमें रहनेसे शिक्षणमें भाषाओंकी तादाद बढ़ानेकी ओर ही उनका झुकाव रहना है। स्वाभाविक होनेसे मातृभाषा, देशवासीकी हैसियत से—हिन्दी, उर्दू दोनों शैलियोंसे युक्त—हिन्दुस्तानी, स्वभाषाकी जननी होनेसे सस्कृत या फारसी, धर्मके कारण सस्कृत-प्राकृत, या अरबी या जद भाषा, पड़ोसी धर्मकी रूसे पड़ोसी प्रान्तकी भाषा, एकाध द्राविडी कुलकी भाषा, और अन्तरराष्ट्रीय होनेसे तथा पाश्चात्य विद्याओंका द्वार रूप

होनेसे अंग्रेजी भाषा — अिस तरह सुझावकी सीमा छह-सात भाषाये सीम्बने तक पहुँच जाती है ।

हिन्दुस्तान जैसे बड़े देशमे जैसे अनेक भाषाये जाननेवाले पाँच-दस हजार भाषा-पडितोंके होनेमे कोअी बुराअी नहीं है । अपनी हीस या गौकसे भले कोअी आदमी अेकके बाद अेक नयी नयी भाषा सीखता चला जाय । अिस तरह सीखनेकी अिच्छा रखनेवालेको वँसी सुविधा मिलनी रहे तो बस है । फिर व्यापारी या राजारू पद्वतिसं—यानी किसी दूसरे प्रान्तके लोगोंके बीच बसकर और अुनके प्रत्यक्ष सहवासमे रहकर—अगर कोअी आदमी जुदी जुदी भाषाये सीख लेता है, तो अिसमे कोअी दोष नहीं है । मगर शिक्षणके तत्रमे भाषा ज्ञानको स्थान देनेका सवाल हो और फिर अुन भाषाओंके साथ विविध लिपियाँ भी हों, तो भाषाओंकी तादादपर कुछ मर्यादा रखनी चाहिये । दूसरे अनेक अुपयोगी विषयोंको क्रम करनेपर ही विविध भाषाओंको जगह दी जा सकती है । अिस दृष्टिसे मेरी रायमे सिर्फ दो ही भाषाओंका व्यवस्थित शिक्षण आवश्यक हो सकता है : अेक प्रान्तकी साहित्यिक भाषा और दूसरी हिन्दुस्तानी । ये दोनों भाषाये खूब अच्छी तरहसे सिखाअी जानी चाहिये । दूसरी सारी भाषाओंका शिक्षण जरूरत पड़नेपर और आवश्यकताके अनुसार ही दिया जाय । अुदाहरणके लिअे, अुच्च शिक्षणमे विज्ञानकी विविध शाखाओंमे अंग्रेजी और जर्मनमेसे अेक या दोनों भाषाओंकी जरूरत पड सकती है । राज्यतत्रके विषय सीखने-वालेको अंग्रेजी और दुनियाकी कोअी दूसरी अेक या ज़्यादा भाषाये भी सीखनी जरूरी हो सकती है, दर्शनशास्त्रोंके अभ्यासी, भाषाशास्त्री वगैराके लिअे अेक या ज़्यादा प्राचीन भाषाये सीखना आवश्यक हो सकता है । प्रायः सभी विषयोंमे अंग्रेजीकी समान जरूरत होनेसे मौजूदा जमानेकी जरूरतके अनुसार अुसका अितना शिक्षण तत्रके लिअे लाजमी किया जा सकता है, जितते अुच्च शिक्षणमे पुस्तके वगैरा समझमे आ सके । मगर, अिसके अलावा दूसरी भाषाओंके सिर्फ भाषाके खास विद्यार्थी ही सीखे, और वर भी अुच्च शिक्षण लेना आरम्भ करनेके बाद ही ।

धार्मिक शक्ति तथा चरित्रकी अुन्नति या आत्मज्ञानके लिअे प्राचीन भाषाओंका ज्ञान आवश्यक नहीं है, न व्यवहार चलानेके लिअे ही अनेक

भाषाओंके व्यवस्थित — व्याकरणवद्ध शिक्षणकी ज़रूरत है। कभी भाषाओंका सिर्फ समझना और पढते वन जाना काफी होता है, उनको लिखते या बोलते आना जरूरी नहीं है। किसी प्रान्तीय भाषाके या हिन्दुस्तानीके व्यवस्थित शिक्षणमे उन प्राचीन या अर्वाचीन भाषाओंके आवश्यक अगोंका समावेश होना चाहिये, जिन्होंने उस भाषाके व्याकरणके रूपमे उसकी रचनामे ऑट-चूना-रेती वगैराका काम किया है। मगर उसके लिअे हरअेकको वे प्राचीन या अर्वाचीन भाषायें सीखनी ही चाहिये अंसा जरूरी नहीं है।

अगर भाषाज्ञानकी महिमा और उससे सम्बन्धित वहम कम नहीं होंगे, तो अद्योगपरायण, व्यवहारकुशल और प्रसन्न बुद्धिकी प्रजाका निर्माण होना कठिन है। कोअी चाहे जितनी हॉक-पुकार करे, शिक्षणमे पंडिताअी ओर तर्क-कुशलताका ही प्रथम स्थान रहेगा।

३

लिपिका प्रश्न — उत्तरार्ध

लिपिके सम्बन्धमे भी मै पहले खडमे कह चुका हूँ। यहाँ हमे शिक्षणकी दृष्टिसे उसपर विचार करना है।

स्वर-व्यजन वगैराकी व्यवस्थित जमावट (वर्णव्यवस्था या वर्णानुक्रम) और वर्ण (जुदी जुदी लिपियोंमे ध्वनियाँ दिखानेवाली आकृतियाँ और मरोड़) दोनो अेक ही चीज नहीं है। अस बातमे कोअी अनकार नहीं कर सकता कि सस्कृत भाषाका वर्णानुक्रम बहुत व्यवस्थित है। असमे भी मन्देह नहीं कि अलिफबे या अे-बी-सीके क्रममे कोअी व्यवस्था नहीं है। और यह भी सच है कि स्पष्ट अुच्चारण दर्गानेके लिअे कमसे कम जितने स्वतंत्र अक्षर चाहिये, अतने अिन दो लिपियोंमे नहीं है। अिन दो की अपेक्षा भी सस्कृत वर्णानुक्रमवाली लिपियेमे बहुत ज़यादा अक्षर है।

अरबी-फारसी लिपिके सवालपर असते ज्यादा चर्चा करनेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अस लिपिको अस देशकी या जगतकी ऐकमात्र लिपि बनानेका कहीं भी सुझाव नहीं है। असलिसे सवाल मस्कृत वर्णमालावाली विविध लिपियों और ऐन्नीसी के बीच ही है।

अक्षरोंकी तादाद और अनुक्रम-व्यवस्थाकी दृष्टिसे मस्कृत कुलकी लिपियोंकी विगेषता अपूर बतलायी गयी है, मगर आकृतियों, स्वर-व्यजनके योगों और संयुक्ताक्षरोंकी सरलता और असलिसे उनको सीखने तथा लिखनेमें आसानीकी दृष्टिसे विचार करें, तो ऐन्नीसीके गुण मस्कृत कुलकी किसी भी लिपिसे बढ जाते हैं और अस बातसे अन्कार करना मूढाग्रहके सिवा और कुछ नहीं है। असकी आकृतियोंकी सरलता के लिसे दो कसौटियों काफी हैं। ऐन्नीसी के छन्वीस अक्षर और ध्वनियोंको उपजानेवाले मस्कृत कुलकी किसी भी लिपिके छन्वीस अक्षर अत्र ही मापमें (मान लीजिये अत्र वर्णोंअत्रके चौकठमें) लिखे और फिर नापकर देखे कि अंग्रेजी अक्षरोंमें कुल कितने अत्र लम्बी रेखाये खींचनी पडती हैं और हमारी लिपियोंमें कितनी। पता चलेगा कि अंग्रेजी लिपिमें कुल मिलाकर कम लम्बी रेखाये हैं। असका कारण यह है कि विविध अक्षरोंमें हमारी लिपियोंके मुकाबले ऐन्नीसी में कम मरोड और गठि बगैरा आती हैं।

दूसरी जौंच यह है कि अत्र बालक तथा अत्र निरक्षर प्रौढको अध-आध घटे हमारी लिपिके मूलाक्षरों तथा अंग्रेजी लिपिके मूलाक्षरोंका पन्च्य देना प्रारम्भ कीजिये और देखिये कि वे कित लिपिके अक्षरोंको ज्यादा तेजीसे गद कर सकते हैं। असके बाद अन्हे लिखना सिखाअिये और देखिये कि किन अक्षरोंको वे जल्दी लिखना सीख जाते हैं।

हमारा वर्णानुक्रम तो अच्छा है, मगर वर्णोंके मरोड — आकार — मूल नहीं है, और अन्हे स्वरोंके साथ मिलाने व संयुक्ताक्षर लिखनेकी पद्धति में सुविधानरी नहीं है। असमें अन्हे सीखने तथा लिखनेमें ज्यादा नेतन पडती है और गति भी धीमी रहती है।

फिर भी, अगर हम अतन तीव्र देनाभिमानी हो सके कि प्रान्तीय लिपियोंको छोडकर देवनागरीमें ही नारी प्रान्तीय भाषायें

लिखना मजूर करे, तो अंग्रेजी लिपिका सवाल अेक तरफ छोड़ा जा सकता है और अुर्दू लिपिका सवाल भी बहुत गौण हो सकता है । देवनागरीको सुधारना तो होगा ही, मगर जो प्रजाये अपनी अपनी प्रान्तीय लिपियाँ छोड़नेकी अँचाअी तक अुठेगी, अुन्हे देवनागरीको सुधारनेके वारेमे सम्मत होनेमे ज़यादा कठिनाअी नहीं महसूस होगी ।

अगर प्रान्तीय लिपियोंका सवाल अिस तरह विलकुल हट जाता है, तो अुर्दू लिपि लिखनेवाले प्रान्तोंको तथा (हिन्दू-मुसलमान जो हों अुन सब) जातियोंको समझाया जा सकता है कि आप चाहे जैसी अग्वी — अुर्दू गढ़िये, 'चाहे जितनी अुसे अरबी-फारसी भरी बनाअिये, मगर अुसे देवनागरीमे ही लिखिये और देवनागरीमे ही सीखिये । अिसमे आपकी भाषाको भी फायदा है और देगकी दूसरी भाषाओंको भी फायदा ही होगा ।

मगर यदि हम अपने प्रान्तीय अभिमानको न छोड़ सकते हो, तो मान लीजिये कि सिर्फ मुसलमान ही अुर्दूवाले हो, फिर भी वे अगर अुर्दूका आग्रह न छोड सके तो अुन्हें दोष नहीं दिया जा सकता ।

मगर प्रान्तीय लिपियोंका आग्रह छूट सकना आज मुदिकल मालूम होता है । तब फिर यह देखना बाकी रहता है कि शिक्षण और राजतन्त्रकी दृष्टिसं अिस समस्याको कैसे हल किया जा सकता है । वहाँ रोमन लिपि भी अपनी अुम्मीदवारी पेग कर रही है । लेखन, छपाअी वगैराकी दृष्टिसं अिसकी सुविधाके सम्बन्धमे मैं अूपर कह चुका हूँ । कोअी भी दो लिपियाँ जाननेवालोंकी अगर मर्दुमशुमारी करें, तो दूसरी लिपिकी तरह रोमन लिपि जाननेवाले सबसे ज़यादा निकलेंगे । देगकी कुछ भाषायें रोमनमे लिखी भी जाती है । तारों व चिट्ठी-पत्रीमे सभी भाषाओके व्यक्तियों तथा स्थानोंके नामोंके लिअे रोमन लिपिका ही अुपयोग होता है । देगके बाहर जगतमे यही लिपि सबसे ज़यादा महत्त्वकी है । अिसके दोषोंको थोड़े फेरफारसे दूर किया जा सकता है ।

अिन सब बातों पर विचार करनेके बाद मैं नीचे लिखे नतीजों पर पहुँचा हूँ :

१. रोमन लिपिका अैसा स्वल्प निश्चित किया जाय, जिससे वह प्रान्तकी विविध भाषाओंके अुच्चारणको पूरी तरहसे और ठीक ठीक पेश कर सके. अिसे निश्चित की हुआ रोमन लिपि कहा जाय ।

२. सबके लिये दो लिपियोंका ज्ञान आवश्यक हो, प्रान्तीय लिपिका और निश्चित की हुआ रोमनका ।

३. किसी भी रूपमें हिन्दुस्तानीको मातृभाषाकी तरह बोलनेवालेके लिये जो दो लिपियाँ हैं, वे हैं देवनागरी और अुर्दू । यानी मातृभाषाकी तरह हिन्दुस्तानी सीखनेवालेके लिये देवनागरी तथा रोमन, अथवा अुर्दू तथा रोमन लिपियोंका ज्ञान आवश्यक हो ।

४. हिन्दुस्तानीको राष्ट्रभाषाकी तरह सीखनेवाला अुसे अपनी प्रान्तीय लिपिमें तथा रोमन लिपिमें सीखे, और अुन दोमेंसे किसीभी अेकका अपनी सुविधाके अनुसार अुपयोग करे । प्रान्तीय सरकार अुन दोनोंको मान्य रखे । प्रान्तकी भाषाके सम्बन्धमें भी यही कहा जा सकता है ।

५. केन्द्रीय सरकारके कारवारमें अुपयोगमें आनेवाली हिन्दुस्तानीमें प्रजा 'निश्चित की हुआ' रोमन, देवनागरी तथा अुर्दूमेंसे किसी भी लिपिका अुपयोग करे । प्रजाकी जानकारीके लिये प्रकाशित किये जानेवाले लेखन वगैरामें रोमन तथा जिस प्रान्तके लिये वह लेखन प्रकाशित हो वहाँकी लिपि दोनोंका अुपयोग किया जाय ।

अिस व्यवस्थासे देजकी हरअेक भाषाके लिये कमसे कम अेक सामान्य लिपि — और वह भी जगद्व्यापी लिपि—प्राप्त हो सकेगी, और राजानामें भीतरी व्यवहारमें तथा साहित्यमें प्रान्तीय लिपियाँ भी रह सकेगी । और कौअी भी भाषा सीखनेका रास्ता आसान हो जायेगा, ।

अतिहासका ज्ञान

पिछले पचास बरसोंसे विद्वानोंने अतिहासके ज्ञानकी बड़ी महिमा गाओ है, और अनेक दिशाओंमें अतिहासिक ग्रांथ करने तथा अनेक विषयोंका अतिहास लिखनेकी काफ़ी कोशिश हुआ है। अपने देश, जगत तथा जीवनकी अनेक बातोंका पिछला अतिहास जानना मनुष्यकी सर्वांगीण और सामान्य तालीमका आवश्यक अंग माना गया है। अर्थशास्त्रियोंमें अतिहासवादियोंका एक सम्प्रदाय ही है। कम्युनिस्ट अपनी विचारसरणीको अतिहासिक सत्तोंपर ही आधारित मानते हैं और उस परसे मानव जीवनके भविष्यके सम्बन्धमें निश्चित मत प्रतिपादित करते हैं। अतिहासिक ज्ञानकी महिमामेसे अतिहासको 'सुरक्षित रखनेका' भी एक आग्रह पैदा हुआ है और वह इस हद तक बढ़ा है कि मानवके आदियुगका नमूना लुप्त न हो जाय, इसलिये कुछ पुरातत्त्ववादियोंका विचार है कि जंगली व पिछड़ी हुई जातियोंको उनका आदि दशामे ही रहने दिया जाय। जैसे लोग भी हैं, जो अनेक रूढ़ियों तथा सत्ताओंको आजके जीवनमें अर्थहीन और असुविधाजनक होते हुए भी अतिहासको सुरक्षित रखनेके लिये बनाये रखना चाहते हैं।

जब अतिहासका अितना ज़्यादा महत्त्व माना जाता हो, तब मेरे यह कहनेमें घृष्टता मालूम होगी कि यह मान्यता लगभग वहमकी कोटिकी है। मगर बड़ी नज़रतासे मैं कहना चाहता हूँ कि अतिहासके ज्ञानका जितना महत्त्व माना जाता है, अतने महत्त्वका पात्र वह नहीं है। इसमें पीतलके गहनेको सोनेका गहना मान लेने जैसी ही भूल की जाती है।

सच बात तो यह है कि किसी भी घटनाका सोलह आने सच्चा अतिहास हमें भाग्यसे ही मिलना है। खुदकी ही की हुआ और कही

हुआ वातोंकी भी याददास्त अितनी तेजीसे फीकी पड़ जाती है कि थोड़े समय बाद अुनमे सत्य और कल्पनाका मिश्रण हो जाता है। किमी मानन-शान्तिने अेक प्रयोगका वर्णन किया है। विद्वानोंकी सभामे अेक नाट्य-प्रयोग किया गया। अुसमे अेक वारदातका प्रदर्शन किया गया। प्रयोगके साथ ही अुसकी फिल्म भी अुतार ली गयी। प्रयोग कुछ मिनिटोंका ही था। प्रयोग होनेके आधे घण्टे बाद श्रोताओंसे कहा गया कि अुन्होंने जो देखा अुसका ठीक ठीक वर्णन लिखे। नतीजा यह आया कि तीस साक्षियोंसे सिर्फ अेक दोक्रे वर्णन तो फिल्मके साथ ८० फीसदी मिलने थे। षष्ठ सत्रके वर्णनोंमे ४० फीसदीसे ६० फीसदी तककी भूलें निकलीं।

अिसमे आश्चर्य करने जैसी कोयी बात नहीं है। जब तदर्थ और सावधान साक्षी भी घटनाओंको यों तेजीसे भूल जाते हैं, तब फिर जिनमे घटनाके अुत्पन्न करनेवाले तथा लिख रखनेवाले लोगोंका कोयी रागद्वेष — पक्षपात वचैरा हो, अुनके वर्णनोंमें अगर सचायीका हिस्सा कम हो और जैसे जैसे समय बीतता जाय, वैसे वैसे ज़्यादा ज़्यादा कम होता जाय, तो अिसमे आश्चर्यकी क्या बात है? वर्तमान, घटनाये भी अेक ही दिनमे अैसी सजायास्पद बन सकती है कि सब सच घटना क्या घटी. यह कभी भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। कल तक कलकत्तेकी 'काल कोठरी'की दातको सभी विद्यार्थी और शिक्षक सच्ची घटना नमझते थे। वही अब गप साबित हुयी है। अभी हाल ही मे प सुन्दरलालजीने यह बतलाकर हमे आश्चर्यचकित कर दिया है कि सोमनाथको लूटनेकी बात भी सच नहीं है। अगस्त १९४६के बाद देराभरमे होनेवाले हिन्दू-मुस्लिम अत्याचारों और दगोंका सोलह आने सच्चा अितित्त्व कभी भी नहीं मिन्न सकेगा। कृष्णका सच्चा जीवन-चरित्र कौन जान सकता है? रामका ही नहीं, अीता मसीहका भी कभी जन्म हुआ था या नहीं. और अुंते क्रॉस पर चढाया गया था या नहीं, अिन्तर भी शका की गयी है। शेक्सपीयरके नाटकोंके सम्बन्धमे प्रेमानन्दके नाट्यों जैना ही विवाद है। अधर विद्वानोंमे अित सम्बन्धमे चर्चा है कि कालिदान किन्ने हो गये है।

अस तरह जिस अतिहासके ज्ञानकी हम महिमा गाते हैं, वह भले ही अतिहासके नामसे और सेन्ट्रिगियेटके दफ्तरों तथा प्रत्यक्ष भाग लेनेवालोंके मुँहसे सुनकर लिखा गया हो, फिर भी वह अपन्यास या सम्भाव्य घटनासे ज्यादा कीमती नहीं होता। असका वाचन और पिछली कड़ियोंको खोजने और जोड़नेकी बौद्धिक कसरत मनोरञ्जक अवश्य है, मगर शेक्सपीयर, कालिदास, बर्नार्ड शॉके अुत्तम नाटकों, या पौराणिक वार्ताओं तथा परम्परागत दनकथाओंसे न तो अिमकी ज्यादा कीमत करनी चाहिये न उनसे ज्यादा असके ज्ञानका मोह ही रखना चाहिये।

अतिहास पढ़कर भूतकालके सम्वन्धमें हम जो कल्पनाये करते हैं, वे योग्य मात्रासे बहुत ज्यादा व्यापक रूपलिये होती हैं। और उनपरसे हम जो, अभिमान या द्वेष अपने दिलोंमें पालते हैं, वे तो बेहद अनुचित होते हैं। प्रजाजीवनके वर्णनोंमें प्रजाके बहुत ही थोड़े भागके जीवनकी जानकारी उसमें दी हुयी रहती है, मगर हम समझ लेते हैं कि वह पूरी प्रजाकी हालतका वर्णन है। भूतकालमें भी समृद्धि थी। बड़े बड़े नगर, नालदा जैसे विद्यापीठ वगैरा थे; अस जमानेमें भी है। मगर हमें ऐसा नहीं लगता कि आजकी तरह तब भी थोड़े ही लोग उन समृद्धिका उपभोग करते होंगे, ज्यादातर लोग गरीब ही होंगे; गुरुकुलोंका लाभ गिने चुने लोग ही लेते होंगे; गार्गी जैसी विदुषी कोभी हर ब्राह्मणके घरमें नहीं होगी; अनेक ब्राह्मणियों तो आज जैसी ही निगक्षर होंगी, और दूसरे वर्णोंके स्त्री-पुरुष भी आज जैसे ही होंगे। मगर हम समझते हैं कि उस समय तो सभीकी हालत अच्छी ही थी, बादमें बदल गयी। लेकिन बहुत बड़े प्रजा-समूहके लिये ऐसा कहाँ तक कहा जा सकता है, असमें शक ही है।

शिवाजीने उस जमानेके मुसलमान राज्योंके खिलाफ मोर्चा लिया और स्वतंत्र हिन्दू राज्यकी स्थापना की, असपरसे मराठे मात्रको लगता है कि मुसलमानोंसे द्वेष करना उनका कुलधर्म है, अिसी न्यायमें शिवाजीने सूरतको लूटा था, अिसे पढ़कर मेरे एक बचपनके साथीको, जिसके पूर्वज सूरतमें रहने थे, ऐसा लगता था कि शिवाजी और मराठे सब लुटेरे ही थे और महाराष्ट्रियोंके प्रति बुरा रखनेमें उसे कुलअभिमान मालूम होता

था । अगर इतिहास जैसी कोसी चीज न हो, मनुष्यको भूतकालकी कोसी स्मृति ही न रहती हो, तो देग-देग और प्रजा-प्रजाके बीचकी दुष्मनियोंको पोषण न मिले । अभी तक अैसी कोसी प्रजा या व्यक्ति नहीं हुअे, जिहोंने इतिहास पढ़कर कोसी शिक्षा ली हो और समझदार बने हैं ।

सच पृछा जाय, तो इतिहास स्मृति या याददान्तका ही दूसरा नाम है । क्योंकि ज्यादातर इतिहास लिखनेकी प्रवृत्ति अुस समय नहीं होती, जब कि स्मृति ताजी होती है, बल्कि अुस समय होती है, जब वह धुधली पड जाती है और सच्चे हाल्चाल जाननेके साधन भी लुप्त होने ल्याते हैं । अगर ताजी और सच्ची स्मृति भी मनुष्यको मिला हुआ वरदान ही नहीं, बल्कि शाप भी है । दो गायोंके बीच सहानुभृति — प्रेम सदा रहता है । अुनके बीच हुआ झगड़ा क्षणिक होता है, क्योंकि अुनकी याददास्त बहुत कमजोर होती है । और जब झगड़ा न हो, अुसकी याद भी न हो, तब अुनकी आपत्तकी सहानुभृति स्वभावसिद्ध ही होती है । अगर मनुष्य स्मृतिको ताजी रखकर ज्यादातर द्वेषको ही जीवित रखता है; यानी सहानुभृतिको — प्रेमको घटाता है । स्वभावसिद्ध सहानुभृति या प्रेम अगर किसी खास कर्म द्वारा व्यक्त किया गया हो, तो वह याद रहे और पुष्ट हो; अगर अुत्के अभावमें या अुले भुला सकनेवाला झगड़ा कहीं अेकाध बार भी हो जाय, तो वह स्मृतिद्वारा लुप्त अरसे तक टिकता है ।

यह सच देखते हुअे मुझे नहीं लगता कि इतिहासका शिक्षण, काव्य-नाटक-पुराण-अुपन्यास वगैरा साहित्यके शिक्षणसे ज्यादा महत्त्व रखता है । इतिहासका अज्ञान अेकाध प्रसिद्ध नाटक या काव्यके अज्ञानसे ज्यादा बड़ी खामी नहीं है । अिते मनोरंजक साहित्यका ही अेक विभाग समझना चाहिये ।

आजका मानवजीवन इतिहासका ही परिणाम है । हमे वर्तमान मानव-जीवनका अच्छी तरहसे निरीक्षा करना चाहिये और इतिहासकी कैदमें पडे वरि अुत्की समझाओंका हल खोजना चाहिये । अैसा भय रखनेका कोसी कारण नहीं है कि इतिहास टूट जायगा या अुसकी परम्परा नहीं निभेगी ।

क्योंकि उसके संस्कार तो पहलेसे ही हमारे जीवनमें दृढ हो चुके हैं। असलिये चाहे जितना क्रीजिये, उसकी कारण-कार्य-शृंखला तो टूट ही नहीं सकती। जो उपाय हम सोचेंगे, वे हमें भूतकालके किसी संस्कारमेंसे ही सूझेंगे, यानी त्रिन-पट्टे अतिहासमेंसे ही सूझेंगे। पट्टे हुए अतिहासका, अल्ट्रे अिसमें विन्नरूप होना ही ज्यादा सभव रहता है।

अगर अतिहास न होता, तो इंडेके चक्रकी अगोकके धर्मचक्रमें या कृष्णके सुदर्शन चक्रसे तुलना करनेकी अिच्छा न होती; और चाँद-तारेके इंडेको भी महत्त्व न मिलता। अतिहासका ज्ञान क्षीण होनेके कारण जिस तरह मध्यकालमें हिन्दुस्तानमें आये हुअे गक, हृण, यवन, बर्बर, असुर वगैरा लोगों तथा अनेक धर्मों और आर्योंके बीच आज कोअी स्वदेशी-परदेशीका भेद नहीं करता या हिन्दूकी 'सावरकरी' व्याख्या पढने नहीं बैठता, अुसी तरह आज मुसलमान, अीसाअी, पारसी वगैराके सम्बन्धमें भी हुआ होता। पौराणिक चतुःसीमाके अनुसार अरबस्तान, तुर्कस्तान, मिश्र, बरमा, वगैरा सत्र देश भरतखंडके ही देश माने जाते। जिस तरह अतिहासके अज्ञानके कारण कुछ लोग मानते हैं कि सारे पुराण अेक ही कालमें और अेक ही व्यक्ति द्वारा लिखे गये हैं, अुसी तरह सारे धर्म सनातनधर्मके ही भेद समझे जाते। अतिहास पढनेके परिणाम स्वरूप हम दूसरोंसे अलग होना सीखे हैं, मिलना नहीं।

शिक्षणमें अतिहासको गौण स्थान देनेकी जरूरत है। उसकी कीमत भूतकाल सम्बन्धी कल्पनाओं अथवा दन्तकथाओंके बराबर ही समझनी चाहिये।

अुपसंहार

अब अिस लम्बे विवेचनको पूरा करना चाहिये ।


अिस विषयमे कहीं भी मतभेद नहीं है कि जगत आज अतिशय अत्वस्थ है । विज्ञान और अुद्योगोंमे बहुत कुछ विकास हुआ और हररोज बढ़ता जाता है । मानव जातिके प्रारम्भते लेकर सन् १८०० अीस्वी तकके लम्बे समयमे भी कुल जितना अुत्पादन नहीं हुआ, अुनना और अनन्त प्रकारका अुत्पादन पिछले दो सौ बरसोंमे हुआ होगा । पुराणों तथा योगशास्त्रोंमे वर्णित सिद्धियाँ हम प्रत्यक्ष होती देखते हैं और बिना योग साधे अुनका अुपभोग कर सकते हैं । फिर भी तगीका पार नहीं, दुःखोंका अन्त नहीं, शांति-सुख-स्तोषका नाम नहीं । अिन्सान अिन्सानको देखकर खुश नहीं हो सकता । वह द्राघ और सॉपते भी ज़्यादा घातक और जहरीला बन गया है । कोअी देश या कोअी प्रजा अैसी नहीं रही, जो मानवताके अभावकी दृष्टिते दूसरे किसी देश या प्रजाते कम हो । यह नहीं कहा जा सकता कि अज्ञान, चरीदी या जगली जीवनकी अपेक्षा विद्वत्ता, विज्ञान, तत्वज्ञान या सभ्यताके साथ अमानवताका कम मेल बैठता है ।

हमारे जीवनमे कहां खराबी है ? सुखके साधन हमारे लिअे दुःख रूप — शाप जैसे क्यों हो पड़े हैं ? अिसका मुझे जो कारण मालूम होता है, सो करता हूँ :

दगीचेका माली ल्ताकी जड़मे पानी डालता है. वहां खुर्गी चलाता है. निरी चढाता है, अुसकी नीरोगताकी जांच करता रहता है । जब अुत्पर फूलोंकी बहार आती है, तो क्षगभर खुश हो ल्ता है. कुछ गुच्छे तोडकर मालिकको दे आता है । अुत्ते फूलोंको देखते हुअे खड़े रहनेकी ज़्यादा फुरसत नहीं होती । अगर दगीचेका मालिक दाईंमे घूमने निकलता है, तो फूलोंको देखनेमे ही लीन हो जाता है । फूलोंको अुपजानेवाला ल्ता और अुत्के मूलको देखनेकी बात अुत्ने दृष्टती ही नहीं । दतीन जैसे सुखे और फूल-पत्तोंमे रहित मूलकी तरफ भला अुत्का

कैसे आकर्षण हो सकता है? उसका दिल तो फूलोंके रंग और गधमे ही रमता है। अिस तरह वह पूरे बगोचेमे घूम लेता है, मगर उसकी नज़र झाड़ोंके अूपरी वैभवपर ही घूमती रहती है, नीचे झुककर अुनके मूल नहीं देखती। अुसमे रसिकता है, मगर वह कार्यको ही समझ सकता है, कारणकी कदर नहीं कर सकता।


अथवा, अेक दूसरा दृष्टांत लें : अंकु आकारके नीचे जैसे अेक बहुत लम्बे पोगेकी कल्पना कीजिये। अुसके बीचमे खड़ा हुआ मनुष्य



अगर ख की ओर अपना मुँह रखकर चलता है, तो अुसे विकास और विस्तार ही दिखायी पड़ते हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, वैसे वैसे प्रदेशकी अनन्तता ही मालूम पड़ती है। कहीं भी अुसके आदि, अन्त या मूल नजर नहीं आते। समीकृष्ट आगे और आगे बढ़ता हुआ और अेक दूसरेसे दूर व दूर जाता हुआ ही जान पड़ता है। अैसा लगता ही नहीं कि अिसका कभी अन्त भी आयेगा। अुसे लगता है मानो अनन्तमे भटकते भटकते वह खुद ही खो गया हो। मगर वही मनुष्य जब क सिरकी ओर मुड़ना है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे संकरापन और सकोच बढ़ने जाते हैं। सभी कुछ छोटा और भीड़मे फँसा हुआ-सा जान पड़ता है। अगर वह आगे चलता ही रहे, तो अितने छोटे प्रदेशमे पहुँच जाता है, जहाँ सिर्फ अुससे ही पोंगा भर जाय। अुमके खुदके सिवा और कुछ रहता ही नहीं। वहाँ विविधता नहीं, विस्तार नहीं,

अपसहार

ता नहीं। मगर उसे ऐसा नहीं लगता कि वह खुद असेमें खो गया या रास्ता भूल गया है, बल्कि अिससे अुल्टे वह समझने लगता है कि ही सब कुछ है। उसके साथ उसे अपना ही सम्बन्ध दिखायी पडता है। पहली स्थितिमें मनुष्य दूसरा सब कुछ देखता है, मगर अपनेको नहीं देखता, दूसरी स्थितिमें वह सिर्फ अपनेको ही देखता है, दूसरा और कुछ नहीं देखता। पहली द्वागमें वह मानता है कि वह अनन्तमें अुडनेवाली नकुछ रज है, जो अकत्मात अुत्पन्न हो गयी है और बिना ध्येयके भय्रक रही है। दूसरी द्वागमें वह मानता है कि वह खुद ही विम्बका आदि-काग्य और अर्क है। वह नहीं जानता कि अुसकी दृष्टि, बुद्धि और गति अेक शकु आकारके पोंगेमें काम कर रही है, जो अेक तरफसे चौडा होना जाता है और दूसरी तरफसे संकरा।



अपरे ही दृष्टानको अय शोहा बदल दीजिये। अेक मनुष्यके बदले अनेक मनुष्योंकी कल्पना कीजिये। कुछ ख की तरफ जाते हैं, कुछ क की तरफ। जो ख की तरफ जाते हैं, वे अनन्त, अपार, विविध, समृद्ध और स्वभाविक प्रकृतिको ही देखने हैं। प्रकृतिकी ही सारी लीला और महिमा देखने हैं। अुन्हे नभी कुछ फैलना और विस्तृत होता हुआ दिखायी पडता है। अुन्हे अतने अनीका अन्न दूँहनेके प्रयत्नमें वे आगे और आगे दगने जाते हैं। कोअी शोहा चलकर धक जाता है, कोअी दूर जाक धकन है। कोअी शोहा ही अित निर्गमर पहुँच जाता है कि अित ही ही अन्न आनेवाला नहीं है कोअी दहतना धम चुकनेके व

अस नतीजे पर पहुँचता है। जब वह थकने लगता है, तो निराग हो जाता है और वापस लौटना चाहता है, तथा प की दिशामे मुड़ना है। अस तरह कोअी बहुत बड़ा चक्कर लगाकर लौटना है, तो कोअी छोटा।

दूसरी तरफ जो क की ओर मुड़े हुअे हैं, वे अपने मनकी ही सारी विकृति और भ्रान्तिको देखते हैं। अन्हें सब कुछ मनमे ही समाय़ा हुआ सा लगता है। मनके बाहर भी किमीका अस्तित्व है या नहीं, असमें अन्हे सन्देह रहता है। असलिअे वे मनको ही पकड़नेकी कोशिश करते हैं। मगर वे भी कभी थकने लगते हैं। अस तरह मनको पकड़कर भी अन्हें पूर्ण सन्तोष नहीं होता। अैसा मन अन्हें शक्तिहीन, विभूतिहीन, कर्तृत्वहीन और सकुचित होता जान पड़ता है। असमे अन्हें विकास नहीं, विलय—नाश मालूम होता है। असलिअे अैसा थका हुआ मनुष्य भी अुसी दिशामे टिकना नहीं चाहता। वह भी वादमे द के पासमे मुड़ी हुअी दिशामे घूमना चाहता है, और शक्ति, विभूति, कर्तृत्व, विकासको प्राप्त करनेमे प्रयत्न होता है। असमे भी कुछ लोग जल्दी थक जाते हैं और कुछ क के बहुत नजदीक तक जाकर थकते हैं। बहुत कम अैसे होते हैं, जो बिना थके आखिर तक अिसी ओर बढ़ते रहते हैं। अस तरह कुछ लोगोंके मुँह ख की तरफ मुड़े हुअे हैं और कुछ के क की तरफ किसी बार बहुत बड़ा सब ख की तरफ जाता है, तो किमी बार क की तरफ। सभी ख की तरफ जाते हैं या सभी क की तरफ मुड़ते हैं, अैसा नहीं होता।

आज मानव जातिके बहुत बड़े भागकी हालत बगीचेके अुम मालिक जैमी या ख की तरफ मुँह घुमाये हुअे लोगों जैमी ही है। सब फूलोंकी बहार देखनेमे, प्रकृतिकी खूबियाँ और विविधता खोजनेमे ही मगगूल हैं। नीचे झुककर या पीछे घूमकर अुनको यह देखनेकी अिच्छा नहीं होती कि यह किसका विस्तार है और किमकी विजय व महिमा है। दुनिया हमें स्वयम् प्रकृतिका ही सारा अत्यप्य़ा खेल मालूम होता है। असका कोअी मूल, बीज, कारण या कर्ता भी है या नहीं, असमे हमें शक है। जो अिम सम्यन्धमे विचार करते हैं, अुनका खयाल है कि

जीवसृष्टि — चैतन्यकी अुत्पत्ति भी अचानक ही हो गयी है । जिस तरह लतापर फूलोंकी बहार आती है, अुसी तरह प्रकृतिपर जीवसृष्टिको बहार आयी हुयी है । जिस तरह फूल चाहे जितने सुन्दर और सुगन्धित हों, फिर भी वे मूलोंके ही कार्य हैं, कारण नहीं, या वे अनादि भी नहीं हैं; अुसी तरह जीवसृष्टि भी प्रकृतिका ही कार्य है, कारण नहीं, और वह अनादि भी नहीं है । असलिये रसिक व्यक्तिके लिये फूलोंकी जितनी कीमत होती है, अुससे ज़यादा हमें जीवकी कीमत नहीं रही । जब तक अिसमें रग और गध हो, तब तक तो अिसकी कीमत है; बादमें अिसे पैरों तले कुचल डालते हैं । और अिसकी कीमतका यह मतलब नहीं कि अिसके लिये किसी तरहका आदर हो, बल्कि जिसके प्रति हमें आदर हो, अुसके लिये अिसका बलिदान करने जितनी ही अिसकी कीमत है । अिस तरह जिस चीज़को हम महत्त्वपूर्ण समझते हैं, अुसके लिये समग्र जीवसृष्टिका और मनुष्यका भी बलिदान करने, अुन्हे छेदकर, पिरोकर, बंधकर कुचल डालनेमें हमें हिचकिचाहट नहीं होती । हमारी नज़र लताके मूलकी तरफ नहीं, बल्कि अुपरकी बहारकी तरफ, पोंगेके क सिरेकी तरफ नहीं, ख सिरेकी तरफ मुड़ी हुयी है, और यही हमारे दुःखोंका मूल कारण है । दिनमें सिर्फ हमारी पृथ्वीका ही विस्तार साफ दिखायी पड़ता है, मगर रातमें तो हमें समग्र विश्वकी समृद्धिके दर्शन होते हैं और रात जितनी ही अंधेरी हो अतनी ही अच्छी दिखती है, जैसे कोअी व्यक्ति दिनको अंधेरा करनेवाला और रातको प्रकाश फैलानेवाला कहे, अुसी तरह हम ख की दिशामें प्रकाश और विकास देखते हैं, तथा क की दिशामें सकोच और शून्यता अनुभव करते हैं ।

भक्त और तत्त्वज्ञानीकी भाषामें कहे, तो हम मायाकी साधनामें भगवानको भूल गये हैं, प्रकृतिके ध्यानमें आत्माको खो बैठे हैं । आधुनिक साधारण भाषामें कहे तो हम महत्ताके और वैभवके मोहमें अिन्सानियतको छोड़ते आये हैं । जिसके लिये महल बंधवाया जा रहा है, वह खुद मरने बैठा है । मगर अुसकी सेवा करनेकी हमें फुरसत नहीं है । हम सोचते हैं कि पहले महल बन जाय, तो फिर अुसमें अेक अत्पतालका कमरा भी रखेंगे और अुसमें अिसका अिलाज करेंगे । अंगर

तब तक यह मर गया, तो उसके लड़केका अिलाज करेगे, और उसका लड़का नहीं रहा, तो किसी दूसरे बीमारको लाकर उसमें रखेगे, यह हमारा न्याय है। 'अधेर नगरी चौपट गजा' का न्याय उससे ज्यादा दोषपूर्ण नहीं था। अुल्टे, उसने तो शूलीको समझकर ही शूली खड़ी की थी, हम गायद महल समझकर कतलखाना खड़ा करते हैं।

मतलब यह है कि जो बड़ीसे बड़ी क्रान्ति हमें करनी है, वह जड़ जाहोजलालीके वजाय मानवताको सबसे ज्यादा महत्व और जीवको सबसे ज्यादा आदर देना सिखानेवाली हो। उसके अभावमें किसी भी प्रकारका राजतंत्र या अर्थवाद या धर्म मनुष्यको सुख-शान्ति नहीं दे सकेगा।

यह लिखते हुअे मैं अितना और कह देता हूँ कि मेरे मनमें मानवजातिके सम्बन्धमें निराशा नहीं है। हिन्दुस्तानके बारेमें तो मैं उससे भी ज्यादा आशावान हूँ। मेरा मन कहता है कि मानव अभी भले थोड़ा अधर अधर टकराये, गोते खाये, नुकसान अुठाये, मगर बादमें वह क की दिशामें अवश्य ही मुड़ेगा, प्रकृति-पूजाकी जगह फिरसे भगवानकी ही स्थापना करेगा और उसे ज्यादा शुद्ध स्वरूपमें समझकर करेगा। यह कोअी निराधार आशावाद नहीं है। पिछले पचास-साठ बरसोंमें हिन्दुस्तानमें जो अेकसे अेक ऊँचे नेता पैदा हुअे हैं, उसपरसे मुझे लगता है कि हिन्दुस्तानका — और सम्भवतः उसके द्वारा मानव जातिका — जहाज अुचित दिशामें जा रहा है। गांधीजीके बाद ५० जवाहरलालकी तरफ सारे जगतका आदर और आशाकी नज़रसे देखना अकारण नहीं है। अिनका 'भगवान' शब्दको दूर रखना कुछ महत्व नहीं रखता, मगर मानवमात्रके लिअे अिनके दिलमें आस्था और सद्भाव है, यही अिनकी सबसे ऊँची आध्यात्मिकता है।

हम ऐसी क्रान्ति करें, जिससे कदम कदम पर हमारी मानवता दिवाअी दे और कदम कदमपर विकसित हो, तथा पूरी मानवजाति उस पथकी ओर मुड़े। यही सच्ची धार्मिकता है, और यही सच्ची समाजरचना, अर्थरचना और राज्य-प्रणालिका है।

शत्रु बड़े मानवमात्रके समान;
 गदगी, रोग, गरीबी, अज्ञान,
 आलस, दम और असत्य,
 मद, मदन और मद्य,
 आसुर अभिलाष, अदम्य विकार,
 काम-क्रोध-लोभ-गर्वके अनाचार —
 ये सब अधर्म-सर्गके आविष्कार ।

अीश्वरसत्तावाद न सच्ची आस्तिकता,
 भीश्वरनास्तिवाद न सच्ची नास्तिकता ।
 पिता-पुत्र, भाअी-भाअी, स्वामी-सेवक,
 पति-पत्नी, शासित और शासक,
 व्यापारी-कारीगर और ग्राहक,
 कला, सौंदर्य या विज्ञानके अुपासक,
 धन-विषयार्थ ही माने सम्बन्ध,
 अिन्द्रियाकर्षणको ही माने आनन्द,
 अैसा बना हो जीवनका लक्षण,
 वही नास्तिकताका असल चिन्ह ।
 जहाँ तक आसुरी अभिलाषाओंमे श्रद्धा,
 वहाँ तक सुख-शांति श्रृद्धिकी अशक्यता ।

ब्रह्मना-प्रकटाना अुच्च गुण सदैव,
 मानवताके अुत्कर्षको मान जीवनका ध्येय,
 सद्भावने, धर्मभावते करना जीवोंकी सेवा,
 मानवमात्रको हृदयसे अपनाना,
 जीवमात्रको प्रेमामृतसे नहलाना,
 गदगी, रोग, गरीबी, अज्ञान हटाना,
 सत्य, शौच, अुद्योग आदि सद्गुण फैलाना,
 अिसमे ही आत्मज्ञान व शान्ति पाना ।

जिस तरह जीवन भर करे अुपासना,
 रखकर- अीश्वरनिष्ठा व निःस्वार्थ भावना;
 न रखे चिंता, ममता या भावीका सोच,
 आवे देहका अत, तो छोड़े निःसंकोच,
 अिनके समाधान, गान्ति और मोक्ष,
 नक्रद, अकल्पित और अपरोक्ष ।

२८-११-१४७

